संचार माध्यम

भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय) की त्रैमासिक यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका

खंड–36, अंक–2 आईएसएसएन : 2321–2608 जुलाई-सितंबर 2024

भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

संचार माध्यम

भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय) की त्रैमासिक यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका

खंड-36, अंक-2 जुलाई-सितंबर 2024 आईएसएसएन: 2321-2608

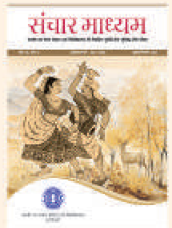

संचार माध्यम के बारे में:

'संचार माध्यम' (ISSN : 2321-2608) भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की संचार, मीडिया, पत्रकारिता और उससे संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हिंदी में प्रकाशित सामग्री चयन में उच्च मानदंडों का पालन करने वाली अग्रणी और यूजीसी केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1980 में आरंभ हुआ और आज यह हिंदी भाषा में संचार, मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के विचारों, टिप्पणियों, पुस्तक समीक्षा और मौलिक शोध-पत्रों के प्रकाशन का प्रतिष्ठित मंच है। इसमें मीडिया से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर मौलिक अकादमिक शोध और विश्लेषण प्रकाशित किए जाते हैं। अकादमिक शोध के उच्चतर मूल्यों का पालन करते हुए 'संचार माध्यम' में प्रकाशन से पूर्व सभी शोध पत्रों/आलेखों के लिए निष्पक्ष समीक्षा की एक कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय) के प्रकाशन विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है।

प्रधान संपादक

डॉ. अनुपमा भटनागर
कुलपति
भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

संपादक

प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार
अध्यक्ष, स्ट्रैटिजिक कम्युनिकेशन विभाग
भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
नई दिल्ली

संपादक मंडल

श्री अच्युतानंद मिश्र
वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. सच्चिदानंद जोशी
सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली

प्रो. ओम प्रकाश सिंह
पूर्व प्रोफेसर एवं निदेशक, महामना मदनमोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

प्रो. पवित्र श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष, विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रो. आनंद प्रधान
प्रोफेसर एवं क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, ढेंकनाल परिसर, ओडिशा

प्रो. अनिल कुमार सौमित्र
प्रोफेसर, भारतीय जन संचार संस्थान, जम्मू परिसर

प्रो. प्रमोद कुमार
प्रोफेसर, अँग्रेजी पत्रकारिता एवं संपादक, 'संचार माध्यम', भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

डॉ. शुचि यादव
अध्यक्ष, मीडिया अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. राजेश कुशवाहा
सह आचार्य, भारतीय जन संचार संस्थान, अमरावती परिसर

डॉ. राकेश उपाध्याय
सह आचार्य, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

डॉ. विनीत उत्पल
सहायक आचार्य, भारतीय जन संचार संस्थान, जम्मू परिसर

श्री संत समीर
एसोसिएट प्रकाशन, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली

भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय) की ओर से प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार भारती द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित

*सभी तरह के संपादकीय पत्राचार और लेख भेजने के लिए **संपादक, संचार माध्यम,** भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय), जेएनयू न्यू कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 (भारत) को संबोधित किया जाना चाहिए (दूरभाष : 91-11-26742920, 26741357)*

ईमेल : *sancharmadhyamiimc@gmail.com, drpk.iimc@gmail.com*

जर्नल का वेब लिंक : *https://www.iimc.gov.in/about-journal-0*

वेबसाईट : *www.iimc.gov.in*

'संचार माध्यम' में प्रकाशित विचार लेखकों की अपनी अभिव्यक्ति हैं। भारतीय जन संचार संस्थान का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

कुलपति की कलम से

डॉ. अनुपमा भटनागर
कुलपति
भारतीय जन संचार संस्थान
(सम विश्वविद्यालय)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दुनिया को फिर से परिभाषित करने, मानवीय क्षमता की सीमाओं को पार करने और अभूतपूर्व पैमाने पर उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने के लिए तैयार है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में एआई का आगमन कंटेंट क्रिएटरों को सामग्री निर्माण के लिए शक्तिशाली उपकरणों से सशक्त बना रहा है, नए अनुभवों से रूबरू करा रहा है और कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का उपभोग करने, बनाने और उनसे जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं समेत पत्रकारिता में भी शामिल हो गया है। डिजिटल मीडिया की वजह से जाने-अनजाने में ही हम एआई तकनीक पर आधारित कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वह यू-ट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से आपको दिखते वीडियो हों या वेबसाइट पर दिखने वाले विज्ञापन। सभी का एक कारण एआई तकनीक ही है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से एआई पत्रकारिता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मीडिया कंपनियाँ अपने कंटेंट की पहुँच को अधिक विस्तृत करने के लिए एआई की मदद ले रही हैं। लेख लिखने से लेकर बुलेटिन प्रसारित करने तक में एआई का सहारा लिया जा रहा है। दुनिया भर के बड़े-बड़े मीडिया हाउस एआई द्वारा लिखे लेख को प्रकाशित कर रहे हैं। 'न्यूजजीपीटी' दुनिया का पहला समाचार चैनल है, जिसका पूरा कंटेंट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारत समेत कई अन्य देशों में न्यूज एंकर के तौर पर कंप्यूटर जनित मॉडल, यानी एआई एंकर समाचार पढ़ते नजर आ रहे हैं।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एआई का प्रभाव महत्त्वपूर्ण रहा है। कई कंपनियाँ अपने परिचालन में सुधार, उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने और अधिक व्यक्तिगत सामग्री बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। मीडिया और मनोरंजन में एआई का प्रभाव सबसे ज्यादा कंटेंट निर्माण में है। एआई एल्गोरिदम अब बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके खास दर्शकों के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। एआई का इस्तेमाल वर्चुअल इनफ्लूएंसर और कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए नए तरह के कंटेंट बनाने के लिए भी किया जा रहा है।

एआई को वास्तविक दुनिया के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी समझा सकता है, जैसे 'स्क्रिप्टबुक'। स्क्रिप्टबुक एक एआई-संचालित स्क्रिप्ट विश्लेषण उपकरण है, जिसका उपयोग फिल्म स्टूडियो द्वारा किसी पटकथा की व्यावसायिक सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण स्क्रिप्ट के पात्रों, विषयों और कथानक बिंदुओं का विश्लेषण करता है और फिर बॉक्स ऑफिस की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए इस डेटा की तुलना अतीत में इसी तरह की फिल्मों के प्रदर्शन से करता है। इसी तरह है AIVA यानी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल आर्टिस्ट'। यह एक एआई-संचालित म्यूजिक कंपोजिशन टूल है, जो उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर ऑरिजनल म्यूजिक ट्रैक बना सकता है। ऐसा ही एक एआई-संचालित एनीमेशन टूल है 'डीपमोशन', जो वीडियो गेम और फिल्मों के लिए 3डी एनिमेशन बना सकता है। यह टूल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जिससे अधिक यथार्थवादी और प्राकृतिक दिखने वाले एनिमेशन बनते हैं।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग में मार्केटिंग और विज्ञापन को बेहतर बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपभोक्ता व्यवहार और वरीयताओं पर डेटा का विश्लेषण करके एआई एल्गोरिदम कंपनियों को अधिक लक्षित और व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियान बनाने में मदद कर सकते हैं।

ऐसे समय में, जब तकनीक हमारी दैनिक गतिविधियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, एआई ने सूक्ष्म रूप में, लेकिन शक्तिशाली रूप से हमारे मीडिया और मनोरंजन के अनुभवों को नया रूप दिया है। तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों और बदलती उपभोक्ता इच्छाओं द्वारा आकार लेने वाले इस जीवंत उद्योग ने उल्लेखनीय परिवर्तनों का अनुभव किया है। नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सामग्री का उपभोग करने के तरीके को बदलने से लेकर विविधता और प्रतिनिधित्व पर आवश्यक ध्यान देने तक, एआई का भविष्य अनंत संभावनाओं के साथ उज्ज्वल है।

संपादकीय

विदेशी मीडिया द्वारा भारत के विरुद्ध विषवमन

विदेशी मीडिया, खासतौर से पश्चिमी देशों के मीडिया का एक बड़ा वर्ग, जिस प्रकार एक सुनियोजित एजेंडे के तहत भारत के विरुद्ध विषवमन करता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे विश्वभर में रहने वाला भारतीय जनमानस उद्वेलित है। हालाँकि, इस विषवमन का सिलसिला लंबे अरसे से जारी है, परंतु 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सत्ता सँभालने के बाद से इसकी तीव्रता अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। भारत की हर उपलब्धि का मजाक बनाने और इसकी क्षमता पर प्रश्नचिह्न खड़े करने का कोई मौका पश्चिमी देशों के मीडिया का यह वर्ग नहीं छोड़ता। विश्वभर में मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यात्मक और वस्तुपरक ढंग से पाठकों के साथ जानकारी साझा करे। इस प्रकार के उपदेश विदेशी मीडिया अक्सर विकासशील देशों के मीडियाकर्मियों को देता भी रहता है, परंतु जब स्वयं वस्तुपरकता का पालन करने की बात आती है तो वह दुम दबाकर भाग खड़ा होता है।

पश्चिमी मीडिया के मन में भारत के प्रति जो कटुता है, वह अक्सर इसकी रिपोर्टिंग और आलेखों में झलकती रहती है। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' अमेरिका का एक बड़ा समाचार पत्र है, जिसके पाठक विश्वभर में हैं। 1851 में स्थापित इस समाचार पत्र ने 127 पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं, परंतु भारत के संदर्भ में आज इसकी पहचान एक अत्यंत असहिष्णु मीडिया संस्थान की बन गई है। गत एक दशक में इसमें भारत के संबंध में प्रकाशित खबरों, आलेखों और अग्रलेखों का अध्ययन करें तो साफ दिखाई देता है कि इसका मकसद सिर्फ यह स्थापित करना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कट्टरवादी और तानाशाह नेता हैं और वे भारत की पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। भारत के संबंध में यह अखबार मोदी निंदकों की राय को हमेशा प्रमुखता से प्रकाशित करता है। चाहे वह जीएसटी जैसे आर्थिक मामले हों या फिर पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक, कश्मीर में अनुच्छेद 370 में संशोधन, नागरिकता संशोधन कानून, कोविड महामारी से निपटना और विश्व की सहायता करना, इन सब घटनाओं को 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने असफल, विनाशकारी और आत्मघाती निर्णय सिद्ध करने का प्रयास किया। कश्मीर के संबंध में भी यदि 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबरों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उनमें मोदी और भारतीय सेना को खलनायक की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उन खबरों और टिप्पणियों में पाकिस्तान-प्रायोजित अलगाववादियों और आतंकियों की राय ही उद्धृत होती है। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ही नहीं, 'वाशिंगटन पोस्ट', 'सीएनएन', ब्रिटेन के 'गार्जियन' और 'बीबीसी' सहित 'रायटर्स' और 'एपी' जैसी समाचार एजेंसियों का रवैया भी ऐसा ही है।

भारत में हाल ही संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान विदेशी पर्यवेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके बावजूद पश्चिमी देशों के इस मीडिया वर्ग ने इन चुनावों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से खबरें प्रकाशित कर पूरे विश्व को भ्रमित करने का प्रयास किया। चुनाव के दौरान 'द गार्जियन' में प्रकाशित कुछ लेखों के शीर्षक देखिए : "भारत में चुनाव पूरे जोरों पर, नरेंद्र मोदी हताश और खतरनाक होते जा रहे हैं", "नरेंद्र मोदी बने नफरत के सौदागर।" ये शीर्षक पूर्वग्रह से ग्रस्त ही कहे जाएँगे। लेख में भारत के चुनाव आयोग को भी एक 'निष्क्रिय दर्शक' कहा गया। विदेशी मीडिया के ऐसे प्रयासों पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 24 अप्रैल, 2024 को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की और कहा कि विदेशी मीडिया जानकारी के अभाव में नहीं, बल्कि भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के मकसद से एक 'पॉलिटिकल प्लेयर' के रूप में काम कर रहा है।

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में श्रीराम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह सर्वविदित है कि राम मंदिर का निर्माण भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हुआ, परंतु पश्चिमी देशों के मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में यह सिद्ध करने का पुरजोर प्रयास किया कि 'भारत में एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए कई सौ साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया'। विदेशी मीडिया ने कथित बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में तो बात की, परंतु उस इतिहास की चर्चा नहीं की जो बताता है कि मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद कैसे बनाई गई। उन खबरों में उन पुरातात्त्विक साक्ष्यों के बारे में भी बात नहीं की गई, जिनके आधार पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2019 में मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। राम मंदिर उद्घाटन पर 'सीएनएन' द्वारा प्रकाशित एक फोटो फीचर स्टोरी का शीर्षक था—"तस्वीरें : भारत के विभाजनकारी नए मंदिर को जनता के लिए खोले जाने के दिन पाँच लाख लोग आए।" लेख की शुरुआती पंक्ति कहती है, "पाँच लाख लोगों ने मंगलवार को नए राम मंदिर में प्रवेश किया, जो पवित्र शहर अयोध्या में एक विवादास्पद हिंदू मंदिर है, जो 16वीं शताब्दी की नष्ट हुई मस्जिद के खंडहरों पर बनाया गया है"। राम मंदिर उद्घाटन पर 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबर का शीर्षक था—"मोदी ने भारत के हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया।" 'बीबीसी' की खबर का शीर्षक था—"अयोध्या राम मंदिर : भारत के पीएम मोदी ने ढहाई गई बाबरी मस्जिद स्थल पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।" विदेशी मीडिया का यह रवैया चकित कर देने वाला है।

वर्ष 2021 में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक बिजनेस संवाददाता नियुक्त करने के लिए अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया था। उस विज्ञापन में संवाददाता के लिए उसके कौशल और योग्यता पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि यह रेखांकित किया गया कि वह ऐसा पत्रकार ढूँढ़ रहा है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए। विज्ञापन में कहा गया : "भारत का भविष्य अब एक चौराहे पर खड़ा है। श्री मोदी का राष्ट्रवाद भारत के हिंदू बहुसंख्यकों पर केंद्रित है, जो देश के स्वाधीनता सेनानियों की सहिष्णुता और

बहुसांस्कृतिक परंपरा के विपरीत है। मोदी सरकार मीडिया और ऑनलाइन टिप्पणियों पर पाबंदियाँ लगा रही है। इसके कारण भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठिन प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।" इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जो पत्रकार भारत को मोदी विरोधी दृष्टि से देखता है, वही आवेदन करे। यहाँ गंभीर प्रश्न यह है कि एक पत्रकार की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में क्या इस प्रकार की भाषा आवश्यक थी?

स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत में विज्ञान की दृष्टि से बहुत कुछ बदला है। आज का भारत अमेरिका सहित अनेक विश्वशक्तियों के उपग्रह तक सफलतापूर्वक 'लांच' कर रहा है, परंतु विदेशी मीडिया की नजर में भारत आज भी साँप-सपेरों का ही देश है। वह हमेशा भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। पश्चिमी देशों के मीडिया की इस मानसिकता की गहराई से पड़ताल करती हुई एक पुस्तक हाल ही में रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित की गई है। 'वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी' शीर्षक वाली इस पुस्तक के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय। पुस्तक की प्रस्तावना में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू लिखते हैं—"यह पुस्तक भारतीय मीडिया संस्थानों के लिए आँखें खोलने वाली है। इससे उन्हें भारत को सदैव सर्वप्रथम रखने की सीख लेनी चाहिए।" 164 पृष्ठ की इस अँग्रेजी पुस्तक का मूल्य 495 रुपये है। पुस्तक इसलिए चर्चा में है, क्योंकि गत दिनों इस पर देशभर के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में चर्चा-परिचर्चाएँ हुई हैं।

पुस्तक के बारे में अपना अभिमत प्रकट करते हुए भारत के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश लिखते हैं—"गहन शोध पर आधारित इस पुस्तक में उमेश उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी देशों का मीडिया पारंपरिक रूप से भारत के प्रति कैसे पक्षपाती और नकारात्मक रहा है और वह कैसे भारत की एक विकृत छवि पेश करता है। यह असंतुलित प्रस्तुतीकरण वर्तमान प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया में इक्कीसवीं सदी की उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के कद के विपरीत प्रतीत होता है। श्री उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर पश्चिमी मीडिया ने भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदला तो उसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी।"

वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं सुप्रसिद्ध लेखक संजीव सान्याल कहते हैं कि इस पठनीय पुस्तक में उमेश उपाध्याय ने स्पष्टता और निर्विवाद साक्ष्यों के साथ वर्णन किया है कि कैसे 1947 के बाद से दुनिया में भारत की स्थिति को खराब करने के लिए विकृत मीडिया विमर्शों का प्रयोग किया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि उभरते भारत को अपनी बात दुनिया को बताने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। सुप्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी कहते हैं कि किसी भी भारतीय के लिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिमी मीडिया हमारे प्रति पक्षपाती है। लेकिन केवल उनके पूर्वग्रहों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें उसे गहराई से समझना होगा। उमेश उपाध्याय इस पुस्तक में पश्चिमी मीडिया का नैदानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

पुस्तक में श्री उपाध्याय अकाट्य तथ्यों से स्पष्ट करते हैं कि बात सिर्फ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों का मीडिया श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता रहा है। उसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर को भी नहीं बख्शा। स्वतंत्रता के पश्चात् सरदार पटेल ने जब हैदराबाद रियासत को भारत गणराज्य में शामिल किया तो उसे लेकर पश्चिमी देशों के मीडिया ने पटेल की जमकर आलोचना की थी। दिसंबर 1947 में गांधीजी की खूब आलोचना की गई। 1971 में इंदिरा गांधी पश्चिमी देशों के मीडिया के निशाने पर रहीं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी 'बीबीसी' की रिपोर्टिंग से इतनी नाराज थीं कि उन्होंने भारत में 'बीबीसी' के कार्यालय को बंद करने का आदेश दे दिया था। उस दौरान 'बीबीसी' ने भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करती हुई कुछ डाक्यूमेंट्री देशभर में दिखाई थीं। 'बीबीसी' ने 1984 में खालिस्तानी नेता जगजीत सिंह चौहान का एक साक्षात्कार प्रसारित किया था, जिसमें उसने इंदिरा गांधी और उनके परिवारजनों का सर कलम करने की घोषणा की थी। यह सिलसिला आज भी जारी है। कोविड महामारी के दौरान विदेशी मीडिया ने भारत की क्षमताओं पर प्रश्न उठाते हुए उसके विरुद्ध अभियान चलाया। इस संबंध में भारतीय जन संचार संस्थान ने वर्ष 2022 में एक विस्तृत अध्ययन भी किया था, जिसके परिणामों का उल्लेख श्री उपाध्याय ने अपनी इस पुस्तक के पृष्ठ 117, 118 और 119 पर किया है। यहाँ तक कि भारत के मंगलयान और चंद्रयान तक का मजाक बनाया गया। पुस्तक के अंत में पश्चिमी देशों के मीडिया में प्रकाशित 66 ऐसी खबरों और लेखों की सूची है, जो सिद्ध करती हैं कि कैसे भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये खबरें और लेख महज 30 मार्च, 2020 से लेकर 30 मई, 2021 के बीच प्रकाशित हुए हैं।

यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि पश्चिमी मीडिया के माध्यम से विश्वभर में भारत की छवि खराब करने में अनेक भारतीय टिप्पणीकार भी शामिल हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और सहिष्णु देश में विदेशी मीडिया को प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता, पर उस पर निगरानी आवश्यक है। विदेशी मीडिया ने यदि भारत के प्रति अपना विद्वेषपूर्ण रवैया नहीं बदला तो आने वाले समय में वह पूरी दुनिया में अपनी साख खो देगा और साथ ही वे भारतीय पत्रकार और टिप्पणीकार भी निपट जाएँगे, जो इस दुष्प्रचार में विदेशी मीडिया के हाथों में एक टूल के रूप में काम कर रहे हैं। भारत उभरती हुई विश्वशक्ति है, जिसे रोकना अब किसी के बूते की बात नहीं है। इसलिए अपनी कहानी दुनिया को सुनाने के लिए अब भारत को अपने स्वयं के विश्वस्तरीय संचार माध्यम खड़े करने चाहिए। दूरदर्शन ने पिछले दिनों एक इंटरनेशनल चैनल शुरू कर स्वागत योग्य शुरुआत की है। वर्तमान डिजिटल युग में बड़ी संख्या में ऐसे प्लेटफॉर्म निजी क्षेत्र में भी खड़े किए जाने चाहिए। प्रवासी भारतीयों की भी इसमें सक्रिय भूमिका हो सकती है।

प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार

संपादक

प्रकाशन विभाग
भारतीय जन संचार संस्थान
अरुणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू न्यू कैंपस, नई दिल्ली-110 067

संचार माध्यम
भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
की यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका

खंड 36 (2) आईएसएसएन: 2321-2608 जुलाई-सितंबर 2024

विषय सूची

1. भारतीय अनुसंधान पद्धति 1
प्रो. कृपाशंकर चौबे

2. स्वामी विवेकानंद के संचारीय मूल्य 6
डॉ. रविंद्र सिंह

3. एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के पत्रों का अध्ययन 10
डॉ. अमित कुमार और डॉ. पूनम गौड़

4. जनसंचारक दीनदयाल उपाध्याय 15
डॉ. आकाश दीप जरयाल और प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार

5. महात्मा गांधी का आध्यात्मिक संचार 23
डॉ. राजेश लेहकपुरे

6. सामाजिक समरसता और गांधी : 'हरिजन' के संदर्भ में एक अध्ययन 31
डॉ. सुनील कुमार मिश्र

7. मिथिला चित्रकला में सिया-राम 36
शानु झा

8. स्वाधीनता संग्राम के दौरान बुंदेलखंड में प्रचलित लोकगीतों का अध्ययन 41
गौरव चौहान

9. अद्वैत वेदांत शास्त्र की सहज संप्रेषणीयता 45
डॉ. कपिल गौतम

10. डिजिटल युग में योग और आध्यात्मिक संचार द्वारा तनाव प्रबंधन : एक विवेचन 51
डॉ. राज लक्ष्मी

11. शहरी प्रवासी परिवारों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल : पारिवारिक संवाद संरचना में परिवर्तन व परिष्कार का अध्ययन 57
स्वाति अर्जुन

12. समाचार पत्रों द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र की कवरेज का अध्ययन 64
गीतांजली राघव और डॉ. पवन मलिक

13. युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया का प्रभाव : एक समीक्षा 70
डॉ. पूनम बिष्ट

14. सोशल मीडिया में आत्ममुग्धता से वायरल होती है फेक न्यूज 75
अरविंद कुमार

15. समकालीन विकासशील समाज में समाधानपरक पत्रकारिता की आवश्यकता का अध्ययन 81
डॉ. दीपा रानी

16. आईआईएमसी गतिविधियाँ 87

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 1-5, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

भारतीय अनुसंधान पद्धति

प्रो. कृपाशंकर चौबे[1]

सारांश

बीसवीं शताब्दी में भारतवर्ष में एक ऐसा मनीषी हुआ, जिसने भारत की ज्ञान परंपरा को खोल डाला। इसीलिए उसे ज्ञानमूर्ति कहा जाता है। उस मनीषी का नाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल। श्री अग्रवाल ने अपने कृतित्व से प्रतीति कराई कि वेद-पुराण से लेकर भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य पर कैसे मानक शोध ग्रंथों की रचना होनी चाहिए। श्री अग्रवाल की एक मानक शोध कृति है—'पाणिनि ऐज सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री'। डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी के निर्देशन में पूर्ण हुआ यह उनका शोध-प्रबंध था, जिस पर लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें सन् 1941 में पीएच. डी. उपाधि प्राप्त हुई। पाणिनि संबंधी उनका दूसरा ग्रंथ है—'इंडिया ऐज नोन टू पाणिनि'। इस पर सन् 1946 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने ही उन्हें डी. लिट्. की उपाधि से विभूषित किया। इन दोनों मानक शोध कृतियों का समाहार है, 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष'। 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' नामक ग्रंथ भारतविद्या के अनुपम ग्रंथ के रूप में समादृत है, जिसमें श्री अग्रवाल ने पाणिनि के 'अष्टाध्यायी' के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर सम्यक् प्रकाश डालते हुए साहित्य के सहारे भारत का पुन: अनुसंधान किया है। उस अनुसंधान में श्री अग्रवाल ने भारत की प्राचीन वैज्ञानिक एवं तर्कयुक्त विधि का उपयोग किया है। इस विधि का प्रयोग करते हुए ही श्री अग्रवाल ने वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत की सांस्कृतिक मीमांसा की; 'मेघदूत', 'कादंबरी', 'पद्मावत' की अनुपम व्याख्या की और कला और संस्कृति के अध्ययन को दृष्टि देने के लिए इसी शीर्षक से ग्रंथ की रचना की।

संकेत शब्द : अनुसंधान की भारतीय परंपरा, वासुदेव शरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, कला और संस्कृति

प्रस्तावना

'संचार माध्यम' के जनवरी-जून 2024 के अंक में 'प्राचीन भारतीय संचार सिद्धांत : परंपरा और प्रयोग' शीर्षक से शोध आलेख में बताया गया था कि 'गवेषणा' शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और प्राचीन भारत में सभी प्रकार के अनुसंधान संपन्न किए गए। वेदों और उपनिषदों को मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में, धर्मशास्त्र और नाट्यशास्त्र को अनुप्रयुक्त अनुसंधान की श्रेणी में और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है। उक्त आलेख में यह भी बताया गया था कि अनुसंधान की प्राचीन दृष्टि भारतीय दर्शन में विद्यमान है और उसी क्रम में वाचस्पति मिश्र और अभिनव गुप्त के अनुसंधान दृष्टिकोण पर विचार किया गया था। भारतीय अनुसंधान पद्धति का विस्तार बीसवीं शताब्दी में जिन ग्रंथों में हुआ, उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल की कृतियाँ विशेषकर 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष', 'उरु ज्योतिः', 'वेद रश्मि', 'भारत सावित्री', 'इतिहास दर्शन', 'भारतीय धर्म मीमांसा', 'भारतीय कला', 'कला और संस्कृति', 'भारत की मौलिक एकता', 'माता भूमि', 'पृथिवी पुत्र', 'कल्पवृक्ष', 'मलिक मोहम्मद जायसी : पदमावत', 'कालिदास कृत मेघदूत एक अध्ययन', 'कादंबरी', 'हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन' उल्लेखनीय हैं।

'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' में वर्णित अनुसंधान की दस विधियाँ

वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी शोध कृति 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' की भूमिका में ही दस अनुसंधान विधियों का विवरण दिया है। वे अनुसंधान विधियाँ भारत के किसी भी सांस्कृतिक अध्ययन में सहायक हैं। श्री अग्रवाल द्वारा बताई अनुसंधान विधियाँ हैं :

1. **पाणिनि के सूत्रों का विस्तृत भाष्य :** इसमें काशिका, न्यास, पदमंजरी आदि सब उपलब्ध वृत्तियों से और पतंजलि के महाभाष्य एवं उसके व्याख्यान स्वरूप भर्तृहरि, कैयट, नागेश आदि के ग्रंथों से जो सामग्री उपलब्ध होती है, उसके विवेचन द्वारा सूत्रों के अर्थों का निरूपण होना चाहिए।
2. **अष्टाध्यायी का अंतरंग अनुशीलन :** इसमें उस स्थिति के अध्ययन की कल्पना की जाती है, जिसके अनुसार शब्दों का संकलन करके पाणिनि ने स्वयं अपनी प्रयोगशाला में यत्नपूर्वक एक-एक सूत्र की रचना की। अष्टाध्यायी का प्रकरण-विभाग किस दृष्टि से किया गया? प्रत्यय और अनुबंध किस हेतु से इन्हीं रूपों में निश्चित किए गए? भाषा में कितने प्रकार की वृत्तियाँ थीं, जिनका संग्रह करके पाणिनि ने कृदंत और तद्धित के महाप्रकरणों का निर्माण किया? महासंज्ञा और कृत्रिम संज्ञाओं के मूल में क्या हेतु था? गणपाठ की क्या स्थिति थी? पाणिनीय शब्दविद्या में और रूपसाधनिका में स्वरों का क्या स्थान था? किस प्रकार स्वरों के महत्त्व को आचार्य ने प्रक्रिया में अभिव्यक्त किया है? प्रकृति और प्रत्यय के सम्मिलन से एक-दूसरे में क्या परिवर्तन होते हैं? इत्यादि अनेक प्रश्नों की ऊहापोह और मीमांसा हमें उस स्रोत तक ले जाती है, जहाँ पाणिनि अपनी अध्ययनशाला में एकाग्र मन से अभिनव व्याकरण की रचना कर रहे थे, जिसे उन्होंने 'आद्य आचिख्यासा' कहा है।
3. **वैदिक व्याकरण :** पाणिनीय सामग्री का वैदिक साहित्य के आधार पर अध्ययन एवं जो सामग्री बची रह गई हो, उसका समावेश करके समग्र वैदिक व्याकरण की रचना करना।
4. उपलब्ध प्रातिशाख्य और शिक्षा-ग्रंथों का सर्वांगीण अध्ययन।
5. **नव्य व्याकरण विमर्श :** अर्थात् पाणिनीय सूत्रों पर कालांतर में जो प्रक्रिया का विस्तार हुआ है, उसका तुलनात्मक अध्ययन।
6. **व्याकरण दर्शन :** पतंजलि से भर्तृहरि तक एवं उत्तर काल में भी व्याकरण के मूलतत्त्वों पर दार्शनिक विचार का काल क्रम से

[1]प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र. ईमेल : drkschaubey2@gmail.com

तुलनात्मक विवेचन।

7. **संस्कृत के अन्य व्याकरणों के साथ पाणिनि व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन :** चंद्र, जैनेंद्र, शाकटायन, कातंत्र, भोज, हेमचंद्र आदि के व्याकरणों में पाणिनीय परंपरा लगभग दो सहस्र वर्षों तक किस प्रकार सुरक्षित और उपबृंहित हुई है, इसका विवेचन।
8. भारत-यूरोपीय भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि में पाणिनीय व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन।
9. पाणिनीय व्याकरण एवं शास्त्रकर्ताओं का इतिहास और उसके साथ आनुषंगिक रूप से अन्य व्याकरणों का इतिहास।
10. पाणिनीय सूत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री का अध्ययन (अग्रवाल, 2019)।

इन दस शोध विधियों में अंतिम दो पाणिनीय शास्त्र का बहिरंग अध्ययन कही जा सकती हैं। उनमें से एक की पूर्ति का यत्न वासुदेव शरण अग्रवाल ने 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' ग्रंथ में किया है।

'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' ग्रंथ यह भी बोध कराता है कि शोध में विषय पर नया प्रकाश पड़ना चाहिए। स्वयं श्री अग्रवाल ने इस प्रबंध में चरण, गोत्र, जनपद आदि कई संस्थाओं पर नया प्रकाश डाला है। श्री अग्रवाल ने इस प्रबंध में यह बोध भी कराया है कि शोध अध्याय आवश्यकतानुसार परिच्छेदों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रबंध के अंत में विशिष्ट शब्दों की अकारादि क्रम से सूची दी जानी चाहिए। श्री अग्रवाल के इस प्रबंध में आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय आवश्यकतानुसार परिच्छेदों में विभक्त है। ग्रंथ के अंत में लगभग तीन सहस्र विशिष्ट शब्दों की अकारादि क्रम से सूची दी गई है।

पाणिनि के शास्त्र का महत्त्व

श्री अग्रवाल के शोध प्रबंध में यह बोध भी कराया गया है कि शोधार्थी को शोध विषय के औचित्य या महत्त्व को प्रतिपादित करना चाहिए। स्वयं श्री अग्रवाल ने पाणिनि के शास्त्र का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि पाणिनि ने अपना शास्त्र सूत्र-रूप में रचा है। इन सूत्रों की संख्या 3995 है। सूत्र, साहित्य की एक विशेष प्रकार की शैली है। यह शैली केवल भारतवर्ष में ही मिलती है (अग्रवाल, 2020)। पाणिनि सूत्र-युग के अंतिम महान् आचार्य कहे जाते हैं। उनके सूत्र अत्यंत ही गठी और मँजी हुई शैली में हैं। पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक रचे। कात्यायन और पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों को नया प्राण देकर उन्हें सदा के लिए प्रमाणित और मंडित कर दिया। व्याकरण शास्त्र की बहुत विस्तृत सामग्री इन दोनों आचार्यों ने वार्तिक और भाष्य में सुरक्षित कर दी है। पाणिनि के व्याकरण में विस्तृत और मूल्यवान् ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है (अग्रवाल, 2020)।

श्री अग्रवाल ने अपने प्रबंध में 'पाणिनि और उनका शास्त्र' नामक प्रथम अध्याय में पाणिनि के जीवन से संबंधित सामग्री पर विचार किया है। दूसरे अध्याय में पाणिनिकालीन भूगोल का विवेचन है। तीसरे अध्याय में सामाजिक जीवन की सामग्री पर विचार किया गया है, जिसमें अन्नपान, वेश-भूषा, वासगृह, नगर-मापन, भारवाही पशु, क्रीड़ाओं आदि का विवरण है। चौथे अध्याय में आर्थिक दशा का विवेचन है। इसमें वनस्पति, पशु-पक्षी, शिल्प, वाणिज्य-व्यवसाय, नाप-तोल, मुद्राओं, ऋणदान की सामग्री पर विचार किया गया है। शिक्षा और साहित्य नामक पाँचवें अध्याय में चरण नामक प्राचीन वैदिक शिक्षा संस्थाओं पर पहली बार पाणिनि से पर्याप्त प्रकाश मिला है। छठे अध्याय में धर्म के अंतर्गत यज्ञीय कर्मकांड एवं देवपूजा संबंधी सामग्री की व्याख्या की गई है। राजतंत्र और शासन संज्ञक शीर्षक सातवें अध्याय में एकराज जनपद और संघों के संबंध में सामग्री का विवेचन है। काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने 'हिंदू राजतंत्र' नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम इस सामग्री के महत्त्व पर ध्यान दिलाया था। उस पर और अधिक उपबृंहण और व्याख्या द्वारा यहाँ प्रकाश डाला गया है। आठवें अध्याय में श्री अग्रवाल ने पाणिनि के समय पर विचार किया है।

अनेक अर्थोंवाली वृत्तियों का अध्ययन

पाणिनि ने इस दृष्टि से अपना शास्त्र नहीं लिखा था कि वे इतिहास की बातों का संग्रह करें। लेकिन भाषा में शब्द किसी-न-किसी संस्था का प्रतीक होता है, अथवा किसी स्थान, गोत्र, ग्रंथ आदि का नाम होता है। व्याकरण के ग्रंथ में ऐसे शब्दों को स्थान मिलता है। व्याकरण शास्त्र बनाते समय पाणिनि ने अपने समय में देखा कि कितनी ही प्रकार की वृत्तियाँ लोक में प्रचलित थीं। आज यदि हम अपनी हिंदी भाषा का व्याकरण बनाने के लिए बैठ जाएँ, तो हमें भी इसी पद्धति से शब्दों की छानबीन करनी पड़ेगी। यह जो हमारा विस्तृत लोक-जीवन है, इस सारे लोक-जीवन की छानबीन करके हमें सूची बनानी होगी कि कितने प्रकार की वृत्तियाँ लोक में प्रचलित हैं। पाणिनि ने गहराई से छानबीन करके अनेक अर्थोंवाली इन वृत्तियों का अध्ययन किया और उनसे संबंध रखनेवाले अर्थों और शब्दों को अष्टाध्यायी में स्थान देकर सूत्रों की रचना की। उस समय के लोक-जीवन की सामग्री को, जिसके विषय में हम अन्य प्रकार से अधिक नहीं जानते, पाणिनि ने विलक्षण ढंग से हमारे सामने रखा है। पाणिनि के व्याकरण में वृत्तियों या शब्दों के द्वारा प्रकट किए जानेवाले अर्थों के कितने प्रकार हैं, इसका अच्छा ज्ञान तद्धित-प्रकरण से होता है (अग्रवाल, 2020)। इस प्रकरण के सूत्रों में उस समय की सभ्यता का एक अच्छा चित्र मिल जाता है। लोक के प्रति पाणिनि की बढ़ी हुई निष्ठा और श्रद्धा थी। लोक प्रमाण के आधार पर ही आचार्य ने अपने महान् शास्त्र की रचना की। शब्दों की खोज में लोक का तिल-तिल परिचय, जिसे व्याख्याताओं ने सूक्ष्मेक्षिका कहा है, पाणिनीय कार्यशैली की विशेषता थी, जिससे ऐसे सर्वांगपूर्ण शास्त्र का जन्म हुआ। वे मानते थे कि सब अर्थों का विवेचन, निर्वचन, प्रकृति और प्रत्यय का पृथक् स्पष्टीकरण, इसका प्रयत्न करना ही वैयाकरण का कार्य है।

भाषा का एक-एक शब्द अर्थों का प्रतीक है

अष्टाध्यायी में अनेक संस्थाओं का उल्लेख आया है। श्री अग्रवाल के अनुसार भाषा का एक-एक शब्द अर्थों का प्रतीक है। शब्दों के पीछे संस्थाओं का इतिहास रहता है। आचार्य ने संक्षिप्त शैली से अपने शास्त्र की रचना की। जो प्रयोग (लक्ष्य) में आनेवाला शब्द का विस्तार था, उसको आधार मानकर उन्होंने नियम या सूत्र (लक्षण) बनाए। प्राचीन परिभाषा के अनुसार 'लक्ष्य लक्षण' का नाम ही व्याकरण था। पाणिनि के सामने संस्कृत वाङ्मय और लोक-जीवन का बृहत् भंडार फैला हुआ था। वह नित्य-प्रति प्रयोग में आनेवाले शब्दों से भरा हुआ था। इस भंडार में जो शब्द कुछ भी निजी विशेषता लिए हुए था, उसी का उल्लेख सूत्रों में या गणपाठ में आ गया है। फलस्वरूप भूगोल, सामाजिक जीवन, शिक्षा

और साहित्य, कृषि-वाणिज्य-व्यवसाय, सिक्के-नापतौल आदि से संयुक्त आर्थिक जीवन, राजनीति, दर्शन और धर्म, इन सबकी बहुविध सामग्री अष्टाध्यायी में अनायास संगृहीत हो गई है (अग्रवाल, 2020)।

विचारों का मधुमय उत्स : शब्द और अर्थ

वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि शब्द है और शब्द के पीछे उसका सत्य-स्वरूप अर्थ है। केवल शब्द रटो, अल्प फल है। शब्द के साथ उसके अर्थ से टक्कर लेने का ऋजु प्रयत्न करो, महती संप्राप्ति होगी। उससे रस का अनुभव होगा। रस का स्वाद लेना योग है। रस योगियों का भाग है। योगी अर्थ के साथ जूझते हैं, पंडित शब्दार्थ के साथ। इसीलिए पंडितों के भाग में तक्र ही आया। योगी रस पी रहे हैं, पंडित छाछ पीकर रह गए। पंडित के सामने शब्द आया— 'सविता'। शब्द की बाहरी परिधि में घूम-घामकर पंडित ने संतोष माना। सविता कहाँ है? क्या है? इस अर्थ को जिसने बूझा, वह योग की ओर बढ़ा। मन को अर्थ के साथ बार-बार टकराओ। बिजली की परस्पर चटचटाती हुई ऋणधन जिह्वाओं की तरह शब्द को अर्थ की सन्निधि में लाकर स्फुरित करो। वहीं अमृत स्वाद रस और आनंद है (अग्रवाल, 2020)।

श्री अग्रवाल पूछते हैं कि अर्थ कहाँ है? क्या अर्थ के साथ जीवन में हमारा कभी परिचय हो सका है? अर्थ अव्यक्त भाव है, पर है नितांत सत्य। वह कहाँ नहीं है? क्या अर्थ की संप्राप्ति के लिए हमारा हृदय आंदोलित होता है? ब्रह्मचर्य, तप, इन शब्दों का मूर्तरूप क्या सहस्र बार भी हमने नहीं देखा है? पर इन शब्दों के पीछे जो अर्थ है, उसके साथ हमारा कितनी बार संपर्क हुआ है? ब्रह्मचर्य किस स्थिति का नाम है? क्या हमें एक बार भी उस आनंद से गद्गद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? अर्थ में जो मिठास, जो अमृत, जैसा स्वाद है, उसको चखे बिना शब्द के चाटने से भी क्या होगा? शब्दों से भरा हुआ यह महान् आकाश है। सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, दीक्षा, ज्ञान, कर्म, प्राण, कैसे-कैसे अनमोल शब्द इस गंभीर प्रदेश में भरे हैं। विचित्र महिमा है कि हम जब चाहते हैं इन शब्दों का आवाहन कर लेते हैं। शब्दों के पीछे उनकी व्यंजना से समवेत अर्थ का महान् अर्णव है। शब्द और अर्थ में सरस्वती के दो बड़े फव्वारे हैं। शब्द वाक् है और अर्थ मन है। शब्द और अर्थ के बीच में जब प्राण का मेरुदंड जुड़ता है, तभी जीवन में कर्म के द्वारा अर्थ की तहें खुलने लगती हैं। शब्द के अध्ययन का फल अर्थ का ज्ञान है। अध्ययन का व्रत लेकर भी जिसने अर्थ को नहीं जाना या जानने का सच्चाई से कभी प्रयत्न नहीं किया या प्रयत्न करता हुआ भी जो अपने संकल्प को विजयी नहीं बना सका, उस अधीती के लिए शोक है। अर्थ का साक्षात्कार ज्ञान का सार और साहित्य का अंतिम फल है (अग्रवाल, 2020)।

निरुक्त पद्धति से अर्थानुसंधान

वेदांगों की गणना में निरुक्त को वेदपुरुष का स्तोत्र कहा गया है— 'निरुक्तं स्तोत्रमुच्यते'। निरुक्त की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। निरुक्त का प्रधान लक्ष्य 'अर्थानुसार निर्वचन करना' है। यानी अर्थ जानना जरूरी है। जो केवल वेद के अक्षरों को तो कण्ठस्थ कर लेता है, किंतु वेद के अर्थ को नहीं जानता, वह पत्र-पुष्प-फलशून्य ठूँठे वृक्ष के समान केवल भारवाही है। किंतु जो वेद के अर्थ को जानता है, वही सब प्रकार के सुखों का उपभोग कर पाता है, और प्राप्त किए वेदार्थ के ज्ञान द्वारा पापों को नष्ट कर उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। वेदार्थ को जान लेने पर धर्म, आचार, व्यवहार, और अध्यात्म शास्त्र आदि सभी का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। आज के युग में जितने भी मत-मतांतर प्रचलित हैं, उनका मूल स्रोत वेद ही है, उसी से ये सब प्रवाहित हुए हैं। आज के युग में आधुनिक शिक्षा के जितने भी विषय अध्ययन-अध्यापन में प्रचलित हैं, वे सभी विषय वेदों में उपलब्ध होते हैं। सभी दर्शन, सभी प्रकार की उपासनाएँ, सभी प्रकार के सदाचार सार्वत्रिक भौगोलिक ज्ञान, संपूर्ण खगोलज्ञान, सर्वविध गणितज्ञान, समस्त ज्ञान-विज्ञान, सकल वास्तुविज्ञान, संपूर्ण यंत्र-विज्ञान, अखिल भैषज्य-विज्ञान, शल्य चिकित्सा विज्ञान, कृषिविज्ञान, जो कुछ भी है, वह सब वेद पर अवलंबित है। वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्रतीकमूलक अर्थानुसंधान पद्धति से वेद का नया भाष्य निर्मित किया। उन्होंने स्वयं ही 'विजन इन लॉङ्ग डार्कनेस' नामक कृति तैयार की। वह कृति दीर्घतमस् ऋषि द्वारा रचित ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त की अनुवाद सहित व्याख्या है। वासुदेवशरण अग्रवाल ने निरुक्त पद्धति से सबल युक्तिपूर्वक वैदिक प्रतीकों का अर्थानुसंधान किया। इस कड़ी में उन्होंने 'स्पार्क्स फ्रॉम द वैदिक फायर' नामक एक अन्य विलक्षण कृति प्रस्तुत की। जिसका हिंदी अनुवाद भी स्वयं उन्होंने 'वेद रश्मि' नाम से किया।

वासुदेव शरण अग्रवाल मानते थे कि इस युग की सबसे बड़ी उलझन वैदिक परिभाषाओं की खोज है। उनकी पुस्तक 'उरु ज्योतिः' बताती है कि सायण ने हमें वेदों के शब्दार्थ से परिचित कराया। सायण की सहायता के बिना इस महासमुद्र में हम न जाने कहाँ होते। किंतु यज्ञीय कर्मकांड की व्याख्या के लिए मंत्रों का विनियोग तो वैदिक अर्थों का एक अंश मात्र था। वेद के पश्चिमी विद्वानों ने सायण के प्रदर्शित मार्ग से वेदों का अनुशीलन किया, किंतु उन्होंने भाषाशास्त्र और तुलनात्मक धर्म-विज्ञान इन दो नए अस्त्रों से वैदिक अर्थों की जिज्ञासा को आगे बढ़ाया। आत्म-विद्या के जिज्ञासुओं के लिए मंत्रों की भाषा और परिभाषाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। श्री अग्रवाल की दृष्टि में वेदार्थ को अवगत करने के लिए ऊपर के सभी मतों में सत्य का अंश है। जिस विधि से मंत्रों पर नया प्रकाश पड़े, जिस अर्थ से आत्म-विद्या का कोई नया क्षेत्र या पहलू प्रकाशित हो, वही दृष्टिकोण, प्रमाण या सामग्री स्वागत के योग्य है। वेद के जिज्ञासु छात्र का मन सब ओर से उन्मुक्त रहता है। उसके मन में चतुर्दिश दीप्ति पटों से प्रकाश और वायु का स्वच्छन्द प्रवेश होता है। वह आलोक का स्वागत करता है और उस महान् व्यापक ज्योति के लिए अपने चक्षु खोलता है, जो पृथ्वी और द्युलोक के अंतराल में भरी हुई है। मित्र और वरुण अथवा ऋत और सत्य नामक सृष्टि के द्वंद्वात्मक तत्त्व की ही ज्योति हमारे भीतर-बाहर, सब ओर व्याप्त है। इसी को 'उरु-ज्योतिः' कहा गया है (अग्रवाल, 2018)।

वासुदेवशरण अग्रवाल ने उपनिषदों को लेकर 'उपनिषद् नवनीत' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उपनिषदों की सारभूत व्याख्या की गई है। उपनिषदों की भाँति ही पुराणों का संबंध भी वेद और वेदार्थ से ही है। पुराणों को 'इतिहास पुराण संहिता' कहा गया है। पुराण वेदों का उपबृंहण या परिविस्तार हैं। पुराण संख्या में 18 हैं। इनमें कुल श्लोकों की संख्या लगभग चार लाख है। इतनी ही संख्या में उपपुराण भी हैं और उनमें श्लोकों की संख्या एक लाख कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि समस्त पुराणों के निर्माता या स्रष्टा वेदव्यास या पाराशर्य व्यास हैं। पुराणों की तरह ही 'महाभारत' भी संहिता ग्रंथ है। यह संहिता क्रमशः 'जय' और 'भारत' से आगे बढ़ती हुई 'महाभारत' हो गई। श्री अग्रवाल ने लिखा है

कि महाभारत सच्चे अर्थों में प्राचीन भारत वर्ष का विश्वकोश है (अग्रवाल, 2020)। यह शतसाहस्री संहिता है। 'श्रीमद्भगवद्गीता' भी इसी के अंतर्गत है; यद्यपि उसकी स्वतंत्र महिमा भी प्रतिष्ठित है। वासुदेव जी ने इन दोनों को केंद्र में रखकर ही 'भारत सावित्री' और 'गीता नवनीत' नामक दो अलग अध्ययन प्रस्तुत किए हैं।

भारतीय कला के अनुसंधान की दृष्टि

वासुदेव शरण अग्रवाल के अध्ययन का एक प्रिय विषय कला था। उन्होंने 'भारतीय कला' नामक ग्रंथ में प्राचीन भारतीय कला का सचित्र और सांगोपांग विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कला संबंधी अनुसंधान की विधि भी बताई है। श्री अग्रवाल ने भारतीय कला का अनुशीलन शीर्षक निबंध में कला के अध्ययन की पहली विधि रसानुसंधान बताई है। श्री अग्रवाल कला से रस का दोहन उप शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि कला श्री व सौंदर्य को प्रत्यक्ष करने का साधन है। प्रत्येक कलात्मक रचना में सौंदर्य व श्री का निवास रहता है। जिस सृष्टि में श्री नहीं, वह रसहीन होती है। जहाँ रस नहीं, वहाँ प्राण भी नहीं रहता। जिस जगह रस, प्राण और श्री तीनों एकत्र रहते हैं, वहीं कला रहती है। कहा जाता है कि आनंद के अनुभव के लिए विश्व-कर्ता ने सृष्टि की रचना की। वह स्वयं रस से तृप्त है, कहीं से किसी प्रकार रस से न्यून नहीं है—रसेन तृप्तः न कुतश्चनोनः।' श्री अग्रवाल के अनुसार एक अखंड रस सृष्टि में सर्वत्र ओत-प्रोत है। उसके मधुर सरोवर शत-सहस्र संख्या में चारों ओर भरे हुए हैं। उनसे रसानुभव के लिए प्राण सदा उत्सुक रहता है। प्राण को रस अत्यंत प्रिय है। रस की दुर्धर्ष धाराएँ जब प्रकट होती हैं, प्राण तृप्त होता है। रस के अनुभव के अनेक स्रोत हैं। रूप की शोभा, चरित्र, ज्ञान ये रस-ग्रहण के अनेक द्वार हैं। कला और साहित्य भी रसानुभव का एक अत्यंत प्रिय द्वार है। जिस युग को कला की क्षीरधात्री प्राप्त होती है, वह युग रस से धन्य हो जाता है। कला के अंक में पोषित समाज को सृष्टि-संबंधी श्री, प्राण और रस का अपूर्व अनुभव प्राप्त होता है (अग्रवाल, 2020)।

श्री अग्रवाल ने इसी निबंध में कला के अध्ययन की दूसरी विधि कला का भू-मापन बताते हुए लिखा है कि मन के सूने प्रदेश को भावों से और लोक को मूर्त रूपों से भरना यही कलात्मक सृष्टि है। कल्पना के लोक में नए-नए भावों की सृष्टि करना राष्ट्रीय चिंतन का उत्थान पक्ष है। उसी जगत् में पुराणकारों ने बहुमुखी गाथाओं के भव्य प्रासाद खड़े किए। साहित्यकारों ने नवीन आदर्श और चरित्र के रूपक बाँधे और इतिहास में भी साहित्य का सत्य मूर्तिमान् हुआ। पुराण और साहित्य जब कल्पना के प्रदेश में भावों के नए ठाठ बनाते हैं और इतिहास का सत्य उनमें बसता है, तभी तीनों का वरदान पाकर कला समाज के जीवन को अनेक मूर्त रूपों से भर देती है। स्थापत्य, शिल्प, चित्र, नाट्य, संगीत इनके रूप-सुधर्मा सभा में देवों की तरह प्रत्यक्ष दर्शन देने लगते हैं और उनके समवाय से कला का भवन जगमगाने लगता है। शिल्पी और चित्रकार, साहित्य, पुराण और इतिहास की प्रेरणाओं को अपने ढंग से ढालकर प्रस्तुत करने का आयोजन और प्रयत्न करते हैं। अमूर्त भाव किस प्रकार सफलता से व्यक्त किए जा सकते हैं? इस प्रश्न से कभी-कभी शिल्पी को दीर्घ काल तक जूझना पड़ता है, तब कहीं जाकर कला की परिभाषाओं के वे सूत्र उसके हाथ आते हैं, जिनके द्वारा कलाकार की भाषा राष्ट्र के गूढ़ चिंतन को व्यक्त करने के योग्य बनती है। शिल्प की भाषा बड़ी अर्थवती होती है। यह सृष्टि देवशिल्प है। इसके शिल्पी को बोलकर कुछ भी कहना नहीं पड़ता, फिर भी उसकी शिल्प-लिपि के अक्षर सभी देश और काल में अपने अभिप्राय को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। मानुषी शिल्प से भी अभिप्राय-प्रकाशन का यह कार्य सिद्ध होता है। कला की भाषा का आविष्कार कलाविदों की उत्कृष्ट साधना का परिणाम होता है। कला की उत्पत्ति-स्थिति-प्रचार के लिए तीन यत्न आवश्यक हैं—(1) सर्वप्रथम अमूर्त भावों की सृष्टि। (2) अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करना। (3) लोक में कला की अभिज्ञता और रसानुभव की क्षमता की उत्पत्ति और प्रचार करना (अग्रवाल, 2020)।

श्री अग्रवाल ने इसी निबंध में कला के अध्ययन की तीसरी विधि मूर्त रूप बताते हुए लिखा है कि उदयाचल से उठकर सूर्य जब अपना दूसरा पैर उठाता है, तब उसका पूरा तेज आकाश में छा जाता है। कला का वैभव भी उसके दूसरे चरण अर्थात् भावों को मूर्त रूप देने में ही है। शिल्पी पहले अनगढ़ शिलाखंडों की धैर्य के साथ आराधना करता है; उसकी उस निष्ठा से वे पाषाण मानो द्रवित होकर श्री और सौंदर्य के रूप में परिणत हो जाते हैं। उनमें कलाकार की भावना प्राण का संचार कर देती है। शिल्प के वे प्रतीक रसिकों और कलाविदों के लिए रस के अनुपम स्रोत बन जाते हैं। जो रसज्ञ हैं, सहृदय हैं उनके हृदय में ही कला रस-संचार का द्वार खोलती है और वे ही कला की वाणी का मर्म प्राप्त करते हैं। कला के आचार्य उसके बाह्य रूप को समझ सकते हैं, पर रसज्ञ के लिए कला अपना अंतरंग रूप प्रकट कर देती है (अग्रवाल, 2020)।

वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसी निबंध में कला के अध्ययन की चौथी विधि अलंकरण को माना है और लिखा है कि भारतीय कला में सौंदर्य-विधान के लिए अनेक अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। देवों के मूर्त रूप कला के शरीर हैं, तो भाँति-भाँति के अभिप्राय-अलंकरण उस शरीर के बाह्य मंडन हैं। इस सजावट के बिना कला संभ्रांत नहीं बनती। पत्र और पुष्प के संभारों से कला का शरीर श्रीसंपन्न बनाना आवश्यक है। लताओं और वृक्ष-वनस्पतियों ने कला के स्वरूप को अनेक प्रकार से सँवारने में सहायता दी है। पत्रलता या पत्रावली के अनबन भाँति के कटावों ने गुप्त कला को शोभा प्रदान की। दिगंबर शिलापट्टों को परिधान पहनाने के लिए कलाकार के पास पत्र-लताओं का अचूक साधन था, जिसका उपयोग उसने अनेक प्रकार से किया है। अशोक-वृक्षों पर पड़े हुए झूले या उनके नीचे अशोक-दोहद के दृश्य वनस्पति-जगत् के साथ मानवी परिचय और सौहार्द भाव के उदाहरण हैं। जीवन में जैसा प्रकृति का सान्निध्य था, उसी की छाया कला में पाई जाती है। आम, बरगद, खर्जूर, कदली, कदंब, अशोक, पीपल, उदुंबर के महावृक्ष जिस प्रकार प्रकृति में हमारे जीवन के साथ घुले मिले हैं, वैसे ही कला में भी उन्होंने प्रवेश पाया (अग्रवाल, 2020)।

श्री अग्रवाल ने इसी निबंध में कला के अध्ययन की पाँचवीं विधि लोक-संपुंजन को माना है और लिखा है कि भारतीय कला के उदार चित्रपट पर लोक के सर्वांगीण जीवन का प्रतिबिंब पड़ा है। बाणभट्ट के शब्दों में हम अपनी कला की इस विशेषता को 'त्रिलोकी-संपुंजन' कह सकते हैं। हमारी कला जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। कादंबरी में जो उस समय की चित्र-भित्तियों को 'दर्शितविश्वरूपा' कहा गया, वह यथार्थ ही है। उन भित्तिचित्रों के रूप-वैभव का उससे अच्छा वर्णन नहीं किया जा सकता। लोक का संपूर्ण परिचय भारतीय कला को समझने की कुंजी है। अथवा यों कहा जा सकता है कि कला की सहायता से हम लोक के विश्वरूपी जीवन

को समझने का साधन प्राप्त करते हैं (अग्रवाल, 2020)।

वासुदेव शरण अग्रवाल ने कलानुसंधान की छठी विधि साहित्य के साथ उसके संबंध तथा सातवीं विधि वर्तमान लोक-जीवन के साथ उसके संबंध को मानते हुए लिखा है कि जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन में प्रवेश आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि कला कुछ सौंदर्य-प्रेमियों के विलास या कुतूहल तृप्ति का साधन मात्र है, तो लोक की बड़ी हानि समझनी चाहिए। वस्तुतः कला जीवन के सूक्ष्म और सुंदर पट का वितान है, जिसके आश्रय में समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और संस्कारक प्रवृत्तियों को तृप्त करता हुआ उच्च मन की शांति और समन्वय का अनुभव कर सकता है। मनुष्य अपने अंतिम कल्याण के लिए यह चाहता है कि जितना स्थूल जड़ जगत् उसके चारों ओर घिरा हुआ है, उसको सुंदर रूप में वह ढाल ले। स्थूल के ऊपर जो मानस और अध्यात्म जगत् है, उसको चरित्र और ज्ञान के द्वारा हम आकर्षक और सौंदर्ययुक्त बनाते हैं। इस द्विविध सौंदर्य के बीच में ही जीवन पूरी तरह से रहने योग्य बनता है। जिस समय जीवन के चरित्र और मनोभाव हमारे चारों ओर विकसित होकर अपनी लहरियों से वातावरण को भर देते हैं और उनकी तरंगें हमारे अंतर्जगत् को आह्लादित और प्रेरित करती हैं, उस समय यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि स्थूल पार्थिव वस्तुओं के जो अनगढ़ रूप हमें घेरे हुए हैं, वे भी कला के प्रभाव से द्रवित हो जाएँ और उनमें से रूप-सौंदर्य और श्री के सोते फूट निकलें। कला का प्रत्येक उदाहरण जगमगाते दीपक की तरह अपने चारों ओर प्रकाश की किरणें भेजता रहता है। वह वायु में निरंतर सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करके मनुष्य के मन को स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रेरित करता है। समाज जिस प्रकार की मानस-संस्कृति को अपने चरित्र, बल और व्रतों की साधना से अपने लिए बनाता है, उसी के अनुरूप कला का निर्माण करना भी समाज-स्थिति के लिए आवश्यक है (अग्रवाल, 2020)।

निष्कर्ष

वासुदेव शरण अग्रवाल की कृतियों से अर्थानुसंधान की एक दृष्टि मिलती है। श्री अग्रवाल अर्थानुसंधान के साथ ही भावानुसंधान, विचारानुसंधान, कलानुसंधान, भाषानुसंधान, पाठानुसंधान, प्रवृत्तिमूलक अनुसंधान और वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान की भी दृष्टि देते हैं। कहना न होगा कि इन भारतीय अनुसंधान दृष्टियों को आत्मसात् कर ही शोधार्थी सांगोपांग विश्लेषण, प्रौढ़ विवेचन और इस तरह सम्यक् अनुशीलन में सक्षम होगा। और तब, उसके प्रबंध में अनुसंधान की कोई दिशा अछूती नहीं रह पाएगी और संबद्ध विषय को लेकर उसकी अपनी दृष्टि दिखेगी, उसके खास मत-अभिमत का पता चलेगा, विषय पर नया प्रकाश पड़ता दिखेगा और कोई नया रास्ता भी खुलता दिखेगा।

संदर्भ

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2018). *उरु ज्योति* : दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पहला फ्लैप पृष्ठ

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2019). *पाणिनिकालीन भारतवर्ष*. वाराणसी : चौखंभा विद्याभवन. पृष्ठ-7-8.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-78.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-79.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-80.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-85.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-173.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-173.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-174-175.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-36.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-181.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-182.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-182-183.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-186-187.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-188.

अग्रवाल, वासुदेवशरण. (2020). *कला और संस्कृति*. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. पृष्ठ-194-195.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 6-9, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

स्वामी विवेकानंद के संचारीय मूल्य

डॉ. रविंद्र सिंह[1]

सारांश

स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर, 1893 को शिकागो धर्म संसद में समस्त विश्व के समक्ष अपने संबोधन से सनातन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक प्रभावशाली परिचय प्रस्तुत किया था। इस भाषण के पश्चात् शेष विश्व की भारत को देखने-समझने की दृष्टि और धारणा ही बदल गई। भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों एवं मूल्यों से संचालित होने वाली स्वामी विवेकानंद की संचार नीति के कारण उनके भाषण का समूचे विश्व से आए प्रतिनिधियों पर गहरा प्रभाव हुआ। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के शाश्वत सत्यों को सही रूप में समझ सके। वहीं, उनकी प्रभावशाली संचार नीति के कारण ही भारतीय समाज पर उनके विचारों का गहरा प्रभाव हुआ। सूचनाओं के वर्तमान युग में जहाँ संचार कौशल के विकास की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहीं विश्व भर में बढ़ते संघर्षों के दौर में शांति स्थापना हेतु स्वामी विवेकानंद की संचार नीति में समाहित मूल्य एवं सिद्धांत सकारात्मक संवाद और संघर्षों के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में स्वामी विवेकानंद की संचार नीति में सम्मिलित संचारीय मूल्यों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया गया है।

संकेत शब्द : स्वामी विवेकानंद, संचार, मूल्य एवं सिद्धांत, संवाद, शास्त्रार्थ, ज्ञान का सामान्यीकरण

प्रस्तावना

संचार प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए जो गुण संचारक में अपेक्षित होते हैं, स्वामी विवेकानंद की संचार नीति में उन सभी का समावेश देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने सदैव काल, पात्र एवं देश के अनुकूल संचार किया। एक अच्छा संचारक सामने वाले के विश्वास, मत एवं मान्यताओं को भी यथोचित सम्मान देता है। विरोधियों के पूर्वग्रह से प्रेरित कुतर्कों द्वारा उकसाए जाने पर भी अच्छा संचारक कभी प्रतिक्रियावादी नहीं बनता। वह सृजन शक्ति और रचनात्मकता से संवाद में नयापन लाकर कभी नीरसता की स्थिति पैदा नहीं होने देता। एक प्रभावशाली संचारक के ये सभी गुण विवेकानंद की संचार नीति में सम्मिलित थे। स्वामी विवेकानंद वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट संचार कौशल के साथ लोकप्रिय धारणा और गंभीर ऐतिहासिक साहित्य, दोनों में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया और उन्हें 19वीं सदी के अंत में अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने, हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने का श्रेय दिया जाता है (पराते, 2015)। स्वामी विवेकानंद की इस सफलता में उनकी प्रभावशाली संचार नीति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद ने अपने संचार को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भारत के परंपरागत और आधुनिक संचार मूल्यों एवं सिद्धांतों को उचित स्थान दिया। ये ऐसे सिद्धांत एवं मूल्य थे, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल संचारक बन सकता है। इसी दृष्टि से स्वामी विवेकानंद की संचार नीति के अध्ययन का महत्त्व है।

शोध प्रविधि

स्वामी विवेकानंद भाषणों, लेखों और पत्राचार के रूप में मूल विचारों का संकलन हिंदी भाषा में दस खंडों में प्रकाशित 'स्वामी विवेकानंद साहित्य' नाम से उपलब्ध है। शोध हेतु स्वामी रामकृष्ण मिशन की ओर से प्रकाशित स्वामी विवेकानंद साहित्य और स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं विचारों पर लिखी अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। संचारीय सूत्रों के अध्ययन के लिए विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis) को अपनाया गया है।

चिंतन एवं चरित्र की अपृथक्करणीयता

संचार के आधुनिक सिद्धांत बताते हैं कि मीडियम की क्षमता पर ही निर्भर करता है कि संदेश कितना प्रभावी होगा। वहीं, संचार की भारतीय परंपरा के अनुसार संचारक के शील अथवा चरित्र पर निर्भर करता है कि संदेश ऑडियंस पर कितना प्रभाव छोड़ता है। 'शील ही संदेश है' की मान्यता जीवन को सबसे प्रभावी माध्यम मानती है। संदेश यदि आचार-व्यवहार के जरिये अभिव्यक्त हो, वह जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसके कारण संदेश जीवंतता के साथ दूसरों तक संप्रेषित होते हैं और श्रोता पर एक अमिट प्रभाव छोड़ते हैं (सिंह, 2024)। संचार प्रक्रिया में संचारक जिस विचार को संप्रेषित कर रहा होता है, वह उसके व्यक्तिगत आचरण में परिलक्षित न हो, तो वह संदेश वांछित प्रभाव छोड़ने में विफल रहता है। इसीलिए संचार की भारतीय परंपरा संचारक की कथनी एवं करनी में साम्यता के मूल्य की अपेक्षा करती है। स्वामी विवेकानंद ने जो भी विचार सार्वजनिक रूप से संप्रेषित किया, उसे पहले उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध किया। इसके पश्चात् उन्होंने जब समाज के साथ संवाद किया, तो उसका श्रोता अथवा पाठक पर गहरा प्रभाव हुआ। स्वामी विवेकानंद के जीवन में चिंतन एवं चरित्र की समरूपता की प्रतिपुष्टि करते हुए एकनाथ रानडे लिखते हैं कि यदि नेता चरित्रवान नहीं है तो अनुयायियों में उसके प्रति श्रद्धा टिकना संभव नहीं। पूर्णतया शुद्ध चरित्र के आधार पर ही अटूट श्रद्धा और विश्वास टिक सकते हैं (रानडे, 2013)।

शब्द द्वारा नहीं, बल्कि जीवन द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए और जो व्यक्ति सत्य धारण करने के योग्य हैं, उन्हीं के जीवन में वह प्रतिफलित होता है (विवेकानंद, 2012, खंड-9)। हमारे कथन को हमारे व्यक्तित्व से कैसे शक्ति प्राप्त होती है और फिर उसके प्रभाव की सीमा कैसे विस्तार

[1]रिसोर्स पर्सन, जनजातीय अध्ययन केंद्र, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला. ईमेल : drrsbhadwal@gmail.com

प्राप्त करती है, इसकी स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचन के दौरान बेहद सरल एवं प्रभावशाली व्याख्या की है। 'एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा-लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे एक घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा मनुष्य आता है। वह इने-गिने शब्द बोलता है। शायद वे भी व्याकरण-शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तो तुममें से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ शब्दों द्वारा ही नहीं होता। केवल शब्द ही नहीं, वरन् विचार भी शायद प्रभाव का एक तृतीयांश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष दो तृतीयांश प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है' (विवेकानंद, 1948)। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने संचार प्रक्रिया को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए चिंतन एवं चरित्र की साम्यता के मूल्य पर बल दिया।

स्वामी विवेकानंद ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी चिंतन और चरित्र में भेद पैदा नहीं होने दिया। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की यही विशेषता उन्हें विराट् पहचान दिलवाती है। चिंतन एवं चरित्र में समरूपता और इस गुण के कारण लोगों में उनके प्रति बढ़ी विश्वसनीसता को रौमाँ रोलाँ और कु. मैकलाउड के इस संवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 'उनके एक व्याख्यान की समाप्ति पर बाहर आकर श्री सेवियर ने मुझसे पूछा, 'तुम इस युवक को जानती हो? क्या यह वही है जैसा दीखता है?' 'हाँ अवश्य।' तब तो इसका अनुसरण करके हमें उसके साथ ईश्वर को पाना होगा' (रोलाँ, 2013)। इस गुण के कारण लोगों में उनके प्रति विश्वास और सम्मान की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रही। इसी विश्वास के कारण वह एक प्रभावशाली संचारक बन सके।

स्वामी विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन में मिली सफलता का महत्त्वपूर्ण वर्णन उस समय अमेरिका से प्रकाशित हुए समाचारपत्रों से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उनकी इस सफलता के पश्चात् जनता की ओर से कुछ प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। इन दोनों ही तरह के लिखित विवरणों में स्वामी विवेकानंद के चिंतन एवं चरित्र की समरूपता का उल्लेख मिलता है। कलकत्तावासियों ने एक पत्र के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के चरित्र एवं चिंतन की साम्यता के वर्णन में लिखा है, 'वेदांताचार्य के नाते आपको जो सफलता प्राप्त हुई है, उसका कारण केवल यही नहीं रहा है कि आप आर्य धर्म के सत्य सिद्धांतों से इतनी भलीभाँति परिचित हैं, और न यही कि आपके भाषण तथा लेख इतने सुंदर तथा जोशीले होते हैं, वरन् इसका कारण मुख्यतः आपका स्वयं का चरित्र ही रहा है। आपके भाषण, निबंध तथा पुस्तकें सदैव उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण रहे हैं और इसलिए अपना पूरा असर किए बिना वे कभी रह ही नहीं सकते। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इनका प्रभाव यदि और भी अधिक पड़ा है तो उसका कारण है आपके स्पष्टीकरण की शैली, आप का स्वयं का सादा, परोपकारी तथा निःस्वार्थ जीवन, आपकी नम्रता, आपकी भक्ति तथा आपकी लगन (विवेकानंद, 1950)। यह पत्र इस तथ्य की प्रतिपुष्टि करता है कि किस तरह स्वामी विवेकानंद जीवनपर्यंत चरित्र और चिंतन में समरूपता के मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे और लोगों पर इसका किस तरह का प्रभाव था।

प्रतीक : भाव एवं विचार की सहज अभिव्यक्ति

संचार की भारतीय परंपरा में प्रतीकों की विशेष महिमा रही है। प्रतीक में मूर्त-अमूर्त विषयों को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने का अद्वितीय सामर्थ्य है। संचार प्रक्रिया में प्रतीकों के सार्थक उपयोग हेतु स्वामी विवेकानंद बेहद सजग थे। उनका मत था कि 'प्रतीक' और 'प्रतिमा' संस्कृत भाषा के दो शब्द हैं। 'प्रतीक' का अर्थ है 'ओर आना' या समीप पहुँचना। सभी धर्मों में उपासना की कई श्रेणियां हैं। उदाहरणार्थ - इसी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो संतों की मूर्ति की पूजा करते हैं और ऐसे लोग भी हैं, जो किसी आकृतिविशेष और प्रतीकों की पूजा करते हैं (विवेकानंद, 2012, खंड-9)।

आभ्यंतर संचार से प्रतीकों के संबंध को जोड़ते हुए वे लिखते हैं कि प्रतीक का अर्थ है वे वस्तुएँ, जो थोड़े बहुत अंश में ब्रह्म के स्थान में उपास्य-रूप से ली जा सकती हैं। प्रतीक द्वारा ईश्वरोपासना का क्या अर्थ है? इस संबंध में भगवान् रामानुजन कहते हैं, 'जो वस्तु ब्रह्म नहीं है, उसमें ब्रह्मबुद्धि करके ब्रह्म का अनुसंधान (प्रतीकोपासना कहलाता है)।' भगवान् शंकराचार्य कहते हैं, 'मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो, यह आभ्यंतर उपासना है और आकाश की ब्रह्म रूप से उपासना आधिदैविक है।' विचार प्रतीकों के सहारे सुदूर यात्रा करते हैं। इस संदर्भ में प्रतीकों के महत्त्व को रेखांकित करते हुए स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, सिर्फ मेरी इंद्रियाँ ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही न कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी प्रतीक के सहारे तुम विचार ही नहीं कर सकते। अंधा मनुष्य भी जब विचार करेगा, तो किसी प्रकार की आकृति द्वारा ही विचार करेगा। यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि 'इंद्रिय' शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाले ज्ञानकेंद्र। आँख और कान ये तो देखने और सुनने के 'साधन' मात्र हैं। उनकी इंद्रियाँ तो उनके भीतर रहती हैं। अगर किसी कारण से ये इंद्रियाँ नष्ट हो जाएँ तो आँख और कान रहने पर भी न तो हमें कुछ दिखेगा और न कुछ सुनाई ही देगा' (विवेकानंद, 1948)। प्रतीकों की आध्यात्मिक और संचारीय प्रासंगिकता को समझते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपनी संचार नीति में इन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।

ज्ञान का सामान्यीकरण

संचार की दृष्टि से सामान्यीकरण का अर्थ होता है किसी जटिल एवं गूढ़ विषय को सामान्य रूप देना। जटिल से जटिल विषयों को भी इतनी सरलता-सहजता और सरसता के साथ बता देना कि हर व्यक्ति उसके मूल भाव को वास्तविक स्वरूप में ग्रहण कर सके। इससे गूढ़ मगर उपयोगी विषयों को भी जनसामान्य सरल रूप में स्वीकार कर पाता है। भारतीय परंपरा में ज्ञान के सामान्यीकरण के सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद ने इस सिद्धांत को अपनी संचार नीति में शामिल कर वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों या अन्य ज्ञानग्रंथों में निहित जीवनोपयोगी बातों को सरल रूप में समझा दिया। 'मिनियापोलिस स्टार' समाचार पत्र में 25 नवंबर, 1893 के अंक में प्रकाशित टिप्पणी से स्वामी विवेकानंद की संचार नीति के इस सिद्धांत को सहज ही समझा जा सकता है। 'उन्होंने धीरे-धीरे और स्पष्ट बोलते हुए तथा द्रुतगति की अपेक्षा वाणी की सौम्यता के द्वारा अपने श्रोताओं को कायल करते हुए अपने धर्म को पूरी ईमानदारी के साथ सामने रखा। उनके शब्द सावधानी से चुने हुए थे और प्रत्येक शब्द अपना अर्थ प्रत्यक्ष ही व्यक्त करता था। उन्होंने हिंदू धर्म के सरलतम सत्यों को प्रस्तुत किया' (विवेकानंद, 2012, खंड-10)। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान

के सामान्यीकरण के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग तक अपने शास्त्रों में वर्णित कल्याणकारी सूत्रों की पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के संवाद की शैली बेहद सरल और प्रभावशाली थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से इस सिद्धांत को अपनाया और शिष्यों से भी इसके अनुसरण का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आजीवन इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने पर भी जब मैं इसकी कोई नई पुस्तक उठाता हूँ तब वह मुझे यह बिल्कुल नई जान पड़ती है। अब सोचो कि जिन लोगों ने कभी विशेष रूप से इस भाषा का अध्ययन करने का समय नहीं पाया, उनके लिए यह कितना अधिक क्लिष्ट होगा। अतएव मनुष्यों की बोलचाल की भाषा में उन विचारों की शिक्षा देनी होगी (विवेकानंद, 1950)। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान के सामान्यीकरण के लिए भाषाई अनुवाद का मार्ग चुना। जो लोग मूल शास्त्रों का अध्ययन कर उसका आम बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने में सक्षम थे, उनसे मानवता के कल्याण के लिए शास्त्रों के सरल अनुवाद का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, भावों को अँग्रेजी में व्यक्त करना, फिर शुष्क दर्शन, पेचीदा पौराणिक कथाएँ और अनूठे आश्चर्यजनक मनोविज्ञान से एक ऐसे धर्म का निर्माण करना, जो सरल, सहज और लोकप्रिय हो और उसके साथ ही उन्नत मस्तिष्क वालों को संतुष्ट कर सके, इस कार्य की कठिनाइयों को वही समझ सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया हो। अद्वैत के गूढ़ सिद्धांतों में से नित्य प्रति के जीवन के लिए कविता का रस और जीवनदायिनी शक्ति उत्पन्न करनी है, अत्यंत उलझी हुई पौराणिक कथाओं में से साकार नीति के नियम निकालने हैं, और बुद्धि को भ्रम में डालने वाली योग विद्या से अत्यंत वैज्ञानिक और क्रियात्मक मनोविज्ञान का विकास करना है और इन सबको एक ऐसे रूप में लाना पड़ेगा कि बच्चा-बच्चा इसे समझ सके। मेरे जीवन का यही कार्य है (रहबर, 2015)।

सरल भाषा को स्वामी विवेकानंद ज्ञान के सामान्यीकरण का एक प्रभावशाली उपकरण मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि किसी भी समाज की उन्नति और विकास में भाषा एक प्रधान लक्षण एवं उपाय है। इसीलिए वह संचार की प्रक्रिया में शामिल होते समय भाषा और शब्दों के चयन को लेकर विशेष रूप से सजग थे। विवेकानंद लिखते हैं, 'स्वाभाविक तौर पर जिस भाषा में हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, जिस भाषा में हम अपना क्रोध, दुःख एवं प्रेम इत्यादि प्रदर्शित करते हैं, उससे अधिक उपयुक्त भाषा और कौन हो सकती है? अतः हमें उसी भाव को उसी शैली को बनाए रखना होगा। उस भाषा में जितनी शक्ति है, थोड़े से शब्दों में उसमें जिस प्रकार अनेक विचार प्रकट हो सकते हैं तथा उसे जैसे चाहो घुमाया-फिराया जा सकता है, वैसे गुण किसी कृत्रिम भाषा में कदापि नहीं आ सकते। भाषा को ऐसा बनाना होगा मानो शुद्ध इस्पात, उसे जैसा चाहे मरोड़ लो, पर फिर से जैसा का तैसा; कहो तो एक चोट में ही पत्थर काट दे, लेकिन दाँते न टूटे।' स्वामी विवेकानंद ने जीवनपर्यंत जटिल से जटिल विषय को भी सरलतम रूप में प्रस्तुत करने की रीति को अपनाया। निश्चित रूप से इसी कारण उन्हें शिकागो धर्म संसद में दुनिया भर के वक्ताओं की तुलना में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई।

शास्त्रार्थ

भारतीय परंपरा में सत्य से साक्षात्कार के लिए शास्त्रार्थ की एक महान् परंपरा रही है। अपने मत को प्रतिष्ठित करने के लिए हमारे यहाँ तलवार उठाने की रीति कभी नहीं रही। यहाँ तो 'वादे-वादे जायते तत्त्वबोधः' का ध्येय सत्य तक पहुँचने का पथप्रदर्शक बनता है। आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ परंपरा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। शास्त्रार्थ भारतवर्ष की वैदिक परंपरा के बौद्धिक उत्सव थे। ये वैचारिक स्वतंत्रता की अद्भुत संस्कृति में लोक शिक्षण और लोक-संस्कार दोनों एक साथ करते थे। शास्त्रार्थों के द्वारा जीर्ण पड़ गए विचारों का खंडन होता था और नए विचारों की हवाएँ समाज के मनोमस्तिष्क में ताजगी और नवीनता का संचार करती थीं। यहाँ जनमानस को मनोरंजन और बौद्धिक विकास दोनों का सुख एक साथ मिलता था, वहीं युवा पीढ़ी अपने विचारों को शालीनता और शिष्टाचारपूर्वक कैसे कहा जा सकता है, इसकी कला यहीं सीखती थी। शास्त्रार्थ के दौरान मतभेद होता था, किंतु मनभेद नहीं। परस्पर एक-दूसरे का सम्मान और एक-दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना शास्त्रार्थ की पहली शर्त होती थी। इस शास्त्रार्थ में भी इसी वैदिक परंपरा का सुंदर ढंग से निर्वहन हो रहा था। दोनों पक्ष एक-दूसरे से असहमत थे। एक-दूसरे के तर्कों को काट रहे थे, किंतु कटुता या शत्रुता का भाव नहीं था। श्रोताओं को सारी प्रक्रिया समुद्र मंथन जैसी लग रही थी। लेकिन उन्हें पता था, यह देव-असुर संग्राम नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के द्वारा सत्य की खोज है (शर्मा, 2021)। स्वामी विवेकानंद ने भी शास्त्रार्थ की परंपरा का महत्त्व समझते हुए इसे रामकृष्ण मिशन की दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बना दिया। वह विभिन्न धर्मग्रंथों और समसामयिक विषयों पर संवाद के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करते रहे। इसको लेकर वर्णन मिलता है, 'शास्त्र चर्चा के लिए मठ में प्रतिदिन प्रश्नोत्तर-कक्षा चल रही है। इस कक्षा में स्वामी शुद्धानंद, विरजानंद तथा स्वरूपानंद प्रधान जिज्ञासु हैं। इस प्रकार शास्त्रालोचना का निर्देश स्वामी जी 'चर्चा' शब्द द्वारा किया करते थे और सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को सदैव यह 'चर्चा' करने के लिए उत्साहित करते थे। किसी दिन गीता, किसी दिन भागवत, तो किसी दिन उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्र भाष्य की चर्चा हो रही है। स्वामी जी भी प्रायः प्रतिदिन वहाँ पर उपस्थित रहकर प्रश्नों की मीमांसा कर रहे हैं। स्वामी जी के आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ ध्यान-धारणा चल रही है, दूसरी ओर उसी प्रकार शास्त्र चर्चा के लिए प्रतिदिन उक्त कक्षा चल रही है। उनकी आज्ञा को मानते हुए सभी उनके चलाए हुए नियमों का पालन करके चला करते थे (विवेकानंद, 2012, खंड-6)।

स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेदांत द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म-तत्त्व का पठन-पाठन हुए बिना क्या देश के उद्धार का कोई उपाय है रे? तू अपने ही देश में या नाग महाशय के मकान पर ही सही, एक चतुष्पाठी (पाठशाला) खोल दे। उसमें इन सब सत् शास्त्रों का पठन-पाठन होगा और श्रीरामकृष्ण के जीवन चरित्र की चर्चा होगी। ऐसा करने पर तेरे अपने कल्याण के साथ-ही-साथ कितने दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा (विवेकानंद, 2012, खंड-6)। स्वामी विवेकानंद को शास्त्रार्थ का संस्कार परिवार में बचपन से ही मिल गया था। जीवन में इसकी सार्थकता को समझते हुए उन्होंने व्यक्तिगत जीवन से लेकर रामकृष्ण मिशन की कार्य-पद्धति का एक अभिन्न अंग बना दिया था।

निष्कर्ष

संचारविदों ने संचार प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए इसे सामाजिक

संरचना का प्राणतत्त्व बताया है। यदि यह संचार प्रक्रिया समुचित ढंग से संपादित हो, तो इसमें शामिल और इससे संबंधित सभी घटक ऊर्जावान और प्राणवान बने रहते हैं। इसके विपरीत यदि यह प्राणतत्त्व उस समाज से छीन लिया जाए तो वह निष्प्राण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के संचारीय सूत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्राणवान बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 'शील ही संदेश है' के भारतीय मूल्य का पहचानते हुए अपने चिंतन और चरित्र में साम्यता के लिए प्रयास किए। इसलिए संचार प्रक्रिया में उनके हर वचन का गहरा प्रभाव हुआ। किसी भी तरह के टकराव से बचते हुए सत्य से साक्षात्कार के लिए उन्होंने संवाद और शास्त्रार्थ को महत्त्व दिया। प्रतीकों को वे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बताते हैं। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए वे जीवनपर्यंत ज्ञान के सामान्यीकरण के लिए प्रयत्नरत रहे। यदि आज हमें अपनी संचार प्रक्रिया को प्राणवान् बनाना है, ऊर्जावान् बनाना है तो इसमें स्वामी विवेकानंद के संचारीय सूत्रों को उचित स्थान उपलब्ध करवाना होगा।

संदर्भ

पराते, ए.के. (2015). स्वामी विवेकानंद ऐज ग्लोबल कम्युनिकेटर. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लायड रिसर्च. पृष्ठ-322-324

रहबर, एच.आर. (2015). *योद्धा सन्यासी विवेकानंद*. नई दिल्ली : साक्षी पेपरबैक्स. पृष्ठ-110

रानडे, ए. (2013). *हे हिंदू राष्ट्र! उत्तिष्ठत जागृत!!*. नई दिल्ली : सुरुचि प्रकाशन. पृष्ठ-145

रोलाँ, आर. (2013). *विवेकानंद की जीवनी*. कोलकाता : अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-75

विवेकानंद, एस. (1948). *आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग*. श्रीरामकृष्ण आश्रम : नागपुर. पृष्ठ-68

विवेकानंद, एस. (1950). *भारत में विवेकानंद*. नागपुर : श्रीरामकृष्ण आश्रम. पृष्ठ-258

विवेकानंद, एस. (1950). *भारत में विवेकानंद*. नागपुर : श्रीरामकृष्ण आश्रम. पृष्ठ-283

विवेकानंद, एस. (1953). *चिंतनीय बातें*. नागपुर : श्रीरामकृष्ण आश्रम. पृष्ठ-61

विवेकानंद, एस. (2012). *विवेकानंद साहित्य*, खंड-10., कोलकाता : अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-242

विवेकानंद, एस. (2012). *विवेकानंद साहित्य*, खंड-4. कोलकाता : अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-32

विवेकानंद, एस. (2012). *विवेकानंद साहित्य*, खंड-6. कोलकाता : अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-223

विवेकानंद, एस. (2012). *विवेकानंद साहित्य*, खंड-6. कोलकाता : अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-226

विवेकानंद, एस. (2012). *विवेकानंद साहित्य*, खंड-9. कोलकाता. अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-41

विवेकानंद, एस. (2012). *विवेकानंद साहित्य*. खंड-9. कोलकाता : अद्वैत आश्रम. पृष्ठ-267

विवेकानंद, एस. (1948). *आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग*. नागपुर : श्रीरामकृष्ण आश्रम. पृष्ठ-2

शर्मा, आर. (2021). *विद्रोही संन्यासीः आदिशंकराचार्य के जीवन पर उपन्यास*. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन

सिंह, जे.पी. (2024). *नारदीय संचार नीति*. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ-10

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 10-14, जुलाई-सितम्बर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के पत्रों का अध्ययन

डॉ. अमित कुमार[1] और डॉ. पूनम गौड़[2]

सारांश

स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। अलग-अलग क्षेत्र के कई महान् भारतीय नायकों ने उनसे प्रेरणा ली। उनके जीवन एवं विचारों में युवाओं को प्रेरित कर पाने की असीम क्षमताओं को देखते हुए ही भारत सरकार ने वर्ष 1986 में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। जहाँ तक एक संचारक के रूप में उन्हें देखने, समझने और जानने का प्रश्न है, तो एक महान् वक्ता के रूप में उनकी छवि सुस्थापित है। किंतु क्या उनके व्यक्तित्व का संचारक वाला आयाम केवल महान् वक्ता होने तक सीमित है? अथवा उसके अन्य पहलू भी हैं? प्रस्तुत शोध इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने का एक प्रयास है। शोध का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद को एक संचारक के रूप में समझने का व्यवस्थित प्रयास करना है। किसी भी व्यक्ति को गहराई से समझने के लिए उसके पत्रों का अध्ययन एक उपयोगी तरीका होता है। शोध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद के पत्रों का गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया। शोध के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के कार्य एवं उनकी क्षमता केवल महान् वक्ता होने तक ही सीमित नहीं थी। संचार के अनेक अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थीं। पत्रिकाओं का प्रकाशन, उनकी पृष्ठ सज्जा, उनके लिए उचित सामग्री का चयन, पाठकों की संख्या में वृद्धि हेतु रणनीति निर्माण, प्रकाशन की आर्थिक चुनौतियों की समझ एवं उनका निराकरण, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेस का रणनीतिक उपयोग, पुस्तक लेखन जैसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक संचारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनके पत्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक प्रभावशाली संचारक होने के साथ-साथ वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी मजबूत पक्षधर थे।।

संकेत शब्द : स्वामी विवेकानंद, संचारक, पत्रावली, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, राष्ट्रीय युवा दिवस

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानंद भारत के कुछ ऐसे प्रमुख प्रकाश पुंजों में से एक हैं, जिनसे संपूर्ण मानवता निरंतर प्रेरणा लेती है। उनके विचार, उनके जीवन एवं उनके कार्यों में हर आयु वर्ग और विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने की असीम शक्ति रही है। मात्र 39 वर्ष के अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं दर्शन को फिर से स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरफ उन्होंने समय के साथ सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में आई विकृतियों पर करारी चोट की तो दूसरी ओर भारत के धर्म, संस्कृति और दर्शन के वास्तविक उज्ज्वल स्वरूप को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा।

जिस काल खंड (1863-1902) में स्वामी विवेकानंद का जीवन गुजरा, वह हर क्षेत्र में भारत के लिए घोर निराशा का दौर था। राजनैतिक रूप से हम गुलाम थे, चरम आर्थिक शोषण के कारण हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में थी, संपूर्ण भारतीय समाज अपना आत्मबल निरंतर खोता जा रहा था। देश में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग उभर रहा था, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन को पश्चिमी सभ्यता के सामने हीन मानता था और उद्धार के लिए अपने आक्रांताओं की ओर देख रहा था। ऐसी आत्महीनता एवं निराशाजनक परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद ने समाज में आत्मविश्वास की भावना भरी। अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों पर जबरदस्त चोट की और साथ ही भारत के वास्तविक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अपने उद्धार के लिए हमें किसी दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। हमारे अपने धर्म और दर्शन का वास्तविक स्वरूप इतना उन्नत है कि वह हमें इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने व्यावहारिक वेदांत की बात की। अर्थात् वेदांत के सिद्धांतों को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना। उन्होंने कहा कि जब अद्वैत वेदांत कहता है कि सृष्टि के हर कण में एक ही ब्रह्म निवास करता है तब जाति, रंग और लिंग आदि के आधार पर भेद-भाव कैसे संभव है?

एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद समूचे विश्व में एक स्थापित नाम हैं, किंतु यह अध्ययन संचारक के रूप में उनकी भूमिका को देखने का प्रयास है। एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद को जब देखा जाता है तो सबसे पहले एक ओजस्वी वक्ता के रूप में उनकी छवि सामने आती है, किंतु वक्तृत्व क्षमता संचार का केवल एक पहलू है। क्या एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद केवल एक सफल वक्ता होने तक सीमित थे या संचार के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी? यह शोध इसी प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने का एक प्रयास है।

साहित्य समीक्षा

एक कुशल संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के विषय में कई विद्वानों ने चर्चा की है। इन सभी ने उन्हें एक प्रभावशाली संचारक माना है। अपनी पुस्तक 'द मास्टर ऐज आई सॉ हिम' में निवेदिता (1910) ने स्वामी विवेकानंद के 1895 के लंदन में आयोजित उस व्याख्यान की चर्चा की है, जिसमें वे पहली बार स्वामी जी से मिली थीं। उन्होंने उस संपूर्ण घटना का चित्रण किया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के सरल-सहज किंतु प्रभावशाली तरीके से संचार करने की क्षमता का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के संचारक वाले पहलू की चर्चा करते हुए अधिकतर लेखकों एवं शोधकर्ताओं ने उन्हें एक ओजस्वी वक्ता के रूप में वर्णित किया है। चेलैया (2018) उन्हें 'वक्तृता के राजकुमार' की संज्ञा देते हैं। स्वामी विवेकानंद की चर्चा एक वैश्विक संचारक के रूप में करते हुए पराते (2015) ने भी उनके अद्भुत वक्ता वाले गुण पर ही विशेष जोर

[1]सह-आचार्य, पत्रकारिता एवं नवीन मीडिया अध्ययन विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
[2]सहायक आचार्य, एमिटी संचार विद्यापीठ, एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिया है। उन्होंने शिकागो विश्व धर्म संसद के उनके भाषणों एवं उन भाषणों पर श्रोताओं की प्रतिक्रिया की चर्चा की है। श्रोताओं की प्रतिक्रिया वक्ता की क्षमता का परिचय देती है।

बंसल (2017) कहती हैं कि विश्व भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने संचार के सार को समझा। उनकी संचार शैली प्रेरक थी। उन्होंने सरल शब्दों और सीधी शैली का प्रयोग किया। इससे उन्हें लोगों से जुड़ने और उन्हें सकारात्मक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। एक लेखक के रूप में स्वामी विवेकानंद की कुशलता की चर्चा करते हुए मजूमदार (2004) लिखते हैं कि 'उद्बोधन' पत्रिका में विवेकानंद के लेखों में औपचारिक शैली के बजाय सरल शैली का इस्तेमाल किया गया था और लोग शब्दों की सरलता से प्रभावित थे, फिर भी उनका एक शक्तिशाली प्रभाव था और संदेश को उसके वांछित अर्थ के साथ व्यक्त किया गया था। अपनी पुस्तक 'स्वामी विवेकानंद : एक अध्ययन' में अथाल्ये (1979) उनके व्यक्तित्व एवं संवाद क्षमता का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि मनभावन व्यक्तित्व और अद्भुत संवाद क्षमता के साथ जब विवेकानंद भिक्षा माँगते थे, तो लोग भोजन देने के बजाय उनका स्वागत करते थे और उनसे उनके साथ समय बिताने का अनुरोध करते थे, ताकि वे कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। एक वास्तविक विद्वान् एवं कुशल संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के गुणों का वर्णन करते हुए तेजसानंद (2016) कहते हैं कि विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों के दौरान अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया और अनुयायी बनाने के लिए अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का लक्ष्य कभी नहीं रखा। सुंदर (2013) ने स्वामी विवेकानंद को एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति माना है । साथ ही वे यह भी कहते हैं कि प्रभावशाली संचार क्षमता नेतृत्व कौशल का एक आवश्यक गुण है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं की खोज करना।
2. संचार से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा 12 अगस्त, 1888 से लेकर उनकी मृत्यु से कुछ दिनों पहले 14 जून, 1902 तक लिखे गए कुल 543 पत्रों को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया एवं उनका गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया। ये पत्र उन्होंने भारत एवं अन्य देशों के अलग-अलग स्थानों से अपने गुरुभाइयों, मित्रों, शिष्यों, शुभचिंतकों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण लोगों को लिखे थे। इन पत्रों के संकलन का प्रथम प्रकाशन रामकृष्ण मठ, नागपुर ने पहली बार वर्ष 1949 में किया था। इस अध्ययन हेतु 2017 में प्रकाशित इस पत्र संकलन के हिंदी अनुवाद 'पत्रवाली' के पंचम संस्करण का उपयोग किया गया।

विश्लेषण

स्वामी विवेकानंद के पत्र यह स्पष्ट करते हैं कि संचार के विविध पहलुओं पर उन्होंने पर्याप्त और गंभीर चर्चा की थी। अध्ययन में सम्मिलित उनके 543 पत्रों को कुल 658 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था। इनमें से 57 पृष्ठों पर संचार से संबंधित चर्चा पाई गई। इन पत्रों के गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि एक संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद की भूमिका केवल सफल वक्ता तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने संचार के अन्य क्षेत्रों में भी एक परिपक्व संचारक के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। इन क्षेत्रों की चर्चा नीचे की जा रही है।

प्रखर, स्वतःस्फूर्त एवं अथक वक्ता

अपनी आध्यात्मिक छवि के साथ ही स्वामी विवेकानंद एक प्रखर एवं ओजस्वी वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। 11 सितंबर, 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद में दिया गया उनका प्रथम अभिभाषण काफी प्रसिद्ध है। अपने शिष्य श्री आलासिंगा पेरूमल को शिकागो से 2 नवंबर, 1893 को लिखे एक पत्र में उन्होंने इस प्रसिद्ध संबोधन के विषय में विस्तार से बताया है। वे लिखते हैं :

"...शानदार जुलूस के बाद हम सब लोग मंच पर बैठाए गए। कल्पना करो, नीचे एक बड़ा हॉल और ऊपर एक बहुत बड़ी गैलरी, दोनों में छह-सात हजार स्त्री-पुरुष, जो इस देश की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, खचाखच भरे हैं तथा मंच पर संसार की सभी जातियों के बड़े-बड़े विद्वान् एकत्र हैं। और मुझे, जिसने अब तक कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं दिया, इस विराट् जन-समुदाय के समक्ष भाषण देना होगा!! उसका उद्घाटन बड़े समारोह से संगीत और भाषणों द्वारा हुआ। तदुपरांत आए हुए प्रतिनिधियों का एक-एक करके परिचय दिया गया और वे सामने आ-आकर अपना भाषण देने लगे। निःसंदेह मेरा हृदय धड़क रहा था और जबान प्रायः सूख गई थी। मैं इतना घबड़ाया हुआ था कि सबेरे बोलने की हिम्मत न हुई। .....वे सब अपने-अपने भाषण तैयार करके आए थे। मैं अबोध था और बिना किसी प्रकार की तैयारी के था। किंतु मैं देवी सरस्वती को प्रणाम करके सामने आया और डॉ. बरोज ने मेरा परिचय दिया। मैंने एक छोटा-सा भाषण दिया। मैंने इस प्रकार संबोधन किया, "अमेरिका निवासी बहनो और भाइयो!" इसके बाद ही दो मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कान में अँगुली देते ही बनी। फिर मैंने आरंभ किया। और जब अपना भाषण समाप्त कर बैठा, तो भावावेग से मानो मैं अवश हो गया था। दूसरे दिन सब समाचार-पत्रों में छपा कि मेरी ही वक्तृता उस दिन सबसे अधिक सफल थी। पूरा अमेरिका मुझे जान गया" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या 77, 78)।

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि वे एक स्वतःस्फूर्त वक्ता थे। उनका गहरा अध्ययन, चिंतन, अनुभव और ध्यान उनके भाषणों में अभिव्यक्त होता था। उन्हें अपने संबोधनों के लिए पहले से तैयारी करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। अपने मित्र एवं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद को 1894 को लिखे गए पत्र से भी यह स्पष्ट होता है। इस पत्र में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं : "जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता। केवल एक बार व्याख्यान लिखकर पढ़ा था, जो तुमने छपाया है। बाकी सब, खड़ा हुआ और कह चला। गुरुदेव मुझे पीछे से प्रेरित करते रहते हैं। कागज-कलम का कोई काम नहीं। एक बार डिट्रॉएट में तीन घंटे लगातार व्याख्यान दिया। कभी-कभी मुझे स्वयं ही आश्चर्य होता है कि 'बेटा, तेरे पेट में भी इतनी विद्या थी'!! यहाँ के लोग

बस कहते हैं, पुस्तक लिखो; जान पड़ता है, अब कुछ लिखना ही पड़ेगा" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-147)।

सीमित समय और शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर पाना एक सफल वक्ता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और स्वामी विवेकानंद इस कला में निपुण थे। इन गुणों की शिक्षा वे अपने शिष्यों को भी दिया करते थे। अपने शिष्य श्री आलासिंगा पेरूमल को शिकागो से 2 नवंबर, 1893 को लिखे गए पत्र में वे बताते हैं कि, "बहुत सा विचार थोड़े शब्दों में व्यक्त करना एक महती कला है" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या - 81)। प्रतिपुष्टि (फीडबैक) का संचार में काफी महत्त्व है। एक सफल वक्ता को श्रोताओं के हाव-भाव को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा श्रोता भाषण अथवा व्याख्यान के दौरान ही अपना फीडबैक (प्रतिपुष्टि) दे देते हैं। श्रोताओं के इस फीडबैक को ध्यान में रखकर कुशल वक्ता आवश्यकतानुसार अपने संबोधन में परिवर्तन भी करते हैं। एक कुशल वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद भी संचार के इस मूलभूत तथ्य से परिचित थे। मेरी हेल एवं हैरियट हेल को डिट्रॉएट से 12 मार्च, 1894 को लिखे गए पत्र में वे कहते हैं, "श्री पामर तो आनंदविभोर थे और श्रोतागण ऐसे मन्त्रमुग्ध बैठे रहे कि व्याख्यान के अन्त में ही चलकर मैं समझ सका कि मैं इतनी देर तक बोलता रहा। वक्ता को सदा ही श्रोताओं की अस्थिरता और ध्यानाभाव का एहसास हो जाता है" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या - 97)।

स्वामी विवेकानंद एक अथक वक्ता भी थे। केवल 39 वर्ष के अपने जीवन काल में उन्होंने विश्व के अनेक देशों एवं संपूर्ण भारत में घूम-घूमकर अनगिनत भाषण और व्याख्यान दिए। अपने भाषणों एवं व्याख्यानों के द्वारा उन्होंने वेदांत (अद्वैत) का प्रचार किया, भारतीयों के अंदर सांस्कृतिक एवं धार्मिक आत्मविश्वास का संचार किया एवं साथ ही तत्कालीन भारतीय समाज में उपस्थित कुरीतियों का भी घोर विरोध किया। नीचे दिए गए रेखाचित्र के द्वारा संचार के विभिन्न क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

स्वामी विवेकानंद प्रेस के महत्त्व को भलीभाँति समझते थे। उन्होंने अपने शिष्यों और साथियों को वेदांत और श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रसार के लिए पत्रिकाएँ निकालने को प्रेरित किया। अपने शिष्य श्री आलासिंगा पेरूमल को 1894 ई. में लिखे गए एक पत्र में वे उन्हें पत्रिका निकालने के लिए प्रेरित करते हुए लिखते हैं, "यदि तुम वेदांत के आधार पर एक पत्रिका निकाल सको, तो हमारे कार्य में सहायता मिलेगी" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-128)। इसी प्रकार उन्होंने अपने कई साथियों को भी पत्रिकाएँ निकालने को प्रेरित किया। उनके जीवन काल में उनकी प्रेरणा से कई पत्रिकाएँ निकाली गई। अँग्रेजी में 'ब्रह्मवादिन्' एवं 'प्रबुद्ध भारत' एवं बंगाली में 'उद्बोधन'। इसके अतिरिक्त उनकी प्रेरणा से ही अमेरिका से 'पैसिफिक वेदांतिन' भी निकाला गया।

पत्रिकाओं को पाठकों के लिए उपयोगी एवं रोचक बनाने की रणनीति

स्वामी विवेकानंद के पत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने शिष्यों और साथियों द्वारा निकाली जा रही पत्रिकाओं की सामग्री पर सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि पत्रिकाएँ निकालना तो आसान है, किंतु उन्हें आर्थिक रूप से खड़ा कर लंबे समय तक जीवित रखना कठिन कार्य है। उनके कई पत्रों में यह दिखता है कि वे पत्रिकाओं को पाठकों के लिए उपयोगी एवं रोचक बनाने पर जोर देते थे, ताकि पत्रिकाएँ अपने उद्देश्यों को भी पूर्ण कर सकें और पाठकों के बीच लोकप्रिय होकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बनें।

अपने मित्र स्वामी ब्रह्मानंद को लंदन से 10 अगस्त, 1899 को लिखे एक पत्र में वे कहते हैं, "सारदा ने लिखा है कि पत्रिका अच्छी प्रकार से नहीं चल रही है। मेरे भ्रमण-वृत्तांत को पर्याप्त विज्ञापन देकर छापे तो सही, देखते-देखते ग्राहकों की बाढ़-सी आ जाएगी। पत्रिका के तीन-चौथाई हिस्से में केवल सिद्धांत की बातें छापने से क्या वह लोकप्रिय हो सकती है" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-538)? स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों और मित्रों को हमेशा यह सलाह दी कि प्रत्येक पत्रिका का एक उद्देश्य होता है और उसकी सामग्री और भाषा का चयन हमेशा उसी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। डॉ. नंजुंदा राव को न्यूयॉर्क से 14 अप्रैल, 1896 को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने इस विषय पर विस्तार से बात की थी : "ब्रह्मवादिन' पत्रिका की पद्धति का अनुसरण करो, केवल तुम्हारी पत्रिका की लेखन-शैली और विषय उससे अधिक लोकप्रिय होने चाहिए। उदाहरणार्थ, संस्कृत साहित्य की बिखरी अद्भुत कहानियों को ले लो। उन्हें फिर से लोकप्रिय ढंग से लिखने का यह इतना बड़ा सुअवसर है कि जिसके महत्त्व को तुम स्वप्न में भी नहीं समझ सकोगे। यह तुम्हारी पत्रिका का मुख्य विषय होना चाहिए। जब मुझे समय मिलेगा, तब जितनी कहानियाँ मैं लिख सकता हूँ, लिखूँगा। पत्रिका को विद्वत्तापूर्ण करने का प्रयत्न न करना, 'ब्रह्मवादिन' उसके लिए है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस तरह से तुम्हारी पत्रिका सारे संसार में पहुँच जाएगी। जहाँ तक हो सके, सरल भाषा का उपयोग करना और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। कहानियों द्वारा नीति-तत्त्व सिखाना पत्रिका का प्रधान विषय होना चाहिए। उसमें अध्यात्म-विद्या बिल्कुल न आने देना" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-359, 360)।

पृष्ठ सज्जा (डिजाइन) की गहरी समझ

यह अध्ययन उद्घाटित करता है कि स्वामी विवेकानंद की समझ और पकड़ केवल सामग्री और उसकी भाषा तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के डिजाइन की भी गहरी समझ थी। वे डिजाइन के महत्त्व को समझते थे और उस पर गहन विचार भी करते थे। 'प्रबुद्ध भारत' पत्रिका के संदर्भ में उन्होंने डॉ. नंजुंदा राव को इंग्लैंड से 14 जुलाई, 1896 को लिखे एक पत्र में डिजाइन पर विस्तार से चर्चा की है। वे लिखते

हैं, "एक बात पर मुझे अपना मत व्यक्त करना है, वह यह कि पत्र का मुखपृष्ठ एकदम गँवारू, देखने में नितांत रद्दी तथा भद्दा है। यदि सम्भव हो तो इसे बदल दें। इसे भावव्यंजक तथा साथ ही सरल बनाएँ। इसमें मानव-चित्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 'वटवृक्ष' कतई प्रबुद्ध होने का चिन्ह नहीं है और न पहाड़, न सन्त ही, यूरोपीय दम्पत्ति भी नहीं। 'कमल' ही पुनरभ्युत्थान का प्रतीक है। 'ललित कला' में हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, खासकर 'चित्रकला' में। उदाहरणस्वरूप, वन में वसन्त के पुनरागमन का एक छोटा सा दृश्य बनाइए - नवपल्लव तथा कलिकाएँ प्रस्फुटित हो रही हों। धीरे-धीरे आगे बढ़िए, सैकड़ों भाव हैं जिन्हें प्रकाश में लाया जा सकता है। मैंने 'राजयोग' के लिए जो प्रतीक बनाया था, उसे देखिए। 'लांगमैन ग्रीन एण्ड कंपनी' ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। आपको यह बंबई में मिल सकती है" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-379)।

आर्थिक संकट में भी गुणवत्ता एवं आदर्शों से समझौता नहीं

यह सत्य है कि स्वामी विवेकानंद यह चाहते थे कि पत्रिकाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबन प्राप्त करें और लंबे समय तक प्रकाशित होती रहें। इसके लिए उन्होंने अपने मित्रों एवं साथियों को समय-समय पर सुझाव भी दिए, किंतु लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता एवं आदर्शों से समझौता नहीं करने के लिए वे कृतसंकल्प थे। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि कुछ गंभीर पत्रिकाओं की समाज को आवश्यकता है और ये पत्रिकाएँ आम जन में बहुत लोकप्रिय हों यह आवश्यक नहीं। 'ब्रह्मवादिन्' के संदर्भ में अपने शिष्य श्री आलासिंगा पेरूमल को स्विट्ज़रलैंड से 6 अगस्त, 1896 को लिखे गए पत्र में वे कहते हैं, "तुम्हारे पत्र से 'ब्रह्मवादिन्' की आर्थिक दुर्दशा का समाचार विदित हुआ। लंदन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूँगा। तुम पत्रिका का स्तर नीचा न करना, उसको उन्नत रखना।....... 'ब्रह्मवादिन' एक रत्न है, इसे नष्ट नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है, हम भी वैसा ही करेंगे" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-383)।

पुस्तक लेखन

स्वामी विवेकानंद ने कई पुस्तकों की रचना की। मुख्यतः ये किताबें उनके व्यखायानों पर आधारित थीं। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने राज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वेदांत आदि अनेकों विषयों पर अनेकों व्याख्यान दिए। गुडविन नाम के उनके एक ब्रिटिश शिष्य आशुलिपि (शॉर्ट हैंड) में पारंगत थे। उन्होंने स्वामी जी के अनेकों व्याख्यानों को आशुलिपि में लिख कर रखा जिन्हें बाद में स्वयं स्वामी विवेकानंद ने संपादित कर कई पुस्तकों का प्रकाशन कराया।

संस्मरण एवं पत्रिकाओं के लिए लेखन

स्वामी विवेकानंद निरंतर यात्राएँ करते थे। वे हमेशा अपने साथ एक नोटबुक अवश्य रखते थे और नियमित रूप से संस्मरण लिखा करते थे। उनके ये संस्मरण पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और बाद में पुस्तक रूप में भी हमारे सामने आए। ये संस्मरण रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरक हैं। उन्होंने अपने पत्रों में अपने मित्रों को पत्रिकाओं में इन संस्मरणों को शृंखला के रूप में प्रकाशित करने का सुझाव भी दिया है, जिससे पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ सके। अपने शिष्यों एवं मित्रों द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाओं के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं के लिए भी स्वामी विवेकानंद कभी-कभी लेख लिखा करते थे।

मीडिया रणनीति की गहरी समझ एवं उसका व्यावहारिक उपयोग

स्वामी विवेकानंद के पत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें मीडिया रणनीति की गहरी समझ थी और उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेस का उचित उपयोग किया। अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें कुछ नकारात्मक तत्त्वों के दुष्प्रचार का सामना करना पड़ा था। इन तत्त्वों ने मीडिया का सहारा लेकर यह दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिया कि स्वामी विवेकानंद असली सन्न्यासी नहीं हैं और न ही वे हिंदू धर्म के असली प्रतिनिधि हैं। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी कुशलता से इस दुष्प्रचार का सामना किया और मीडिया के उपयोग के द्वारा ही इसे समाप्त भी किया। उनके पत्रों में मीडिया रणनीति की उनकी गहरी समझ की स्पष्ट झलक मिलती है। अपने शिष्य श्री आलासिंगा पेरूमल को न्यूयार्क से 9 अप्रैल, 1894 को लिखे गए पत्र में वे निर्देश देते हैं, "क्या तुम मद्रास में रामनाड़ या अन्य किसी बड़े आदमी की अध्यक्षता में एक ऐसी सभा आयोजित कर सकते हो, जिसमें मेरे यहाँ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के प्रति पूर्णतया समर्थन एवं संतोष प्रकट किया जाय और फिर उस पारित प्रस्ताव को क्या यहाँ के 'शिकागो हेरल्ड', 'इंटर ओशन' तथा 'न्यूयॉर्क सन' और डिट्रॉएट (मिशिगन) के 'कमर्शियल एडवर्टाइजर' को भेज सकते हो" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-111)? इसी प्रकार कई अन्य पत्रों में इस संदर्भ में कई विस्तृत निर्देश मिलते हैं, जो यह बताते हैं कि बड़ी कुशलता से उन्होंने भारतीय और अमेरिकी मीडिया का उपयोग कर इन झूठे प्रचारों और इनके पीछे छिपे तत्त्वों को सफलतापूर्वक परास्त किया।

प्रचार एवं वास्तविक कार्य के बीच संतुलन

स्वामी विवेकानंद के लिए जमीन पर किया गया वास्तविक कार्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था, किंतु वे किसी भी कार्य के लिए मीडिया की शक्ति का समुचित उपयोग करना जानते थे। उन्होंने कई बार अपने साथियों और शिष्यों से कहा कि हम जो समाजसेवा और सामाजिक जागृति का काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें तेजस्वी युवक-युवतियाँ चाहिए। और जब तक लोगों तक हमारा विचार नहीं पहुँचेगा, ऐसी युवा शक्ति हमसे नहीं जुड़ पाएगी। अतः मीडिया का समुचित उपयोग आवश्यक है, किंतु वे मीडिया का प्रचार के साधन के रूप में उपयोग केवल एक सीमा तक ही आवश्यक मानते थे। उनके लिए हमेशा वास्तविक कार्य ही सर्वोपरि था। श्री जी. जी. नरसिंहाचारियर को शिकागो से 11 जनवरी, 1895 को लिखे गए पत्र में वे लिखते हैं, "मैं समाचार-पत्रों के विवरणों के प्रति उदासीन हूँ, इसलिए तुम मुझसे यह आशा न करो कि उनमें से किसी के विवरण मैं तुम्हें भेजूँगा। काम आरंभ करने के लिए थोड़े से शोर की आवश्यकता थी, वह जरूरत से ज्यादा हो चुका है" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या 231)। अपने शिष्य श्री आलासिंगा पेरूमल को न्यूयार्क से 28 मई, 1894 को लिखे गए पत्र में भी वे इसी भावना को दुहराते हैं, "तेजस्वी युवकों का दल गठित करो और अपनी उत्साहाग्नि उनमें प्रज्वलित करो....... समाचार-पत्र और मासिक-पत्र आदि चलाना निस्संदेह ठीक है, पर अनंत काल तक चिल्लाने और कलम घिसने की अपेक्षा कण मात्र भी सच्चा काम कहीं बढ़कर है" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या 121)।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सशक्त पक्षधर

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संचार का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण आयाम है। यह संचार की सार्थकता के लिए भी एक अनिवार्य तत्त्व है। एक सफल और महान् संचारक होने के नाते स्वामी विवेकानंद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सशक्त पक्षधर थे। मेरी हेल को रिजले मनर से 30 अक्टूबर, 1899 को लिखे गए एक पत्र में स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन पर अपनी पीड़ा एवं विरोध दोनों व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, "यह आज स्थिति है—शिक्षा को भी अब अधिक फैलने नहीं दिया जाएगा; प्रेस की स्वतंत्रता का गला पहले ही घोंट दिया गया है (निरस्त्र तो हम पहले से कर दिए गए हैं) और स्व-शासन का जो थोड़ा अवसर हमको पहले दिया गया था, शीघ्रता से छीना जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा! निर्दोष आलोचना में लिखे गए कुछ शब्दों के लिए लोगों को कालापानी की सजा दी जा रही है, अन्य लोग बिना कोई मुकद्दमा चलाए जेलों में ठूसे जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं कि कब उनका सर धड़ से अलग हो जाएगा" (पत्रावली, पृष्ठ संख्या-544,545)।

निष्कर्ष

शोध से स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद एक सफल संचारक थे। एक प्रखर एवं अथक वक्ता के रूप में तो उनकी छवि स्थापित है ही, किंतु संचार के अन्य क्षेत्रों में भी उनकी भूमिका स्पष्ट नजर आती है। उन्हें मीडिया रणनीति की गहरी समझ थी और उन्होंने उस समझ का व्यावहारिक उपयोग कई स्थानों पर किया। अपने उद्देश्यों के लिए मीडिया का उचित एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग एक सफल संचारक के रूप में उनकी क्षमता को सामने लाता है। उन्होंने सीधे रूप से तो किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया, किंतु उनकी प्रेरणा और दिशा-निर्देशन में कई पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उनके पत्र स्पष्ट करते हैं कि उन्हें पत्रिकाओं को पाठकों के लिए उपयोगी एवं रोचक बनाने की रणनीति की अच्छी समझ थी। वे अपने शिष्यों एवं साथियों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की सामग्री पर सूक्ष्म दृष्टि रखते थे एवं भाषाई शुद्धता पर भी उनका काफी जोर था। पत्रिकाओं की पृष्ठ सज्जा कैसी हो एवं उनका लोगो कैसा हो, इन विषयों पर चर्चा करते हुए उनके पत्र डिजाइन की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। स्वामी विवेकानंद के पत्र मीडिया के आर्थिक पहलुओं पर भी उनकी समझ को हमारे सामने लाते हैं। किसी पत्रिका को किस प्रकार आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा उन्होंने अपने पत्रों में की है। उनका यह भी स्पष्ट मत था कि कुछ गंभीर प्रकार की पत्रिकाएँ बिना आर्थिक सहयोग के नहीं चल सकतीं। आर्थिक संकट में भी गुणवत्ता एवं आदर्शों से समझौता नहीं करने की उनकी दृढ़ता भी उनके पत्रों से सामने आती है। स्वामी विवेकानंद में एक लेखक भी छिपा था। वे पत्रिकाओं के लिए लिखते थे और संस्मरण भी लिखते थे। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखीं, किंतु उनकी अधिकतम किताबें उनके भाषणों एवं व्याख्यानों का ही संकलन हैं, जिन्हें किताबों का रूप देने से पहले उन्होंने उन्हें सावधानीपूर्वक संपादित किया। उनके पत्र भी ज्ञान और प्रेरणा के भंडार हैं एवं उनकी उत्कृष्ट लेखन-शैली के उदाहरण हैं। एक महान् संचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सशक्त पक्षधर थे। उन्होंने अपने पत्रों में ब्रिटिश सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए जा रहे हमलों की कटु आलोचना की थी। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि स्वामी विवेकानंद एक सफल संचारक थे। एक प्रखर वक्ता होने के साथ ही संचार के अन्य पहलुओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी।

संदर्भ

अथाल्ये, डी.वी. (1979). *स्वामी विवेकानंद : ए स्टडी*. आशीष प्रकाशन, नई दिल्ली.

चेलैया, एस. (2018). स्वामी विवेकानंद ऐज 'द प्रिंस ऑफ ऑरेटॉरी' एंड 'द प्रीचर ऑफ स्पिरिचुअल आइडीअलिजम.' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करेंट रिसर्च (वॉल्यूम 10, पृष्ठ संख्या. 76787-76790). https://journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/33677.pdf से पुन:प्राप्त.

तेजसानंद, एस. (2016). *ए शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद*. अद्वैत आश्रम (रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ का प्रकाशन केंद्र).

निवेदिता, एस. (1910). *द मास्टर ऐज आई सॉ हिम*. अद्वैत आश्रम (रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ का प्रकाशन केंद्र).

पराते, ए. के. (2015). *स्वामी विवेकानंद ऐज ग्लोबल कम्यूनिकेटर*. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, 1 (10), 322-324.

बंसल, आई. (एन.डी.). इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेशन्स फ्रॉम इंडियन टेक्स्ट एंड पीपल - बिजनेस कम्युनिकेशन. https://ebooks.inflibnet.ac.in/mgmtp07/chapter/effective-communication-lessons-from-indian-texts-and people/#:~:text=Inspirational%20Communication%20of%20Vivekananda.,producing%20thought%20in%20your%20brain से पुन: प्राप्त.

मजूमदार, आर. सी. (2004). *स्वामी विवेकानंद : ए हिस्टॉरिकल रीव्यू*. अद्वैत आश्रम (रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ का प्रकाशन केंद्र).

विवेकानंद (1888-1902). *पत्रावली*. पंचम संस्करण (2017), रामकृष्ण मठ, नागपुर.

सुंदर, एन. (2013). स्वामी विवेकानंद–द ग्रेट कम्यूनिकेटर. https://www.sisnambalava.org.uk/articles/religion/swami-vivekananda-the-great-communicator-20131021093147.aspx से पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 15-22, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

जनसंचारक दीनदयाल उपाध्याय

डॉ. आकाश दीप जरयाल[1] और प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार[2]

सारांश

मानव जीवन में संचार का सबसे प्रभावी माध्यम मनुष्य का स्वयं का आचरण रहा है। महापुरुषों के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि का यह एक प्रमुख कारण रहा है। गांधीजी सुदूर झोंपडियों में रहने वाले लोगों को भी इसलिए अपने साथ जोड़ सके, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के आचरण से जो संचार किया उससे उनके संपर्क में आने वाला लगभग हर व्यक्ति उनका अनुयायी बन जाता था। यही बात अन्य महापुरुषों के बारे में भी कही जा सकती है। भारतीय जनसंघ को वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करने वाले भारत के प्रमुख विचारक, चिंतक एवं राजनेता दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी यही बात कही जाती है। वैसे तो दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंचार के लिए अनेक संचार माध्यमों का प्रयोग किया, परंतु जिस एक माध्यम ने उनके संदेश को जन-जन के हृदय में गहराई तक पहुँचाया, वह था उनका स्वयं के आचरण से दिया गया संदेश। यह संदेश उन्होंने हर उस व्यक्ति को दिया जो कभी-न-कभी उनके संपर्क में आया। ऐसे लोगों में भारतीय जनसंघ के नेता और कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी व सामान्य स्वयंसेवक ही शामिल नहीं हैं, बल्कि रेल अथवा बस में यात्रा करने वाले सहयात्री और सामान्य जन भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। ऐसे लोगों में पत्रकार, लेखक एवं संपादक भी हैं। भले ही दीनदयाल उपाध्याय की हत्या 11 फरवरी, 1968 को हो गई हो, लेकिन उनके संपर्क में आए अनेक लोग आज भी जीवित हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में दीनदयाल उपाध्याय के संपर्क में आए लोगों के अनुभवों के संकलन से यह जानने का प्रयास किया है कि वे अपने स्वयं के आचरण से कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते थे और दूसरों पर उसका क्या असर होता था। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय के एक कुशल जनसंचारक थे और अपने स्वयं के आचरण से उन्होंने जो संचार किया, वह लोगों के हृदय में इतनी अधिक गहराई तक पहुँचता था कि लोग उनके संदेश का अपने जीवन में पालन करते थे। सादगी, सरलता, सर्वसुलभता, भाषा की शिष्टता, अध्ययनशीलता उनके व्यक्तित्व के ऐसे गुण थे, जो संचार में प्रमुख भूमिका निभाते थे।

संकेत शब्द : दीनदयाल उपाध्याय, स्वयं के आचरण से संचार, जनसंचारक, भारतीय जनसंघ, लोकसंपर्क, लोक संचारक

प्रस्तावना

लोकसंपर्क के लिए प्राचीन काल से ही व्यक्ति हर संभव संचार माध्यम का प्रयोग करता रहा है। लोकसंपर्क का शाब्दिक अर्थ है 'जनसामान्य से अधिकाधिक निकट संबंध'। लोकमत को जानने अथवा लोकरुचि को सँवारने के लिए प्रत्येक काल में अलग अलग माध्यमों का प्रयोग होता रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि जो माध्यम एक काल में बहुत अधिक उपयोगी रहा हो, वह हर काल में उपयोगी हो। एक समय था जब राजा लोकरुचि को जानने के लिए गुप्तचर व्यवस्था पर पूर्णत: आश्रित रहते थे तथा अपने निर्देशों, मंतव्यों और विचारों को शिलालेखों, पाषाणमूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर अंकित करवाकर प्रसारित करते थे। भोजपत्रों के माध्यम से भी संदेश प्रसारित कराए जाते थे। राजकीय आदेशों की मुनादी कराई जाती थी। धर्मग्रंथों और उपदेशों के द्वारा जनरुचि का परिष्कार किया जाता था। विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन आदि सम्राटों के समय के जो शिलालेख आज मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में लोकसंपर्क का मार्ग कितना जटिल और दुरूह था। धीरे-धीरे वैज्ञानिक विकास के साथ विभिन्न साधनों का भी विकास होता गया और आज लोकसंपर्क के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें ही नहीं, रेडियो और टेलीविजन, चलचित्र, ध्वनिविस्तारक यंत्र, इंटरनेट संचालित सोशल मीडिया आदि अनेक साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों का उपयोग सरकार और जन सामान्य द्वारा होता है। इनके अलावा नाटक, संगीत, भजन, कीर्तन, धर्मोपदेश आदि के द्वारा भी लोकसंपर्क होता है। राजनीतिक नेता एवं दल जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन आदि माध्यमों का भी प्रयोग करते हैं। इन तमाम आधुनिक एवं परंपरागत संचार माध्यमों के बावजूद एक माध्यम, जो प्राचीन काल से आज तक संचार के लिए बेमिसाल है, वह है स्वयं के आचरण द्वारा संचार। इस माध्यम का प्रयोग भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक महापुरुष करते आए हैं। भारत की यदि बात करें तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि तमाम महापुरुषों ने इसका प्रयोग किया है। प्रख्यात चिंतक, विचारक एवं भारतीय जनसंघ के शिल्पी दीनदयाल उपाध्याय ने भी इस माध्यम का जीवन भर प्रयोग किया। हालाँकि, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा इस माध्यम से किए गए संचार का अकादमिक जगत में अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है। यह संचार का ऐसा माध्यम है, जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन की दिशा और चिंतन का तरीका पूरी तरह बदल देता है। इसीलिए प्रस्तुत शोध पत्र में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अपने स्वयं के आचरण से किए गए संचार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

शोध उद्देश्य एवं प्रविधि

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अपने संपर्क में आए हुए जनसंघ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ नेताओं तथा जन सामान्य से अपने स्वयं के आचरण से जो संवाद किया गया उसका अध्ययन करना है। दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व से जुड़ा यह ऐसा पहलू है, जिस पर अभी तक संवाद की दृष्टि से अकादमिक जगत् में अध्ययन नहीं हुआ है। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का सहारा लिया गया है। प्राथमिक स्रोत की दृष्टि से उन लोगों के अनुभव संकलन किए गए हैं, जो कभी-न-कभी दीनदयाल उपाध्याय के संपर्क में आए और उनके व्यक्तित्व के किसी गुण से प्रभावित हुए। द्वितीयक स्रोतों की दृष्टि से पुस्तकों और समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित

[1]कवि एवं लेखक, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश. ईमेल : jaryalpalampur@gmail.com
[2]अध्यक्ष, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन विभाग, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली. ईमेल : drpk.iimc@gmail.com

लोगों के अनुभवों का संकलन किया गया है। ऐसे अनुभवों के संकलन में वरिष्ठ लेखक श्री कमल किशोर गोयनका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की 1968 में हुई हत्या के तत्काल बाद ऐसे लोगों के अनुभव संकलित किए और 1972 में उनका संपादन एवं प्रकाशन किया।

पत्रकारों एवं साहित्यकारों से संवाद

दीनदयाल जी अपनी सादगी और सरलता से साथी कार्यकर्ताओं की कितनी चिंता करते थे, इससे जुड़ी एक घटना 'हिंदुस्थान समाचार' बहुभाषी संवाद समिति से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री मनमोहन शर्मा बताते हैं, "एक बार मैं और दीनदयाल जी लखनऊ से दिल्ली के लिए रेल में सहयात्री थे। उन दिनों कड़की के दिन थे, इसलिए 'हिन्दुस्थान समाचार' हो या जनसंघ या फिर संघ सभी के कार्यकर्ता रेलवे की तीसरी श्रेणी के डिब्बे में ही यात्रा किया करते थे। इस यात्रा के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि पंडित जी एक क्षण भी जाया नहीं करते। सारी यात्रा के दौरान वे कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त पत्रों के उत्तर लिखते रहे या पुस्तक का अध्ययन करते रहे। जब हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँची तो पंडित जी ने मुझसे पूछा 'आप कहाँ जाओगे?' मैंने कहा कि मेरा विचार शाहदरा में अपने मामाजी के पास जाने का है। पंडित जी ने कुछ क्षण सोचा और उसके बाद कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जब हम दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो संघ के एक प्रमुख नेता लाला हंसराज जी की कार बाहर पंडित जी की प्रतीक्षा कर रही थी। ड्राइवर पंडित को जानता था। इसलिए पंडित जी को नमस्कार करने के बाद अपने साथ चलने का आग्रह किया। दीनदयाल जी ने उत्तर दिया 'भइया! मैं अभी शाहदरा जा रहा हूँ और वहीं रूकूँगा'। इसके बाद मैं और पंडित जी पैदल फुव्वारे की ओर चले, जहाँ से शाहदरा जाने की फटफटियाँ चलती थीं। उन दिनों शाहदरा का किराया एक आना था। हम दोनों फटफटी में बैठ गए। मेरे पूछने पर दीनदयाल जी ने बताया कि वे संघ के कर्मठ कार्यकर्ता पंडित परमेश्वरीदास से मिलने शाहदरा जा रहे हैं। परमेश्वरीदास जी इन दिनों बीमार चल रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी फटफटी शाहदरा पहुँच गई और हम दोनों उससे नीचे उतर गए। मैं दीनदयाल जी के साथ भगवानपुरा की ओर पैदल चल पड़ा। पंडित परमेश्वरी जी वहीं एक झोंपड़ी में रहा करते थे। जब हम उनकी झोंपड़ी में पहुँचे तो परमेश्वरीदास जी दीनदयाल जी को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद वे दोनों आपसी बातचीत में खो गए। जब पंडित ने परमेश्वरीदास जी को बताया कि वे दो दिन उनके साथ प्रवास करेंगे तो परमेश्वरीदास जी संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास कोई चारपाई नहीं थी और वे फर्श पर ही सोते हैं। दीनदयाल ने उनके संकोच को भाँप लिया और कहा, 'अरे आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे फर्श पर सोने में ही आनंद आता है" (शर्मा, 2021)। अपने साथी कार्यकर्ताओं की चिंता करने का संस्कार दीनदयाल जी अपने आचरण से देते हैं। साथ ही यह संदेश भी देते हैं कि जिस कार्यकर्ता ने अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण समय संगठन के लिए दिया उसकी कठिन परिस्थिति में हर प्रकार से चिंता करना नेता की जिम्मेदारी है।

'धर्मयुग' के संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार डॉ. धर्मवीर भारती दीनदयाल उपाध्याय से अपने संपर्क को इन शब्दों में बयान करते हैं : "दीनदयाल जी बंबई आए तो मैंने उनसे संपर्क किया। वरली में एक मित्र के फ्लैट में वे ठहरे थे। मैं वहाँ गया। वे कार्यकर्ताओं से घिरे थे। उन्हें निबटाकर वे निश्चितता से मिले और जिस धैर्य, समझदारी और आत्मीयता से उन्होंने वह तीखी आलोचना सुनी, वह मेरे लिए आश्चर्यजनक थी। लेकिन वह कोई झूठी विनम्रता या सहिष्णुता का मुखौटा मात्र नहीं था। मैंने पाया कि समस्याओं को दर-मुँह-दर समझकर वे सचमुच बड़ी तेजी से उनकी जाँच करते जा रहे हैं। कई जगह पर उन्होंने मेरी धारणाओं का तीखा विरोध किया और कई जगह उनके प्रति सहमति। उस समय शायद वे दल के किसी अधिवेशन या किसी चुनाव की तैयारी में थे। लेकिन उसके बाद वे इन समस्याओं पर अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में नए सिरे से विचार करेंगे, शांति से बंबई में ही बैठकर...। लेकिन वह दिन दुर्भाग्य से नहीं आया। मृत्यु ने इस तपस्वी चिंतक को हमसे छीन लिया। उस दिन क्या बातें हुईं, इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। राजा-महाराजाओं, साधु-महंतों के घिसे-पिटे नेतृत्व में संस्कृति की वे समस्याएँ सुलझ पाएँगी, यह मैं नहीं मानता। यहीं पर दीनदयाल जी अलग थे। राजाओं-महाराजाओं या साधु-महंतों से अलग उनका व्यक्तित्व सीधे-सादे भारतीय किसान के व्यक्तित्व के अधिक निकट था। सादे खादी के कुर्ता-धोती में जो भयानक पाखंड और कुर्सी की बदबू स्वातंत्र्योत्तर काल में जुड़ गई है, उससे मुक्त जो व्यक्तित्व रहे, उनमें अग्रणी हैं डॉ. राममनोहर लोहिया, लालबहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय। इनके व्यक्तित्व में शुद्ध भारतीयता की गहरी छाप थी, लेकिन भारतीय रूढ़ियों की जड़ता नहीं" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 80-82)।

जनसंघ के कार्यकर्ताओं से संवाद

जनसंघ महासचिव के नाते दीनदयाल उपाध्याय का देशभर में प्रवास होता था और वे हर स्थान पर कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनसे औपचारिक और अनौपचारिक संवाद करते थे। प्रवास के दौरान वे अक्सर कार्यकर्ताओं के घरों में ही रहते थे। इस कारण कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से भी संवाद होता था। अपने आचरण, रहन-सहन और खान-पान से कैसे कार्यकर्ताओं से वे संचार करते थे, यह दर्शाने वाले अनेक उदाहरण हैं। भागलपुर (बिहार) के एक कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश, अपने साथ घटी एक घटना साझा करते हुए बताते हैं, "सन् 1957 के निर्वाचन से पूर्व लखनऊ में एक पत्रकार सम्मेलन में दीनदयाल जी को जाना था। उन्होंने अपने बक्से से धुली हुई धोती निकालकर लाने को कहा। मैंने धोती निकाली, वे पहनने लगे तो मैंने देखा कि धोती तो फटी है। मैंने दूसरी लाने का आग्रह किया तो वे कहने लगे कि 'फटी है तो क्या, साफ तो है'। कोई हमें निकाल देगा क्या इसके कारण? वे वस्तु के गुणों को जीवन में स्थान देते थे। साथ ही अपने कपड़ों इत्यादि के प्रति भी उदासीन थे। साफ-सुथरा होना चाहिए था बस।" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 98)। इसी प्रकार हरिद्वार के श्री धर्मवीर नाम के कार्यकर्ता ने अपना एक संस्मरण इस प्रकार साझा किया : "दीनदयाल जी बद्रीनाथ से लौटे थे। उनकी जर्जर बनियान को देखकर मैंने उनसे पूछा गया, 'आप बुरा तो नहीं मानेंगे यदि बनियान नई ले आई जाए?' मुस्कान के साथ उनका उत्तर था, 'नहीं भाई, यह तो अभी दो मास और चलेगी'। लेकिन दिल्ली जाने से पहले धोती सुखाने के लिए तो दे दीजिए। बोले, नहीं-नहीं, ऐसा न करिए, मुझे कपड़े स्वयं ही धो लेने की आदत है। आप भला मेरी आदत क्यों छुड़ाना चाहेंगे? बस साबुन भर दे दीजिए" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 99)।

वाराणसी निवासी श्री शंकर प्रसाद जायसवाल नाम के कार्यकर्ता अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं : "सन् 1952 की बात है। दीनदयाल जी चुनाव दौरे पर काशी आए थे। उनका रात्रि का विश्राम जनसंघ

कार्यालय, नीची बाग में हुआ। रात्रि के समय वे कुछ कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक जानकारी ले रहे थे। पास में ही भोजन बन रहा था। एक कार्यकर्ता रोटी बेल रहा था और दूसरा सेंक रहा था। वार्ता खत्म होते ही उनकी निगाह रोटी बेलने पर गई। उन्होंने देखा कि कार्यकर्ता ठीक ढंग से बेलन नहीं घुमा रहा है। वे झट से उस कार्यकर्ता के पास पहुँचे और 'रोटी जरा ठीक से बेलो' कहते हुए उस कार्यकर्ता से बेलन लेकर रोटी बेलने लगे। फिर रोटी कितनी चौड़ी करना, कितना पैथन लगाना और बेलन किस प्रकार घुमाना आदि समझाते हुए रोटी बेलते रहे। एक कार्यकर्ता को सब प्रकार का प्रशिक्षण देने का यह अनुपम उदाहरण है" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 105)।

सतत प्रयास और कर्म करते रहो

भागलपुर (बिहार) के श्री ओमप्रकाश एक और घटना बताते हैं। वे कहते हैं : "सन् 1951 में दीनदयाल जी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में आए। नगर के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से वार्ता चल रही थी। तभी एक सज्जन ने कहा, 'अपने समाज को किसी भी ढंग से उठाने का प्रयत्न कीजिए, पर यह कभी खड़ा नहीं होगा।' उपाध्याय जी ने कहा, 'ऐसी निराशा क्यों?' इस पर उन्होंने एक कहानी बताई। एक बार इंद्र ने घोषणा कर दी थी कि बारह वर्ष बाद ही वर्षा होगी जब शिव का शंख बजेगा। यह घोषणा सुनकर सभी कृषकों ने अपने कार्य बंद कर दिए, परंतु एक कृषक अपने सूखे खेत में हल चलाता ही रहा। नारद जी उधर से आ निकले और कृषक को इंद्र की घोषणा का स्मरण कराया। कृषक ने उत्तर दिया, 'यदि बारह वर्ष बाद वर्षा हुई और उस समय अभ्यास न रहने के कारण हल न चला सका तो वर्षा का होना व्यर्थ हो जाएगा।' नारद जी ने पृथ्वी का समाचार बताते हुए शिव से उपर्युक्त बात कही। इस पर शंकर को भी लगा कि इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद संभव है कि कहीं वे स्वयं ही शंख बजाना तो नहीं भूल जायेंगे। अतः शंकर ने अपना बजाकर देखा। शंख बजने के कारण बारह वर्ष से पूर्व ही वर्षा हो गई। उपाध्याय जी ने कहा कि सतत प्रयास एवं कर्म करते रहने से यह हमारा समाज अवश्य ही खड़ा हो जाएगा। यह केवल उत्तर ही नहीं था, बल्कि इसमें उनके अपने जीवन का स्वर बोल रहा था" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 110)।

भोपाल के जनसंघ कार्यकर्ता श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी बताते हैं : "बात जनवरी 1967 की है। देश में आम चुनाव होने वाले थे। पूरे देश में राजनीतिक वातावरण अनिश्चित था। मेरे मित्र श्री हरदयाल चतुर्वेदी ने सुझाव दिया कि आगामी चुनाव में किस राजनीतिक संस्था का प्रभाव रहेगा, इसका अध्ययन ज्योतिष द्वारा कराया जाय। इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि जिस समय किसी संस्था का जन्म हुआ, उसका ठीक-ठीक पता किया जाय। जनसंघ की स्थापना किस समय हुई, इसका पता लगाने के लिए मुझे नियुक्त किया गया। भोपाल जनसंघ कार्यालय से संपर्क करने पर श्री कैलाश सारंग ने ठीक समय बताने में अपनी असमर्थता प्रकट की, किंतु बताया कि दो दिन बाद दीनदयाल जी आने वाले हैं। यद्यपि उनका कार्यक्रम बड़ा ही व्यस्त था, किंतु श्री सारंग के प्रयत्न से भेंट हो गई। जब मैंने उपाध्याय जी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने कहा, "द्विवेदी जी, हम लोग कर्मवीर हैं तथा प्रयत्न करते रहने में विश्वास करते हैं। ज्योतिष के फल पर निर्भर रहकर निष्क्रिय नहीं होना चाहते।" ऐसे थे कर्मयोगी दीनदयाल जी। (गोयनका, 2017, पृष्ठ 111)।

प्रत्याशी भले ही हारा, जनसंघ तो जीत ही गया

वाराणसी की श्रीमती मणिका राय चौधरी जौनपुर के उपचुनाव (1963) से जुड़ी एक घटना बताती हैं। वे कहती हैं, "चुनाव परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन जौनपुर के राजा की कोठी में राजा साहब जौनपुर, नानाजी, दीनदयाल जी तथा अन्य प्रमुख नेता बैठे थे। मैं भी यहाँ दया बहन के साथ पहुँची। सबके मुँह पर एक ही बात थी, "यह क्या हुआ"। इतने अथक परिश्रम के बावजूद इतने वोटों के अंतर से पराजय कैसे हुई? सबके चेहरे पर उदासी छाई रही, किंतु आश्चर्य यह था कि प्रत्याशी दीनदयाल जी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी और न पराजय की ग्लानि। उनके चेहरे पर वही सदा विराजमान हल्की मुस्कान खेल रही थी। सबकी उदासी को भंग करने के लिए जोरों से हँसते हुए दीनदयाल जी बोल पड़े, "अरे भाई प्रत्याशी चाहे हारे, जनसंघ तो जीत ही गया। जनसंघ घर-घर पहुँच गया।" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 116-117)।

बाधाओं को चीर कर आगे बढ़े चलो

हरियाणा के एक कार्यकर्ता श्री भगवानदेव प्रभाकर बताते हैं, "एलनाबाद मंडी (हिसार) में 14 फरवरी, 1960 को विशाल किसान सम्मेलन में दीनदयाल जी आने वाले थे। प्रातः 6.00 बजे जुलूस निकलना था। विशाल संख्या में किसान भाई एकत्रित हो गए। भारी उत्साह था, परंतु अशांति का बहाना लेकर काँग्रेस सरकार ने धारा 144 लगाकर जुलूस पर पाबंदी लगा दी। लाठियों और बंदूकों से लैस पुलिस भी नगर में आ गई। इस निषेधाज्ञा के कारण कार्यकर्ता कुछ उद्विग्न थे। दीनदयाल जी के आगमन का निश्चित समय भी बीतने लगा। एक ओर निर्णय करना कठिन था और दूसरी ओर दीनदयाल जी की राह देखते-देखते 10.00 बज गए। साढ़े दस बजे तो उत्सुकता ने चिंता का रूप ले लिया। एक जीप पर कार्यकर्ता सिरसा की ओर रवाना हुए। ग्यारह मील बाद उन्होंने देखा कि दीनदयाल जी एक कार्यकर्ता के साथ पैदल ही चले आ रहे हैं। पता चला कि जिस जीप से वे आ रहे थे, वह मार्ग में खराब हो गई है। बहुत प्रयत्न करने पर भी ठीक नहीं हुई। इसलिए दीनदयाल जी पैदल ही एलनाबाद मंडी के लिए चल पड़े। वे साढ़े ग्यारह बजे के करीब पहुँचे। स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया। पुलिस के अधिकारियों ने भी उन्हें सूचित किया कि जुलूस नहीं निकल सकता, जलसा नहीं हो सकता। गिरफ्तारियों की धमकी भी दी। कार्यकर्ता परेशान थे, परंतु दीनदयाल जी ने पुलिस को साहस तथा दृढ़तापूर्वक कह दिया, "जनसंघ के कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं घबराते। संकटों और तूफानों से टकराना जानते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं"। हौसला बुलंद हो गया। दीनदयाल जी निर्धारित मार्ग पर निकल पड़े। देखते-देखते जनता ने पुलिस का घेरा तोड़कर पंडित जी का भव्य स्वागत किया। जनता के अदम्य उत्साह और अपार समर्थन के आगे पुलिस की एक न चली। सम्मेलन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 121)।

महाराष्ट्र के श्री यशवंत मुले ने अपना संस्मरण इस प्रकार बताया : "बात सन् 1959 की है। दिल्ली में कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में पंडित जी बोल रहे थे। उन दिनों चीनी सेना की भारतीय सीमाओं पर जोर की गतिविधियाँ चल रही थीं। जनसंघ ने ही सर्वप्रथम लोकसभा में इस बात को रखा, परंतु हमारे नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। पंचशील की रट लगाई जा रही थी। देश की स्थिति का चिंतन करने और

अपने नेता से मार्गदर्शन प्राप्त करने जनसंघ के कार्यकर्ता उत्सुक थे। मुझे पंडित जी द्वारा किया गया कार्यकर्ता का विश्लेषण बहुत पसंद आया। पंडित जी का कहना था कि इस देश के सभी नागरिक आज अथवा कल हमारी विचारधारा के हो सकते हैं। कार्यकर्ता को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारा शत्रु है, बल्कि उसी के साथ अधिक मित्रता बनानी चाहिए। हमारी विचारधारा और कार्यप्रणाली अगर स्पष्ट है तो कोई कारण नहीं कि जनता उसे स्वीकार न करे। एक उदाहरण उन्होंने इस संदर्भ में दिया जो बड़ा रोचक है। पंडित जी ने कहा, "मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो अजमेरी गेट से झंडेवाला जाने के लिए पहाड़गंज तांगे से जाता हूँ। पहाड़गंज में एक मोची बैठता है। ताँगे से उतरते ही वह मुझे पूछता है, "बाबूजी, चप्पल को पॉलिश कर दूँ?" पिछले अनेक वर्षों से यह क्रम चल रहा है। उस मोची को पता है कि चप्पल पर पॉलिश नहीं कराता हूँ, परंतु वह यह समझता है कि मैं एक दिन अवश्य ही उससे पॉलिश करवाऊँगा। कार्यकर्ता को मोची की तरह होना चाहिए। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, उनके पास जाकर अपनी विचारधारा लगातार समझानी चाहिए। उसके विचार सुनने चाहिए। एक दिन निश्चित ही वह आपके साथ होगा।" केवल भाषणों में ही पंडित जी ये विचार प्रकट नहीं करते थे, बल्कि उनका सारा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था (गोयनका, 2017, पृष्ठ 122)।

मैं यहाँ पुनर्जन्म लूँगा

जनसंघ के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय भाई महावीर एक घटना बताते थे : "उड़ीसा की यात्रा में वे जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए। मंदिर के पुरोहित और पंडा भक्तों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने में बड़े कुशल थे। वे उनसे यह कहते रहे कि 'तुम्हें यहाँ कुछ न अवश्य चढ़ाना चाहिए, और इतना कम-से-कम धन उन भगवान को चढ़ाना न भूलना' तथा 'क्या तुम इस प्राचीन मंदिर को कुछ भेंट न चढ़ाओगे।' कुछ स्थलों पर पंडित जी ने बड़े भक्तिभाव से पुरोहितों-पंडों का कहना माना, लेकिन शीघ्र ही वे उनके धन बटोरने के हथकंडों से परेशान हो गए। धन के भूखे पंडों ने उन्हें गलती से धनीसेठ समझ लिया था। दीनदयाल जी को पंडों की इस धन-लिप्सा पर इतना क्रोध आया कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए बिना ही मंदिर से बाहर चले गए। उसी दिन संध्या को मंदिर के सामने एक सार्वजनिक सभा की आयोजना की गई थी। दीनदयाल जी ने अपने भाषण में इस घटना की मार्मिक चर्चा करते हुए कहा, "मैं पवित्र मंदिर में एक सनातनी भक्त बनकर गया, लेकिन एक आर्यसमाजी बनकर निकला। भगवान् जगन्नाथ के दर्शन अस्वीकार करने से मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से काफी दूरी पर जन्म लिया था। भगवान् जगन्नाथ का आर्शीवाद प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पुनर्जन्म लूँगा" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 148-149)।

क्या ये चोटें अधिक हैं?

जनसंघ के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे श्री नित्यानंद स्वामी कहते हैं : "जम्मू-कश्मीर सत्याग्रह चल रहा था। लगभग एक माह के लिए सत्याग्रह करने से पूर्व मैं केंद्रीय कार्यालय में समाचार प्रकाशन का कार्य कर रहा था कि अचानक एक दिन यह खबर मिली कि दीनदयाल जी को बस से गिरकर गंभीर चोटें लगी हैं। स्वाभाविक था कि जिन कार्यकर्ताओं को उनके गुप्त निवास का ज्ञान था, वे उनसे मिलने गए। यह तो विदित हो है कि श्रद्धेय पंडित जी अखिल भारतीय सत्याग्रह का संचालन भूमिगत रह कर रहे थे। एक बार तो मैंने उन्हें अजीब-सी मारवाड़ी काली टोपी, लंबी बाँहों वाला कुर्ता आदि पहने हुए दिल्ली की तंग गलियों में से साइकिल पर जाते हुए देखा और जब तक वे मुझे देखकर मुस्कराए नहीं, तब तक मैं भी पहचानने में धोखा खा रहा था। जब पंडित जी की पूछताछ करने के लिए मैं उनके कमरे में गया, तो कुछ कार्यकर्ताओं से घिरे हुए पंडित जी एक साधारण दरी बिछाए जमीन पर लेटे हुए थे। उनका सारा शरीर पट्टियों से बँधा हुआ था और अनेकों स्थानों पर चोटें स्पष्ट दिख रही थीं। इस पर स्वाभाविक रूप से मेरे मुख से निकल गया, "आपको तो बहुत चोटें लगी हैं"। इस पर पंडित जी ने मुस्कराकर कहा, "क्या ये चोटें उनसे भी ज्यादा हैं, जो प्रतिदिन जनसंघ के सत्याग्रहियों को पुलिस के डंडों से मिलती हैं?" इसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी (गोयनका, 2017, पृष्ठ 112)।

'पांचजन्य' के संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं संघ प्रचारक श्री भानुप्रताप शुक्ल अपना अनुभव इस प्रकार बताते थे : "एक शिविर का आयोजन किया गया था लखनऊ में। परमपूज्य श्री गुरुजी उसमें आए थे। पंडित जी भी उक्त शिविर में उपस्थित थे। आते ही बोले, "भानू, अतिथि विभाग तो तुम्हारे ही पास होगा न?" मैं बिना कुछ बोले देखता रहा। फिर हँसकर बोले, "यदि अनुशासन में बाधा न पड़ती हो वो...।" वे इतना ही कह पाए थे कि हँसी आ गई और मैं बोल उड़ा, "एक कप चाय"। वे भी ठहाका मारकर हँस पड़े। चाय पीकर बोले, "मजा आ गया। बोलो क्या आज्ञा है, बैठक, बौद्धिक या भाषण?" मैंने कहा, "नहीं, अब तो शारीरिक प्रतियोगिताएँ होने वाली है दीनदयाल जी।" 'अच्छा' कहकर वे उठे और उन्होंने प्रतियोगिता देखने की इच्छा प्रकट की। संघ स्थान पर स्वयंसेवकों के बीच घुलमिलकर बड़ी देर तक प्रतियोगिताएँ देखते रहे। इसी बीच एक स्वयंसेवक दौड़ा-दौड़ा आया और बोला, "आपको दीनदयाल जी बुला रहे हैं"। मैं उनके ही पास था कि दूर से ही बोले, "अरे, छूपते क्यों हो? तुम्हारी हार हो रही है न। कहाँ है तुम्हारी सायं शाखाओं के स्वयंसेवक? यहाँ तो प्रभात वाले बाजी मार रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रभात के बूढ़े जीत रहे हैं और सायं के जवान हारते जा रहे हैं।"

मैंने कहा, "दीनदयाल जी, यदि आप हमारे पास खड़े हो जाएँ तो अंतिम विजय जवानों की ही होगी।" बड़े उत्साह से बोले, "चलो कहाँ हैं तुम्हारे जवान?" खो-खो की अंतिम पारी चल रही थी और पंडित जी वहाँ पहुँचकर अपना सब कुछ भूलकर इस तरह मस्त हो गए जैसे थे सायं शाखा के विद्यार्थी हों। उनकी ललकार और शुभेच्छाओं ने साथ दिया और सायं शाखा की टोली पर्याप्त अंकों से जीत गई। कभी-कभी ऐसे भी प्रसंग आए कि उनकी व्यस्तता का बिना विचार किए हम कुछ इस कदर मचल उठते थे, जैसे वे फालतू हों और हम अधिक कार्य में व्यस्त हों। पंडित जी लेख लिख दीजिए और आप नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा! आज की इन अमुक-अमुक घटनाओं पर पाठक 'पांचजन्य' में आपके विचार पढ़ना चाहते हैं। वे बड़े ही आनंदित करने वाले स्वर में बोलते, "मेरे और तुम्हारे विचार में क्या अंतर है? अंतर नाम का पड़ सकता है, तो उसकी जगह लिख दो दीनदयाल उपाध्याय। यदि कोई गड़बड़ होगी तो मैं देख लूँगा।" और फिर कुछ घटनाएँ और उनके कुछ बिंदु बताकर कहते, "लेख रख जाओ, मैं एक बार फिर देख लूँगा।" और जब फिर आता तो पुराने लेख की

जगह एक नया लेख उनके ही प्रक्षरों में प्राप्त हो जाता। सन् 1967 का आम चुनाव अपनी गर्मी पर था। जनसंघ के चुनाव घोषणा-पत्र का एक संक्षिप्त रूप उत्तर प्रदेश में बाँटने की योजना भी बनी। बचनेश त्रिपाठी ('राष्ट्रधर्म' के सम्पादक) और मैं उनके पास बैठे थे। आर्थिक पहलू पर चर्चा चल रही थी। गरीबी के दुःख-दर्द और उनकी सुविधा की बातें हो चुकीं तो एक सज्जन बोले, "बड़े उद्योगपतियों और पैसेवालों के संबंध में आपका क्या कहना है?" सुनते ही उचक कर कुर्सी पर बैठ गए। बोले, "लिख दो कि चोरबाजारी करने वालों और गरीबों का शोषण करने वालों के लिए जनसंघ के राज्य में फाँसी का फंदा छोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा।" उनका तमतमाया चेहरा और हृदय का भाव अनुभव कर भावावेश में श्री बचनेश जी के तो आँसू छलक आए और बोले, "दीनदयाल, नाम और काम दोनों से ही दीनदयाल हैं" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 100-101)।

स्वभाषा के प्रति प्रेम

जयपुर के श्री गिरिराज किशोर कहते हैं, "पंडित जी उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर प्रदेश के सहप्रांत प्रचारक थे। मैनपुरी में उनका आगमन हुआ। आज के जिला संघचालक डॉ. पुरंग उन दिनों नगर कार्यवाह थे। कार्यक्रम विषयक कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने चिकित्सालय से मुझे एक पत्र भेजा, जो अँग्रेजी में लिखा था। उस पत्र का उत्तर मैं भी अँग्रेजी में लिखकर उनके कंपाउंडर को देने लगा। तभी पंडित जी ने मुझसे पत्र देखने के लिए माँगा तथा पत्र को हाथ में लेकर मुस्कराते हुए फाड़ डाला और कहा, ''अरे भई, डॉक्टर भी हिंदी जानते हैं और तुम भी, फिर अपनी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते? अँग्रेजी क्यों प्रयोग करते हो?" इस वाक्य में कितनी बड़ी शिक्षा तथा कितना बड़ा स्वभाषा प्रेम छिपा था। ऐसे थे हमारे पंडित जी।" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 111)।

कटक के श्री बाबूराम पालबीकर कहते हैं : "उनका स्वदेशी वस्तु के व्यवहार का आग्रह बड़ा प्रबल था। एक बार नागपुर संघ कार्यालय में मैं शेविंग कर रहा था। मैं अपने काम में व्यस्त था। अचानक किसी ने आकर मेरा शेविंग सोप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं समझा, किसी ने मेरे से मजाक किया है। जरा गुस्से से मैंने नजर उठाकर देखा तो पंडित जी को देखकर बड़ा हैरान हुआ। पंडित जी तो कभी मजाक नहीं करते फिर आज साबुन क्यों फेंक दिया? पंडित जी ने स्वयं ही कहना आरंभ किया, "भाई, नाराज न होना। हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए अपने स्वयंसेवकों को उपदेश देते हैं, किंतु अगर हम स्वयं उसका आचरण नहीं करेंगे तो हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह साबुन विदेशी कंपनी का बना हुआ है। देशी साबुन जब मिल सकता है तब विदेशी कंपनी का बना हुआ माल क्यों व्यवहार करते हो? पंडित जी की बात सुनकर मुझे अपनी गलती का ज्ञान हो गया। इस प्रकार वे स्वदेशी वस्तु के प्रयोग के लिए विशेष रूप से आग्रहशील रहते थे" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 114-115)।

साधु पुरुष

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री भाऊराव देवरस बताते थे : "अपने देश और समाज में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो समाज के सम्मुख तो अत्यंत उदात्त विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु उन विचारों का उनके आचरण के साथ कोई तालमेल नहीं होता। दीनदयाल जी के जीवन में यह विरोधाभास कहीं किसी भी कोने में ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता। वे अनेक वर्षों तक मेरे अनन्य सहयोगी रहे। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांत-प्रचारक था और वे सहप्रांत-प्रचारक। वे अनेक दृष्टि से मुझसे अधिक योग्य थे। बुद्धिमान तो वे थे ही, परंतु संघ के स्वयंसेवकों के लिए इतना अनुकरणीय होने के पीछे उनकी बुद्धिमत्ता नहीं, उनका आचरण था। पदलिप्सा एवं मान-सम्मान की लालसा से बहुत दूर थे वे। लोकेषणा की काली छाया उनकी परछाई तक को छू नहीं सकी। एक कल्पनातीत सादगी से भरा पवित्र जीवन जिसे भोजन-वस्त्र-सुख-सुविधा की कोई चिंता नहीं, सच्चे अर्थों में साधु थे वे। मैं उन्हें 'साधु' इसलिए कह रहा हूँ कि इस कठोर और सादे जीवन का उनके अंदर कोई विपरीत परिणाम नहीं था। अनेक व्यक्ति कठोर एवं सादा जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु वह उनकी स्वाभाविक प्रकृति न होने के कारण उनके जीवन में विकृतियाँ उत्पन्न कर देती है। और फिर, वह विकृति कभी क्रोध के रूप में, कभी दूसरों को उपदेश देने में, कभी दूसरों की निंदा अथवा दोषों की बार-बार चर्चा करने में प्रकट होती रहती है। दीनदयाल जी का रहन-सहन, वाणी और आचरण उनकी सहज प्रकृति एवं प्रवृत्ति थी। उन्होंने कभी अपनी सादगी का प्रदर्शन नहीं किया। अपने सादे-सरल जीवन को दिखाकर कभी किसी को उपदेश भी नहीं दिया" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 115)।

'मैं' का अभाव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जो बाद में संघ के तीसरे सरसंघचालक बने, श्री बालासाहब देवरस कहते हैं : "पंडित जी जब नागपुर आते थे, तो कार्यालय का रसोइया भी प्रसन्न हो जाता था। वह उनके लिए तरह-तरह की वस्तुएँ पकाता था। वह उन्हें चाय बिलकुल ठीक समय पर देता था। प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाना चाहता था। उन्हें देखकर हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार का स्मरण हो आता था। डॉ. हेडगेवार भी न तो देखने में सुंदर थे और न बहुत अच्छे भाषणकर्ता ही, परंतु उनकी कर्तव्य-निष्ठा लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करती थी। इसी प्रकार, दीनदयाल जी भी आकर्षित करते थे। मैं उन्हें तीस वर्षों से बड़े समीप से जानता था। मैंने उन्हें एक बार भी यह कहते हुए नहीं सुना कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। 'मैं' शब्द का ये कदाचित् ही कभी प्रयोग करते थे। ऐसे व्यक्ति को खो देना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ तथा देश के लिए भारी क्षति है, परंतु अब बैठकर रोने से क्या लाभ? दीनदयाल जी की ही अवस्था में डॉ. हेडगेवार की भी मृत्यु हुई थी। कुछ लोग सोचते थे कि डॉ. साहब के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी प्रकार, दीनदयाल जी के निधन से भी जनसंघ को कोई धक्का नहीं लगने दिया जाएगा (गोयनका, 2017, पृष्ठ 154)।

पाँच सौ पुस्तकें

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जो बाद में संघ के चौथे सरसंघचालक बने, श्री रज्जू भैया कहते हैं : "दीनदयाल जी शिक्षा को उपयोगी बनाने के पक्षपाती थे। वे कहा करते थे कि आज की शिक्षा से तो मनुष्य की सारी शक्ति सिमटकर उसकी उँगलियों के पोरों में और जीभ के छोर पर आ जाती है। अर्थात् वे कलम और जबान चलाने के सिवाय

अन्य किसी काम के रहते नहीं। वे क्लर्कों के काम को निकृष्ट मानते थे। पंजाब से आए हुए अनेक विस्थापित बंधुओं को, जब वे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रचारक थे, उन्होंने मुरादाबाद के विशेष वर्तन व्यवसाय तथा कलई करने की विधियाँ सीखने को लगाया। किसी को शरबत की दुकान का प्रोत्साहन, तो किसी को चाय की। कोई काम उनकी दृष्टि में छोटा नहीं था। पढ़ने और लिखने का उनका शौक निराला था। कोई अच्छी पुस्तक हाथ लग गई कि उसे अनेक व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पूरी कर डालते थे। बहुत लोगों से मिलना और उनसे वार्तालाप के कारण समय का अभाव रहता था। इसका भी उन्होंने एक रास्ता निकाला था—पैसेंजर गाड़ी से प्रवास। उसमें उन्हें पढ़ने और लेख लिखने का समय मिल जाता था। अनेक पत्र-पत्रिकाओं के लेख ऐसे ही तैयार हुए हैं। किसी विषय के अध्ययन को वे कितना गहरा और विस्तृत करते थे, इसकी एक स्मृति है। जब वे 'फाईव इयर प्लान' पर पुस्तक लिख रहे थे तब मैंने एक दिन पूछा, "दीनदयाल जी अर्थशास्त्र तो आप का विषय रहा नहीं, इस पर आप कैसे लिख सकेंगे?" तब उन्होंने बताया कि जनसंघ में आने और इस विषय की महत्ता समझने के बाद उसकी कोई पाँच सौ पुस्तकें पढ़ी होंगी और वे भी साधारण कोर्स की पुस्तकों से लेकर विशेष शोध तक की। शायद कम ही लोगों को यह पता हो। दीनदयाल जी एक अनुपम पुरुष थे और देखने में, रहन-सहन में बोलचाल में बिल्कुल साधारण। जब कभी घर आते तो हमारे घर की भोजन बनाने वाली ठकुरानी से बृज भाषा में कहते कि आज तो उरद की दाल और मक्के की रोटी खिलाओ और वह भी उनका बड़प्पन न समझकर पूछती रहती थी, "भैया बहुत दिनों से दीनदयाल जी नहीं आए, हमारा तो मक्का का आटा खत्म हुआ जा रहा है।" अनेक लोग, जो उनके नाम और लेखों से परिचित थे, प्रत्यक्ष परिचय पर पूछ बैठते थे, अच्छा यही दीनदयाल जी है! पर ऊपर से साधारण दिखने वाले दीनदयाल जी को कार्यकर्ताओं पर कितनी पकड़ थी, इसका एक ही उदाहरण काफी है। कच्छ-प्रदर्शन के समय वे बिहार के दौरे में वर्षा के कारण एक स्थान पर फँस गए। वहाँ उन्होंने अपने समय का उपयोग लगभग 150 कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से पोस्टकार्ड लिखाने में किया और उन्हीं व्यक्तिगत कार्यों का परिणाम था कि कहीं से 1500, तो कहीं से 2000 बंधु प्रदर्शन के लिए चल पड़े और वह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 136-137)।

अमेरिका यात्रा की स्मृतियाँ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री शंकरराव तत्त्ववादी, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में संघ कार्य के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, दीनदयाल जी की अमेरिका यात्रा के प्रसंग इस प्रकार बताते हैं : "दीनदयाल जी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक अमेरिकन परिवार की महिला ने मुझसे पूछा, "उपाध्याय जी के परिवार में कौन-कौन है?" मैंने उक्त महिला को बताया, "उपाध्याय जी अविवाहित हैं और उनका परिवार नहीं है।" तब हँसते-हँसते पंडित जी ने कहा, "नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी परिवार है और वह बहुत बड़ा है।" सन् 1963 के सितंबर-अक्टूबर में छह सप्ताह के लिए अमेरिका की भारत मैत्री समिति के निमंत्रण पर दीनदयाल जी अमेरिका-भ्रमण के लिए गए थे। मैं उन दिनों आस्टिन (टेक्सास) में था। आस्टिन के भारतीय विद्यार्थी संघ के कार्यवाह के नाते मैंने उनके कुछ कार्यक्रम निश्चित किए। न्यूयार्क में उन्हें इन कार्यक्रमों की विस्तृत सूचना मिल गई। वे नाक्सव्हिल (टेनेसी) से हवाई जहाज द्वारा सायंकाल पाँच बजे आस्टिन आने वाले थे। सवा छह बजे भारतीयों के साथ जलपान था और साढ़े सात बजे टेक्सास विश्वविद्यालय के राज्य शासन शास्त्र (गवर्नमेंट) विभाग में उनका भाषण था। स्थानीय समाचार पत्र में उनका परिचय छप चुका था और जनता निमंत्रित थी। उपर्युक्त विभाग के प्रोफेसर रोच ने कार्यक्रम निर्धारित करते हुए समय का ठीक-ठीक ध्यान रखने की विशेष सूचना दी थी और मैंने उन्हें इस संबंध में विश्वास भी दिला दिया था, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि वे सायंकाल 5.00 बजे के हवाई जहाज से न आकर सवा छह बजे आए। भारत मंत्री समिति ने उनके प्रवास कार्यक्रम में यह बदल कर दी थी। हम लोग कुछ परेशान थे। उनके हवाई जहाज से उतरते ही उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया। बस वे तत्काल कार्यक्रम के लिए चल पड़े। ठीक समय पर सभा स्थल पर पहुँच गए। प्रो. रोच ने जनसंघ के महामंत्री के नाते उनका परिचय कराया। करीब एक घंटा उनका भाषण हुआ। उसके बाद भारतीयों के साथ प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए एक घंटा था, परंतु उपस्थित विद्यार्थी वर्ग उनसे इतना प्रभावित था कि रात्रि में साढ़े दस बजे तक उन्हें घेरे रहा। मुझे इस बीच बार-बार लग रहा था कि उन्हें थोड़ा भी विश्राम नहीं मिला है, परंतु देखता था कि उनके चेहरे और वाणी में कहीं कोई थकान नहीं। प्रसन्न मुद्रा में वे बातचीत में रस भरते जा रहे थे। पंडित दीनदयाल जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें टेक्सास की नागरिकता प्रदान करके सम्मानित किया गया। स्थानीय रेडियो केंद्र ने कश्मीर संबंधी विषय पर उनकी एक भेंटवार्ता भी टेप की। उनका दूसरा महत्त्वपूर्ण भाषण आस्टिन के नीग्रो डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच हुआ। इस भाषण में पंडित जी ने भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों का बड़ा मार्मिक उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोलंबस ने अमेरिका खोज निकाला, परंतु वह तो भारत खोजने निकला था, यानी भारत की खोज करने के प्रयास में ही उसे अमेरिका मिला। यह संयोग की बात है, परंतु दोनों देशों में प्रजातंत्र के प्रति जो गहरी आस्था है, वह इस संयोग को स्थायी सूत्र प्रदान करता है। इसी आधार पर भारत-अमेरिका मित्रता प्रबल हो सकती है। अमेरिका भ्रमण में वे अनेक स्थानों के विभिन्न लोगों से मिले। चाहे ब्लैक मुस्लिम हों या रेड-इंडियन, वे उनकी समस्याओं के साथ एकरूप हो जाते और घुलमिलकर बातें करते। मैंने पाया कि पंडित जी ने अमेरिका के दर्शनीय स्थानों को देखने के बजाय अधिकाधिक लोगों से ही मिलना पसंद किया। इसके लिए उन्होंने दर्शनीय स्थानों पर जाने के कई कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। इतने थोड़े समय में उन्होंने अमेरिकी जन-मानस पर भारतीय व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी। उनके अनेक अमेरिकी मित्र आज भी उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। जब हम उस स्थान से चलने लगे तो दीनदयाल जी के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से अभिभूत हुई उक्त महिला ने यह कहते हुए उन्हें विदाई दी, "आपके बड़े-परिवार में अब मैं भी शामिल हूँ" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 154-156)।

लखनऊ के कार्यकर्ता श्री विमलेश कुमार बताते हैं : "एक बार उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर काँग्रेस की बुराई करता जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि उस पर जनसंघ का झंडा है तो उन्होंने उसे तुरंत रुकवाया और कहा, "तुम काँग्रेस के प्रचारक हो या जनसंघ के? यदि जनसंघ के हो तो किसी दल विशेष को कोसने के बजाय अपने ही विचारों का प्रसार करते तो ज्यादा अच्छा होता।" (गोयनका, 2017, पृष्ठ 124)।

गुरु दक्षिणा का पैसा मैं ऐसे कैसे खर्च कर सकता हूँ?

दिल्ली में रहने वाले मूल रूप से नासिक के संघ स्वयंसेवक श्री चंद्रशेखर गर्गे अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं : "मैं बड़ा सौभाग्यशाली स्वयंसेवक हूँ। यद्यपि मैं महाराष्ट्र की नासिक शाखा से स्वयंसेवक हूँ, लेकिन 1950 में मैं प्रयागराज (इलाहाबाद) आ गया था। वहाँ आने के कुछ दिन बाद ही मैं वहाँ के तत्कालीन संघ प्रचारक श्री विनायकराव शिंदे के संपर्क में आ गया। संघ के संपर्क में आने के कारण मुझे संघ कार्यालय में ही रहने का अवसर मिला। 1955 से मैं संघ कार्यालय पर रहने लगा था। 1957 में मेरी रज्जू भैया के घर पर रहने की व्यवस्था हुई और 1957 से 1959 तक मैं वहाँ रज्जू भैया के साथ रहा। 1959 में मुझे प्रचारक के रूप में हापुड़ भेज दिया गया। मुझे दो बार दीनदयाल जी के संपर्क में आने का मौका मिला। एक बार 1956 में जब मैं प्रयागराज कार्यालय पर था। वह संभवत: दिसंबर का महीना था। ठंड के दिन थे और कार्यालय पर मैं अकेला था। रात में लगभग 8.00-8.30 बजे किसी ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो देखा दीनदयाल जी थे। अंदर आते ही उन्होंने प्रश्न किया कि क्या भोजन की व्यवस्था है? मैंने कहा कि व्यवस्था है। आप तैयार हो जाइए मैं व्यवस्था करता हूँ। मैंने अँगीठी जलाई और दाल चढ़ा दी। रोटी के लिए आटा गूँथा और अपने हाथ से रोटी बनाकर दीनदयाल जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो शेखर, मुझे ठंड बहुत लगती है। तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा कि मेरे पास एक रजाई है। तो वे बोले कि एक रजाई से कैसे काम चलेगा? मैंने कहा कि रजाई आप ले लीजिए। उसके साथ मैं चादर जोड़ देता हूँ। आप नीचे वाले कमरे में सोइए और मैं ऊपर वाले कमरे में सोता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, यह मेरी लोई ले जाओ और रजाई मुझे दे दो। इस तरह जुगाड़ करके हमने रात काटी। सवेरे उठते ही वे बोले कि शाखा कहाँ लगी है? मैंने कहा, सामने के पार्क में। वे तैयार होकर शाखा गए। शाखा में जाने से पहले बोले कि मुझे रज्जू भैया के घर जाना है। क्या तुम्हारी साइकिल है यहाँ? मैंने कहा, हाँ है। बोले कि साइकिल मैं ले जाऊँगा। जब वे शाखा गए तो मैं साइकिल ठीक करवाकर लाया, क्योंकि उसमें ब्रेक कम थी। हवा वगैरह भी ठीक कराई। वे शाखा से आए और चाय आदि पीकर जब रज्जू भैया के घर जाने लगे तो मैंने कहा कि पंडित जी जब आप जाएँगे तो रास्ते में रेलवे का पुल पड़ता है। उस पुल पर दो बच्चे खड़े होते हैं। दो पैसे लेकर वे साइकिल को इधर से उधर पुल पार कर देंगे। आते समय फिर दो पैसे लेंगे और साइकिल आर-पार कर देंगे। यह सुनकर वे हँसे और साइकिल लेकर रज्जू भैया के घर चल दिए। वहाँ से लौटने के बाद मैंने पूछा कि बच्चे मिले थे क्या? तो हँसकर बोले, मिले थे परंतु मैंने साइकिल अपने आप ही पुल पार करा दी। फिर बोले कि सामान लेकर रज्जू भैया के घर जाना है और भोजन भी वहीं करना है, इसलिए तुम भी चलो। वे रिक्शा में बैठकर गए और मैं साइकिल पर गया। वहाँ जाने के बाद उनके रहने की व्यवस्था जिस कमरे में थी वह कमरा उन्होंने स्वयं ठीक-ठाक किया और मैंने उनका सामान लगा दिया।

जब रज्जू भैया के साथ हम लोग बैठे तो मैंने रज्जू भैया को बताया कि पंडित जी ने साइकिल इधर से उधर करने के लिए बच्चे को दो पैसे देने के बजाय स्वयं ही ले आए। इस पर रज्जू भैया ने कहा कि पंडित जी उन गरीब बच्चों को दो पैसे दे देते तो उनका काम चल जाता। उत्तर में दीनदयाल जी ने जो शब्द बोले वे बहुत मार्मिक हैं। उन्होंने कहा, "रज्जू भैया, गुरु दक्षिणा का पैसा मैं ऐसे कैसे खर्च कर सकता हूँ? मैं व्यय पत्रक में क्या लिखूँगा?" ये बातें जब आज भी मुझे याद आती हैं तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। ऐसे थे हमारे दीनदयाल जी। दीनदयाल जी जब सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो उस समय ऐसा नहीं लगता था कि वे कुछ विशेष बता रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि आपस में बातें हो रही हैं। एक-दूसरे से बातें करके वे संवाद करते थे। बड़ी ही सरल शैली में उनका संवाद होता था। मैंने उनके सार्वजनिक भाषण तो एक-दो बार ही सुने, परंतु कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में अनेक बार चर्चा करने का अवसर मिला। बड़े राजनेता होने के बाद भी वे इतने सरल थे कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी जब चाहे तब जाकर उनसे मिलकर अपने मन की बात कर सकता था" (गर्गे, 2021)।

निष्कर्ष

जनसंघ महासचिव के नाते दीनदयाल उपाध्याय का देशभर में प्रवास होता था और वे हर स्थान पर कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनसे औपचारिक और अनौपचारिक संवाद करते थे। प्रवास के दौरान वे अक्सर कार्यकर्ताओं के घरों में ही रहते थे। इस कारण कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से भी संवाद होता था। वास्तव में अपने आचरण, रहन-सहन और खान-पान से कैसे कार्यकर्ताओं से संचार होता है, इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। दीनदयाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और संघ के निर्देश से ही वे राजनीति में आए। यही कारण है कि राजनीति में रहते हुए भी वे निरंतर संघ के कार्यक्रमों और प्रशिक्षण शिविरों में बौद्धिक देते रहते थे। जब हम दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक या जनसंघ के नेता अथवा एक दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी के आवरण से बाहर निकालकर देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल दिखाई देता है और वे ऐसे चिंतक और विचारक के रूप में दिखाई देते हैं, जिसने संपूर्ण देश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु काम किया है। उनकी सरलता, सादगी, सर्वसुलभता और अध्ययनशीलता अनुकरणीय थी। दीनदयाल जी से जुड़े कार्यकर्ताओं के असंख्य ऐसे अनुभव हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि कैसे दीनदयाल जी के बहुत कम अवधि के सान्निध्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ऐसे लोग संपूर्ण देश में मिलते हैं, क्योंकि दीनदयाल जी का देशभर में प्रवास होता था। स्वयं के आचरण से संचार ऐसा विषय है, जिस पर अकादमिक जगत् में और अधिक काम करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

गर्गे, सी. एस. (2021). पूर्व अध्यक्ष, केशव सहकारी बैंक, दिल्ली. गूगल मीट के माध्यम से वर्ष 2021 में साक्षात्कार.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-80-82.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-98.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-99.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-100-101.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-105.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-110.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-111.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-112

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-114-115.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-115.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-116-117.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-121.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-122.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-124.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-136-137.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-148-149.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-154.

गोयनका, के.के. (सं.). (2017). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. पृष्ठ-154-156.

शर्मा, एम. एम. (2021). वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली. दिनांक 15 सितंबर, 2021 को अपने फेसबुक पेज पर व्यक्त विचार. https://www.facebook.com/profile?id=100009268370574 से दिनांक 22 सितंबर, 2021 को पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 23-30, जुलाई-सितम्बर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

महात्मा गांधी का आध्यात्मिक संचार

डॉ. राजेश लेहकपुरे[1]

सारांश

आध्यात्मिकता का निर्माण मनुष्य के जीवन में मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। हर धर्म के अनुसार आध्यात्मिकता निर्माण की प्रक्रिया भले ही भिन्न-भिन्न है, लेकिन सभी का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण है। भारत में कई आदर्श व्यक्तित्व होकर गए, जिन्होंने अपने जीवन को केवल आध्यात्मिकता के बल पर सिद्ध किया और अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। उन्हीं में से एक हैं महात्मा गांधी। गांधीजी ने जो कहा उसे अपने जीवन में उतारा। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रयोग किए। गांधीजी के जीवन के इन प्रयोगों को अगर देखें तो गांधीजी का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। गांधीजी के जीवन में आध्यात्मिक संचार किस तरह से हुआ? इस अध्ययन हेतु गांधीजी के विचारों व उनके जीवन प्रसंगों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया। आध्यात्मिकता के मानदंड, जैसे—जीवनशैली, धार्मिकता, ध्यान-धारणा, आत्मिक शिक्षा व सेवावृत्ति के आधार पर गांधी के जीवन में आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले प्रमुख बिंदुओं को कूटसंकेतीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें सात्त्विक आहार, नियमबद्ध जीवनशैली, प्रार्थना, ब्रह्मचर्य, संयम, सादगी, मौन, शांति, सत्यता, अहिंसा, त्याग, प्रायश्चित्त, उपवास, सेवाकार्य, आत्मिक शिक्षा, सनातनी ज्ञान व ईश्वरीय मान्यता आदि शामिल हैं। ये उनके जीवन में आध्यात्मिक संचार के साधन के रूप में प्रयोग किए गए। गांधीजी के आध्यात्मिक संचार को अगर हम संचार के सैद्धांतिक प्रकारों में विभाजित करें तो उनका मानना था कि 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है'। अपने आचरण से ही आध्यात्मिक संचार हेतु गांधीजी मौखिक, अमौखिक, समूह व जनसंचार का प्रयोग करते थे। इन सभी बिंदुओं को देखें तो यह कहा जा सकता है कि गांधीजी आध्यात्मिक थे और वे अपने प्रयोग या जीवनशैली के माध्यम से निरंतर आध्यात्मिक संचार करते थे।

संकेत शब्द : आध्यात्मिक संचार, महात्मा गांधी, सात्त्विक आहार, नियमबद्ध जीवनशैली, प्रार्थना, ब्रह्मचर्य, संयम, सादगी, मौन, शांति, सत्यता, अहिंसा, त्याग, प्रायश्चित्त, उपवास, सेवाकार्य, आत्मिक शिक्षा, सनातनी ज्ञान, ईश्वरीय मान्यता

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के कारण ही भारत की विश्वगुरु के रूप में पहचान है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता एक जटिल व बहुआयामी अवधारणा है (कुक, 2004, हिल एट आल, 2000, जोर्ज एट आल, 2000, मोबर्ग, 2002)। भारत में विविध धर्म और परंपराएँ होने के कारण हर धर्म के लोगों के लिए व्यक्तिपरक कल्याण के अनुसार भी आध्यात्मिक मान्यताएँ प्रस्तुत की जाती हैं, जिन्हें ऋषि-मुनियों, संतों, आध्यात्मिक गुरुओं, आदर्श व्यक्तित्वों ने अपनी जीवनशैली, विचारधारा, आचरण के माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार की जीवनशैली व आचरण का कोई व्यक्तित्व देखें तो महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। गांधीजी पर आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव था। उनके जीवन को अगर देखें तो उनकी जीवनशैली पर अनेक शोध हुए हैं, जिनमें ज्यादातर शोध उनके जीवन के प्रयोगों पर हुए हैं। इस संबंध में साहित्य एवं शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि मानव कार्यशीलता के विभिन्न पहलुओं पर आध्यात्मिकता के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। उदाहरणार्थ—मानसिक स्वास्थ्य (कोएनिंग, 1998), मद्य व्यसन (बेन्सन, 1992), वैवाहिक व्यवहार (माहनी एट आल, 1999), माता-पिता की भूमिका (एलिसन & शेरकेट, 1993), तनावपूर्ण परिस्थितिओं से बाहर निकलना (पेर्गमेंट, 1997)। यही सब कारण हैं, जिनकी वजह से सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता की भूमिका जैसे विषय के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत में बिताए जीवन के अनेक प्रसंग हैं, जिनमें उनका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव दिखाई देता है। गांधीजी के जीवन व विचार द्वारा प्रकट होनेवाले आध्यात्मिक संचार के पक्ष को अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया है। गांधी विचारों के पक्षधरों द्वारा किए गए शोध में भी उनके इस आध्यात्मिक संचार के पक्ष को स्पष्ट व व्यापक रूप से सामने नहीं लाया गया है। उनके शोध केवल गांधीजी की राजनीतिक वैचारिकी व कार्य पर ही आधारित दिखाई देते हैं। इसलिए गांधीजी के जीवन प्रसंगों के आधार पर उनकी आध्यात्मिक संचार पद्धति के महत्त्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करना आवश्यक था, जिसमें गांधीजी के विभिन्न जीवन प्रसंगों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया। गांधीजी की जीवनशैली, धार्मिकता, ध्यान-धारणा, आत्मिक शिक्षा व सेवावृत्ति के आधार पर उनके जीवन की घटनाओं को विभाजित कर कूटसंकेतीकरण के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन

आध्यात्मिकता : आध्यात्मिकता शब्द लैटिन मूल 'स्पिरिट्स' से आया है, जिसका अर्थ है 'साँस'। जीवन साँस का चक्र है। आध्यात्मिकता को तेजी से मानव मनोविज्ञान के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। हिल के अनुसार, 'आध्यात्मिकता को उन भावनाओं, चिंतन एवं व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पवित्रता की खोज से उत्पन्न होते हैं' (हिल, 2000)। पेर्गमेंट एवं माहनी ने भी आध्यात्मिकता को पवित्रता की खोज के रूप में ही पारिभाषित किया है। उन्होंने आध्यात्मिकता के अर्थ का विस्तार करते हुए कहा कि लोग इस पवित्रता की खोज में एवं उसका संरक्षण करने के लिए समाज में स्थापित असीमित मार्गों का अनुसरण कर सकते हैं (पेर्गमेंट एवं माहनी, 2009)। पीटरसन एवं सेलिगमेन के अनुसार,

[1]सह-आचार्य, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र. ईमेल : rajeshlehakpure75@gmail.com

आध्यात्मिकता सार्वभौमिक उत्कृष्टता शक्ति है, जो वृहद् ब्रह्माण्ड से संबंध स्थापित कर जीवन को अर्थ प्रदान करती है। यद्यपि आध्यात्मिक विश्वासों की विशिष्ट विषयवस्तु में अंतर हो सकता है, लेकिन सभी संस्कृतियों में इसे शाश्वत, उत्कृष्ट, पवित्र एवं दैवीय शक्ति माना गया है (पीटरसन & सेलिगमेन, 2004)। पेर्गमेंट एवं माहनी ने आध्यात्मिकता को समाज का एक आवश्यक अंग माना है, क्योंकि आध्यात्मिकता एक सांस्कृतिक सच्चाई है (पेर्गमेंट & माहनी, 2009)। अधिकतर लोग यह स्वीकार करते हैं कि प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम है और इसके लिए धर्म के प्रति जुड़ाव बहुत महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक है (होजे, 1996)। इससे संबंधित अध्ययनों में मानसिक स्वास्थ्य, मद्य व्यसन, वैवाहिक व्यवहार, माता-पिता की भूमिका, तनावपूर्ण परिस्थितिओं से बाहर निकलना जैसे विषयों में सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्मिकता की भूमिका की दृष्टि से अपनी रुचि दिखाई है। संस्कार मानव जीवन को परिष्कृत करने वाली एक आध्यात्मिक विधा है। संस्कारों से संपन्न होने वाला मानव सुसंस्कृत, चरित्रवान्, सदाचारी और प्रभुपरायण हो सकता है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का महत्त्व सर्वोपरि माना गया है। इसी कारण गर्भाधान से मृत्युपर्यंत मनुष्य पर सांस्कारिक प्रयोग चलते ही रहते हैं।

संचार : मानव उत्पत्ति से ही संचार विधा का जन्म हुआ है। संचार करना मानव की एक सहज व मूल प्रकृति है। संचार के जरिये हम भावनाओं, जानकारियों व विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। निरंतर चली आ रही इस विधा के विभिन्न माध्यम हैं। संचार विधा के मौखिक व अमौखिक मूल प्रकार माने जाते हैं। सूचना तकनीकी के युग में संचार में कई आयाम जोड़े गए हैं। संचार की गति बढ़ी है। संचार के प्रकारों व माध्यमों में वृद्धि हुई है।

आध्यात्मिक संचार : जीवन की यात्रा, अर्थ, उद्देश्य, आत्म-हस्तांतरण के ज्ञान, प्रेम और किसी पवित्र चीज की भावनाओं के लिए मनुष्य की लंबी खोज की एक प्रक्रिया के रूप में आध्यात्मिक संचार को परिभाषित किया जाता है। कुछ लोग आध्यात्मिक संचार की व्याख्या मानवीय संपर्क के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इसे मानव-ईश्वरीय संबंध, या जीवन में अर्थ और उद्देश्य की एक बड़ी समझ के साथ संबंध के रूप में देखते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य और खुशहाली का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। जब संचार के आध्यात्मिक पहलू की बात आती है, तो हम आमतौर पर इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझते हैं। आप जीवन के अर्थ और उद्देश्य से हमारा संबंध किसी आध्यात्मिक चीज के रूप में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इन सबके मूल में संचार के माध्यम से जुड़ाव की वह विशेष भावना है। आध्यात्मिक संचार में अंतरा–वैयक्तिक संचार प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह मानव का स्वसंचार कहलाता है, जिसमें मनुष्य की व्यक्तिगत चिंतन करने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बार्कर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक संचार संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वयं से भौतिक, भावनात्मक व सामाजिक कार्य है। यह एक शरीरतांत्रिक कार्य है, जिसके द्वारा मनुष्य में मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति आदि कार्य होता है। आध्यात्मिक संचार हेतु संचार के सभी प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे-समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, जनसंचार आदि।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं :

- महात्मा गांधी के आध्यात्मिक संचार का अध्ययन करना।
- गांधीजी के जीवन में आध्यात्मिक संचार के साधनों की पहचान करना।
- गांधीजी के जीवन में आध्यात्मिक संचार पूरक तत्त्वों की खोज करना।

शोध प्रविधि

महात्मा गांधी के जीवन में आध्यात्मिक संचार के अध्ययन हेतु गांधीजी के जीवन प्रसंगों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया। उनसे संबंधित जीवनशैली, ध्यान-धारणा, धार्मिकता, सेवावृत्ति व आत्मिक ज्ञान जैसे आध्यात्मिकता के मानदंडों का आधार लिए गया। मानदंडों के आधार पर जीवन प्रसंगों का कूटसंकेतीकरण कर आध्यात्मिक संचार दर्शन वाले तत्त्वों की बारंबारता के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचा गया।

महात्मा गांधी के जीवन में आध्यात्मिक संचार के तत्त्व

महात्मा गांधी के आध्यात्मिक संचार के अध्ययन हेतु गांधी के विचार व गांधी जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का चयन किया गया। चयनित जीवन प्रसंगों, विचारों, वाक्यांशों का कूटसंकेतीकरण किया गया, जिसमें आध्यात्मिकता के मानदंड को आधार मानकर उनके जीवन प्रसंगों व विचारों से आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्वों की खोज की गई। आध्यात्मिकता के मानदंडों में जीवनशैली, ध्यान-धारणा, धार्मिकता, सेवावृत्ति व आत्मिक ज्ञान को शामिल किया गया।

निम्न तालिका में आध्यात्मिक मानदंड के अनुसार महात्मा गांधी के विविध जीवन के प्रसंग व गांधी विचार के अध्ययन के उपरांत गांधी जीवन में आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्वों का कूटसंकेतीकरण किया गया।

तालिका-01

अनुक्रम	आध्यात्मिकता के मानदंड	गांधी विचार व जीवन प्रसंग	आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्व	बारंबारता
1	जीवनशैली	सत्यता	सत्य के सेवक, माता-पिता की प्रतिज्ञा का पालन, अपने विवाह की बात न छुपाना, नीति का समावेश सत्य पर	1. सत्य 2. सत्य का सेवक 3. वचनबद्धता 4. प्रतिज्ञा 5. सत्य नीति 6. झूठ न छुपना

		सात्त्विक आहार	प्राकृतिक आहार, फलाहार, साधारण आधार	1. प्राकृतिक 2. फलाहार 3. साधा आहार
		मांसाहार का त्याग	मांसाहार का सदा के लिए त्याग, प्रतिज्ञा पालन के लिए त्याग	1. त्याग 2. मांसाहार का त्याग 3. प्रतिज्ञा पालन
		नशा का त्याग	सदा के लिए नशा का त्याग	1. त्याग 2. नशा का त्याग
		पारिवारिक संस्कार	माता-पिता के परम भक्त, प्रतिज्ञा का पालन	1. माता –पिता 2. परम भक्त 3. प्रतिज्ञा का पालन
		प्रायश्चित्त	चोरी का प्रायश्चित्त, हमेशा के लिए चोरी छूटी।	1. प्रायश्चित्त 2. चोरी छूटी 3. आत्मग्लानि
		ब्रह्मचर्य	वानप्रस्थ-धर्म पालना, लोकसेवा में ही तन्मय हो जाना, पुत्रैषणा और वितैषणा का त्याग, पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन	1. वानप्रस्थ धर्म 2. लोकसेवा 3. पुत्रैषणा त्याग 4. वितैषणा त्याग 5. ब्रह्मचर्य
		संयम	ब्रह्मचर्य हेतु स्वादेंद्रिय पर प्रभुत्व, संयम हेतु आहार की मर्यादा व उपवास, विकार से बचाव, पत्नी के साथ एकांत का त्याग।	1. उपवास 2. आहार की मर्यादा 3. एकांत का त्याग 4. स्वादेंद्रिय नियंत्रण 5. संयमी वृत्ति
		दूध का त्याग	ब्रह्मचारी के लिए दूध बाधक, आहार में दूध का त्याग	1. दूध बाधक 2. दूध का त्याग
		सादगी	जीवन में स्वावलंबन व सादगी, साधी जीवनशैली	1. स्वावलंबन 2. सादगी 3. साधी जीवनशैली
		अहिंसा	किसानों से प्रेम मिला, अहिंसा से सत्य, ईश्वर व प्रेम का अनुभव हुआ।	1. अहिंसा 2. सत्य 3. प्रेम 4. ईश्वर का अनुभव
		उपवास	उपवास से इंद्रिय-दमन, मन में विषय-भोग के प्रति विरक्ति, ब्रह्मचर्य पालन के लिए उपवास	1. उपवास 2. इंद्रिय-दमन 3. विरक्ति 4. ब्रह्मचर्य

1. जीवनशैली : महात्मा गांधी की जीवनशैली के अंतर्गत सत्यता, सात्त्विक आहार, मांसाहार का त्याग, नशा का त्याग, पारिवारिक संस्कार, चोरी का प्रायश्चित्त, ब्रह्मचर्य, संयम, दूध का त्याग, सादगी, अहिंसा व उपवास को शामिल किया गया। गांधीजी की जीवनशैली में कुल 12 प्रसंगों के अध्ययन में आध्यात्मिकता दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 44 हैं। जीवनशैली के अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न विषय उनकी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं।

सत्यता : महात्मा गांधी सत्य के पुजारी होने के अनेक उदाहरण उनके जीवन में मिलत्ते हैं। महात्मा गांधी स्वयं कहते थे कि वे सत्य के सेवक हैं। अपने माता-पिता की प्रतिज्ञा का वे पालन करते थे। गांधीजी ने अपने विवाह की बात विदेशी महिला से नहीं छिपाई। गांधी मानते थे कि संसार नीति पर टीका हुआ है। नीति का समावेश सत्य में है। हर दिन सत्य की महिमा से उनके लिए सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई। महात्मा गांधी के जीवन में घटित इन घटनाओं तथा उनकी सत्यता के प्रति मान्यता का अध्ययन करने के उपरांत गांधी और सत्यता का गहरा संबंध स्पष्ट होता है। गांधीजी और सत्यता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। गांधीजी ने सत्यता को केवल विचारों या उपदेशों में ही नहीं, बल्कि अपने आचरण में भी उतारा था। गांधीजी की जीवनशैली में सत्यता का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की

बारंबारता 06 हैं। सत्यवचन, यह मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का संचार करता है, जिसका अनुभव गांधीजी ने हर क्षण किया।

सात्त्विक आहार : महात्मा गांधी ने अपने जीवन में आहार के अनेक प्रयोग किए, जिसका लाभ उन्हें कई प्रकार से हुआ। उनके आहार-संबंधी प्रयोग ब्रह्मचर्य की दृष्टि से भी किए गए थे। उन्होंने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार कम, सादा और प्राकृतिक लेना चाहिए। गांधी मानते थे कि ब्रह्मचारी का आहार भी फल है। फलों के आहार से उन्होंने निर्विकार स्थिति का अनुभव किया था। सात्त्विक आहार से ब्रह्मचर्य का पालन, शरीर को शक्ति प्राप्ति, सात्त्विक आहार से मन निर्विकार होना आदि अनुभव गांधीजी ने इन प्रयोगों से किए थे। उन्होंने केवल आहार का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में भी उतारा। गांधीजी की जीवनशैली में सात्त्विक आहार का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 03 है। सात्त्विक आहार से उनमें आध्यात्मिकता का भाव जाग्रत हुआ।

मांसाहार का त्याग : विदेशों में रहते हुए गांधीजी को उनके मित्रों के साथ मांसाहार का संकट कई बार सामने आया था, लेकिन मांस खाने की बात को माता-पिता से छुपाना उन्हें मान्य नहीं था। गांधीजी मानते थे कि माता-पिता से झूठ बोलना माँस न खाने से भी बुरा होगा। तब से गांधीजी ने मांसाहार का त्याग किया। सात्त्विक आहार के पहले गांधीजी ने मांसाहार को त्याग दिया था। इस घटना से उनका अपने माता-पिता के प्रति श्रद्धाभाव व उसके लिए त्याग का भाव प्रदर्शित होता है। मांसाहार का त्याग एक सात्त्विक जीवनशैली का उदाहरण है। गांधीजी की जीवनशैली में मांसाहार का त्याग दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 03 है। सात्त्विक जीवन आध्यात्मिकता का भाव दर्शाता है।

नशा का त्याग : गांधीजी को उनके दोस्त के साथ बीड़ी पीने की लत लग गई थी। इस आदत के चलते उनके जीवन में अचानक उत्पन्न आत्मग्लानि की घटना के कारण उन्होंने बीड़ी पीना त्याग दिया। गांधीजी की जीवनशैली में नशा का त्याग दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 02 हैं। नशा के त्याग से गांधीजी के जीवन में आध्यात्मिकता विकसित होने में मदद मिली।

पारिवारिक संस्कार : महात्मा गांधी माता-पिता के परम भक्त थे। अपनी कई आदतों को गांधीजी ने केवल माता-पिता की प्रतिज्ञा के पालन करने हेतु त्याग कर दिया था। जीवन में मिलने वाले क्षणिक आनंद की तुलना में माता-पिता के प्रति प्रतिज्ञा-पालन गांधी को अधिक प्रिय लगा था। गांधीजी की जीवनशैली में पारिवारिक संस्कार का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 03 है। माता-पिता की प्रतिज्ञा का पालन पारिवारिक संस्कार का भाव और आध्यात्मिकता को दर्शाता है।

प्रायश्चित्त : दोस्तों के साथ नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने के कृत्यों से गांधीजी को आत्मग्लानि हुई। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि उनके मन में चोरी के लिए प्रायश्चित्त का विचार आना शुरू हुआ, जिससे गांधीजी और उनके दोस्तों ने बीड़ी और नौकर के पैसे चुराने की आदत छोड़ दी। गांधीजी की जीवनशैली में प्रायश्चित्त का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 03 है। प्रायश्चित्त करने की इच्छा भी मन में आध्यात्मिकता का भाव निर्माण करने की प्रक्रिया मानी जाती है।

ब्रह्मचर्य : गांधीजी ने तय कर लिया था कि लोकसेवा में ही निरंतर जुड़ जाना है। लोकसेवा के लिए परिवार का त्याग करना चाहिए और वानप्रस्थ-धर्म का पालना करना चाहिए। अपनी पत्नी के प्रति प्रामाणिकता गांधीजी के सत्य व्रत का अंग था। अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने की अनुभूति गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका में रहते समय हुई। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वाद की इंद्रियों पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। गांधीजी की जीवनशैली में ब्रह्मचर्य का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 05 है। ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी व्यक्ति में आध्यात्मिकता विकसित करने का बल पैदा करता है। ब्रह्मचर्य के कारण यह अनुभूति गांधीजी को अपने जीवन में भरपूर हुई थी।

संयम : गांधीजी के अनुसार किसी अन्य महिला को देखकर मन में विकार उत्पन्न होने का उनका जीवन में पहला प्रसंग आया था। उस समय अनेक प्रकार के विचार उनके मन को प्रभावित कर रहे थे। उस स्थिति से स्वयं गांधीजी छुटकारा पाना चाहते थे। दूसरे दिन गांधीजी ने वह जगह छोड दी। गांधीजी का मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वाद की इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। एक संयमी व्यक्ति के लिए कम आहार अथवा उपवास बहुत जरूरी है। व्रत लेते ही गांधीजी ने पत्नी के साथ एकांत का त्याग किया। गांधीजी एक संयमी व्यक्ति थे, उन्होंने अनेक प्रयोगों से स्वयं में संयम को विकसित किया, जिसका परिणाम यह हुआ की उन्होंने मन के विकार से लेकर स्वादेंद्रिय पर भी नियंत्रण प्राप्त किया। गांधीजी की जीवनशैली में संयम का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 05 है, जिसका लाभ उन्हें स्वयं में आध्यात्मिकता का विकास करने में हुआ।

दूध का त्याग : गांधीजी का मानना था कि ब्रह्मचारी व्यक्ति के आहार व्रत पालन में दूध बाधक सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मचर्य में बाधा के कारण गांधी और उनके दोस्तों ने एक साथ ही दूध का त्याग किया। गांधीजी की जीवनशैली में दूध का त्याग दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 02 है। ब्रह्मचारी के लिए दूध का सेवन बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए गांधीजी ने दूध का त्याग किया। यह घटना उनकी आध्यात्मिक वृत्ति विकसित करने में सहायक दिखाई देती है।

सादगी : गांधीजी का जीवन स्वावलंबन व सादगी भरा था। उनकी पोशाक से लेकर उनके आहार, आचरण से उनका सादा जीवन ही झलकता था। गांधीजी की जीवनशैली में सादगी का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 03 है। सादगी भरा आचरण गांधीजी के आध्यात्मिक संचार के साधन के रूप में कार्य करता था।

अहिंसा : चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्या का निपटारा कराते समय उनका और किसानों का जिस प्रकार से मिलना हुआ था, उस आधार पर गांधीजी कहते हैं कि उन्हें वहाँ ईश्वर, अहिंसा व सत्य का साक्षात्कार हुआ था, उन्हें लोगों से केवल प्रेम मिला। गांधीजी मानते थे कि यह घटना उन लोगों की प्रेम व अहिंसा के प्रति अपार श्रद्धा है। गांधीजी की जीवनशैली में अहिंसा का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 04 है। अहिंसक वृत्ति आध्यात्मिकता की पहचान है।

उपवास : गांधीजी मानते थे कि अपनी इच्छा से किए गए उपवास से स्व-इंद्रियों को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। गांधीजी मानते थे कि मन में भोग भाव की जगह विरक्ति का भाव आना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन में उपवास की अत्यंत आवश्यकता है। गांधीजी की जीवनशैली में उपवास का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 04 हैं। उपवास व्रत मनुष्य में आध्यात्मिकता को विकसित करने में सहायक होता है।

2. ध्यान-धारणा : महात्मा गांधी के ध्यान-धारणा के अंतर्गत ईश्वरीय

तालिका -02

अनुक्रम	आध्यात्मिकता के मानदंड	गांधी विचार व गांधी जीवन प्रसंग	आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्व	बारंबारता
2	ध्यान-धारणा	ईश्वरीय ध्यान	मन का मैल छूटता है, रामनाम में अमोघ शक्ति, राम-रक्षा का नित्य पाठ, रामरक्षा कंष्ठाग्र, रामायण पारायण का प्रभाव, तुलसीदास की रामायण भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ।	1. रामनाम 2. अमोघ शक्ति 3. रामरक्षा 4. नित्य पाठ 5. रामायण 6. पारायण 7. तुलसीदास 8. भक्तिमार्ग 9. सर्वोत्तम ग्रंथ
		प्रार्थना	प्रार्थना धर्म का प्राण, प्रार्थना मनुष्य जीवन का मर्म, धर्म के बिना कोई भी मनुष्य नहीं जी सकता, नित्य प्रात: व शाम प्रार्थना, स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं, स्तुति, उपासना, प्रार्थना खाने-पीने जितना सच।	1. धर्म 2. धर्म का प्राण 3. धर्म का सार 4. स्तुति 5. उपासना 6. प्रार्थना 7. नित्य प्रार्थना 8. प्रार्थना जीवनावश्यक

ध्यान, प्रार्थना—इन दो विषयों को शामिल किया गया है। गांधीजी के जीवन में ध्यान-धारणा को विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 17 है। ध्यान-धारणा के अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न विषय उनकी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं।

ईश्वरीय ध्यान : महात्मा गांधी की ईश्वर में अपार श्रद्धा थी। वे नियमित ईश्वरीय ध्यान करते थे। उनके जीवन के कई प्रसंगों से यह प्रकट होता है। गांधीजी का मानना था कि मन का मैल तो ईश्वर भक्ति से समाप्त होता है। गांधीजी के लिए रामनाम में अपार शक्ति थी। गांधीजी बचपन में राम-रक्षा का नित्य पाठ करते थे। गांधी ने रामरक्षा को कंठाग्र कर लिया था। गांधीजी ने उसे स्नान के बाद नित्य पाठ का नियम बनाया था। गांधी के जीवन पर रामायण पारायण का सबसे गहरा असर था। महात्मा गांधी तुलसीदास की रामायण को भक्तिमार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। गांधीजी की ध्यान-धारणा को विकसित करने में ईश्वरीय ध्यान दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 09 है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है।

प्रार्थना : प्रार्थना गांधीजी के जीवन का नियमित कार्य था। गांधीजी मानते थे कि प्रार्थना धर्म का प्राण और सार है। प्रार्थना मनुष्य जीवन का मर्म होनी चाहिए। उनका कहना था कि धर्म के बिना कोई भी मनुष्य नहीं जी सकता। गांधीजी हर रोज सुबह 3:30 बजे उठकर प्रार्थना करते थे। शाम को भी उनकी प्रार्थना होती थी। गांधीजी का मानना था कि स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवनावश्यक गतिविधियों जितना सच हैं। गांधीजी की ध्यान-धारणा को विकसित करने में प्रार्थना दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 08 है।

3. धार्मिकता : महात्मा गांधी के जीवन में धार्मिकता की स्थिति का

तालिका-03

अनुक्रम	आध्यात्मिकता के मानदंड	गांधी विचार व जीवन प्रसंग	आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्व	बारंबारता
3	धार्मिकता	धार्मिक शिक्षा	धर्म के मूल तत्त्व का ज्ञान, धर्म का सामान्य ज्ञान, धार्मिक शिक्षा ही बौद्धिक शिक्षा	1. धर्म ज्ञान 2. मूलतत्त्व ज्ञान 3. सामान्य ज्ञान 4. बौद्धिक ज्ञान
		ईश्वरीय मान्यता	ईश्वर ने बचाया, कहीं से मदद आती है, जन्माष्टमी पर उपवास का पालन, भगवान ने सच कहने की हिम्मत दी।	1. ईश्वर की मदद 2. अदृश्य मदद 3. ईश्वर से हिम्मत 4. जन्माष्टमी 5. ईश्वर सत्य

		सनातनी ज्ञान	स्वयं को सनातनी हिंदू मानना, वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को मानना, अवतारी और पुनर्जन्मों को भी मानना, मूर्ति-पूजा में विश्वास करना।	1. हिंदू शास्त्र 2. वेद 3. पुराण 4. उपनिषद 5. अवतार 6. पुनर्जन्म 7. मूर्ति-पूजा

आंकलन करने हेतु धार्मिकता के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा, ईश्वरीय मान्यता व सनातनी ज्ञान विषयों को शामिल किया गया। गांधीजी के जीवन में धार्मिकता विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 16 है। जिन बिंदुओं के आधार पर महात्मा गांधी के जीवन में आध्यात्मिकता का संचार हुआ, उसका अध्ययन किया गया।

धार्मिक शिक्षा : महात्मा गांधी का मानना था कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने धर्म के मूल तत्त्व का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। धार्मिक शिक्षा को गांधीजी बौद्धिक शिक्षा का ही एक अभिन्न हिस्सा मानते थे। गांधीजी के जीवन में धार्मिक शिक्षा का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 04 है। आध्यात्मिकता विकसित होने की पहली सीढ़ी धार्मिक शिक्षा का ज्ञान है।

ईश्वरीय मान्यता : गांधीजी मानते हैं कि कई प्रसंगों में कार्य करते समय ईश्वर ने उन्हें बचाया है। गांधीजी ने यह भी अनुभव किया कि जब हम सारी आशा छोड़ देते हैं, तब कहीं-न-कहीं से मदद आ ही पहुँचती है। महात्मा गांधी ने जन्माष्टमी पर उपवास का पालना शुरू किया। गांधीजी ने अनुभव किया था कि उन्हें ईश्वर ने सत्य कहने की ताकत दी है, जिससे उन्हें अत्यानंद होता है। गांधीजी के जीवन में ईश्वरीय मान्यता का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 05 है। ईश्वरीय भक्ति आध्यात्मिक भाव की वृद्धि में मददगार साबित होती है।

सनातनी ज्ञान : गांधी स्वयं को सनातनी हिंदू मानते थे। उनके स्वयं को सनातनी मानने के कारणों को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। गांधी जी के जीवन में सनातनी ज्ञान का प्रभाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 07 है। सनातनी ज्ञान के आधार पर समाज को आध्यात्मिक ज्ञान व दिशा मिलती है।

4. सेवावृत्ति : महात्मा गांधी के जीवन में सेवावृत्ति थी। सेवाकार्य में उन्हें आनंद मिलता था। गांधीजी की सेवावृत्ति के आकलन के लिए उनके सेवाकार्य व गोसेवा विषयों का अध्ययन किया गया। गांधीजी के जीवन में सेवावृत्ति विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 10 है। सेवाकार्य से संबंधित गांधीजी के जीवन प्रसंगों के अध्ययन के आधार पर उनके जीवन के आध्यात्मिक संचार को प्रस्तुत किया गया।

सेवाकार्य : गांधीजी सेवाकार्य का अवसर ढूँढ़ रहे थे। विदेशों में रहते समय एक अस्पताल में दवा देने का सेवाकार्य गांधीजी करने लगे। प्रतिदिन दो घंटे का सेवाकार्य वे करते थे। इस कार्य से गांधीजी को शांति मिलती थी। गांधीजी के जीवन में सेवाकार्य का भाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 04 है। आध्यात्मिक व्यक्ति में सेवावृत्ति होती है।

गोसेवा : गांधीजी गोरक्षा को मानते थे। उनका मानना था कि गोरक्षा ईश्वर की सृष्टि की रक्षा है। गोरक्षा हिंदू धर्म का प्रधान कार्य है। गांधीजी की दृष्टि से गोरक्षा समाज के विकास में एक अद्भुत घटना है। भारत गाय को माता मानता है। गांधीजी के जीवन में गोसेवा का भाव दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 06 है। आध्यात्मिक वृत्ति मनुष्य को प्राणियों से प्रेम करने के भाव का निर्माण करती है।

5. आत्मिक ज्ञान : महात्मा गांधी में आत्मिक ज्ञान का आकलन करने हेतु उनके जीवन के आत्मिक शिक्षा, उपवास व मौन विषयों का अध्ययन कर आध्यात्मिकता का अध्ययन किया गया। गांधीजी के जीवन में आत्मिक ज्ञान को विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 12 है। आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करने हेतु आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है।

आत्मिक शिक्षा : आत्मिक शिक्षा को महात्मा गांधी एक स्वतंत्र विषय मानते थे। गांधीजी मानते थे कि मनुष्य का आत्मिक विकास होने का मतलब मनुष्य का शीलवान् बनना है। मनुष्य को इससे ईश्वरीय ज्ञान व आत्मज्ञान प्राप्त करना है। गांधीजी के अनुसार आत्मिक ज्ञान के अलावा

तालिका-04

अनुक्रम	आध्यात्मिकता के मानदंड	गांधी विचार व गांधी जीवन प्रसंग	आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्व	बारंबारता
4	सेवावृत्ति	सेवाकार्य	अस्पताल में सेवाकार्य, रोज सेवाकार्य, सेवाकार्य से शांति व आनंद।	1. दैनिक सेवाकार्य 2. शांति प्राप्ति 3. सेवावृत्ति 4. आनंद
		गोसेवा	गोरक्षा को मानना, गोरक्षा का अर्थ ईश्वरीय मूक सृष्टि की रक्षा, हिंदू धर्म का प्रधान अंग गोरक्षा, गोरक्षा से मनुष्य का विकास, गोमाता।	1. गोरक्षा 2. सृष्टि की रक्षा 3. गोमाता 4. विकास 5. धर्म 6. हिंदू धर्म

तालिका-05

अनुक्रम	आध्यात्मिकता के मानदंड	गांधी विचार व गांधी जीवन प्रसंग	आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले तत्त्व	बारंबारता
5	आत्मिक ज्ञान	आत्मिक शिक्षा	आत्मिक विकास मतलब शील संपन्न बनना, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना।	1. आत्मिक विकास 2. शीलवान बनना 3. ईश्वरीय ज्ञान 4. आत्मिक ज्ञान
		उपवास	एकादशी का उपवास, निराहार उपवास, प्रायश्चित्त करने के लिए उपवास, ब्रह्मचर्य पालन के लिए उपवास	1. एकादश 2. निराहार 3. प्रायश्चित्त 4. ब्रह्मचर्य
		मौन	मन की शांति मिलना, आत्मा व ईश्वर से प्रेरणा का साधन, स्वस्थ शरीर होना, मन का बोझ कम करना, ईश्वर के समीप रहने का अनुभव।	1. मानसिक शांति 2. रक्तदाब में कमी 3. स्वस्थ रहना 4. अच्छी नींद

अन्य ज्ञान व्यर्थ और हानिकारक हो सकता है। गांधीजी के जीवन में आत्मिक शिक्षा को विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 04 है। आध्यात्मिक ज्ञान हेतु आत्मिक शिक्षा आवश्यक है।

उपवास : गांधीजी निराहार उपवास को अधिक महत्त्व देते थे। इसके अलावा गांधीजी प्रायश्चित्त के निमित्त से एक बार का उपवास करते थे। ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी गांधीजी उपवास रखते थे। गांधीजी के जीवन में उपवास के भाव को विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 04 है। उपवास व्रत का लाभ आध्यात्मिक जीवनशैली का एक अंग है।

मौन: आश्रमवासी गांधीजी के मन के विरुद्ध अगर कोई कार्य करते थे, तो उस मानसिक अवस्था से उबरने लिए गांधीजी मौन रखते थे। गांधीजी ने अनुभव किया कि मौन के समय उनके रक्त दबाव में कमी आती थी। गांधीजी मौन के बाद स्वयं को अधिक स्वस्थ महसूस करते थे। मौन से गांधीजी को शांति मिलती थी और अच्छी नींद आती थी। गांधीजी मानते थे कि ईश्वर से प्रेरणा लेने का मौन ही एक उत्तम साधन है। गांधीजी जब मौन रखते थे तब उन्हें ईश्वर के नजदीक रहने का अनुभव होता था। गांधीजी के जीवन में मौन को विकसित करने वाले तत्त्वों की बारंबारता 04 है। मौन मनुष्य को शांति व ईश्वर से प्रेरणा लेने का साधन होने के कारण आध्यात्मिकता विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' कहने वाले महात्मा गांधी जो बोलते थे, वह अपने आचरण में लाते थे। गांधीजी के जीवन प्रसंगों के अध्ययन के उपरांत कहा जा सकता है कि उनकी जीवनशैली आध्यात्मिक थी। शुरुआती दिनों में गांधीजी ने अपने ऊपर किए प्रयोगों के आधार पर कई प्रकार के आध्यात्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनकी जीवनशैली, धार्मिकता, ध्यान-धारणा, आत्मिक शिक्षा व सेवावृत्ति के आधार पर उनके जीवन में आध्यात्मिक संचार दर्शाने वाले जो प्रमुख तत्त्व प्राप्त हुए हैं, उनमें गांधीजी की नियमबद्ध जीवनशैली, सात्त्विक आहार, नियमित प्रार्थना व ध्यान-धारणा, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम का पालन, पत्नीव्रत का पालन, जीवन में सादगी, पारिवारिक संस्कार, आत्मिक बल व शांति के लिए मौन, माता-पिता के प्रति भक्ति, प्रतिज्ञा व वचन का पालन, सत्यता को पूजनीय मानना, अहिंसा से प्रेम व शांति का निर्माण, त्याग की मूर्ति, प्रायश्चित्त करने की मानसिकता, धर्म की शिक्षा का आग्रह, ब्रह्मचर्य, मानसिक, आत्मिक व शारीरिक बल हेतु उपवास, सेवावृत्ति व सेवाकार्य में आनंद प्राप्ति, आत्मिक शिक्षा से आत्मज्ञान की प्राप्ति, सनातनी आस्था का महत्त्व, वेदों, पुराणों व उपनिषदों में दृढ़ विश्वास, अवतारी व पुनर्जन्मों में विश्वास, ईश्वरीय मान्यता, गोरक्षा को ईश्वरीय कार्य की मान्यता व गाय को गौमाता मानना आदि शामिल हैं। गांधीजी के जीवन से जुड़े उक्त सभी 24 बिंदुओं को गांधीजी ने अपने जीवन में किए प्रयोग के आधार पर अपने विचार व आचरण में उतारा था। गांधीजी की जीवनशैली में कुल 12 प्रसंगों के अध्ययन में आध्यात्मिकता दर्शाने वाले तत्त्वों की बारंबारता 44 है। गांधीजी की ध्यान-धारणा को विकसित करने वाले तत्त्वों की बारंबारता 17 है। गांधीजी के जीवन में सेवावृत्ति विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 10 है। उनके जीवन में आत्मिक ज्ञान को विकसित करनेवाले तत्त्वों की बारंबारता 12 है। जीवन में धार्मिकता विकसित करने वाले तत्त्वों की बारंबारता 16 है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर उनके जीवन में आध्यात्मिकता का विकास व विस्तार हुआ। स्वयं स्वीकार की गई बातों को वे तर्क के आधार पर समाज के सामने प्रस्तुत करते थे, लेकिन समाज पर अपनी बातें कभी थोपते नहीं थे। गांधीजी ने इन सभी बातों को अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाया था। सात्त्विक आहार, मौन, उपवास, ब्रह्मचर्य के अपने जीवन में पालन को गांधीजी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया। उनके प्रयोगों का वैज्ञानिक आधार था। अपनी जीवनशैली का अंग रहे इन बिंदुओं को गांधीजी स्वयं के लिए अंतर्वैयक्तिक तथा सामाजिक स्तर पर मौखिक, अमौखिक, सामूहिक या जनसंचार जैसे माध्यमों से आध्यात्मिक संचार करते थे। गांधीजी की कथनी व कार्य में अंतर नहीं था, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत विषय प्रभावी रूप से जनता तक पहुँचते थे। वर्तमान में उपलब्ध प्रभावी मीडिया न होते हुए भी इसी जीवनशैली के आधार पर गांधीजी व्यापक स्तर पर आध्यात्मिक संचार करते थे। इसी से ही गांधीजी को लोकसेवा करने के लिए शारीरिक, मानसिक व आत्मिक ऊर्जा मिलती थी।

संदर्भ

कुक, सी.एच. (2004). एडिक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी, यूके : जर्नल ऑफ सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एडिक्शन. एडिक्शन 99, 539-551.

कौशिक, ए. (2000). गांधी नयी सदी के लिए. जयपुर : रावत पब्लिकेशन.

गांधी, एम. के. (1957). सत्य के प्रयोग. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन.

गिरी, आर. आर. (2013). पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज. नई दिल्ली : गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति प्रकाशन.

गोस्वामी, एस. (2014). स्पिरिचुअल डाइमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर, ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन सोशल साइंस : सोशियोलॉजी एंड कल्चर, यूएसए : प्रकाशक ग्लोबल जर्नल आईएनसी.

थानावत्ची, के. (1998). डेवलपिंग द माइंड टु रिड्यूस स्ट्रैस (सेकंड एडिशन), 11-13 बैंकॉक : वार नेटेरंस ऑर्गनाइजेशन प्रिंटिंग डिपार्टमेंट मेंटल हैल्थ, मिनिस्टरी ऑफ हैल्थ.

नजम, एफ & हुसैन, ए. (2016). एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअल वैल्यूस एमंग स्कूल चिल्ड्रेन, इंटरनेशनल जर्नल एंड स्कूल एंड कॉग्निटिव साइकॉलजी. 3 : 175, पृष्ठ 2-5, वाल्यूम 03, इश्यू 2.

पीटरसन, सी & सेलिगमेन, एम. (2004). कैरेक्टर स्ट्रेन्थ एंड वर्चू : ए हैंडबूक एंड क्लासीफिकेशन. 599-625, न्यूयार्क : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस.

पेर्गमेंट, के.आई. (2011). रिलिजन एंड कोपिंग : ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ स्ट्रैस, हैल्थ एंड कोपिंग. न्यूयॉर्क : ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस.

पेर्गमेंट, के.आई. (2007). स्पिरिचुअलिटी इंटेग्रटेड साइकोथेरेपी : अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रैसिंग सक्रेड. न्यूयॉर्क : गिलफोर्ड पब्लिकेशन.

प्रसाद, आर. (2009). गांधीजी की देन. दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.

शर्मा, वी. & शर्मा, आर. (2008). गांधी विचार दर्शन. दिल्ली : यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 31-35, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

सामाजिक समरसता और गांधी : 'हरिजन' पत्रिका के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ. सुनील कुमार मिश्र[1]

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र 'हरिजन' पत्रिका में उल्लेखित सामाजिक समरसता के संदेश का विश्लेषण करने के साथ ही महात्मा गांधी के सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। शोध पत्र गांधी द्वारा किए गए दलित उत्थान के प्रयासों का अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में अपने संपादकीय लेखों एवं पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार से सामाजिक समरसता के भाव को पत्रकारिता से जोड़ा एवं सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, इस प्रश्न को अध्ययन के केंद्र में रखा गया है। प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता का भाव भारतीय समाज का आधार स्तंभ रहा है, जो न सिर्फ समाज को एक इकाई मानता है, अपितु सामाजिक विभेद का खंडन भी करता है। हमारी सनातन संस्कृति न सिर्फ सामाजिक समरसता को बल प्रदान करती है, अपितु समाज की मजबूती के लिए इसे आवश्यक मानती है, जो पत्रकारिता, सामाजिक चिंतन को जीवित रखकर समाज निर्माण में योगदान देती है। वह समय सापेक्ष विमर्श को दिशा भी देती है। ऐसी ही एक दिशा 'हरिजन' पत्रिका भी देती है, जिसमें वंचित समाज के उत्थान की बात होती है। गांधीजी ने जिस प्रकार अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति पर अपने लेखन से प्रहार किया, उसने दलित उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'हरिजन' के आरंभिक 12 अंकों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया है। 'हरिजन' के ये लेख एक तरफ सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, समानता का बोध कराते हैं, वहीं सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, छुआछूत एवं सामाजिक असमानता के प्रति भी काफी मुखर दिखते हैं।

संकेत शब्द : सामाजिक समरसता, हरिजन, दलित विमर्श, पत्रकारिता, सेवाबोध, सामाजिक कुरीतियाँ, समाज सुधार

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में सामाजिक समरसता का भाव विद्यमान रहा है, जो सामाजिक एकता को बल प्रदान करने के साथ ही समाज की विभिन्न इकाइयों को जोड़ने का कार्य भी करता है। सामाजिक समरसता के बिना सामाजिक एकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और न ही राष्ट्रीय संरचना को मजबूती मिल सकती है। समाज की संपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की सभी इकाइयाँ समान हों एवं उसके निर्माण में समान रूप से सहभागी हों। प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऐसे ही समाज की स्थापना को रेखांकित करते हैं, जिसमें सामाजिक सौहार्द एवं परस्पर प्रेम का भाव हो। भारतीय संस्कृति से पोषित मूल्य एकता का संचार करते हैं, जिससे विविधताओं से भरा यह देश समरस भाव को धारण कर पाता है। आधुनिक संदर्भों में पत्रकारिता को ऐसे ही मूल्यों को संचारित करने वाले माध्यम के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज को सशक्त करने एवं विविध सामाजिक इकाइयों को जोड़ने का कार्य करती है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित सभी समाचार पत्र सामाजिक मूल्यों को पोषित करने का कार्य करते हैं, जिनमें 'हरिजन' साप्ताहिक पत्रिका को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महात्मा गांधी का योगदान चार दशक से अधिक रहा। दक्षिण अफ्रीका में ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले गांधी ने भारत में वंचित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया, जिसमें उनके द्वारा लिखे गए लेखों की भूमिका प्रमुख रही। गांधी की पत्रकारिता में दलित चिंतन को न सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अपितु तत्कालीन परिवेश में दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भी अवलोकन किया जा सकता है।

महात्मा गांधी को हम एक राजनीतिक चिंतक, समाज सुधारक एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप से मुख्य रूप से जानते हैं, जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी ने न सिर्फ मूल्य आधारित पत्रकारिता की, अपितु सामाजिक हाशिये पर रह रहे वंचित समाज के जीवन में सुधार के लिए निरंतर आवाज भी उठाने का कार्य किया। उनकी पत्रकारिता की शुरुआत ही दक्षिण अफ्रीका में हो रहे वर्ण-भेद जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाने के साथ हुई। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में 'इंडियन ओपिनियन' समाचार पत्र निकाला था, जो हिंदी, अँग्रेजी, तमिल एवं गुजराती भाषाओं में प्रकाशित हुआ। 'इंडियन ओपिनियन' में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा नैतिकता के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण आवाज को महसूस किया जा सकता है, वहीं इसमें राष्ट्रबोध का भाव भी दिखता है। महात्मा गांधी ने 'हिंद स्वराज' की प्रस्तावना में 'इंडियन ओपिनियन' का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने, सत्य की खोज करने और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसे देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने अपनी पत्रकारिता-यात्रा के आरंभ में ही अपने राष्ट्रबोध के भाव को स्पष्ट कर दिया था। भारत लौटने के बाद गांधीजी ने दो प्रमुख समाचार पत्र 'नवजीवन' एवं 'यंग इंडिया' का प्रकाशन किया। अपने पहले ही लेख से उन्होंने अपनी लेखनी की दिशा तय कर दी थी, जिसके केंद्र में जनहित एवं समाजहित जैसे महत्त्वपूर्ण विषय थे। पहले ही संपादकीय लेख का शीर्षक 'हम स्वयं' था, जो पत्रकार एवं पत्रकारिता के उद्देश्य एवं दिशा पर केंद्रित था। एक पत्रकार के रूप में गांधीजी का यह पहला कदम था। 'हरिजन' के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारतीय पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट करने का कार्य किया, जिसके केंद्र

[1]सह-आचार्य, विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली. ईमेल : mishrasunil02@gmail.com

में सामाजिक उत्थान का लक्ष्य आसानी से परिलक्षित होता है।

11 फरवरी, 1933 को 'हरिजन' का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके संपादक आर. वी. शास्त्री थे। बाद में महादेव देसाई एवं प्यारेलाल ने संपादन का कार्य सँभाला। इस दौरान 10 नवंबर, 1940 के अंक के बाद यह साप्ताहिक समाचार कुछ समय के लिए प्रकाशित नहीं हो सका। 18 जनवरी, 1942 को इसका प्रकाशन पुनः आरंभ हो सका परंतु 23 अगस्त, 1942 के अंक के बाद ही सरकार द्वारा इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 10 फरवरी, 1946 को यह समाचार पत्र पुनः प्रकाशित होना शुरू हुआ, जो महात्मा गांधी के निधन के बाद भी 25 फरवरी, 1956 तक प्रकाशित होता रहा। गांधीजी की 30 जनवरी, 1948 को मृत्यु के बाद के. जी. मशरूवाला एवं मगनभाई पी. देसाई ने संपादन का उत्तरदायित्व निभाया।

महात्मा गांधी 'हरिजन' के कुल प्रकाशित 954 अंकों में से 537 साप्ताहिक अंकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे एवं अनेकानेक विषयों पर लिखा, जिनमें दलित चिंतन एवं सामाजिक सुधार प्रमुख थे। एक पत्रकार के रूप में गांधीजी ने सामाजिक कुरीतियों पर आरंभ से ही प्रहार करना शुरू कर दिया था। गांधीजी ने अपने लेखों के माध्यम से तत्कालीन सरकार एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों पर ही प्रहार किया। उनका मानना था कि आम जनमानस की दयनीय दशा के लिए दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं। वे जनचेतना को हथियार मानते थे, जिसे पत्रकारिता द्वारा संचालित किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने दलित विमर्श को न सिर्फ पत्रकारिता से जोड़ा अपितु 'हरिजन' जैसे अखबार के केंद्र में ही सामाजिक उत्थान एवं 'दलित उत्थान' को रखकर आगे बढ़े। उनका मानना था कि दलित उत्थान के बिना हम भारतीय समाज को मजबूत नहीं कर सकते हैं। जब तक छुआछूत जैसे सामाजिक दोष को समाप्त नहीं कर दिया जाता, भारतीय समाज न तो सुदृढ़ हो सकता है और न ही यह संपन्न हो सकता है। सामाजिक उत्थान के लिए दलित उत्थान अत्यंत आवश्यक है। गुजराती, हिंदी एवं अँग्रेजी भाषा में छपने वाले क्रमशः हरिजन बंधु, हरिजन सेवक एवं हरिजन के सभी अंक पत्रकार के रूप में गांधी के सामाजिक सरोकारों एवं दलित चिंतन पर प्रकाश डालते हैं। हरिजन के माध्यम से महात्मा गांधी ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। वास्तव में यह साप्ताहिक समाचार पत्र गांधीजी के आत्मबोध को रेखांकित करता है। इसमें सामाजिक दृष्टि से हाशिये पर खड़े दलित समाज की पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। गांधीजी की मृत्यु के बाद हरिजन के संपादक प्यारेलाल 22 फरवरी, 1948 के अंक (हरिजन, पृष्ठ-5) में लिखते हैं, "हरिजन बापू की आवाज था, यह उनकी आत्मा का दर्पण था, उनके लिए यह अहिंसक सोच और सच्ची अभिव्यक्ति का माध्यम एवं कार्य था।" महात्मा गांधी की पत्रकारिता में स्वतंत्रता आंदोलन एवं दलित चिंतन दोनों को ही महसूस किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की दासता के साथ ही भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास किया। उनका मानना था कि बाह्य दासता से मुक्त होकर भी हम सामाजिक रूप से सशक्त नहीं हो सकते जब तक कि पिछड़े समाज को भी मुख्य धारा में नहीं ला देते, विशेषकर दलित समाज को, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवनयापन को मजबूर है।

गांधीजी ने मैसूर में दिए एक भाषण में कहा था (हरिजन, 12 जनवरी 1934), "हरिजन भी अन्य नागरिकों के समान ही अधिकार के हकदार हैं, और हिंदू होने के नाते वे उन सभी सामाजिक सुविधाओं एवं धार्मिक विशेषाधिकारों के हकदार हैं, जिनका कोई अन्य हिंदू हकदार है। इसलिए, मेरा अभियान सवर्ण हिंदुओं को अस्पृश्यता के अपराध से खुद को मुक्त करने के लिए आमंत्रित करना है।" उन्होंने समाज में ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया, जिसे उनके लेखों के माध्यम से समझा जा सकता है। उनका मानना था कि समान एवं सम्मान का भाव विकसित किए बिना सामाजिक सुधारों की बात अतार्किक है। 29 जनवरी, 1925 के 'यंग इंडिया' के अंक में महात्मा गांधी लिखते हैं, "सही स्वराज कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में सत्ता की प्राप्ति से नहीं आएगा, अपितु समस्त जनसमुदाय के सशक्तीकरण से आएगा, जिसके आधार पर वे सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार कर सकें" (गांधी, 2001, पृ. 7)। गांधीजी अपने लेखों के माध्यम से न सिर्फ सामाजिक एकता एवं समरसता की वकालत करते हैं, अपितु उनकी पत्रकारिता में सामाजिक बोध कि एक ऐसी परिकल्पना देखी जा सकती है, जो ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बल प्रदान करती है।

रघु ठाकुर लिखते हैं, "महात्मा गांधी छुआछूत को हिंदू धर्म पर कलंक मानते थे, और उसे पूर्णतः मिटाना चाहते थे। गांधी भारत को समता का देश, जहाँ गैर-बराबरी न हो, बनाना चाहते थे। इसके लिए वे केवल सत्ता या कानून से ही नहीं, बल्कि आमजन से भी अपेक्षा रखते थे। वे देश को सादगीपूर्ण, मितव्ययी और प्रकृति-निर्भर बनाना चाहते थे। वे प्रकृति के शोषण के खिलाफ थे और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कुदरत के पास दुनिया की पूर्ति के लिए सब कुछ है, पर व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है (ठाकुर, 2022, पृ. 227)। महात्मा गांधी की पत्रकारिता में सामाजिक बोध था, उनकी लेखनी में समानता की दृष्टि थी, उनके लेखों में सामाजिक न्याय की आवाज थी, तो वहीं नागरिकों के कर्तव्यबोध एवं सेवाबोध की रूपरेखा थी। दलित चिंतन को महात्मा गांधी ने जिस प्रकार सामाजिक सुधारों के विमर्श में सम्मिलित कराया, भारतीय समाज को एक नई दिशा एवं दृष्टि दोनों ही प्राप्त हुई। महात्मा गांधी को भले ही स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नायक के रूप में देखा जाता है, परंतु सामाजिक सुधार रूपी जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया एवं अपने संपादकीय लेखों के माध्यम से जो विमर्श तैयार किया, स्वतंत्रता के बाद नीति-निर्माताओं ने गांधी की उसी लेखन से दिशा प्राप्त करने का कार्य किया। ऐसे में गांधी की पत्रकारिता में सामाजिक समरसता एवं दलित चिंतन जैसे बिंदु का अध्ययन प्रासंगिक एवं समीचीन प्रतीत होता है। महात्मा गांधी की पत्रकारिता में ग्रामीण समाज की समस्याओं को प्रमुखता दी गई है। वे गाँवों को भारतीय समाज की आत्मा मानते थे। महात्मा गांधी (गांधी, 1962) द्वारा भी ग्रामीण समुदाय को 'राम-राज्य' के विचार द्वारा आदर्श इकाई की संज्ञा दी गई है। उनका मानना था कि जब तक हम भारतीय गाँवों की स्थिति में सुधार नहीं करते, हमारा प्रयास और लक्ष्य दोनों ही अधूरे हैं। यही कारण था कि उन्होंने गाँव की यथास्थिति पर न सिर्फ लिखा, अपितु प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही जनमानस को इस संदर्भ में शिक्षित करने का प्रयास भी किया।

साहित्य सर्वेक्षण

वरिष्ठ साहित्यकार रविभूषण (प्रभात खबर, 24 सितंबर, 2019) लिखते हैं कि गांधीजी ने अपने पहले संपादकीय में ही अपना दृष्टिकोण

स्पष्ट कर दिया था। शब्द की शक्ति में उनका दृढ़ विश्वास था। उनकी भाषा स्वच्छ, ग्राह्य, प्रभावशाली और पारदर्शी थी। गांधीजी ने पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा बतलाया था, वे प्रत्येक व्यक्ति की समानता में विश्वास रखते थे। प्रो. वी. एस. गुप्ता ने 'महात्मा गांधी और मॉस मीडिया' नामक अपने लेख में गांधीजी के पत्रकारीय जीवन पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' महत्त्वपूर्ण विषयों पर गांधीजी के विचारों का सशक्त माध्यम बने। वे पत्रकारिता को लोगों की सेवा के साधन के रूप में देखते थे। 1933 में गांधीजी ने अँग्रेजी, गुजराती और हिंदी में क्रमशः 'हरिजन' 'हरिजनबंधु', 'हरिजनसेवक' की शुरुआत की। ये समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता और गरीबी के खिलाफ उनके अभियान के माध्यम थे। राकेश सिंह 'पत्रकार के रूप में गांधी की यात्रा' नामक लेख (लोकनीति केंद्र, अक्टूबर 2, 2020) में लिखते हैं, "गांधीजी की प्रेरणा से मौन एवं कुंठित जन निर्भय होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का साहस करने लगे। भयग्रस्त चेहरों पर धीरे-धीरे मुस्कान लौटने लगी। सदैव झुकी रहने वाली आँखें अब सामने देखने का साहस करने लगीं। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय (बीबीसी हिंदी, अक्टूबर 17, 2019) लिखते हैं, "महात्मा गांधी छुआछूत के सख्त खिलाफ थे। वे चाहते थे कि ऐसा समाज बने, जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। डॉ. सुरेंद्र वर्मा (अप्रैल, 2017) लिखते हैं, "गांधीजी एक मिशनरी पत्रकार थे और वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनके मिशन की सफलता के लिए पत्रकारिता एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। 'यंग इंडिया' के पहले ही अंक में उन्होंने पत्रकारिता के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए बताया कि पत्रकारिता का पहला काम जनभावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्ति देना है। इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य वांछित भावनाओं को जाग्रत कर निर्भीकता के साथ समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना भी है।" महात्मा गांधी द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए योगदान को अनेकों विद्वानों ने रेखांकित किया है, जिसमें अधिसंख्य का मानना है कि गांधी ने दलित विमर्श को अपनी लेखन यात्रा में एक प्रमुख विषय के रूप में चुना।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. हरिजन पत्रिका में उल्लेखित सामाजिक समरसता के संदेश का विश्लेषण करना
2. महात्मा गांधी की पत्रकारिता में दलित चिंतन का अध्ययन करना
3. समाज उत्थान में महात्मा गांधी की पत्रकारिता का अध्ययन प्रस्तुत करना
4. महात्मा गांधी द्वारा लिखे संपादकीय लेखों के माध्यम से रेखांकित सामाजिक विमर्श का विश्लेषण करना
5. एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी के सामाजिक दृष्टिकोण एवं सरोकार का विश्लेषण करना

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, इसलिए इसमें द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन व विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के लिए 'हरिजन' के आरंभिक 12 अंकों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया है, साथ ही इसके लिए नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद द्वारा संकलित एवं 20 खंडों में प्रकाशित 'हरिजन' के मुख्य हिस्सों का भी अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त गांधीजी के पत्रकारीय जीवन पर प्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्रों, आलेखों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का भी संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया गया है। 'हरिजन' के मुख्य अंकों का चयन सोद्देश्य पद्धति के आधार पर किया गया है एवं अध्ययन में आरंभिक वर्ष 1933 में प्रकाशित अंकों को ही सम्मिलित किया गया है।

विश्लेषण

11 फरवरी, 1933 को प्रकाशित 'हरिजन' के प्रथम अंक में ही महात्मा गांधी समाज में व्याप्त छुआछूत के बारे में लिखते हैं, "अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की देन नहीं है, अपितु ऊँच-नीच का भेदभाव है जो हिंदू धर्म में घुस गया है और इसे नष्ट कर रहा है।" वे अस्पृश्यता को हिंदू-धर्म पर एक दाग मानते हैं। इस पहले अंक में ही वे अस्पृश्यता से लड़ने का आह्वान करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गांधीजी भारतीय समाज में ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त कर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें अस्पृश्यता का अंश-मात्र भी विद्यमान न हो। इसके लिए वे तत्कालीन समाज-सुधारकों से आगे आने का आह्वान भी करते हैं। 'अस्पृश्यता' जैसे गंभीर विषय को अपने पहले लेख में सम्मिलित करके महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के लिए जो आवाज उठाई, वह न सिर्फ अनवरत जारी रही, अपितु उसने सामाजिक सुधार एवं दलित उत्थान की पृष्ठभूमि तैयार करने में भी मदद की। 'हरिजन' के दूसरे अंक में 'क्या यही भाईचारा है' शीर्षक से लिखे अपने लेख में गांधीजी स्पष्ट करते हैं, "हरिजनों को तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों की वजह से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।" इस अंक में गांधीजी हरिजनों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को रेखांकित करते हैं। वे लिखते हैं कि अनेकों गाँवों में हरिजनों को अच्छे कपड़े पहनने, ऊँचे घर बनाने, उच्च शिक्षा ग्रहण करने इत्यादि की अनुमति नहीं है। गांधीजी इस प्रकार के भेदभाव को एक सामाजिक विकृति मानते हैं और इसे मिटाने की वकालत करते हैं। इस अंक में गांधी ने न सिर्फ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया है, अपितु इस व्यवस्था को समाप्त करने पर भी जोर दिया है। परिस्थितिजन्य सामाजिक विभेद को सामाजिक समरसता की दिशा में प्रमुख अड़चन बताकर गांधीजी सामाजिक बोध एवं एकता के भाव पर प्रकाश डालते हैं।

'हरिजन' के तृतीय अंक में 'हरिजनों के लिए उच्च शिक्षा' शीर्षक से प्रकाशित लेख में गांधीजी वर्तमान चुनौतियों को रेखांकित करते हैं एवं तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी टिप्पणी करते हैं। इस लेख के माध्यम से गांधीजी उच्च शिक्षा से लगभग वंचित हरिजन समाज को न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, अपितु इसकी राह में विद्यमान चुनौतियों को भी स्पष्ट करते हैं। इस अंक में गांधीजी स्पष्ट करते हैं कि दलित समाज का उत्थान तब तक संभव नहीं है, जब तक कि यह समाज शिक्षा से नहीं जुड़ता। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे सामाजिक हाशिये पर पहुँच चुके लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। पत्रिका का यह अंक न सिर्फ शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करता है, अपितु शिक्षा को सामाजिक उत्थान

का प्रमुख कारक भी बतलाता है। 'हरिजन' के चतुर्थ अंक में 'साथ या अलग' शीर्षक से लिखे अपने लेख में गांधीजी हरिजन समाज के लिए अलग स्कूल, कुँआ एवं मंदिर से जुड़ी बातों पर प्रहार करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि हमारा उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता जैसी बुराई को समाप्त करना है, जबकि अलग स्कूल, कुँआ एवं मंदिर के निर्माण से सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होगा। इस लेख में वे हरिजन समाज के बच्चों को भी अच्छे एवं स्वच्छ वातावरण में रहने एवं शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, साथ ही तत्कालीन व्यवस्था पर प्रश्न भी खड़े करते हैं। इस अंक में महात्मा गांधी तत्कालीन परिवेश में फल-फूल रही सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते हैं एवं भारतीय समाज के लिए इन्हें घातक बताते हैं। यह अंक न सिर्फ तत्कालीन परिस्थितियों को रेखांकित करता है, अपितु मूल भारतीय समाज की संरचना के व्यावहारिक स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है, जिससे बँट रहे भारतीय समाज को जोड़ा जा सके।

'हरिजन' के पंचम अंक में 'क्या मंदिर आवश्यक हैं?' शीर्षक से लिखे अपने लेख में वे मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश की वकालत करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हरिजनों को भी मंदिर में प्रवेश का अधिकार है, इससे न सिर्फ सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त होगा, अपितु दलित समाज एवं सवर्ण समाज के बीच की खाई को पाटने में भी मदद मिलेगी। वे लिखते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, यह वह विश्वास है जो मित्रता, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा खोने के जोखिम पर हरिजन के लिए मंदिर में प्रवेश की वकालत करना संभव बनाता है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मंदिरों और मंदिर पूजा में आमूल-चूल सुधारों की आवश्यकता है। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया यह लेख दलितों की तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही कुछ आवश्यक सामाजिक सुधारों को भी रेखांकित करता है। हरिजन के षष्ठम अंक में वे लिखते हैं, "पूरे भारत में तीन सुधारों की शुरुआत थोड़े अतिरिक्त प्रयास के साथ की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप हरिजनों को थोड़ी सुविधा और स्वच्छता मिलेगी एवं सामाजिक स्वस्थता को बल मिलेगा। मात्र आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज के इन अंतिम सदस्यों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ करते हैं।" इस अंक में गांधीजी दलितों की आवासीय स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ ही उनके लिए स्वच्छ एवं साफ वातावरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिससे दलित समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके। इस अंक में अंत्योदय के भाव को देखा जा सकता है, जो रामराज्य की भावना से पोषित है एवं यह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी महत्त्वपूर्ण मानता है।

'हरिजन' के सप्तम अंक में 'आदर्श हरिजन शिक्षक' शीर्षक से प्रकाशित लेख में गांधीजी लिखते हैं, "मेरे हिसाब से हरिजन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनकी समस्या से अवगत होना चाहिए, उन्हें अतिरिक्त कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें हरिजनों जैसी जिंदगी जीना चाहिए। इससे उन्हें इस समाज की पीड़ा को समझने में मदद मिलेगी।" इस लेख में गांधीजी चंपारण के अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं। इस अंक में गांधीजी हरिजन बच्चों की शिक्षा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, साथ ही इन चुनौतियों से लड़ने में सहायक अपने सुझाव भी देते हैं, जिससे सामाजिक हाशिये पर खड़े इस समाज के बच्चों को शिक्षित किया जा सके। गांधीजी 'हरिजन' के अष्टम अंक में 'छात्र और छुट्टियाँ' शीर्षक से लिखे लेख में सुझाव देते हैं कि छुट्टियों के दौरान छात्र हरिजन बस्तियों के कायाकल्प में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वे इन बस्तियों की सफाई कर सकते हैं; बच्चों को पढ़ा सकते हैं; उन्हें रामायण एवं महाभारत की प्रेरणादायक कहानियाँ सुना सकते हैं; उन्हें साधारण भजन सिखा सकते हैं; बच्चों को साफ-सुथरा करने में मदद कर सकते हैं; उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं; साथ ही सर्वेक्षण के जरिये यह पता कर सकते हैं कि संबंधित क्षेत्र में कितने स्कूल, मंदिर, तालाब एवं कुँओं तक हरिजनों की पहुँच है एवं कितने स्कूल, मंदिर, तालाब एवं कुँओं तक उनकी पहुँच नहीं है अर्थात् उनके लिए वे अछूत हैं। 'हरिजन' के नवम अंक में 'हरिजन और मंदिर प्रवेश' शीर्षक से लिखे लेख में गांधीजी कहते हैं कि यह एक अपरिहार्य परीक्षण है कि धार्मिक अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और हरिजन अब हिंदू समाज का अछूत नहीं है। वे आगे लिखते हैं, "यह कल्पना करना असंभव नहीं है कि अछूत सभी जाति के हिंदुओं से आर्थिक और राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ हो सकते हैं और फिर भी उन्हें जाति के आधार पर अछूत माना जा सकता है।" इस अंक में महात्मा गांधी जाति आधारित भेदभाव पर प्रश्न उठाते हैं, साथ ही स्पष्ट करते हैं कि दलित समाज में जन्म लेना सामाजिक हीनता का कारण नहीं हो सकता है। 'हरिजन' के दसवें अंक में गांधीजी 'याद करना' शीर्षक से लिखे लेख में स्पष्ट करते हैं कि छुआछूत बहुत बड़ा पाप है। इस पाप को आसानी से धोया नहीं जा सकता है, इसके लिए अनेक लोगों द्वारा त्याग की आवश्यकता होगी एवं स्वयं माध्यम बनना होगा। इस अंक में महात्मा गांधी स्पष्ट करते हैं कि अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक अनेकानेक लोग इसके लिए प्रयास नहीं करते। वे लिखते हैं कि यदि मैं इस कार्य के लिए बलिदान के योग्य पाया गया तो यह अवसर मेरे पास आएगा। मैं चाहूँगा कि अगर यह आता है तो मेरे दोस्त इसका आनंद उठाएँ। उन्हें न तो परेशान किया जाना चाहिए और न ही हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

'हरिजन' के ग्यारहवें अंक में गांधीजी ने 'तत्काल कर्तव्य' शीर्षक से एक लेख लिखा जिसमें उत्तर प्रदेश प्रांतीय बोर्ड की रिपोर्ट पर टिप्पणी की है। गांधीजी कहते हैं कि अछूत समाज के सेवकों की इलाहाबाद शाखा ने शहर के हरिजनों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने और उनके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर वे स्पष्ट करते हैं कि मेहतरों एवं डोमों के साथ न केवल सवर्ण हिंदुओं द्वारा, बल्कि महानगरीय नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नागरिकों द्वारा भी अब तक सबसे अधिक दुर्व्यवहार किया गया है और उनकी उपेक्षा की गई है। 'हरिजन' के बारहवें अंक में गांधीजी 'यरवदा संधि' शीर्षक से अपने लेख में दलित समूह की राजनैतिक सहभागिता की आवश्यकताओं एवं उनके परिणामों पर प्रकाश डालते हैं, साथ ही भीमराव अंबेडकर के साथ इस विषय पर की गई चर्चा के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने अपने लेख में डॉ. अंबेडकर के साथ इस विषय पर हुए मतभेद को भी बताया है। गांधीजी लिखते हैं कि यद्यपि यरवदा संधि में संशोधन के लिए बंगाल में कुछ समय से आंदोलन चल रहा है, फिर भी मुझे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि यरवदा संधि के बाद कुछ हिंदू नेता गांधीजी से नाराज थे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूना समझौता (यरवदा संधि) भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल

में 24 सितंबर, 1932 को हुआ था, जिसे तत्कालीन सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी।

निष्कर्ष

सामाजिक समरसता भारतीय समाज का प्राण-तत्त्व है। यह वह तत्त्व है, जो प्राचीन संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति एवं समाज को मजबूती प्रदान करता है। सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता का आधार स्तंभ है, जो समाज की सभी इकाइयों के मध्य एकता स्थापित करता है। इसका मूलमंत्र समानता है, जिसके बिना भारत के मूल स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। रामराज्य की अवधारणा हो या अंत्योदय की परिकल्पना, दोनों ही सामाजिक विभेद का खंडन करती हैं। सनातन संस्कृति से पोषित रामराज्य हो या गांधी का अंत्योदय, दोनों ही सजीव समाज के लिए समानता के भाव को प्रमुख बताते हैं। महात्मा गांधी की पत्रकारिता में 'दलित चिंतन' केंद्र में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने पत्रकारीय जीवन में दलित विमर्श को जो दिशा प्रदान की, उससे दलित उत्थान की दिशा में मदद मिली। 'हरिजन' में प्रकाशित लेखों के माध्यम से महात्मा गांधी ने समाज में मौजूद भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों पर लगातार प्रहार किया। उनकी पत्रकारिता में सामाजिक दृष्टि से हाशिये पर जीवनयापन को मजबूर दलित समाज की आवाज थी, तो वहीं व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता पर भी जोर था। उनकी पत्रकारिता में दलित चिंतन केंद्र में था, तो वहीं दलित विमर्श जैसे विषय को सामाजिक विमर्श में शामिल कराने का प्रयास भी था। 'हरिजन' के माध्यम से महात्मा गांधी ने दलित उत्थान की दिशा में सारगर्भित प्रयास किया, जिससे कि दलित समाज को भी समान अधिकार प्राप्त हो सकें। 'हरिजन सेवक' का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में मौजूद अस्पृश्यता के दंश को समाप्त करना था। अपने आरंभिक लेखों से ही गांधीजी ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था एवं अनवरत इसे जारी रखा। महात्मा गांधी ने अपनी पत्रकारिता में सामाजिक समस्याओं के कारण एवं निवारण, दोनों को ही रेखांकित किया, जिसमें दलितों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता में जमीनी स्तर पर विद्यमान समस्याओं को प्रमुखता से स्थान दिया। यही कारण है कि उनकी पत्रकारिता में शोषित एवं वंचित समाज की पीड़ा का उल्लेख मिलता है। दलित समाज में जागरूकता लाना हो, सरकारी नीतियों में दलित उत्थान से जुड़े विषय को सम्मिलित कराना हो या फिर सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य कर रहे लोगों एवं संस्थाओं का ध्यान 'दलित-समस्याओं' की ओर आकृष्ट कराना हो, महात्मा गांधी ने अपनी लेखनी के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 'हरिजन' पत्रिका भारतीय समाज के सभी वर्गों में एकता का संचार करती है, जिसके लेखों में गांधी का सामाजिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

संदर्भ

उपाध्याय. एम. (17 अक्टूबर, 2019). गांधी @ 150 : दलितों से छुआछूत पर जब गांधी ने कस्तूरबा को तलाक देने की बात कही https://www.bbc.com/hindi/india-50071049 से पुनःप्राप्त.

गांधी. एम.के. (2016). हिंद स्वराज्य. अहमदाबाद : नवजीवन पब्लिशिंग हाउस.

गांधी. एम. के. (2001). इंडिया ऑफ माय ड्रीम. अहमदाबाद : नवजीवन पब्लिशिंग हाउस.

गांधी. एम. के. (1962). विलेज स्वराज. अहमदाबाद : नवजीवन पब्लिशिंग हाउस.

गांधी. एम. के. (फरवरी 11, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (फरवरी 18, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (फरवरी 25, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (मार्च 4, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (मार्च 11, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (मार्च 18, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (मार्च 25, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (अप्रैल 1, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (अप्रैल 8, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (अप्रैल 15, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (अप्रैल 22, 1933). हरिजन.

गांधी. एम. के. (अप्रैल 29, 1933). हरिजन.

गुप्ता. वी. एस. (2001). महात्मा गांधी एंड मास मीडिया https://www.mkgandhi.org/mass_media.htm से पुनःप्राप्त.

ठाकुर. आर. (2022). सामाजिक विमर्श. 5(2). नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन इंडिया.

रविभूषण. (24 सितंबर, 2019). गांधी की पत्रकारिता https://www.prabhatkhabar.com/opinion/1332638 से पुनःप्राप्त.

वर्मा. एस. (2017). गांधीजी और पत्रकारिता https://www.garbhanal.com/Gandhi-ji-and-journalism से पुनःप्राप्त.

सिंह. आर. (2 अक्टूबर, 2020). पत्रकार के रूप में गांधी की यात्रा https://www.loknitikendra.com/पत्रकार-के-रूप-में-गांधी-क से पुनःप्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 36-40, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

मिथिला चित्रकला में सिया-राम

शानु झा[1]

सारांश

मिथिला में देवता की तुलना में देवियों की विशेष मान्यता है, इसलिए जनक नंदिनी सीता रूप-शील-गुण की अनुपम आदर्श हैं। सीता यानी सिया को मिथिला के लोकगीतों में भी श्रीराम से पहले याद किया जाता है। प्राचीन मिथिला के विभाजन के बाद मिथिला का कुछ भाग नेपाल के हिस्से में चला गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल के मिथिलावासी आज भी एक ही हैं। मिथिलावासियों का मानना है कि चूँकि सिया जी की माँ आज भी यहीं हैं तो उनकी बेटी सिया भी यहीं किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं। मिथिला चित्रकला का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी मिलता है। त्रेतायुग से मिथिला ने अपनी दृश्य परंपरा के माध्यम से आमजन के बीच सिया और राम के विवाहोत्सव को जीवंत रखा है। कहा जाता है कि संस्कृतियों का निर्माण संचार द्वारा होता है और मिथिला की संस्कृति के निर्माण में यहाँ की चित्रकला ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में मिथिला चित्रकला में सियाराम के चित्रण को और वर्तमान में उनके महत्त्व को विस्तार से बताया गया है। शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें पुस्तकों, शोध पत्रों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी स्रोत के रूप में ली गई है।

संकेत शब्द : मिथिला चित्रकला, सिया-राम, श्रीराम, दृश्य परंपरा, संस्कृति, संचार

प्रस्तावना

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को मिथिला चित्रकला से सजाया गया है (मिश्र एवं पुट्टी, 2024)। मिथिला चित्रकला श्रीराम के ससुराल मिथिला की प्रमुख लोककला है (मिश्र, एन. डी.)। सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। प्राचीन भारत में मिथिला एक राज्य था। इसलिए जब श्रीराम की चर्चा की जाती है तो अयोध्या के साथ-साथ मिथिला को भी याद करना जरूरी हो जाता है। वर्तमान में मिथिला को बिहार के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत अनेक जिले जैसे सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर तथा नेपाल के तराई क्षेत्र आते हैं। प्राचीनकाल से ही मिथिला अपनी बौद्धिक परंपरा के लिए जाना जाता है। अनेक पुस्तकों और शोध पत्रों के अनुसार अगर सबसे पहले किसी धार्मिक ग्रंथ में मिथिला का जिक्र किया गया है तो वह महर्षि वाल्मीकि रचित 'रामायण' है। उसके बाद अनेक ग्रंथों तथा जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में भी मिथिला के बारे में जानकारी मिलती है।

मिथिला में आज भी अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। किसी-न-किसी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। यह एक कारण है कि यहाँ के मिजाज में जननी रूप का भाव देखने को मिलता है। उनका यह भाव मिथिला चित्रकला में भी प्रखरता से झलकता है। मिथिला चित्रकला में प्रतीकों को प्रधानता दी जाती है। वे प्रतीक मिथिला के ग्रामीण जीवन का व्यावहारिक चित्र दिखाते हैं और दर्शक को कल्पना लोक में भी ले जाते हैं। चित्रों को हल्की नजर से देखने पर पता चलता है कि यह मुख्य रूप से धार्मिक हैं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो उसमें मनुष्य की दिन-प्रतिदिन की घटनाएँ तथा जीवन की सच्चाई रहती है। दंतकथाओं के अनुसार जनक नंदिनी सीता जी का जन्म धरती माँ से हुआ है। त्रेतायुग में जब मिथिला में अकाल पड़ा था और बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, तो राजा जनक स्वयं हल लेकर खेत जोतने निकले थे और धरती माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उनके राज्य पर कृपा करें। उसी दौरान उन्हें मिट्टी के अंदर एक पेटी में बच्ची मिली। ऋषि-मुनियों ने कहा कि यह बच्ची लक्ष्मी का स्वरूप है, और राजा जनक ने धरती माँ का आशीर्वाद समझकर उन्हें अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। सीता जी मिथिला में खुशहाली लेकर आईं। राजा जनक सीता जी को प्रेम से सिया बुलाते थे। जब महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्य श्रीराम को लेकर जनकपुत्री सीता जी के स्वयंवर में मिथिला पहुँचे तो श्रीराम मिथिला की खूबसूरती देखकर मोहित हो गए थे। तेजस्वी राजकुमार श्रीराम को देखकर मिथिलावासी समझ गए कि स्वयं भगवान् उनके जमाई के रूप में आए हैं। इसलिए अभी भी मिथिला में जमाई को भगवान् के जैसे मान-सम्मान दिया जाता है।

कला और संचार के अंतःसंबंध के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, "कला सबसे सरल तरीके से सबसे गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है।" कला मानव रचनात्मक कौशल की अभिव्यक्ति तथा अनुप्रयोग है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य कला का उपयोग खुद को उन तरीकों से व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो शब्द नहीं कर सकते। कला व्यापक रूप में दूसरों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। कला के विभिन्न रूपों में चित्रकारी कला का सूक्ष्मतम प्रकार है जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। यह अशाब्दिक संचार का एक उपकरण और दृश्य संचार का एक रूप है। चित्रकारी उन व्यक्तियों द्वारा बनायी जाती है जिनका रचनात्मक कौशल किसी व्यक्ति या विशिष्ट कलात्मक पहचान के बजाय उनके समुदाय की प्रामाणिक सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और क्रियाशीलता बनी हुई है। इसलिए इसका स्वरूप प्रायः सांस्कृतिक होता है। और इसका प्रभाव भी व्यापक और भावनात्मक होता है।

महर्षि मार्कंडेय ने सभी ललित कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च बताते हुए उसे मंगल प्रदायिनी माना है। विद्वानों ने चित्र को सार्वभौमिक भाषा माना है। इसमें रेखा और रंग माध्यम हैं जो संचार करते हैं। इसे विश्व में किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। विश्व के

[1]पीएचडी शोधार्थी, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, ईमेल : shanurandhir98@gmail.com

सभी धर्मों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाने में, जहाँ पर भाषाई समानता नहीं थी, चित्रकला को ही अपने प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया गया था। साधना के लिए निर्जन और एकांतसेवियों के पूजा एवं साधना स्थलों को चित्रण द्वारा सजाकर धार्मिक प्रेरणा का माध्यम बनाया गया (भार्गव, 1999)। मिथिला चित्रकला भी इन उद्देश्यों की पूर्ति करती है।

मिथिला चित्रकला का उद्भव

प्राचीन काल में मिथिला की चित्र-लेखन की परंपरा की शुरुआत कब हुई, इसका कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि रचित 'रामायण' के बाल-कांड में यह उल्लेख देखने को मिलता है कि अयोध्या के राजकुमार श्रीराम के संग मिथिला की राजकुमारी सिया जी के विवाह के अवसर पर महर्षि वशिष्ठ ने विशाल मंडप के मध्य में शास्त्रसम्मत विधि से वेदी तैयार की और उस वेदी को चारों तरफ चंदन के लेप, स्वर्ण-पत्रिका और अंकुरित अन्न के चित्रित पात्रों से सजाया गया। "स्वर्ण पालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च सांकुरैः।"—इस उल्लेख से यह प्रमाण मिलता है कि त्रेतायुग में शुभ अवसरों पर मृणपात्रों पर चित्रांकन होता था (कश्यप, 2013)।

गोस्वामी तुलसीदास ने मिथिला में चित्रों से सजे हुए भवनों का उल्लेख 'रामचरितमानस' में किया है। जब पहली बार श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो तुलसीदास ने उस समय के मिथिला की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा, 'मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें।' अर्थात् मिथिला के सभी घर मंगलमय और चित्रमय हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव ने अपने हाथों से इन चित्रों का आलेखन किया है। इसलिए आम जनमानस में यह बात प्रचलित है कि त्रेतायुग में जब श्रीराम और सिया का विवाह होने वाला था तो राजा जनक ने पूरे मिथिला के घरों को चित्रों से सजाने के लिए कहा था। उन चित्रों को बनाने की कला को आज मिथिला चित्रकला कहते हैं। लोक में प्रचलित कहानियों के अनुसार श्रीराम और सिया के विवाह के उत्सव को पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद रखने के लिए मिट्टी की दीवारों पर विवाह के चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई।

मधुबनी चित्रकला हजारों सालों से मिथिला की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रही है और सदियों से इस कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती आ रही है। 1934 तक मधुबनी चित्रकला को केवल गाँवों की लोककला के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब 1934 में मिथिला में एक बड़ा भूकंप आया, जिससे वहाँ के लोगों की भारी तबाही और क्षति हुई थी, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी विलियम आर्चर को वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। उन्होंने वहाँ मलवे में पड़े कुछ चित्रों को देखा। उन चित्रों को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। विलियम आर्चर के अनुसार भूकंप से नष्ट हुए घरों की टूटी दीवारों पर जो चित्र बने थे, वे मीरा और पिकासो जैसे आधुनिक कलाकारों के चित्रों की तुलना के लायक थे। उन्होंने उन चित्रों के ब्लैक एंड व्हाइट छायाचित्र लिए, जो मधुबनी चित्रों के अब तक के सबसे पुराने छायाचित्र माने जाते हैं। शायद उससे पहले किसी ने उन चित्रों को कैमरे में कैद करने का प्रयास नहीं किया होगा। सन् 1949 में उन्होंने 'मार्ग' पत्रिका में एक लेख लिखा, जिसमें मधुबनी चित्रकला की अद्वितीयता, प्रतिभा और विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया। इस प्रकार पूरी दुनिया से मधुबनी चित्रकला का परिचय हुआ (राय एवं मसीह, 2022, पृ. सं. 277)। मधुबनी चित्रकला में धार्मिक चित्रकला का महत्त्व इस समाज के लोगों की धर्म तथा संस्कृति पर गंभीर आस्था के फलस्वरूप देखने को मिलता है। इस शैली के चित्र विवाह तथा धर्म की संस्था को तांत्रिक चिह्नों के माध्यम से मजबूती प्रदान करते हैं। अतः जब तक इन संस्थाओं का मिथिला समाज से अंतःसंबंध रहेगा, तब तक चित्र शैली के विषय धर्म तथा संस्कृति से जुड़े रहेंगे। यही इस चित्रकला की विशेषता भी है।

मिथिला चित्रकला की विभिन्न शैलियों में सिया-राम

मिथिला चित्रकला की चार मुख्य शैलियाँ हैं—भित्ति चित्रण, भूमि चित्रण या अरिपन, वस्त्र चित्रांकण और गोदना-चित्रण। भित्तिचित्र प्राचीन समय से ही ग्रामीण जनमानस के विचारों की अभिव्यक्ति का पटल रहा है। गुफा-कंदराओं की दीवारों से शुरू हुई यह कला यात्रा आज भी अनवरत जारी है। मिथिला में भित्ति चित्रण का वैवाहिक, मुंडन तथा उपनयन संस्कारों जैसे शुभ अवसरों पर विशेष महत्त्व होता है। इन चित्रों में अंतर्निहित अवबोध तांत्रिक और दार्शनिक होते हैं। वैवाहिक अवसर पर जो भित्तिचित्र बनाया जाता है, उसे 'कोहबर' कहते हैं। मिथिला की हर बेटी के लिए श्रीराम जैसे वर की कामना की जाती है। जनक नंदिनी सिया का विवाह जिस विधि-विधान से किया गया था, उसी विधि-विधान से मिथिला का प्रत्येक वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रीराम और सिया के विवाह को हिंदू धर्म में विधिवत् हुए आदर्श मिलन का प्रतीक माना गया है, जो आज भी लोगों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। कोहबर में बहुत सारे प्रतीकों को दर्शाया जाता है और उन सभी का कुछ-न-कुछ शुभ एवं फलदायक अर्थ होता है। कोहबर के अभिन्न अंग में कमल पुष्प, कमल नाल और कमल के पत्ते का चित्रण होता है। कमल का फूल नेलुंबो न्युसिफेरा एक पवित्र पुष्प है, जिसे वेद और पुराणों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कमल पुष्प को महालक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती आदि देवी-देवताओं का आसन माना गया है। यज्ञ व अनुष्ठानों में कमल पुष्प को निश्चित संख्या में अर्पित करने का शास्त्रों में विधान भी रहा है। भारतीय सभ्यता-संस्कृति, अध्यात्म एवं दर्शन में कमल के पुष्प को अत्यंत पवित्र, पूजनीय, सुंदरता, सद्भावना, शांति, स्मृति व बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। कमल के फूल की उत्पत्ति कीचड़ और जल में होती है, लेकिन इसके बावजूद वह हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह कीचड़ के अवांछनीय तत्त्वों के परिमार्जन द्वारा जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है।

वेदों में वर्णित सोलह संस्कारों में से एक विवाह को सृष्टि सृजन के मूल में रखा गया है। कमल पुष्प कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में ही उग सकता है। अतः देखा जाए तो कमल पुष्प नव-दंपती के लिए जीवन के विपरीत हालात में भी नई आशाओं के साथ जीवन जीने का संकेत देता है। इसकी पत्तियों पर पानी की एक बूँद भी नहीं रुकती। पानी की एक बूँद का भी पत्तियों पर नहीं टिकना, नव वर-वधू के आपसी रिश्तों में किन्हीं भी बाहरी तत्त्वों के प्रवेश निषेध का संकेतक है, जो बताता है कि बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से आपसी संबंधों में कभी-कभी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, जो पति-पत्नी को एक-दूसरे से दूर करें। ऐसे में, पति-पत्नी दोनों की मनःस्थिति और आपसी व्यवहार कमल के पत्ते की तरह होना चाहिए, जो अपने उपर किसी भी बाहरी तत्त्व के प्रभाव को टिकने नहीं देता है। हिंदू धर्म ने सुंदर पंखुड़ीयुक्त कमल पुष्प को लक्ष्मी का वास माना है तथा इस

पुष्प का पूजा-अर्चना में विशेष महत्त्व है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोहबर में इसका चित्रण नव-दंपती के वैवाहिक जीवन में लक्ष्मी देवी द्वारा सुख-समृद्धि-ऐश्वर्य प्राप्ति के आशीर्वाद का प्रतीक है। सूर्योदय के साथ कमल का खिलना और अस्त होने पर पंखुडियों का बंद हो जाना, ये दोनों जीवन में सूर्य की ऊर्जा के महत्त्व को दर्शाते हैं।

इसमें प्रयुक्त मछली के बहुतायत प्रयोग के पीछे विशेष महत्त्व है। वैदिक और बौद्ध ज्ञान परंपरा दोनों में ही मछलियों को आमतौर पर धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की बहुलता का प्रतीक माना जाता है। खासकर जोड़े में चित्रित मछलियाँ आपसी प्रेम, सद्भाव, खुशी और जुड़ाव का प्रतीक हैं। कछुआ नव विवाहित स्त्री और पुरुष की लंबी आयु का प्रतीक है। यह मान्यता है कि जिस तरह कछुआ पृथ्वी पर सबसे लंबी आयु वाला जीव है, उसी तरह नव वर-वधू भी लंबी आयु प्राप्त कर सांसारिक सुखों का भोग करें। इसे सुख-शांतिकारक भी माना गया है। बाँस के चित्रण का भी विशेष औचित्य है। कोहबर में प्रयुक्त बाँस की आकृति नव वर-वधू के कुल या वंश की प्रत्येक परिस्थिति में वृद्धि एवं नव-दंपती के दीर्घायु की मंगल कामना का द्योतक है। विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी पर सभी परिस्थितियों में सबसे तेज बढ़ने वाला एक काष्ठीय पौधा है। केले के पेड़ के चित्रण से भी शुभदायी प्रभाव पड़ता है। लोकाचार रूप में कोहबर घर के चारों कोनों में नैना-जोगिन का चित्रण कर चारों दिशाओं को बाँधा जाता है। ऐसा मानते हैं कि नैना नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगी। पंचदेवता और नवग्रहों का चित्रण किया जाता है। तर्क यह है कि पंचदेव—सूर्य, अग्नि, दुर्गा, महादेव और गणेश—को साक्षी मानकर यह युगल विवाह बंधन में बँध रहा है, अतः इनकी कृपा बनी रहेगी। साथ-ही-साथ सभी नौ ग्रह नव विवाहित युगल जोड़े के जीवन में अपने सकारात्मक प्रभावों के साथ उनकी रक्षा करेंगे। इसी तरह हाथी की मिट्टी की मूर्ति ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी का प्रतीक है (झा, 2023)।

अरिपन

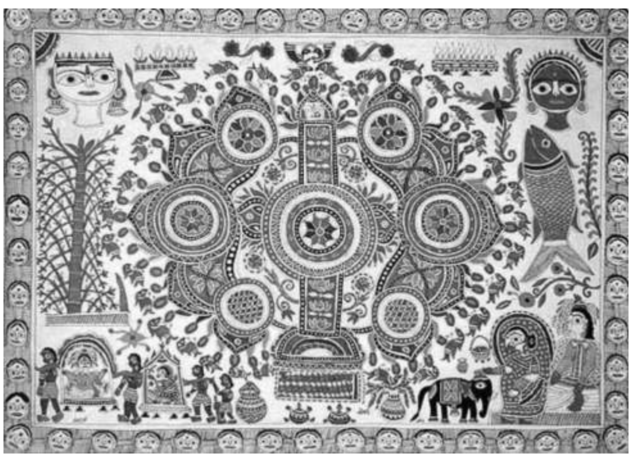

अरिपन : चित्र साभार : https://in.pinterest.com pin/798614946421836909/sent/?invite_code=4aec6844340a486f82f17d4f86f3a344&sfo=1

यह भूमि चित्र या अरिपन तंत्र से उत्पन्न हुआ है, जो सभी शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। इसका आविर्भाव समस्त पारिवारिक समारोहों और व्रत-अनुष्ठानों से जुड़ा है। अलग-अलग अरिपन को यंत्र के रूप में विभिन्न प्रकार के कल्याण और त्रिपद पुरुषार्थ, धर्म-अर्थ और काम का प्रदाता कहा गया है। मिथिला के घरों में महिलाओं द्वारा धार्मिक अवसरों पर अनुष्ठान स्थल पर अरिपन बनाने की परंपरा है। यह लौकिक शक्तियों की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन है। आयोजनों के अनुसार अरिपन बनाने की विधि बदल जाती है। अरिपन के अनेक प्रकार हैं, जैसे—पृथ्वी अरिपन, षष्ठी पूजा अरिपन, तुसारी पूजा अरिपन, साँझ अरिपन, कल्याणदेई पूजा अरिपन, स्त्री का दसपात अरिपन, पुरुषों का दसपात अरिपन, उबटन अरिपन, मधुश्रावणी पूजा अरिपन, स्वस्तिक अरिपन, मौहक अरिपन, कोजागरा पर्व अरिपन, अष्टदल अरिपन, षड्दल अरिपन, चतुःशंख अरिपन, सुखरात्रि अरिपन, गहवा संक्रांति अरिपन और द्वादशाह अरिपन। लोक में ऐसा कहा जाता है कि जब श्रीराम और सिया का विवाह हुआ था, तब भी अरिपन बनाया गया था, जो बहुत शुभ था।

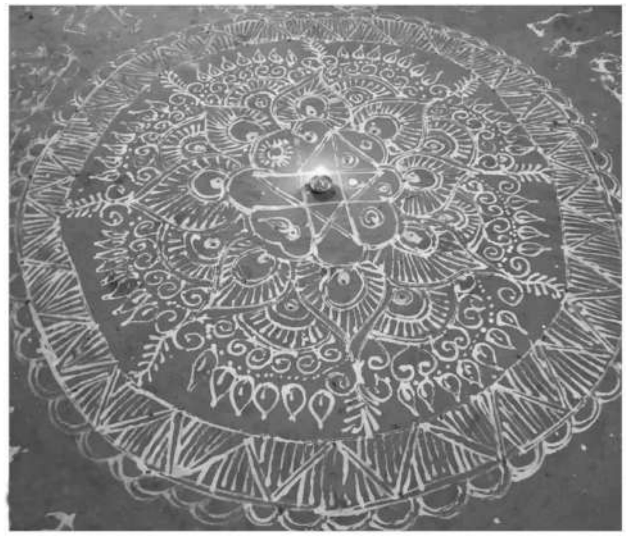

घर के आंगन में निर्मित अरिपन : चित्र साभार : https://www.instagram.com/poojamishra.official/p/Cj7Uzery67l/

गोदना चित्रण

गोदना का क्रियात्मक अर्थ होता है धातु के किसी उपकरण को शरीर में गहरे चुभोना, भोंकना, किंतु समाजशास्त्रीय अध्ययन में गोदना देह-चित्रण की एक कला है। जब किसी सूई या अन्य धात्विक उपकरण से बाहरी चमड़े से नीचे तक चुभोकर उसमें रंग भरा जाता है, ताकि मन मुताबिक आकार उभरे, तब इस प्रकार से बने रूपांकन को गोदना कहा जाता है। गोदना कभी मिटता नहीं है। हालाँकि वर्तमान में गोदना चित्र को दीवारों और कैनवास (या कपड़ा) पर भी बनाया जाता है। दीवार, कागज या कपड़े पर गोदना चित्र देखने में मिथिला चित्रकला की अन्य शैलियों से अलग लगती है। इसमें चित्र गहरे रंग के होते हैं, इसलिए इसमें सामान्यतः काले रंग का प्रयोग होता है। इसका एक कारण है कि देह पर जब यह गोदवाया जाता है तो खून जमने के बाद गहरे रंग का दिखता है। कलाकार अपने पूरे देह पर राम नाम भी गोदवा लेते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से श्रीराम की भक्ति में लीन कर कर लिया है और यह श्रीराम के प्रति श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है।

'वस्त्र चित्रांकण'

'वस्त्र चित्रांकण' में मिथिला चित्रकला की सभी शैलियों को कपड़े या

कैनवास पर बनाया जाता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। वस्त्र चित्रांकण से मिथिला के बाहर भी इस कला को घर-घर में पहचान मिली। 1934 में जब भूकंप आया था और उससे मिथिला के सारे मिट्टी के घर ढह गए। उसके बाद से वस्त्र-चित्रांकण का विचार आया, जिससे इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। मिथिला चित्रकला का मुख्य स्रोत लौकिक परंपरा रही है। इसी सिद्धांत के साथ इस चित्रकला के अंतर्गत वस्त्र-चित्रांकण को नवाचार के लिए जोड़ा गया। सिया और श्रीराम के विवाह की सभी रस्मों को दीवारों पर तो बनाया ही जाता था, लेकिन जब से यह वस्त्रों पर भी बनाया जाने लगा है, सुदूर क्षेत्रों में भी लोगों को आकर्षित कर रहा है और आध्यात्मिक संचार करने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

कहते हैं कि 'एक चित्र सौ शब्दों के बराबर होता है' उसी को चरितार्थ करते हुए कलाकार रामायण को चित्रों की शृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसमें सिया के जन्म और श्रीराम के जन्म से लेकर सिया के स्वयंवर को, सिया राम के विवाहोत्सव को, सिया के ससुराल अयोध्या को, वनवास के दिनों को और लव-कुश का अपने पिता से भेंट तक को अपने चित्रों में क्रमबद्ध दर्शाते हैं। मिथिला के वैवाहिक कार्यक्रमों में गाए जाने वाले लोकगीत 'आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ...चारु दूल्हा में बरका कमाल सखिया' को सुनकर लगता है कि मिथिला नगरी अपनी बेटी के लिए श्रीराम जैसा जमाई पाकर सचमुच निहाल हो गई है। मिथिलावासियों ने एक नहीं बल्कि अपनी चार बेटियों का विवाह एक ही मंडप में अयोध्या के राजकुमारों के साथ संपन्न करवाया। मिथिला की चार बेटियाँ अयोध्या की बहू बनीं। इसलिए अयोध्या के साथ मिथिला की धरती भी शुभ है। मिथिला के चित्रकारों का यह प्रेम उनकी चित्रकला में भी देखने को मिलता है। इस लोककला में अंतर्निहित गूढ़ दार्शनिक, आध्यात्मिक और समाजशास्त्रीय तत्त्व भिन्न संस्कृति के लोगों तक भी संप्रेषणीय है। स्वयं कलाकारों का मानना है इस चित्रकला के रोम-रोम में श्रीराम और सिया बसे हुए हैं। यह दिखाता है कि एक समाज कैसे अपने इतिहास को हजारों सालों बाद भी याद रखे हुए है। मिथिला श्रीराम को सिया के बिना नहीं याद करता है, यह चित्रकृति में हमेशा देखने को मिलता है। यह, यह भी संदेश देता है कि सिया और राम एक आदर्श पत्नी और पति के रूप में याद रखे गए हैं। सिया और राम लोगों को यह सीख देते हैं कि पति और पत्नी का धर्म है कि वे एक-दूसरे को समान प्रेम और सम्मान दें। यह चित्रकला अपना इतिहास और अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने में सालों से सक्रिय है।

मिथिला चित्रकला में सिया-राम के चित्रों का संचार की दृष्टि से विश्लेषण

युगों-युगों से यह चित्रकला जनसंचार के माध्यम के रूप में काम कर रही है। डेविड बर्लो के एस-एम-सी-आर संचार प्रतिरूप के अनुसार यहाँ प्रेषक के रूप में चित्रकार हैं। संदेश श्रीराम और सिया की जीवनगाथा है। माध्यम के रूप में चित्रकृति है। प्राप्तकर्ता मिथिला एवं इसे देखने वाले लोग हैं। इसमें प्रतीकों, चिह्नों, भंगिमाओं आँखों एवं चेहरे के हाव-भाव इत्यादि के द्वारा संप्रेषण होता है। संचारशास्त्री जॉर्ज ल्यूंडबर्ग की परिभाषा में भी संचार के लिए प्रतीकों और चिह्नों को आवश्यक माना गया है। "उन्होंने परस्पर क्रिया को प्रतीकों तथा चिह्नों द्वारा निर्दिष्ट करने हेतु संप्रेषण का प्रयोग किया है। ये प्रतीक आंगिक भावाभिव्यक्ति युक्त, चित्रात्मक या किसी अन्य स्थिति से हो सकते हैं, जो हमारे व्यवहार को उदीप्त करने की प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। इस तरह संप्रेषण एक तरह की पारस्परिक क्रिया है, जो प्रतीकों के सहारे घटित होता है।" कहा गया है कि संप्रेषण सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकात्म है। मिथिला चित्रकला के द्वारा संचार, मिथिला के लोगों के बीच संप्रेषण का माध्यम है, जिससे सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ चाहे रीति-रिवाज, भूमिका, नियम, कर्मकांड एवं विधि इत्यादि निर्मित होते रहे हैं तथा परस्पर साझा किए जाते रहे हैं।

मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने में इस चित्रकला की मुख्य भूमिका दिखती है। त्रेतायुग से आज तक मिथिला की सांस्कृतिक चेतना को जगाए रखने में इस कला ने निरंतर अपना योगदान दिया है। मिथिला अनेक साम्राज्यों के अधीन रही, फिर भी इस चित्रकला ने अपनी संस्कृति को विलुप्त नहीं होने दिया। अपनी पहचान को बनाए रखा। यह चित्रकला लोक संचार माध्यम के रूप में काम कर रही है। हजारों वर्षों में समाज में रहन-सहन का तरीका बदला, लोगों के व्यवहार और विचार में बदलाव आए, लेकिन यह माध्यम निरंतर काम करता रहा है। इस लोक संचार माध्यम के बगैर राजा जनक की मिथिला की संस्कृति को संरक्षित कर पाना असंभव होता। इस कला ने मिथिला के लोगों को अपनी मूल संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाए रखा है। श्रीराम और सिया का विवाहोत्सव आज भी लोगों के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि त्रेतायुग में रहा होगा। यह अपनापन चित्रकृति में देखने को मिलता है। जैसे, जब श्रीराम ने सिया के स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा था और सिया ने वरमाला श्रीराम को पहनाई थी, इसका चित्रण है। श्रीराम ने जब सिया को फूलों के बाग में अपनी सहेलियों के साथ फूल तोड़ते हुए देखा था और उनकी नजरें मिली थीं, इस प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है। जब लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए, जहाँ उन्हें अयोध्या के राजा का ताज पहनाया गया। इसका चित्रण इस प्रकार किया गया है कि श्रीराम राजसी रूप में सिंहासन पर बैठे हैं और सिया जी उनके बगल में बैठी हैं। भरत, शत्रुघ्न सम्मानपूर्वक खड़े हैं और भक्त हनुमान और भाई लक्ष्मण प्रेमपूर्वक हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे हैं। विधि-विधान के साथ श्रीराम और सिया का विवाहोत्सव। श्रीराम और सिया के वनवास के दिनों के चित्र।

जब लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए और उनका अयोध्या के राजा के रूप में राजतिलक किया गया, उस क्षण का चित्रण किया जाता है। इन सभी चित्रों को देखकर लोग ईश्वर से अपनी निकटता को महसूस करते हैं। जब ईश्वर अपने मानव रूप में इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो मनुष्य को यह समझना ही होगा कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। हम इससे मुँह नहीं फेर सकते हैं। श्रीराम और सिया जी के चित्रों ने लोगों में अपने ईश्वर के प्रति समान भाव का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों ने जिन मूल्यों को आधार बनाकर जीवन जिया, आज वह हमारी संस्कृति है। यह कहना गलत नहीं होगा कि संस्कृतियों का निर्माण संचार द्वारा होता है और मिथिला की संस्कृति के निर्माण में यहाँ की चित्रकला ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस चित्रकला ने व्यक्तियों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया है।

(साभार : मधुबनी चित्रकला में राम - Google Search)

(साभार : मधुबनी चित्रकला में राम - Google Search)

साभार : https://indianfolkart.org/product/ram-darbar-madhubani-painting-14-x-11/

निष्कर्ष

सिया जी और श्रीराम का चरित्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक आदर्श उदाहरण है। हिंदू धर्म में उन्हें शील, विनय, आदर्श और शिष्टता की प्रतिमूर्ति माना गया है। मिथिला भारत के सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है, जहाँ सिया जी का जन्म हुआ था। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला के बारे में सबसे पहले रामायण में ही पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसका महत्त्व बढ़ जाता है। मिथिला चित्रकला में रामायण में वर्णित हर कथा का चित्रण किया जाता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता आज भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार सिया जी का विवाह श्रीराम के साथ जग के कल्याण के लिए हुआ था। सिया जी सरस्वती, लक्ष्मी, जगदंबा और शिव-शक्ति का मानव रूप थीं और श्रीराम विष्णु के मानव रूप थे। सिया जी और श्री राम का संपूर्ण जीवन मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे दोनों धर्म के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, चाहे परिस्थिति विपरीत ही क्यों न हो। उनका जीवन यह उपदेश देता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है। भारत के जन-जन में सिया जी और श्रीराम बसे हुए हैं। इसलिए इस चित्रकला में अंतर्निहित गूढ़ दार्शनिक, आध्यात्मिक और समाजशास्त्रीय तत्त्व भिन्न संस्कृति के लोगों तक भी संप्रेषित है। यह चित्रकला सिया जी और श्रीराम के जीवन के उपदेश को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाती आई है। इसे हम मिथिला की दृश्य परंपरा कह सकते हैं। इसका उद्देश्य परमार्थ निर्माण संबंधी विषयों का सृजन करना रहा है। इस चित्रकला में श्रीराम और सिया जी के चित्रों ने मिथिला के लोगों की सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह चित्रकला जनसंचार के माध्यम के रूप में काम करती है।

संदर्भ

कश्यप, के. के. (2013). मिथिला चित्रकला. बिहार : कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार.

झा, आर. के. (2023). मिथिला चित्रकला का सिद्धांत. मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट फाउंडेशन.

भार्गव, एस. (1999). सौंदर्य बोध एवं ललित कलाएँ. वाराणसी : कला प्रकाशन.

मिश्र, बी.एन. (एन.डी.). कन्या है सुहागिन है जगत माता है. हिंदी समय. से दिनांक 9 जनवरी, 2024 को पुन:प्राप्त.

मिश्र, आर.के. & पुट्टी, के. के. (2024). अयोध्या राम मंदिर : आर्टिस्ट्स फ्रॉम माता सीताज मैटरनल होम आर बिजी डेकोरेटिंग पाहून राम्स विद मिथिला पेंटिंग. https://bollywoodwallah.in/ayodhya-ram-mandir-artists-from-mata-sitas-maternal-home-are-busy-decorating-pahun-rams-house-with-mithila-painting/ से दिनांक 1 जनवरी, 2024 को पुन:प्राप्त.

राय, एस. & मसीह, एस. बी. (2022). अ रिव्यू ऑन जर्नी ऑफ मधुबनी पेंटिंग टिल डेट. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थाउटस. 10(5). 277.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 41-44, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

स्वाधीनता संग्राम के दौरान बुंदेलखंड में प्रचलित लोकगीतों का अध्ययन

गौरव चौहान[1]

सारांश

भारतीय स्वाधीनता संग्राम इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इस राष्ट्रीय आंदोलन में लोकगीतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोकगीतकारों ने स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित लोकगीतों की रचना की तथा स्वाधीनता सेनानियों को मुक्ति संघर्ष हेतु प्रेरित किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान बुंदेलखंड में प्रचलित लोकगीतों ने राष्ट्रीय चेतना को बल देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोकगीतों ने देशभक्ति और शौर्य का परिचय देने वाले वीरों का गौरवगान करके स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को सुरक्षित रखा तथा गरीब, अभावग्रस्त तथा भेदभाव से पीड़ित जनता की आह और आक्रोश को वाणी दी। प्रस्तुत शोध पत्र में स्वाधीनता संग्राम के दौरान बुंदेलखंड में प्रचलित लोकगीतों का अध्ययन किया गया है।

संकेत शब्द : स्वाधीनता संग्राम, लोकगीत, बुंदेलखंड, सांस्कृतिक संचार, लोक साहित्य

प्रस्तावना

भारतीय स्वाधीनता संग्राम भारतीय जनता की अँग्रेजी दासता से मुक्ति का महान् संग्राम था। इस संग्राम में हजारों स्वाधीनता प्रेमी शहीद हुए और लाखों ने कारावास की यातनाएँ भोगीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इससे जुड़े राष्ट्रीय नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं ने स्वतंत्रता, जनतंत्र, देशप्रेम, समाजवाद, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, हरिजन उद्धार, विश्वशांति और मानवतावाद जैसे उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित किया। मानवीय मूल्यों की महान् परंपराएँ हमें बुंदेलखंड की महान् लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य में देखने को मिलती हैं। "बुंदेलखंड विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है" (दुबे, 2017)। विद्वानों के अनुसार बुंदेली साहित्य का इतिहास बुंदेलखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बुंदेली लोक साहित्य के अंतर्गत बुंदेलखंड के लोकनाट्यों, लोकगाथाओं तथा लोकगीतों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा आदि मानवीय मूल्य पहले से ही मौजूद रहे हैं। अध्येताओं के अनुसार लोकजीवन के सुख, दुःख, उल्लास, हर्ष, विषाद और संघर्षों का प्रतिनिधित्व लोकगीत करते हैं। "लोकगीत लोक संस्कृति के समग्र संवाहक हैं। लोकगीत किसी जाति, समूह और देश की लोक संस्कृतियों के परिचायक होते हैं। उनमें जीवन की प्रत्येक धड़कन का एहसास देखा जा सकता है। मनुष्य के जन्म-मरण, मँगनी-विवाह, जनेऊ- मुंडन, पर्व-त्योहार, हर्ष-उल्लास, हास-परिहास, सुख-दुःख, आचार-विचार, लोक व्यवहार-प्रथाएँ, रीति-रिवाज, परंपराएँ और रूढ़ियाँ, धर्म-कर्म, अध्यात्म, अतीत और वर्तमान के सारे संस्कार लोकगीतों में सहज रूप से मिलते हैं। लोक में गीत के माध्यम से हृदय की बात कहने की परिपाटी सबसे अधिक प्रिय और संप्रेषणीय रही है। इसीलिए लोकगीत मनुष्य के हृदय का स्पंदन है। लोकगीत जीवन का स्फुट काव्य हैं। लोकगीत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होते, लोकगीत समूहगत रचनाशीलता का परिणाम हैं" (निरगुणे, 2022)। बुंदेलखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा मिलती है। समय, परिस्थिति एवं वातावरण के अनुरूप बुंदेली लोकगीतों के स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। लोकगीतों में परिवर्तन की यह प्रक्रिया बुंदेलखंड में हमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोकगीतों का साक्षात्कार कराती है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध दोनों प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। आँकड़े प्राप्त करने के लिए जनवरी 2024 में भोपाल एवं नर्मदापुरम् जिलों में क्षेत्रकार्य किया गया। भोपाल तथा नर्मदापुरम् के प्रमुख लोकगीतकारों से प्राथमिक आँकड़े एकत्रित किए गए हैं। आँकड़े साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी आदि तकनीकों से एकत्रित किए गए हैं। आवश्यकतानुसार द्वितीयक स्रोतों जैसे कि विषय से संबंधित पुस्तकों, आलेखों, अखबारों एवं वीडियो आदि से भी आँकड़े लिए गए हैं।

बुंदेली लोकगीतों का स्वरूप

बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में लोकगीत सदियों से आम जीवन की धरोहर रहे हैं। बुंदेलखंड के लोक समाज में लोकगीतों की परंपरा वेदों के पूर्व से चली आ रही है। कालांतर में मानव जीवन के विविध संस्कारों खेत- खलिहान, ऋतुओं, राजाओं-महाराजाओं के प्रशस्ति आदि को बुंदेली लोकगीतों में शामिल किया गया है। बुंदेलखंड कला की दृष्टि से बहुत प्राचीन होकर विशिष्ट धरोहरों से समृद्ध एवं परिपूर्ण है। बुंदेलखंड अनेक शासकों के अधीन रहा है। इस कारण समय-समय पर इसका नाम भी बदलता रहा। महाभारत में यह चेदि जनपद के नाम से अभिहित हुआ है। चेदि का दूसरा नाम डाहल माना जाता है। इसको दस नादियों वाला दर्शाण प्रदेश भी कहा गया है। विंध्य पर्वत की श्रेणियों से घिरे होने के कारण इसे विंध्य भूमि या विंध्य-निलय, विंध्य पार्श्व आदि संज्ञाएँ भी मिली हैं। बुंदेलखंड में पुलिंद जाति और शबरों का लंबे समय तक निवास रहा। इसलिए कतिपय विद्वान् इसे पुलिंद प्रदेश अथवा सावर क्षेत्र भी घोषित करते हैं। बुंदेली लोकगीत गाँव की भाषा में अपने आकार को पाते हैं। शायद इसीलिए यहाँ के लोकगीतों में हम गाँवों की परंपराओं को नजदीक से देख सकते हैं। बुंदेलखंड में लोकगीत बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं, जिनका शहरी और अभिजात्य जीवन से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होता है। बुंदेली की तरह ही आज भी भोजपुरी, मराठी, बघेली, और निमाड़ी में लोकगीतों का अपना एक अलग ही स्वरूप है। अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में "लोक साहित्य का सबसे अधिक व्यापक, विविध, प्रिय, प्रचलित रूप लोकगीत हैं" (निरगुणे, 2017)। मनुष्य की अनुभूतियों को

[1]शोधार्थी, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र. ईमेल : chouhangourav00@gmail.com

उसके सामाजिक जीवन से जुड़कर जो भावप्रवण लयात्मक अभिव्यक्ति मिली, वही बुंदेली लोकगीतों के विविध प्रकारों में व्यक्त हुई है। इसलिए बुंदेली लोकगीत सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं, जो समाज के सहज पारस्परिक संबंधों को अकृतिम ग्रामीण जनजीवन के बीच जिजीविषा के साथ व्यक्त करते हैं।

स्वाधीनता संग्राम और बुंदेली लोकगीत

बुंदेली लोकगीत राष्ट्रीय लोक साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इन्होंने मुक्ति सघर्ष में राष्ट्रीय शिष्ट साहित्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्वानों के अनुसार "शिष्ट साहित्य कुछ पढ़े-लिखे लोगों तक ही पहुँच सका था। परंतु इन राष्ट्रीय लोकगीतों ने लाखों व्यक्तियों को प्रभावित एवं प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय लोकगीतों तथा शिष्ट राष्ट्रीय गीतों ने एक-दूसरे के लिए पूरक का कार्य किया है। ये राष्ट्रीय विचारों, राष्ट्रीय मूल्यों एवं क्रांतिकारी चेतना के संवाहक रहे" (उपाध्याय, 1999)। बुंदेली लोकगीतों के रचनाकार रागात्मक भावनाओं को सहज ढंग से महसूस करने वाले देशभक्त थे, जिन्होंने लोकमानस में उमड़-घुमड़ रही क्रांतिकारी भावनाओं को वाणी दी। अनेक लोकगीतकार जनता के प्रतिनिधि बनकर मुक्ति संघर्ष में कूद पड़े। इन रचनाकारों ने सन् 1857 के शहीदों तथा देश की स्वतंत्रता के लिए 'वंदे मातरम्' और 'इनकलाब जिंदाबाद' का नारा बुलंद करने वाले क्रांतिकारियों का यशोगान करके उस ग्रामीण, निरक्षर एवं सुषुप्त जनता को क्रांति का संदेश दिया, जिसके पास शिष्ट साहित्य की पहुँच नहीं थी। बुंदेलखंड के लोकगीतकारों ने नवजागरण का संदेश देने वाले राष्ट्रपुरुषों एवं समाज-सुधारकों का गौरवगान किया। इन रचनाकारों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं के संदेशों से ग्रामीण जनता को जाग्रत किया और देशभक्ति और शौर्य का परिचय देने वाले वीरों का गौरवगान करके स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को सुरक्षित रखा। आज भी बुंदेलखंड के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर लोकगीतकार इन्हें गाकर शहीदों के बलिदान की याद दिलाते हैं। उदाहरण के लिए जैतपुर के युवराज पारीछत ने सन् 1840-42 तक आक्रमणकारी अँग्रेजों से घमासान युद्ध किया था। सन् 1857 की क्रांति से पूर्व लड़े गए इस युद्ध में पारीछत ने जिस देशप्रेम, शौर्य व रणकौशल का परिचय दिया, उससे स्वतंत्रताप्रेमी भारतीय जनता का सिर ऊँचा हो गया था। पारीछत के अदम्य साहस और उनके देशप्रेम से प्रभावित लोकगीतकारों ने अनेक लोकगीतों की रचना की। युवराज पारीछत से जुड़े लोकगीत सन् 1857 की क्रांति से पूर्व हरबोलों द्वारा गाए जाते थे। सन् 1857 की क्रांति के बाद हुए भयंकर दमन के कारण संभवतः यह लोकगीत कुछ दब-से गए, परंतु क्रांति के बाद भी कहीं-कहीं यह गाए जाते रहे। सुप्रसिद्ध विद्वान् डा. नर्मदाप्रसाद गुप्त ने युवराज पारीछत से संबंधित कई लोकगीतों का संकलन करके उनकी समालोचना की है। युवराज पारीछत से जुड़े लोकगीत 'सुराज' पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं। पारीछत की शौर्यगाथा का वर्णन करने वाला एक बुंदेली लोकगीत इस प्रकार है :

मुरगा बोले पतारन में, हथनी मारे हजारन में।
पारीछत दहाड़े हजारन में, ढडके फिरंगी पहारन में ॥
पाठे कौ झिन्ना रुकत नैया, पारी छत को हांती टरत नैया।
पूरी हथिनिया गरद मिल जाए, पारी छत कौ तेगा कतल कर जाए ॥

मुर्गों के बाँग देते ही पारीछत अपनी हथिनी पर सवार होकर युद्ध शुरू कर देते थे और हथिनी हजारों अँग्रेजों को मार भगाती थी। पारीछत हजारों में दहाड़ते थे और अँग्रेजों के सिर ऐसे लुढ़कते थे, जैसे पहाड़ से लुढ़क रहे हों। जिस प्रकार पहाड़ का झरना नहीं रुकता, उसी तरह पारीछत का हाथी कभी विचलित नहीं होता था। भूरी हथिनी भले ही धूल में मिल जाए, पर पारीछत का तेगा दुश्मनों को कत्ल करता रहता था।

लक्ष्मण दौआ से जुड़ा लोकगीत

बुंदेलखंड में अजयगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल है। "अजयगढ़ के राजा लक्ष्मण दौआ का राज्य अँग्रेजों ने छीन लिया था और उनकी पेंशन भी जब्त कर ली थी। राजा लक्ष्मण दौआ ने सन् 1857 की क्रांति से पूर्व ही जुल्मी अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। लोकगीतकार ने इस वीर पुरुष के बारे में लोकगीत की रचना करके उनको इतिहास में सुरक्षित रखा है" (उपाध्याय, 1999)। लक्ष्मण दौआ से जुड़ा बुंदेली लोकगीत इस प्रकार है :

लक्ष्मण सिंह फिरत हैं दौआ, मारत जात लखत अँग्रेजन।
कटत ककरी जौआ, भगत फिरत अँगरेजा बेकल॥
दौआ हो राओ हौआ, बांदा से कोठी तक मारी।
फौज फिरंगी कौआ रे फौज फिरंगी कौआ॥

लक्ष्मण सिंह दौआ आजादी से फिरते हैं और अँग्रेजों को देखते ही ककरी के जौआ की तरह काटकर मार डालते हैं। अँग्रेज व्याकुल होकर भागते हैं, इसलिए यह लोकोक्ति हो गई है कि अँग्रेजों के लिए दौआ हौआ हो गया है।

खूब लड़ी मर्दानी

1857 की क्रांति में "झाँसी की रानी मर्दानगी के साथ अंत तक अपने लक्ष्य पर अटल रही और युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए 17 जून, 1858 को उन्होंने प्राण दे दिए। जरनल हर्ग जिसने उन्हें पराजित किया, अपने दुर्जेय शत्रु के बारे में कहा है कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी" (सिंह, 1987)। बुंदेली लोकगीतों में रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ सन् 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों का यशगान हुआ है। झाँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई आज भी भारतीय जनता के हृदयों पर राज करती हैं। अनेक साहित्यकारों जैसे हिंदी की कवयित्री सुभद्राकुमारी कुमारी चौहान तथा लोककवियों ने उनके देशप्रेम, शौर्य और शहादत का यशोगान किया है। उनकी प्रशस्ति में एक बुंदेली लोकगीत इस प्रकार है :

अपनों नाँव कमा गई जग में कर गई सोर विकट भारी।
बाई साब झाँसी वारी भीतर ब्राजी आदि भवानी।
मूरत सिव शंकर की जानी गौरा के पुत्र गनेश विराजे।
भौरों की मडिया न्यारी बाई साब झाँसी वारी।

इस लोकगीत में रानी लक्ष्मीबाई के संसार में फैले यश का गान किया गया है और रानी की मरदानी वीरता के साथ-साथ उनके शौर्य का वर्णन किया गया है।

गांधी का यशोगान

1857 से 1947 के बीच जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत का उत्कर्ष किया, उन महान् सेनानियों की यशगाथा बुंदेलखंड के लोककवियों ने

गाई। ऐसे ही एक महान् स्वतंत्रता सेनानी का बुंदेलखंड के लोक समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिनका नाम था महात्मा गांधी। "मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। गांधीजी ने अहिंसक 'सविनय अवज्ञा' का अपना राजनीतिक औजार प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। 1915 में भारत वापसी के बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, कृषि-मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की बागडोर सँभालने के बाद उन्होंने देश-भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण, आत्मनिर्भरता हेतु अस्पृश्यता का अंत आदि के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, किंतु इन सबसे अधिक स्वराज की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य था। गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए 'नमक कर' के विरोध में 1930 में 'दांडी मार्च' और इसके बाद 1942 में 'अँग्रेजो, भारत छोड़ो' आंदोलन से भारतीयों का नेतृत्व कर प्रसिद्धि प्राप्त की" (गांधी, 1948)। महात्मा गांधी का बुंदेलखंड की धरती से गहरा नाता रहा "1930 के आसपास हरिजन दौरा करते हुए महात्मा गांधी बुंदेलखंड की धरती पर कदम रखते हैं। वे सागर व छतरपुर के आसपास के गाँवों में जाकर अछूतोद्धार की बातें करते हैं, किसानों के हालात जानने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें जागरूक करने में जुट जाते हैं" (श्रीधर, 2019)। जब-जब गांधी ने बुंदेलखंड की धरती पर कदम रखा, उन्होंने सदैव बुंदेलखंड के समाज को शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराया। महात्मा गांधी बुंदेलखंड से चले गए, परंतु बुंदेलखंड के लोक समाज ने उन्हें अंतरात्मा की गहराई से स्वीकार किया। आज भी महात्मा गांधी से जुड़े लोकगीत जैसे विभिन्न अवसरों पर बुंदेलखंड में सुनने को मिलते हैं यहाँ के लोक समाज में गांधी किसी-न-किसी रूप में आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए यह लोकगीत :

देख गरीबी टपरिया में, बब्बा रहन लगे झुपड़िया में।
मोड़ा-मोड़ी रार करत हैं, नंग-धुरंगे उघारे फिरत हैं।
गांधी ने छोड़ो कपड़ा पहिरवो, बैठे वे घामो-दुपहरिया में।
बब्बा रहन लगे झुपड़िया में।।

इस लोकगीत में महात्मा गांधी की सादगी और एक जननेता के तौर पर भारत की जनता के प्रति उनके स्नेह एवं प्रेम को दर्शाया गया है। महात्मा गांधी भारत के लोगों की निर्धन अवस्था को देख महल, अटारी की जगह झोंपड़ी में निवास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की जनता के मन में यह संदेश प्रसारित किया कि गांधी हमारा नेता है, जो हमारे जैसा ही रहता है, वही पहनता है जो हम पहनते हैं और इसमें कोई बनावट नहीं है। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े विद्वानों के अनुसार 1910 के बाद स्वतंत्रता के दौर में बुंदेली समाज एक ऐसे नेता के पीछे चलना चाहता था, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए देश को आजाद कराए और इस संदर्भ में बुंदेलखंड के लोगों को महात्मा गांधी के अलावा कोई दूसरा नेता राष्ट्रीय फलक पर नजर नहीं आया, जिसके पीछे वह चल सके। गांधी ने जब 12 मार्च, 1930 को वायसराय को सूचित करते हुए यह कहा कि वे दांडी यात्रा शुरू कर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अनैतिक नमक कानून को तोड़ेंगे, तब बुंदेलखंड का लोक समाज गाता है कि "हमें सोई नमक तोड़ने के जाने हैं, गांधी का साथ निभाने है अँग्रेजनों खों मार भागने हैं" सुदूर बुंदेलखंड में उस समय गाया गया यह लोकगीत बुंदेली समाज द्वारा गांधीजी और उनके स्वाधीनता संग्राम को हृदय से स्वीकार करने का प्रमाण है। स्वतंत्रता के दौर में महात्मा गांधी से जुड़ा एक लोकगीत इस प्रकार है :

गांधी खोटो नहीं हतो, शुद्ध ठनकती चाँदी तो।
गंधियाती वो हवा नहीं, तूफानों की आँधी तो।
अनशन लैकें धूनी पे, बैठो संत-समाधी तो।
भूखे पेट गरीबों की, आधी-धोती रोटी तो।
लएँ जागरण कानों में घर-घर एक मुनादी तो।
निरधनता की बेटी की, गाजो-बाजो शादी तो।
रेशा-रेशा ई तन पे, हाथों की वो खादी तो।
लठिया लैकें हाथों में, अँगरेजी की दादी तो
तानाशाही छाती पे, देश की वो आजादी तो।
गांधी खोटो नहीं हतो, शुद्ध ठनकती चाँदी तो।

इस लोकगीत के माध्यम से लोककवि कहना चाहता है कि महात्मा गांधी खोटे सिक्के नहीं, बल्कि शुद्ध चाँदी थे। वह उस आँधी के समान थे, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोककवि कहता है कि महात्मा गांधी उस संत के समान थे, जो किसी साधना में निरंतर लीन रहता है, साथ ही वे भूखे पेट रहने वाले लोगों की रोटी और स्वतंत्रता का घोषणा करने वाले मुनादी के समान थे। लोककवि महत्मा गांधी को निर्धन आदमी की बेटी के धूमधाम से होने वाले विवाह के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। साथ ही रचनाकार इस लोकगीत में गांधी की तुलना अँग्रेजों की दादी से करता है, जिसके हाथ में हमेशा लाठी रहती थी। लोककवि ने महात्मा गांधी को तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध देश की आजादी का प्रतीक स्वीकार किया है।

निष्कर्ष

1857 से लेकर 1947 तक चले भारतीय स्वाधीनता संग्राम में विदेशी शासन के हाथों भारी संख्या में लोग शहीद हुए तथा असंख्य लोगों को यातनाएँ दी गई, लेकिन उन्होंने आजादी की मशाल को जलाए रखा। इस ऐतिहासिक संघर्ष का उज्ज्वल पक्ष बुंदेली लोकगीत हमारे सामने रखते हैं। बुंदेलखंड में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोकगीतों ने राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुंदेली लोकगीतों ने स्वाधीनता सेनानियों का यशोगान तो किया ही, साथ ही गरीब, अभावग्रस्त तथा सामाजिक कुरीतियों व भेदभाव से पीड़ित जनता की आह और आक्रोश को वाणी दी तथा सदियों से जनता का शोषण करने वाले वर्गों के विरुद्ध क्रांतिकारी चेतना तथा विद्रोही प्रवृत्ति को उर्जा दी। जहाँ एक तरफ बुंदेली लोकगीतों ने 1857 से 1947 तक के वीर शहीदों का गौरवगान किया गया, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं के यश को देश भर में व्याप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी बुंदेलखंड के लोक-जीवन में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोकगीत रचे बसे हुए हैं। ये लोकगीत विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर गाए जाते हैं, क्योंकि इनमें स्वाधीनता संग्राम से जुड़े वीर सपूतों को पूरे मनोयोग से याद किया गया है।

संदर्भ

अग्रवाल, बी.एम. (1995). *आजादी के मुकदमे*. दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास.

उपाध्याय, वी.एम. (1999). *लोकगीतों में क्रांतिकारी चेतना*. दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार. पृ.-54

उपाध्याय, वी.एम. (1999). *लोकगीतों में क्रांतिकारी चेतना*. दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार. पृ.75

खरे, पी. & खरे, पी. (2006). *बुंदेली लोकगीत*. भोपाल: आदिवासी लोककला अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद.

गांधी, एम. (1948). *प्रार्थना प्रवचन*. दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. पृ.-02

चंद्र, वी., आदि (1990). *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*. दिल्ली : हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली.

दुबे, ए. (2017). *बुंदेली*. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी.

निरगुणे, वी. (2022). *लोक संस्कृति*. भोपाल : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी. पृ.-107

पटैरिया, जे.पी. (2021). मोरोपंत की लली करने जंग वो चली गीत रचना पूज्य देशराज पटैरिया. https://www.youtube.com/watch?v=hcz56-o-N-M से 20 जनवरी 2024 को पुन: प्राप्त.

पटैरिया, डी.आर. (2019). बुंदेलखंड का गुणगान है इस गीत में। गायक देशराज पटैरिया. https://www.youtube.com/watch?v=GhqG_EJOZas से 12 दिसंबर 2023 को पुन:प्राप्त.

यादव, के. पी. *आल्हा-ऊदल और बुंदेलखंड*. मेरठ : प्रगति प्रकाशन.

राय, जे.पी. & सिंह, वाई. पी. (1997). *उत्तर मध्य क्षेत्र की लोक संस्कृति*. नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.

सिंह, ए. (2012). *भारत का मुक्ति संग्राम*. दिल्ली : प्रकाशन संस्थान.

सिंह, एस. (2015). *बुंदेली लोक कथाएँ*. दिल्ली : साहित्य अकादमी.

सिंह, ओ. पी. (1987). *स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास*. दिल्ली : दिल्ली प्रशासन.

वेबसाइट

https://www.thecampusnews.com/2021/08/bundelkhandglory.html#google_vignette

https://www.teenbattinews.com/2021/08/1842.html

https://nishadhistory.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

https://ignited.in/I/a/305996

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 45-50, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

अद्वैत वेदांत शास्त्र की सहज संप्रेषणीयता

डॉ. कपिल गौतम[1]

सारांश

मनुष्य जिज्ञासा, व्याकुलता, कौतूहल एवं संशय ने शास्त्र दर्शन नामक विधा को जन्म दिया। दृश् धातु में ल्युट् प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। ल्युट् प्रत्यय का प्रत्यय भाव, करण एवं अधिकरण अर्थ में होता है। यहाँ दर्शन में ल्युट् प्रत्यय का अर्थ करण अर्थ में हुआ है, जिसका अर्थ है वह साधन (करण), जिससे देखा जाए। अतः दर्शन वस्तुत वह साधन/दृष्टि/उपकरण है, जिससे किसी वस्तु/तत्त्व का ज्ञान हो। अब वस्तु या तत्त्व क्या है? यह जिज्ञासा पर निर्भर करता है। यदि जिज्ञासा बहिर्मुखी/वस्तुनिष्ठ (लौकिकी), हो तब दर्शन जगत् के साधन के रूप में प्रवृत्त होगा। अर्थात् यहाँ दृश्य/विषय/ज्ञेय के साधन के रूप में दर्शन होगा। यदि यही जिज्ञासा अंतर्मुखी/आत्मनिष्ठ (पारमार्थिकी) हो तब दर्शन आत्मतत्त्व के साधन के रूप में प्रवृत्त होगा। अर्थात् यहाँ द्रष्टा/विषयी/ज्ञाता के साधन के रूप में दर्शन होगा। अर्थात् यह ज्ञाता के शुद्ध रूप की विवेचना करता है। इस रूप में दर्शन के विविध संप्रदायों का विकास हुआ है। कोई भी दार्शनिक संप्रदाय सर्वप्रथम सूत्र तदनंतर भाष्य, टीका एवं प्रकराणादि ग्रंथों के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार दर्शन संप्रदाय की विस्तृत शास्त्र परंपरा होती है। अद्वैत वेदांत शास्त्र ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य तथा भामती विवरणादि टीकाओं से पोषित एवं विकसित हुआ है। सूत्र, भाष्य एवं टीका में निबद्ध संपूर्ण दर्शन सिद्धांत को शास्त्रीय गांभीर्य एवं तर्क-वितर्क के ऊहापोह से भिन्न समग्र रूप में तथा सरलता से समझने के लिए अद्वैत वेदांत की शास्त्र परंपरा में पंचदशी, वेदांतपरिभाषा एवं वेदांतसार आदि प्रकरण ग्रंथों का प्रणयन हुआ। इस प्रकार अद्वैत वेदांत की शास्त्र परंपरा में अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, जिनका एक व्यवस्थित एवं संक्षिप्त विश्लेषण अत्यावश्यक है। वर्तमान में सनातन धर्म का आधार अद्वैत वेदांत है, जिसका संप्रेषण मानव समाज में करना अत्यंत आवश्यक है। मानव समाज में अद्वैत वेदांत शास्त्र का संचार सुगमता से प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत शोधपत्र में शांकरवेदांत की शास्त्र परंपरा का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

संकेत शब्द : शास्त्र दर्शन, अद्वैत वेदांत शास्त्र, दार्शनिक संप्रदाय, शास्त्र परंपरा, अद्वैत वेदांत संप्रेषण।

प्रस्तावना

दर्शन मानव की मूलभूत मनोवृत्ति है। मनुष्य मन में यह विचार उठना सहज है कि वह कौन है? कहाँ से आया है? कहाँ उसे जाना है? उसके जीवन का उद्देश्य भरण-पोषण ही है या उसके अतिरिक्त और भी कुछ? इस सूर्य, चंद्र, आकाश, तारे, वृक्ष, पशु, अन्न-जल तथा मानव आदि से युक्त यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? कौन इसका निर्माता है? यह जिज्ञासु प्रवृत्ति मानव की वैदिक काल से रही है। नासदीय सूक्त के इस मंत्र में मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति दृष्टि गोचर होती है :

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव॥ (चंद्र, 2011)

(कौन वास्तविक रूप में जानता है? इस जगत् में कौन इस तथ्य को बता सकता है कि यह विविध रूपा सृष्टि किस उपादान कारण तथा किस निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है। देवगण भी इस सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद में उत्पन्न हुए हैं अत: कौन ज्ञात कर सकता है कि किस कारण से यह सृष्टि उत्पन्न हुई)। श्वेताश्वतरोपनिषद् में इसी तरह कि व्याकुलता दिखाई गई है, जिसमें कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों को उत्थापित किया गया है :

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः।
अधिष्ठिताः केन सुखतरेषु वत्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्॥
(गोयंदका, 2017)

मनुष्य की इसी जिज्ञासा, व्याकुलता, कौतूहल एवं संशय ने शास्त्र दर्शन नामक विधा को जन्म दिया। दृश् धातु में ल्युट् प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। ल्युट् प्रत्यय का प्रत्यय भाव, करण एवं अधिकरण अर्थ में होता है—(ल्युट् च, करणाधिकरणयोश्च)। यहाँ दर्शन में ल्युट् प्रत्यय का अर्थ करण अर्थ में हुआ है, जिसका अर्थ है वह साधन (करण) जिससे देखा जाए। अतः दर्शन वस्तुतः वह साधन/दृष्टि/उपकरण है, जिससे किसी वस्तु/तत्त्व का ज्ञान हो। अब वस्तु या तत्त्व क्या है, यह जिज्ञासा पर निर्भर करता है। यदि जिज्ञासा बहिर्मुखी/वस्तुनिष्ठ (लौकिकी) हो तब दर्शन जगत् के साधन के रूप में प्रवृत्त होगा, अर्थात् यहाँ दृश्य/विषय/ज्ञेय के साधन के रूप में दर्शन होगा। यदि यही जिज्ञासा अंतर्मुखी/आत्मनिष्ठ (पारमार्थिकी) हो, तब दर्शन आत्मतत्त्व के साधन के रूप में प्रवृत्त होगा। अर्थात् यहाँ द्रष्टा/विषयी/ज्ञाता के साधन के रूप में दर्शन होगा। अर्थात् यह ज्ञाता के शुद्ध रूप की विवेचना करता है। कोई ज्ञाता के स्वरूप को जड़ बताता है, कोई चेतन, कोई चेतनाचेतन। कोई इसे नित्य कहता है या कोई इसे अनित्य, कोई सत् कहता है कोई असत्। जैसे चार्वाक आत्मा को देहरूप बताते हैं, जैन आत्मा को द्रव्य (जड़), शून्यवादी बौद्ध आत्मा को असत्, विज्ञानवादी बौद्ध आत्मा को क्षणिक, नैयायिक और प्रभाकर आत्मा को जड़ बताते हैं, सांख्य-योग आत्मा को चेतन बताते हैं, भाट्टमीमांसक उसे ज्ञानाज्ञानस्वरूप कहते हैं। अद्वैत वेदांत उसे सत् (तीनों कालों में विद्यमान), चित् (ज्ञानस्वरूप जड़तारहित) आनंद (केवल सुखरूप–दुःखरहित) है। आत्मा ही ज्ञाता-ज्ञेय, द्रष्टा-दृश्य, विषयी-विषय का आधार है।

भिन्न बौद्धिक विचारों के अनुरूप भारत वर्ष में प्रवर्तित दर्शन धाराओं को मुख्यतः दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है—

1. नास्तिक दर्शन : वे दर्शन जो श्रुति (वेद) को प्रमाण के रूप स्वीकार नहीं करते हैं। इस समूह में लोकायत (चार्वाक), आर्हत (जैन) तथा सौगत (बौद्ध) आदि संप्रदायों को सम्मिलित किया जाता है।

2. आस्तिक दर्शन : वे दर्शन, जो श्रुति (वेद) को प्रामाणिक स्वीकार करते हैं। इस समूह में षड्दर्शन (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा), पाशुपत, पांचरात्र, प्रत्यभिज्ञा एवं शाक्त आदि संप्रदायों को

[1]सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, मानविकी एवं समाजविज्ञान विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, ईमेल : kapilg2008jnu@gmail.com

सम्मिलित किया जाता है। इन समस्त दर्शनों में उत्तरमीमांसा को वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग या ग्रंथराशि उपनिषदों में इसके प्रतिपाद्य (ब्रह्म) का निरूपण होने के कारण उपनिषद् को वेदांत कहा जाता है। वस्तुतः वेदांत का उत्स हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है, इसलिए आचार्य शंकर ने अनेक स्थलों पर वेदांत को औपनिषद् दर्शन भी कहा है।

महर्षि बादरायण ने इन्हीं उपनिषदों के सिद्धांतों को सूत्र के रूप में निबद्ध कर ब्रह्मसूत्र की रचना की, जो अधुना वेदांत का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। वेदांत की यह परंपरा बादरायण से प्राचीन है। ब्रह्मसूत्रकार आचार्य बादरायण ने वेदांत की सुदीर्घ अध्यात्म परंपरा के परिचय सूत्रों में उन आचार्यों का नामोल्लेखपूर्वक किया है–आत्रेय (3/4/44), आश्मरथ्य (1/2/26), औडुलोमि (1/4/21), (3/4/45), (4/4/6), कार्ष्णाजिनि (3/1/9) काशकृत्स्न (1/4/22), जैमिनि (1/2/28, 1/3/31,1/4/18, 3/2/40,3/2/4, 40, 4/3/12, 4/4/5,11) बादरि (1/2/30,3/1/11, 4/3/7, 4/4/10)। इस प्रकार ब्रह्मसूत्र सहित महर्षि व्यास प्रणीत महाभारत के भीष्मपर्व के अंतर्गत विद्यमान श्रीमद्भगवद्गीता तथा उपनिषद् को सम्मिलित रूप में वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ये वेदांत के प्रस्थान अर्थात् प्रकृष्ट (मुख्य स्थान) स्थान हैं, अर्थात् वेदांत विद्या इन तीनों में मुख्य रूप से निवास करती है। परंपरा में बादरायण तथा व्यास को एक ही व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जब व्यास बदरिका आश्रम (आधुनिक बद्रीनाथ) चले गए, तब वही बादरायण कहलाए। बदरीवन में वेदव्यास का विशाल शिक्षा केंद्र था। बदरीवन से उपलक्षित प्रदेश में निवास करने के कारण वेदव्यास का बादरायण नाम प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर इन्होंने वेदांतसूत्र या ब्रह्मसूत्र का प्रणयन किया। यह प्रदेश अभी भी बदरिकाश्रम या बदरीनाथ नाम से प्रसिद्ध है। तत्त्वदीपन टीका में अखंडानंद ने लिखा है :

"द्वीपे बदरिकाश्रमे बादरायणमच्युतम्, अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात् चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वमञ्जसा ..." ॥ (षट्शास्त्री, 2013)

परंतु कुछ विद्वान् इस बात से असहमत हैं कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ही ब्रह्मसूत्र के प्रणेता बादरायण हैं। वे इन दोनों को भिन्न मानते हैं, क्योंकि इस विषय में बाधक युक्तियाँ परिलक्षित होती हैं। जैसे–"स्मृतेश्च" इस सूत्र में परामृष्ट स्मृति शब्द के संबंध में आचार्य शंकर लिखते हैं :

"स्मृतिश्च ...." ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया"। (भोलेबाबा, 2010)

आचार्य शंकर के इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवद्गीता, जो भीष्मपर्व के 25-43 वें अध्याय के मध्य है, ब्रह्मसूत्र सूत्र का पूर्ववर्ती है; अर्थात् वेदव्यास ब्रह्मसूत्र के प्रणेता बादरायण के पूर्ववर्ती हैं, अर्थात् दोनों भिन्न व्यक्ति हैं—'वेदव्यासश्चैवमैव स्मृति', 'भावं तु बादरायणोऽस्तिहि' इन दोनों ब्रह्मसूत्रों में वेदव्यास तथा बादरायण का पृथक्-पृथक् उल्लेख हुआ है।

भाष्यकार द्वारा 'स्मृतेश्च' सूत्र के भाष्य में गीता के श्लोक को उद्धृत कर जो यह व्यास के बादरायण से पूर्वत्व की कल्पना गई वह उचित नहीं है, क्योंकि क्या कोई लेखक अपनी कृति को दृष्टान्त के रूप में उपन्यस्त नहीं कर सकता? दूसरा तर्क यह कि श्रीमद्भगवद्गीता में एक मंत्र है :

"ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितम्"॥ (गोयंदका, 2013)

यहाँ आचार्य शंकर भाष्य करते हुए लिखते हैं :

"ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते ज्ञायते ब्रह्म इति पदानि इत्येवमादिभिः ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते"। (गोयंदका, 2013)

यहाँ ब्रह्मसूत्र पद का उल्लेख करने से क्या यह अनुमान लगाना उचित होगा कि ब्रह्मसूत्र भगवद्गीता का पूर्ववर्ती है? यदि ऐसा माना जाता है तो पूर्ववर्ती बात से विरोध होगा। अतः इस समस्या का समाधान केवल बादरायण व वेदव्यास को अभिन्न मानने से संभव है। दूसरा, जो दृष्टांत दिया गया कि बादरायण व व्यास का पृथक्-पृथक् नामोल्लेख करना दोनों के अलग-अलग व्यक्ति होने का सूचक है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि बादरायण को कई परवर्ती व्याख्याकारों ने पाराशर्य (पाराशर के पुत्र) भी कहा है तो तब भी वे भिन्न माने जा सकते हैं। इन सब बाधक प्रमाणों की अपेक्षा इस बात के साधक प्रमाण अधिक हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ही बादरायण हैं।

महर्षि पाणिनि का सूत्र है—"पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः" (अष्टा01/3/110) तृतीयसमर्थाभ्यां पाराशर्यशिलालिभ्यां प्रतिपादिकाभ्यां यथासङ्ख्यं भिक्ष्युनटसूत्रयोः प्रोक्तयोर्णिनि प्रत्ययो भवति। उदा. पाराशर्यो भिक्षवः। शैलालिनो नटाः॥ (भार्गव,1987)। यहाँ पाराशर्य कृत भिक्षुसूत्र का परिचय मिलता है, जो पाणिनि के समय लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। पाराशर्य से आशय पाराशर के पुत्र वेदव्यास है तथा भिक्षुसूत्र ब्रह्मसूत्रों का अन्य अभिधान है। नागेश भट्ट ने शेखर टीका में भिक्षुसूत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे सूत्र, जिनके ज्ञान पर ब्रह्म रूप से सर्वविज्ञात हो जाने पर भिक्षुत्व (सन्यासित्व) की प्राप्ति होती है—भिक्षुसूत्रम् भिक्षुत्वसम्पादकम् सूत्रम् यथा नटसूत्रज्ञाने नटत्व सम्पत्तिः एवं तज्ज्ञाने ब्रह्मरूपत्वेन सर्वज्ञानात्कर्मस्वनादरेण भिक्षुत्वसम्पत्तेः।

महाभारत के शांति पर्व वार्ष्णेयांतर्गत यह उल्लेख आया है कि युग के अंत में जो वेद और इतिहास अंतर्निहित हो गए थे, उनको युग के प्रारंभ होने पर तपःपूत ऋषियों ने परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया। अनंतर यह बताया है कि किस ऋषि ने किस शास्त्र का प्रणयन किया। इसमें यह बताया है कि वेदांत और कर्मयोग को कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने ग्रहण किया :

**न्यायतन्त्रं तु कात्स्न्येर्न गौत्तमो वेदतत्त्वतः
वेदान्तं कर्म योगञ्च वेदविद्ब्रह्मविद्ब्रह्मविद्भिुः।
द्वैपायनो निजग्राह शिल्पशास्त्रं भृगुः पुनः॥ (मिश्र, 2018)**

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य शंकर से लेकर समस्त टीकाकारों ने वेदव्यास और बादरायण को अभिन्न व्यक्तित्व माना है तथा बाधक प्रमाणों की अपेक्षा दोनों के एक व्यक्तित्व मानने के साधक प्रमाण अधिक हैं, इसलिए दोनों को एक व्यक्ति मानने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

इस प्रकार बादरायण ब्रह्मसूत्रों पर कालांतर में भाष्य लिखा गया। ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य (शारीरक भाष्य) भास्कराचार्य (भास्कर भाष्य), रामानुज (श्रीभाष्य), मध्व (पूर्णप्रज्ञ भाष्य), निंबार्क (वेदांतपरिजात भाष्य), श्री कंठ (शैव भाष्य), श्रीपति (श्रीकर भाष्य), वल्लभ (अणु भाष्य), विज्ञानभिक्षु (विज्ञानामृत भाष्य), बलदेव विद्याभूषण (गोविंद भाष्य) आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रवर्तन किया। इनमें शंकर ने अद्वैत, भास्कर ने भेदाभेद, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत, मध्व ने द्वैत, निंबार्क ने द्वैताद्वैत, श्री कंठ ने शैवविशिष्टाद्वैत, श्रीपति ने वीरशैवविशिष्टाद्वैत,

वल्लभ ने शुद्धाद्वैत, विज्ञानभिक्षु ने अविभागाद्वैत, बलदेव विद्याभूषण ने अचिंत्यभेदाभेद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। यद्यपि वर्तमान में ब्रह्मसूत्रों पर सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक भाष्य आचार्य शंकर कृत शारीरक भाष्य माना जाता है, परंतु वेदांत के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि आचार्य शंकर से पूर्व कई भाष्य लिखे जा चुके थे। इनमें से कुछ भाष्य तो बौद्ध दर्शन के प्रादुर्भाव से पूर्व लिखे जा चुके थे। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं—बोधायन, उपवर्ष, भर्तृप्रपंच, सुंदर पांडेय, द्रमिड, भारुचि, ब्रह्मानंदी, टंक, भर्तृमित्र, भर्तृहरि, ब्रह्मदत्त, गुहदेव, कपर्दी आदि। यह धातव्य है कि अद्वैत वेदांत परंपरा में ब्रह्मसूत्र पर न केवल भाष्य ही लिखे गए, वरन् टीकाएँ भी लिखी गईं, जिनमें अमलानंद ने शास्त्रदर्पण, अप्पयदीक्षित ने न्यायरक्षामणि, नारायणतीर्थकृत कृत विभावना, ब्रह्मानंदकृत मुक्तावली शंकरानंदकृत दीपिका और रामानंद कृत ब्रह्मामृतवर्षिणी आदि टीकाएँ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं।

आचार्य शंकर पर चर्चा करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य शंकर ने जिस गुरुतर कार्य का निष्पादन किया उसका श्रीगणेश उनसे पहले आचार्य गौडपाद अपनी मांडूक्य कारिका में कर चुके थे। इसके अतिरिक्त गौडपाद के नाम से उत्तरगीता एवं सांख्य कारिका का भाष्य भी प्राप्त होता है। जिस मायावाद का पल्लवन आचार्य शंकर ने अपनी कृतियों में किया है, उसका बीजारोपण आचार्य गौडपाद द्वारा शताब्दियों पूर्व किया जा चुका था। गौडपाद के पश्चात् गोविंदभगत्पाद का नाम अद्वैत परंपरा में अत्यंत आदर से लिया जाता है। गौडपाद शिष्य एवं शंकराचार्य के गुरु के रूप में गोविंदभगवत्पाद को जाना जाता है। शंकर ने शारीरक भाष्य की पुष्पिका में भी कहा गया है—इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर भगवत्पूज्यपादकृतौ (षट्शास्त्री, 2013)।

अधुना गोविंदभगवत्पाद कोई ग्रंथ कदाचित् नहीं मिलता है। शांकर संप्रदाय की गुरु परंपरा में वेदांत की एक स्वस्थ एवं सुदीर्घ परंपरा का उल्लेख मिलता है। शांकर संप्रदाय में इन श्लोकों के साथ शास्त्राध्ययन के पूर्व गुरुवंदना की जाती है, जिसमें वेदांत विद्या के आद्य प्रवर्तक स्वयं नारायण को माना गया है :

"नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्" ॥
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि ॥
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करूणालयम् ।
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॥ (मठाम्नाय, 2003)

वेदांत दर्शन के इतिहास में जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य ही वह प्रथम मनीषी हैं, जिन्होंने प्रस्थानत्रयी पर अद्वैत सिद्धांत के अनुसार युगप्रवर्तनकारी भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की नींव रखी। यही कारण है कि बहुधा अद्वैत वेदांत को शांकरवेदांत की संज्ञा भी दी जाती है। आचार्य शंकर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ, जब एक ओर चार्वाक, जैन एवं बौद्ध आदि नास्तिक मत वैदिक धर्म का लोप करने में संलग्न थे, वहीं दूसरी ओर यवनों, शकों, हूणों के आक्रमणों से प्रसारित विदेशी संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति को अस्त करने का प्रयास कर रही थी। इसके अतिरिक्त परमाणुकारणवाद (वैशेषिक), आरंभवाद (न्याय), प्रकृतिकारणवाद (सांख्य), अनेकात्मवाद (सांख्य) और तटस्थेश्वरवाद (योग) आदि सिद्धांत वेद के वास्तविक मर्म को बताने में सक्षम भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे घने अंधकार वाले काल में आचार्य शंकर ने अपनी वाणी से अद्वैत का दीपक जलाकर भारतभूमि को आलोकित किया। आचार्य शंकर का ब्रह्मसूत्रों पर लिखा गया भाष्य शारीरक भाष्य कहलाता है। स्वयं शंकर ने अध्यास भाष्य के अंत में कहा है—यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः(भोलेबाबा, 2010)।

शारीरक मीमांसा या शारीरक भाष्य (शारीरक = शरीर शब्द + क +अण्) से आशय है जीव के ब्रह्मत्व का विचार। रत्नप्रभाकार गोविंदानंद के अनुसार, "शरीरमेव शरीरकम्, कुत्सितत्वात्, तन्निवासी शारीरको जीवः तस्य ब्रह्मत्वविचारो मीमांसा तस्यामित्यर्थः (भोलेबाबा, 2010)।

शारीरक भाष्य पर पद्मपाद कृत पंचपादिका एवं वाचस्पति मिश्र कृत भामती दो प्रसिद्ध टीकाएँ लिखी गईं, जिनके फलस्वरूप सिद्धांतभेद होने से पूरा शांकर वेदांत दो संप्रदायों में विभक्त हो गया—1. भामती संप्रदाय 2. विवरण संप्रदाय। इन दोनों टीकाओं के अतिरिक्त शारीरक भाष्य पर ज्ञानोत्तमकृत विद्याश्री, प्रकाशात्मकृत न्यायसंग्रह, चित्सुखकृत भावप्रकाशिका, आनंदबोध कृत न्यायनिर्णय, रामतीर्थ कृत शारीरकरहस्यार्थप्रकाशिका एवं गोविंदानंद कृत भाष्यरत्नप्रभा आदि टीकाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आचार्य शंकर ने दश उपनिषदों पर भाष्य लिखा; अतः इन उपनिषदों को सैद्धांतिक उपनिषद् कहा जाता है—ईशावास्योपनिषद्भाष्य, केनोपनिषद्भाष्य (इस पर वाक्य व पद नाम से दो भाष्य लिखे हैं) कठोपनिषद्भाष्य, प्रश्नोपनिषद्भाष्य, मुंडकोपनिषद्भाष्य, मांडूक्योपनिषद्भाष्य, तैत्तिरियोपनिषद्भाष्य, ऐतरेयोपनिषद्भाष्य, छांदोग्योपनिषद्भाष्य, बृहदाराण्यकोपनिषद्भाष्य। इनके अतिरिक्त श्वेताश्वतरोपनिषद् पर भी भाष्य मिलता है। उपनिषदों के अतिरिक्त शंकर ने श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य, ब्रह्मसूत्र–शारीरक भाष्य, सनत्सूजातीयभाष्य, ललितात्रिशतिभाष्य, मांडूक्यकारिकाभाष्य, विष्णुसहस्रनामभाष्य, गायत्रीभाष्य इत्यादि भाष्यों का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, उपदेशसाहस्री, पंचीकरणप्रकरण, प्रबोधसुधाकर, लघुवाक्यवृत्ति, वाक्यवृत्ति, विवेकचूडामणि तथा शतश्लोकी इत्यादि प्रकरण ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित दो प्रधान तंत्र ग्रंथ हैं—1. सौंदर्यलहरी 2. प्रपंचसार। भामती के टीकाकार अमलानंद ने शारीरक भाष्य के देवताधिकरण पर लिखते हुए कल्पतरु टीका में प्रपंचसार नामक तंत्र ग्रंथ के एक श्लोक को प्रमाण के रूप में उद्धृत कर आचार्य शंकर के नाम का उल्लेख किया है। शृंगेरी मठ के शंकराचार्य की अध्यक्षता में वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित श्रीरंगम् से आदि शंकर के नाम से 64 स्तोत्र ग्रंथों को प्रकाशित किया है। इन स्तोत्रों में नदी-तीर्थ विषयक तथा गणेश, शिव, देवी, विष्णु तथा युगल देवी देवताओं को संबोधित कर लिखे गए हैं। इनमें से भाषागत माधुर्य और मूर्धन्य आचार्यों के द्वारा लिखे गए भाष्यों को देखते हुए जिन स्तोत्रों को असंदिग्ध रूप से आचार्य शंकर विरचित माना जाता है वे हैं—आनंदलहरी, गोविंदाष्टक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्र, दशश्लोकी, मोहमुद्गर, चर्पटपंजरिका, षट्पदी, मनीषापंचकम्, सोपान पंचकम्, धन्याष्टकम्, शिवभुजंगप्रयात इत्यादि। स्वयं प्रकाशमुनि ने एकश्लोकी व्याख्यान में एक श्लोक में आचार्य शंकर के जीवन क्रम का वर्णन करते हुए लिखा है कि आचार्य शंकर आठ वर्ष की अत्यल्प अवस्था में चारों वेद और बारह वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों में निष्णात हो गए थे। सोलह वर्ष की उम्र में भाष्य प्रणयन कर बत्तीस

वर्ष की अवस्था में कलेवर मुक्त हुए :

"अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवित्।
षोडषे कृतवान् भाष्यं, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्"॥ (षट्शास्त्री, 2016)

आचार्य शंकर ने वैदिक वर्णाश्रम धर्म के रक्षार्थ एवं अद्वैत के प्रचारार्थ भारतवर्ष के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की। आचार्य शंकर ने उत्तर में बदरिका आश्रम के निकट जोतिष्पीठ, पूर्व में पुरुषोत्तम (पुरी) क्षेत्र में गोवर्धन पीठ, दक्षिण में रामेश्वरम् क्षेत्र में शृंगेरी पीठ और पश्चिम में द्वारकाधाम में शारदापीठ की स्थापना की। इसके अतिरिक्त आचार्य शंकर ने स्वयं के रहने के लिए कांची में कामकोटिपीठ की स्थापना भी की थी। इन पीठों में आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों में पद्मपाद को गोवर्धन पीठ, हस्तामलक को शृंगेरी पीठ, श्रुतिधर (तोटकाचार्य) को ज्योतिष पीठ एवं सुरेश्वराचार्य को शारदापीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया। इन शिष्यों में हस्तामलक ने हस्तामलक स्तोत्र तथा श्रुतिधर (तोटकाचार्य) ने श्रुतिसारसमुद्धरण या त्रोटक स्तोत्र (त्रोटक छंद में होने से श्रुतिसारसमुद्धरण को ही त्रोटक स्तोत्र कहा जाता है) की रचना की। आचार्य शंकर के शिष्यों में पद्मपाद एवं सुरेश्वराचार्य ने विशेष ख्याति प्राप्त की। सुरेश्वराचार्य वार्तिककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म्यसिद्धि, बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक, पंचीकरणवार्तिक, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक इत्यादि ग्रंथों का प्रणयन किया। कहा जाता है कि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होकर मंडन मिश्र ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होकर वे सुरेश्वर कहलाए। सन्यास लेने से पूर्व सुरेश्वर ने ब्रह्मसिद्धि नामक उच्चकोटि का वेदांत ग्रंथ लिखा। यहाँ यह धातव्य है कि नैष्कर्म्यसिद्धि एवं ब्रह्मसिद्धि तो सुरेश्वराचार्य कृत ग्रंथ हैं ही, परंतु अद्वैत वेदांत में अन्य भी सिद्धि नाम वाले प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—विमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि एवं मधुसूदन सरस्वती कृत अद्वैतसिद्धि एवं काश्मीरकसदानंद कृत अद्वैतब्रह्मसिद्धि।

सुरेश्वराचार्य के शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि (990 ई.) ने संक्षेपशारीरक नामक अद्वैतवेदांत का सुंदर पद्यात्मक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इस ग्रंथ पर छह आचार्यों की टीका मिलती है—मधुसूदनसरस्वती प्रणीत सारसंग्रह, नृसिंहाश्रम कृत तत्त्वबोधिनी, रामतीर्थ कृत अन्वयार्थप्रकाशिका, अग्निचित्पुरुषोत्तमकृत सुबोधिनी, राघवानंदकृत विद्यामृतवर्षिणी और विश्ववेद प्रणीत सिद्धांतदीप।

पद्मपाद ने शारीरक भाष्य पर जो टीका लिखी, वह पंचपादिका कहलाती है, जो शांकर वेदांत के विवरण संप्रदाय का मूलाधार बनी। इसे पंचपादिका कहने का कारण यह है, क्योंकि यह टीका शांकर भाष्य के पाँच पादों तक ही गई है—अध्यास, ब्रह्मजिज्ञासा, ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्म में प्रमाण एवं ब्रह्म में समन्वय। पंचपादिका पर प्रकाशात्मयति (1200 ई0) ने विवरण टीका लिखी तथा विवरण पर माधवाचार्य (1350) ने विवरणप्रमेयसंग्रह नामक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ लिखा। अद्वैत में विवरणप्रमेयसंग्रह ग्रंथ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पंचपादिका पर विवरण के अतिरिक्त विद्यासागर कृत पंचपादिकाटीका, अमलानंद कृत पंचपादिकादर्पण, नृसिंहाश्रमकृत वेदांतरत्नकोश तथा आत्मस्वरूप कृत प्रबोधपरिशोधिनी टीकाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार विवरण पर अखंडानंद कृत तत्त्वदीपन, चित्सुखकृतविवरणभावद्योतनिका, विद्यासागरकृत टीकारत्नम् , रंगराजाध्वरींद्र कृत विवरणदर्पण, विष्णुजी भट्ट कृत ऋजुविवरण, रामानंदकृत विवरणोपन्यास टीकाएँ लिखी गई। इनमें पुनः विवरण पर अखंडानंद कृत तत्त्वदीपन टीका पर नृसिंहाश्रम कृत भावप्रकाशिका तथा विष्णुजीभट्ट कृत ऋजुविवरण पर रामानंदकृत त्रैय्यंतभावदीपिका टीका लिखी गई। प्रकाशात्मयति ने शांकरभाष्य पर न्यायसंग्रह टीका तथा शब्दनिर्णय नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा था।

शांकर वेदांत में वाचस्पति मिश्र ने शारीरक भाष्य पर भामती टीका लिखकर अभूतपूर्व गौरव प्राप्त किया। जिस प्रकार पंचपादिका टीका ने विवरण संप्रदाय को जन्म दिया, उसी प्रकार यह टीका भामती संप्रदाय की जननी बनी। भामती पर अमलानंद (1250) ने 'कल्पतरु' नाम की टीका लिखी तथा 'कल्पतरु' पर अप्पय दीक्षित (1520-1593) ने 'परिमल' तथा वैद्यनाथ ने 'मंजरी' टीका लिखी। भामती पर अखंडानंद कृत 'ऋजुप्रकाशिका' तथा अल्लालकृत 'भामतीतिलक' टीकाएँ भी विद्यमान हैं।

नैषधकार श्री हर्ष ने 12 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'खंडनखंडखाद्य' नामक एक अप्रतिम ग्रंथ लिखा, जो अद्वैतन्याय का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें नैयायिक मत का खंडन कर अनिर्वचनीयता को प्रतिष्ठापित किया गया, इसलिए इसे 'अनिर्वचनीयतासर्वस्वम्' कहा जाता है। इस पर शंकर मिश्र की शांकरी (आनंदवर्द्धिनी) तथा विद्यासागर की विद्यासागरी टीका लिखी गई। इस काल यानी लगभग 12वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत में आनंदबोधभट्टारक एवं चित्सुखाचार्य का नाम आदर सहित लिया जाता है। आनंदबोधभट्टारक कृत न्यायमकरंद एक अमरकृति है। चित्सुखाचार्य की कीर्तिपताका तत्त्वप्रदीपिका या चित्सुखी बल पर लहरा रही है। चित्सुखाचार्य ने शारीरक भाष्य पर भावप्रकाशिका, नैष्कर्म्यसिद्धि पर भावतत्त्वप्रकाशिका, ब्रह्मसिद्धि पर अभिप्रायप्रकाशिका तथा पंचपादिकाविवरण पर भावद्योतनिका टीका लिखी।

14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा बुक्क के राजगुरु माधवाचार्य सन्यास लेने के बाद विद्यारण्य कहलाए। विद्यारण्य ने विवरणप्रमेयसंग्रह, पंचदशी, जीवन्मुक्तिविवेक, वाक्यसुधा, बृहदारण्यकवार्तिकसार, अनुभूतिप्रकाश, वैयासिकन्यायमाला, शंकरदिग्विजय एवं दृग्दृश्यविवेक आदि अद्वैत ग्रंथों की रचना करके महनीय कीर्ति उपार्जित की है। प्रकाशानंदकृत वेदांतसिद्धांतमुक्तावली में अज्ञान के स्वभाव का अत्यंत सूक्ष्मता से विवेचन किया गया है और दृष्टिसृष्टिवाद की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वेदांतनयभूषण नामक एक अन्य ग्रंथ भी प्रकाशानंद ने लिखा है।

15 वीं शताब्दी में परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंदयोगींद्र ने वेदांतसार नामक एक अत्यंत लोकप्रिय प्रकरण ग्रंथ की रचना की। इस पर नृसिंह सरस्वती कृत सुबोधिनी, रामतीर्थ कृत विद्वन्मनोरंजिनी तथा आपदेव कृत बालबोधिनी—ये तीन टीकाएँ उपलब्ध होती है। अप्पयदीक्षित के पिता रंगराजाध्वरींद्र ने 'अद्वैतविद्यामुकुर' और 'पंचपादिकाविवरणदर्पण' नामक दो वेदांत ग्रंथ बनाए। अप्पय दीक्षित (1520-1593) ने 'सिद्धांतलेशसंग्रह' नामक प्रकरण ग्रंथ तथा ब्रह्मसूत्र पर 'न्यायरक्षामणि' और वेदांतकल्पतरु पर 'परिमल' नामक व्याख्या लिखी है। अद्वैत परंपरा में अप्पय दीक्षित सर्वतोमुखी पांडित्य के कारण विख्यात हैं। मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें 'सर्वतंत्रस्वतंत्र' कहकर इनकी प्रशंसा की है। अप्पय दीक्षित के शिष्य एवं वैयाकरण सिद्धांतकौमुदीकार भट्टोजि दीक्षित ने 'वेदांतकौस्तुभ' नामक अद्वैत ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें उन्होंने माध्व मत का खंडन किया है। भट्टोजि दीक्षित के भाई रंगोजि भट्ट ने भी दो अद्वैत ग्रंथों का प्रणयन किया

है—अद्वैतचिंतामणि एवं अद्वैतशास्त्रसारोद्धार। वेदांतसार पर सुबोधिनी टीका के प्रणेता नृसिंह सरस्वती के शिष्य हुए वेंकटनाथ तथा वेंकटनाथ के शिष्य धर्मराजाध्वरींद्र (1550 ई.) ने 'वेदांतपरिभाषा' नामक अद्वैत वेदांत के प्रकरण ग्रंथ की रचना की, जो नव्य न्याय शैली में अद्वैत वेदांत के तत्त्वों की विवेचना करता है। इस पर रामकृष्णाध्वरींद्र की 'वेदांतशिखामणि' टीका लब्धख्यात है।

17वीं शताब्दी में आचार्य मधुसूदन सरस्वती का नाम भी अद्वैत वेदांत परंपरा में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है तथा ये अप्पय दीक्षित के परवर्ती हैं। मधुसूदन सरस्वती ने सिद्धांतबिंदु, वेदांतकल्पलतिका, अद्वैतसिद्धि, अद्वैतरत्नरक्षण, प्रस्थानभेद, भक्ति रसायन इत्यादि ग्रंथों का प्रणयन किया तथा संक्षेपशारीरक पर सारसङ्ग्रह, गीता पर गूढार्थदीपिका, शिवमहिम्नःस्तोत्र टीका और श्रीमद्भागवत पर टीका लिखी। मधुसूदन सरस्वती की कीर्तिपताका अद्वैतसिद्धि ग्रंथ के कारण लहलहा रही है, जिसमें उन्होंने माध्वमत का खंडन कर अद्वैत सिद्धांत को अत्यंत परिष्कृत नैयायिक शैली से प्रतिष्ठापित किया है। अद्वैतसिद्धि पर दो प्रसिद्ध टीकाएँ विद्यमान है—ब्रह्मानंद सरस्वती की लघुचंद्रिका एवं गौडब्रह्मानंद की अद्वैतचंद्रिका। इसी कालखंड में काश्मीर के सदानंदयति (17 वीं शताब्दी ई.) ब्रह्मानंद एवं नारायण के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, अद्वैतब्रह्मसिद्धि। इस ग्रंथ में इन्होंने रामानुज, मध्व एवं विज्ञानभिक्षु के मत का खंडन कर अद्वैत मत की स्थापना की है। इसी कालखंड में महाभारत के टीकाकार नीलकंठ के 'वेदांतकतक' एवं 'आनंदमधिकरणविधार' प्रसिद्ध अद्वैत ग्रंथ हैं। 17 वीं शताब्दी में ही अद्वैत के प्रसिद्ध आचार्य हुए, गोविंदानंद यति। इन्होंने शारीरक भाष्य पर 'रत्नप्रभा' नामक अत्यंत सुंदर टीका लिखी, जो पंचपादिका, भामती एवं विवरण के पश्चात् विद्वानों के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। यह टीका शारीरक भाष्य (ब्रह्मसूत्र-शांकर भाष्य) को हृदयंगम करने में सर्वाधिक उपायोगी एवं सरल मानी जाती है। इस टीका में स्वयं गोविंदानंद ने लिखा है कि अद्वैत वेदांत शास्त्र की विस्तृत एवं गंभीर टीकाओं को पढ़ने में जिनको आलस आता है, उनके लिए ही यह 'भाष्यरत्नप्रभा' नामक टीका लिखी जा रही है :

विस्तृत ग्रन्थवीक्षायामलसं यस्य मानसम् ।
व्याख्यातदर्थमारब्धा भाष्यरत्नप्रभाभिधा ॥ (भोलेबाबा, 2010)

गोविंदानंद के शिष्य हुए रामानंद यति हुए, जिन्होंने अपने गुरु के समान ही शारीरक भाष्य पर 'ब्रह्मामृतवर्षिणी' टीका लिखी। इसी के साथ प्रकाशात्मयति की टीका विवरण पर 'विवरणोपन्यास' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ विद्वानों में अधिक चर्चित एवं प्रसिद्ध है।

अब हम 18वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। इस कालखंड में सर्वाधिक प्रसिद्ध अद्वैत के विद्वान् हुए काशी के सदानंद व्यास। इन्होंने प्रत्यक् तत्त्वचिंतामणि, अद्वैतसिद्धिसिद्धांतसार, गीताभावप्रकाश, स्वरूपनिर्णय, दशोपनिषत्सार एवं शंकरदिग्विजयसार आदि अद्वैतग्रंथों की रचना भी की है। 18वीं शताब्दी में इन तीन विद्वानों का नाम भी लिया किया जाना चाहिए—आचार्य महादेव सरस्वती, जिन्होंने 'तत्त्वानुसंधान' नामक अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान कराने के लिए अत्यंत सरल भाषा में ग्रंथ लिखा है। आचार्य सदाशिवेंद्र सरस्वती, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर शारीरक भाष्यानुसारी पर 'ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका' टीका लिखी। आचार्य आयन्न दीक्षित ने 'व्यासतात्पर्यनिर्णय' नामक अद्भुत वेदांत ग्रंथ की रचना की।

अद्वैत वेदांत में यद्यपि परंपरा के ग्रंथ संदर्भित किए जाते हैं, तथापि श्रीमद्भागवत-महापुराण, योगवाशिष्ठ, अध्यात्म रामायण, आदिशेष पतंजलिकृत परमार्थसार, कैवल्यरत्न, उत्तरगीता, अवधूत गीता ब्रह्मगीता आदि मूर्धन्य ग्रंथ इत्यादि को भी अद्वैत का ही ग्रंथ मानकर संग्रहीत एवं उद्धृत किया जाता है। शांकर वेदांत की शास्त्र परंपरा यद्यपि एक विशाल महासागर के समान है, तथापि उसका संक्षिप्त चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष

अद्वैत वेदांत निस्संदेह पुष्कल शास्त्र परंपरा से ओत-प्रोत है। ब्रह्मसूत्र अद्वैत वेदांत का आद्य स्रोत कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र सहित महर्षि व्यास प्रणीत महाभारत के भीष्मपर्व के अंतर्गत विद्यमान श्रीमद्भगवद्गीता तथा उपनिषद् को सम्मिलित रूप में वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ये अद्वैत वेदांत की मुख्य ग्रंथ हैं। वेदांत दर्शन के इतिहास में जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य ही वह प्रथम मनीषी हैं, जिन्होंने प्रस्थानत्रयी पर अद्वैत सिद्धांत के अनुसार युगप्रवर्तनकारी भाष्य लिखकर अद्वैत वेदांत की नींव रखी। यही कारण है कि बहुधा अद्वैत वेदांत को शांकर वेदांत की संज्ञा भी दी जाती है। शारीरक भाष्य पर पद्मपाद कृत 'पंचपादिका' एवं वाचस्पति मिश्र कृत 'भामती' दो प्रसिद्ध टीकाएँ लिखी गई, जिनके फलस्वरूप सिद्धांतभेद होने से पूरा शांकर वेदांत दो संप्रदायों में विभक्त हो गया—1. भामती संप्रदाय 2. विवरण संप्रदाय। तदुपरांत प्रकरण ग्रंथों की रचना हुई। दर्शन शास्त्र परंपरा सूत्रों पर भाष्य तथा भाष्यों पर टीकाएँ लिखी जाकर विकसित हुई है। सूत्र, भाष्य एवं टीका में निबद्ध संपूर्ण दर्शन सिद्धांत को शास्त्रीय गांभीर्य एवं तर्क-वितर्क के ऊहापोह से भिन्न समग्र रूप में तथा सरलता से समझने के लिए जिन ग्रंथों का प्रणयन हुआ, उन्हें कहा गया—प्रकरण ग्रंथ। अतः ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य तथा भामती विवरणादि टीकाओं से पोषित अद्वैत वेदांत शास्त्र को समग्र रूप में तथा सुगम भाषा में समझने के लिए शांकर वेदांत की शास्त्र परंपरा यद्यपि एक विशाल महासागर के समान है, तथापि उसका संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत शोधपत्र में अंकित किया गया है।

संदर्भ

अध्वरींद्र. & माधवानंद. (1972). *वेदांतपरिभाषा ऑफ धर्मराजाध्वरींद्र*. कलकत्ता : अद्वैत आश्रम.

गोयंदका. हरिदास. (2017). *श्वेताश्वतरोपनिषद्* 1/1 (शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित). गोरखपुर : गीताप्रेस. पृ. 58.

गोयंदका, हरिकृष्णदास. (2013). *श्रीमद्भगवद्गीता*, अध्याय-13, श्लोक-4. गोरखपुर : गीताप्रेस. पृ० 123.

चंद्र. ईश्वर. (2011). *ऋग्वेद संहिता* (10/129/06). नई दिल्ली : परिमल पब्लिकेशन. पृ.16.

छांदोग्योपनिषद्. (2017). *छांदोग्योपनिषद्* (सानुवाद शांकरभाष्यसहित). गोरखपुर : गीताप्रेस.

तथाचार्य. रामानुज. (1982). *तत्त्वचिंतामणि आफ गंगेशोपाध्याय*. तिरुपति : केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ.

दत्ता. धीरेंद्र, मोहन. (2017). द *सिक्स वेज आफ नोइंग : द क्रिटिकल थिओरी ऑफ अद्वैत नालेज*. नई दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास.

द्विवेदी. पारसनाथ. (2014) . *वेदांत परिभाषा* (धर्मराजाध्वरींद्र कृत). वाराणसी : सम्पूर्णानंद संस्कृतविश्वविद्यालय.

भार्गव, दयानंद. (2012). *तर्कसंग्रह* (अन्नम्भट्ट). नई दिल्ली : मोतीलाल

बनारसीदास प्रकाशन.

भोलेबाबा, यतिवर. (2010). *ब्रह्मसूत्र* 1/2/6 पर ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य. वाराणसी : भारतीय विद्या प्रकाशन. पृ. 29.

भोलेबाबा, यतिवर. (2010). *ब्रह्मसूत्र*-अध्यासभाष्य. वाराणसी : चौखंभा प्रकाशन. पृ-12.

भोलेबाबा, यतिवर. (2010). *ब्रह्मसूत्र*-अध्यासभाष्य पर रत्नप्रभा टीका. वाराणसी : चौखंभा प्रकाशन. पृ. 12.

भोलेबाबा, यतिवर. (2010). *ब्रह्मसूत्र*-अध्यासभाष्य पर रत्नप्रभा टीका. वाराणसी : चौखंभा प्रकाशन. पृ. 25.

भोलेबाबा, यतिवर. (2010). *ब्रह्मसूत्र*-शांकर भाष्य (रत्नप्रभा टीका सहित). वाराणसी : भारतीय विद्याभवन.

मठाम्नाय. (2003). कांचीकामकोटिमठ. पृ. 45

मिश्र. सचिदानंद. (2018). *महाभारतशान्तिपर्व*. वार्ष्णेयाध्याय. 12/121/34. वाराणसी : चौखंभा संस्कृत प्रतिष्ठान. पृ. 345.

मिश्र. सच्चिदानंद. (2006). *न्यायदर्शन में अनुमान*. वाराणसी : भारतीय विद्याभवन.

मुसलगाँवकर. गजानन. (2010). *वेदांत परिभाषा-प्रत्यक्ष परिच्छेद* (धर्म-राजाध्वरींद्र कृत). नई दिल्ली : चौखंभा सुरभारती प्रकाशन.

विश्वेश्वर, आचार्य. (2013). *ब्रह्मसूत्र* 2/16. वाराणसी : चौखंभा प्रकाशन पृ-34.

विश्वेश्वर, आचार्य. (2016). *तर्कभाषा* (केशवमिश्र). वाराणसी : चौखंभा विद्याभवन.

षट्शास्त्री, हनुमान. (2013). *ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य*. नई दिल्ली : चौखंभा प्रकाशन. पृ-6.

षट्शास्त्री, हनुमान. (2016). *एकश्लोकी व्याख्यान* 2/15. दिल्ली : स्वयं प्रकाशमुनि चौखंभा संस्कृत प्रतिष्ठान. पृ-34.

षट्शास्त्री, हनुमान. (2013). *ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य*. दिल्ली : चौखंभा प्रकाशन. पृ-6.

शास्त्री, भार्गव. (1987). *पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यम्* (1/3/110). दिल्ली : चौखंभा संस्कृत प्रतिष्ठान. पृ-65.

श्वेताश्वतरोपनिषद्. (2017). *श्वेताश्वतरोपनिषद्* (सानुवाद शांकरभाष्यसहित). गोरखपुर : गीताप्रेस.

शास्त्री, सुब्रह्मण्य. (1986). *बृहदारण्यक उपनिषद्* (विद्यारण्य कृत दीपिका व्याख्या सहित). वाराणसी : महेश रिसर्च इंस्टीट्यूट.

शास्त्री, केशवलाल. (2012). *वेदांतपरिभाषा* (धर्मराजाध्वरींद्र कृत). दिल्ली : चौखंभा संस्कृत सीरीज ओफिस.

शास्त्री, द्वारिकादास. (1986). *न्यायसूत्र* (वात्स्यायन भाष्य). वाराणसी : बौद्ध भारती प्रकाशन.

शास्त्री, गोपीनाथ. (1983). *तत्त्वचिंतामणि* (गंगेशोपाध्यायकृत). वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय.

स्वामी, किशोरीलाल. (2001). *पंचपादिका* (पद्मपाद कृत). देहरादून : रामतीर्थ मिशन.

स्वामी, योगींद्रानंद. (2005). *भामती* (वाचस्पति मिश्र कृत). वाराणसी : चौखंभा विद्याभवन.

स्वामी, किशोरीलाल. (2001). *पंचपादिकाविवरण* (प्रकाशात्मयति कृत). देहरादून : रामतीर्थ मिशन.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 51-56, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

डिजिटल युग में योग और आध्यात्मिक संचार द्वारा तनाव प्रबंधन : एक विवेचन

डॉ. राज लक्ष्मी[1]

सारांश

डिजिटल युग में मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले आधुनिक आविष्कारों में एक प्रमुख आविष्कार है इंटरनेट। स्मार्टफोन और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा अन्य आधुनिक तकनीकों की बढ़ती लोकप्रियता ने समाज और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को काफी प्रभावित किया है। इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में तनाव मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, जो वैश्विक रूप से चिंता का विषय बनता जा रहा है। बढ़ते तनाव के कारण ही आज चिंता, अवसाद, खराब स्वास्थ्य, अनिद्रा, अल्पायु और हृदय रोग के बढ़ते मामले दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग शांत मन और स्वस्थ शरीर की चाहत रखते हैं, लेकिन आधुनिक जीवनशैली इसके लिए एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। आधुनिक समय में काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, शरीर को आवश्यक आराम नहीं मिल पा रहा, खान-पान की आदत बिगड़ती जा रही है और शारीरिक व्यायाम तो लगभग खत्म-सा होता जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण काम से संबंधित तनाव, सामाजिक अलगाव, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यजनित चिंताएँ बढ़ी हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्मार्टफोन पर अत्यधिक निर्भर इस डिजिटल युग में योग द्वारा कैसे तनाव कम किया जा सकता है, और योग कैसे तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि योगाभ्यास के असंख्य लाभ हैं और डिजिटल युग में तनाव को कम करने में योग सहायक सिद्ध हो रहा है।

संकेत शब्द : प्रौद्योगिकी, तनाव, योग, इंटरनेट, कोविड-19 महामारी, डिजिटल युग, आध्यात्मिक संचार

प्रस्तावना

आधुनिक जीवन की चुनौतियाँ अनंत हैं। तनाव, चिंता और अवसाद, काम का बोझ, उचित खान-पान का अभाव, शारीरिक श्रम से दूरी डिजिटल युग में एकाकीपन के कारण हैं। कोविड-19 महामारी ने घर से काम करने, सामाजिक दूरी और आभासी जीवन जैसी चुनौतियों को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एकाकीपन, तनाव और निराशा में वृद्धि हुई है। आधुनिक समाज में तनाव एक वैश्विक स्वास्थ्य का मुद्दा माना जाता है। यह अस्वस्थ शरीर, मानसिक असंतुलन और अशांति, कार्यक्षमता में कमी, अनिद्रा, विभिन्न प्रकार के हृदय रोग आदि का कारण बनता है। तनाव के अनेक लक्षण हो सकते हैं, जैसे उद्वेग, अशांति, आलस्य, कमजोरी, सरदर्द, अत्यधिक क्रोध, बेवजह चिंता और उदासी, अच्छी नींद का अभाव, सीने में जलन, धड़कनों का तेज होना, मानसिक अशांति आदि। स्वास्थ्य संबंधी ये समस्याएँ आज पूरे विश्व में सुखमय जीवन के लिए एक चुनौती स्वरूप हैं।

क्षणिक तनाव

क्षणिक तनाव को आमतौर पर एक नकारात्मक लक्षण के रूप में देखा जाता है। क्षणिक तनाव कम समय के लिए अचानक उत्पन्न तनाव है, जो लगातार होने वाले तनाव की तुलना में कम नुकसानदेह होता है। लंबे समय तक लगातार होने वाले या दीर्घकालिक तनाव में बातों को भूलना, असहजता और भूख न लगने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दीर्घकालिक तनाव में शरीर और जोड़ों में दर्द, नींद में कमी, और आचार-व्यवहार में असामान्य स्थितियाँ दिखाई दे सकती हैं। यह कमजोरी, उत्तेजना, क्रोध और एकाग्रता की कमी का कारण बन सकता है। तनाव के कारण उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और गठिया सहित कई अन्य गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जबकि क्षणिक तनाव को व्यवहार या बाहरी वातावरण में अचानक बदलाव के परिणामस्वरूप तनाव का छोटा रूप माना जा सकता है।

तनाव सृजन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

वर्तमान समय में व्यक्ति अति महत्त्वाकांक्षी होता जा रहा है और भौतिक सुख-सुविधा जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। चिंता, निराशा, चिड़चिड़ापन और असंतोष के बढ़ते इस दौर में तनाव एक सामान्य-सी बात हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वर्तमान समय में अवसाद एक गंभीर वैश्विक चुनौती है, जिसकी चपेट में 300 मिलियन से अधिक लोग आ चुके हैं। इस वैश्विक समस्या ने कई शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में अपना अध्ययन केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। कार्ल यंग के अनुसार, आधुनिक तकनीक के अत्यधिक प्रयोग और इंटरनेट की लत के ये नकारात्मक परिणाम हैं। बियांची और फिलिप्स (2005) के अनुसार इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग करने वाले लोगों को जब कभी यह सुविधा नहीं मिलती या उपलब्ध सुविधाएँ सीमित होती हैं, तो वे क्रोध, तनाव या अवसाद के शिकार हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव हमारे व्यवहार, अनुभूति और आदतों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी भोजन और निद्रा जैसी हमारी बुनियादी जरूरतों को भी प्रभावित करने लगी है। (स्महेल आदि, 2012)।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर व्यापक शोध किए गए हैं और प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणामों की बात सभी ने मानी है (शॉव एंड ब्लैक, 2008; वेइंस्टीन, 2010; यंग, 2009)। प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग का विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, जो भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यावहारिक हो सकता है। (फ्लिशर, 2010)। प्रौद्योगिकी के प्रभाव कई तरीकों से प्रकट

[1]न्यू मीडिया सलाहकार. ईमेल : singhrajlakshmi107@gmail.com

हो सकते हैं, जैसे किसी बात पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, तनाव में वृद्धि, भावनात्मकता का अभाव, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में कमी, आत्मतुष्टि की इच्छा आदि। इन परिणामों को मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व विकार से जोड़कर देखा जा सकता है।

इंटरनेट के उपयोग की जाँच के लिए अनेक शोध कार्य चल रहे हैं। (कार, 2011; फ्लिशर, 2010)। इन अध्ययनों के परिणामों को स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल गैजेट सहित विविध कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मानव जीवन का बहुमूल्य समय ई-मेल, सोशल मीडिया आदि में बर्बाद कर रहा है। मौजूदा आम राय यह है कि वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यधिक रूप से बढ़ रहा है।

प्रौद्योगिकी की लत

प्रौद्योगिकी की लत से उत्पन्न मानसिक बीमारी की घटनाएँ वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रही हैं, जिसे वैज्ञानिक इंटरनेट की लत कहते हैं। फ्लिसर (2010) और यंग (2009) का मानना है कि इंटरनेट की लत एक नई बीमारी है, जो संबंधों, व्यावसायिक जीवन और सामाजिक ताने-बाने को बिखेर सकता है। ग्रिफिथ और हंट (1998) के अनुसार, तकनीक के प्रति लत पर एक व्यापक अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार की लत को व्यवहार की लत का एक उपवर्ग माना जाता है, जिसमें मनुष्यों का मशीनों पर आश्रित होना शामिल है।

तनाव प्रबंधन के रूप में योग

तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि नियमित योग अभ्यास चिंता, तनाव और अवसाद की भावनाओं को कम कर सकता है (एटकिन्सन, 2009)। योगाभ्यास, प्रौद्योगिकी के इस युग में तनाव के स्तर को कम करने का कारगर माध्यम है। वर्तमान में योग को मनो-शारीरिक चिकित्सा पद्धति का एक प्रकार माना जाता है जो विभिन्न तनाव से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए तीन प्रमुख घटकों (शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक) को एकीकृत करता है। मानसिक तनाव के लक्षणों को कम करने के लिए योग के विभिन्न आसन कारगर साबित हुए हैं। पश्चिम में योग की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ने के साथ इसकी उपयोगिता पर अध्ययनों और प्रयोगों में बहुत रुचि ली जा रही है। इतना ही नहीं, इसे उपचार के एक विकल्प के रूप में भी मान्यता मिलने लगी है। योग सर्वसुलभ है, यह शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवनशैली का आधार तैयार करता है। इस संदर्भ में, समग्र उपचार में योग की महत्ता को समझना आवश्यक है।

भारतीय सांस्कृतिक संचार प्रतिमान

संचार, पश्चिमी अकादमिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से विकसित हुआ है। पश्चिमी देश संचार प्रौद्योगिकियों पर निर्भर हैं। इसमें प्रमुख समस्या यह है कि यह बुनियादी मानव अभिव्यक्ति को समझ नहीं सकता। पश्चिमी विद्वानों द्वारा निर्धारित ये संरचनात्मक विधि या मॉडल अधिक जटिल (संकीर्ण) बन गए। ये जमीनी हालात को समझने में विफल रहे और पारंपरिक मूल्यों और ज्ञान से समृद्ध समुदायों के इतिहास को इसमें महत्त्व नहीं दिया गया। भारतीय सांस्कृतिक संचार प्रतिमान इस मामले में हमेशा समृद्ध रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, उपनिषद्, भागवत गीता, वेद आदि इसके उदाहरण हैं। प्राचीन संस्कृत और अन्य साहित्य जैसे नाट्य शास्त्र, स्मृति या कबीर, मीराबाई, तंत्रवाद जैसी रहस्यवादी परंपराओं में हमें स्वदेशी ज्ञान की एक समृद्ध परंपरा के उदाहरण मिलते हैं, जो हमारे समकालीन समाज को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसी तरह हम भारत की लोक और पारंपरिक कलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल में नैतिक, धार्मिक और सामाजिक-राजनीतिक संदेशों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता रहा है। इस प्रकार समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ सामाजिक अस्तित्व के संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न सांस्कृतिक तत्त्वों में अनेक उदाहरण पाए जाते हैं।

भारतीय दर्शन के छह अंग मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय भारतीय संदर्भ में संचार प्रतिमान के महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं। योग को विशेष रूप से इंट्रा-पर्सनल संचार के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है, जबकि पश्चिमी संदर्भ में संचार को आम तौर पर संप्रेषण और एक निश्चित तरीके से सामने वाले को प्रभावित करने के सीमित संदर्भ में देखा जाता है। भारतीय मॉडल में इसे आम तौर पर इंट्रा-पर्सनल संप्रेषण कला के रूप में देखा जाता है। एक बाहरी शक्ति, जो आंतरिक आत्म जागरूकता की भावना सामनेवाले के मन में पैदा करता है, हम इसे 'प्रज्ञा' कह सकते हैं। लोक परंपरा में मनोरंजनकर्ता, दर्शक और समुदाय को एकाकार कर दिया जाता है। आत्मज्ञान को अज्ञानता, भौतिक दुनिया के भ्रम और हमारे चारों ओर कृत्रिम चकाचौंध से मुक्ति के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। यह अभिव्यक्ति बनाम व्याख्या उन्मुख है। इस तरह यह एक प्रयोगात्मक दृष्टि से आगे निकलकर संचार को एक अलग सांस्कृतिक दृष्टि के रूप में देखने की विधा है। परम सत्य को खोजने का यह एक अनूठा और आंतरिक साधन है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति न तो भाषा से संभव है और न ही तर्क से। यह एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से होता है और इस शोध पत्र में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि योग मानव मन को इस भ्रम से बचने में कैसे मदद करता है। सार्वभौमीकरण की स्थिति में पहुँचने पर संचार का चक्र पूरा हो जाता है।

योग प्रौद्योगिकी के खतरों से उबारने का एक साधन है, जो तनाव की स्थिति को दूर करता है। विभिन्न आसनों के माध्यम से स्वयं को समझने का और तनाव और चिंता से मुक्ति का यह मार्ग प्रशस्त करता है। इस आशय के शुरुआती लिखित उदाहरणों का पता लगभग 200 ईसा पूर्व में लगाया गया था, जो पतंजलि के योगसूत्र द्वारा प्रमाणित है। पतंजलि के योग सूत्र में योग अभ्यास के आठ अलग-अलग अंगों की बात कही गई है। ये आसन मन और शरीर को ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर ले जाते है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पतंजलि द्वारा उल्लिखित आठ अंग या अष्टांग हैं। पहले अंग यम को आत्मसंयम का कारक माना जाता है। यह पतंजलि योग सूत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है, जो भारतीय परंपरा में आध्यात्मिकता का मूल मंत्र है। आत्मा और मानव-प्रकृति संबंधों की अवधारणा योग दर्शन के मूल में है और विभिन्न आसन उस दर्शन के भौतिक अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान में, कई लोग व्यावसायिक तनाव के साथ मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना कर रहे हैं। तनाव का प्रसार समकालीन समाज में व्यापक है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। योगाभ्यास मन

और शरीर में समता स्थापित करता है। योग चाहे आध्यात्मिक उत्थान के लिए हो या तनाव प्रबंधन और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, इसके कई लाभ हैं। योग एक उपचारात्मक अभ्यास है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों में चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मददगार साबित होता है।

तनाव से मुक्ति के लिए प्राणायाम, योग का एक घटक है, जिसमें श्वसन क्रिया के विविध तरीके शामिल हैं। प्राणायाम का उद्देश्य भौतिक शरीर के भीतर महत्त्वपूर्ण ऊर्जा का संवहन, शासित और सामंजस्य स्थापित करना है। ये प्रक्रियाएँ नासिका के माध्यम से साँस लेने के कार्य पर निर्भर हैं। श्वसन मानव अस्तित्व का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है। सूर्य नमस्कार के भी कई लाभ हैं। इससे मानसिक तनाव में कमी आती है। यह विचार क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा, यह शरीर को लचीला बनाता है, त्वचा में चमक लाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। ध्यान किसी व्यक्ति के मन और शरीर के लिए बहुत लाभकारक है। ध्यान के माध्यम से प्राप्त ताजगी का स्तर गहरी नींद से प्राप्त ताजगी से अधिक है, जो हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। यह मन और शरीर से तनाव को कम करता है। समकालीन समय में, व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने, एकाग्रता में सुधार और तनाव के स्तर को कम करने जैसे विभिन्न लाभों के लिए ध्यान को कारगर पाया गया है। ताड़ासन, धारणा और ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रभावी तकनीक हैं। योग के अभिन्न अंग 'ध्यान' द्वारा बेचैनी सहित मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है (गंगाधर, 2013)। बेकर (2000) के अनुसार, पतंजलि के योग सूत्र एक संतुलित जीवन जीने के लिए सटीक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो आत्मसंयम और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में योग के अभ्यास और तंत्रिका तंत्र के सुचारुता में वृद्धि के बीच एक सकारात्मक संबंध देखा गया है। (स्ट्रीटर एट अल, 2010; वैन डेर कोल्क 2012) भोले (1997) ने योग के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि योग अपने सैद्धांतिक रूप में जीवनयापन का एक तरीका है। भोले (1997) के अनुसार, हठ-योग का अभ्यास, जिसमें आसनों (मुद्रा), प्राणायाम (महत्त्वपूर्ण श्वसन क्रियाएँ), क्रिया (सफाई प्रक्रियाएँ), मुद्रा (विशिष्ट आंतरिक चेष्टाएँ), और बंध (न्यूरोमस्कुलर जोड़) शामिल हैं, जो मुख्य रूप से शारीरिक अभ्यास के रूप में सिखाए जाते हैं।

कई वैज्ञानिकों ने तनाव को कम करने में शारीरिक गतिविधियों के लाभों को देखा और विभिन्न अध्ययनों ने इन निष्कर्षों की पुष्टि की है। योग को तनाव कम करने के लिए एक श्रेष्ठ विधि के रूप में सुझाया गया है और यह एक अनुसंधान का विषय रहा है। हालाँकि, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस विषय पर और गहन वैज्ञानिक अध्ययन से अधिक लाभ मिल सकता है। इस सीमा के बावजूद अनेक शोधकर्ताओं ने तनाव और इसके संबद्ध लक्षणों को कम करने में योगाभ्यास के योगदान की पुष्टि की है। तनाव प्रबंधन के विषय को नागेंद्र और नागरत्न (2010) ने अपने 'तनाव प्रबंधन के नवीन परिदृश्य' शीर्षक शोधपत्र में प्रकाशित किया था। उनके निष्कर्षों ने तनाव और तनाव संबंधों पर अनुकूल प्रभाव का संकेत दिया।

महत्त्व

डिजिटल युग में तनाव का प्रबंधन सबसे प्रभावशाली कला है और प्रतिदिन योग का अभ्यास करके इसे कम किया जा सकता है। इस शोध पत्र का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल युग के संदर्भ में तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका का व्यापक मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन तनाव और डिजिटल गैजेट के बीच संबंधों के साथ-साथ क्षणिक और लगातार रहने वाले तनाव दोनों के प्रबंधन में योग के संभावित लाभों की जाँच करता है।

प्रौद्योगिकी निरूपण का सैद्धांतिक स्वरूप

प्रौद्योगिकी निरूपण एक सैद्धांतिक स्वरूप है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका का दावा करता है। मार्शल मैकलुहान (1964) की प्रौद्योगिकी निरूपण की अवधारणा के अनुसार, प्रौद्योगिकी हमारे अस्तित्व को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसके विवेकपूर्ण उपयोग में दुनिया को वैश्विक गाँव में बदलने की क्षमता है। प्रौद्योगिकी का महत्त्व दिन-ब-दिन बढ़ते ही जाने वाला है और इसके प्रभाव ज्यादातर अब स्वास्थ्य चुनौतियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सूचना सुविधाओं का अति प्रयोग और कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित समाज में तेजी से प्रगति वास्तव में समाज को एक प्रौद्योगिकी निर्भर भविष्य की ओर धकेल रही है।

तनाव पर कॉक्स का सिद्धांत

कॉक्स (1978, 1985) के सिद्धांत के अनुसार, एक व्यक्ति तनाव का अनुभव तब करता है जब मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं और उसके समाधान की क्षमता के बीच तालमेल नहीं हो पाता। कॉक्स का दावा है कि तनाव की पहचान करने में उत्तेजनाओं को समझने की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है। पर्यावरणीय खतरों या प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता पर भी जोर दिया जाता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ाव के संबंध में तनाव की पहचान करना है। मन जितना अशांत रहेगा, तनाव का स्तर भी उतना ही बड़ा होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने मानव मन के सामान्य कामकाज में एक व्यवधान उत्पन्न कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अवांछित सोच उत्पन्न होती है, जो असंतोष का कारण बनती हैं।

शोध प्रविधि

इस शोध कार्य के लिए विषय विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है और विषय का गहन अध्ययन किया गया है। अध्ययन से संबंधित बीज-शब्द और विषय की खोज गूगल स्कॉलर डेटाबेस और अन्य डेटाबेस से की गई है। अध्ययन में नीचे दिए गए मानदंडों को शामिल किया गया है :

1. पूर्ण-पाठ उपलब्धता
2. बीज शब्द
3. केवल तनाव, योग और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित लेख
4. तनाव प्रबंधन और योग पर एक पुस्तक

इस शोध आलेख के लिए 314 से अधिक लेखों और कई पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद दूसरे चरण में तनाव प्रबंधन और योग, डिजिटल युग और तनाव प्रबंधन पर 180 लेखों का चयन किया गया। अध्ययन के अंतिम चरण में शोध आलेखों और पुस्तकों के लिए विशिष्ट मानदंड बनाए गए, जो विशेष रूप से तनाव, योग और डिजिटल उपकरणों

पर केंद्रित थे। इस लंबी प्रक्रिया के उपरांत कुल 18 आलेखों और 5 पुस्तकों का चयन किया गया, जिन्हें अध्ययन में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया।

परिणाम

तनाव शब्द का प्रयोग पहली बार 1936 में हैंस सेली ने किया था। सेली का मानना है कि तनाव एक बहुआयामी विषय और एक व्यापक मुद्दा है जिसका जीवन की समग्र गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तनाव का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तनाव को कम करने में योग के नैदानिक लाभों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। योग ने हाल के दिनों में एक बॉडी-माइंड थेरेपी के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जिसमें अवसाद, खान-पान और अनिद्रा से संबंधित समस्याओं और जीवनशैली में सुधार लाने की क्षमता है। यहाँ तनाव से उत्पन्न विभिन्न रोगों के प्रबंधन और योगाभ्यास के माध्यम से इसके निदान पर किए गए अध्ययनों की समीक्षित सूची दी जा रही है। हालाँकि इनके अलावा कई और नैदानिक अध्ययन उपलब्ध हैं।

1. उच्च रक्तचाप और बैचेनी में कमी (Hagins, Rundle, Consedine, & Khalsa, 2014),
2. अवसाद के लक्षणों में कमी (Shapiro et al., 2007; Uebelacker et al., 2017)
3. तनाव और कोपिंग मैकानिज्म बदलाव (Kinser, Goehler, & Taylor, 2012; Streeter, Gerbarg, Saper, Ciraulo, & Brown, 2012)
4. बैचेनी के स्तर में कमी (Li & Goldsmith, 2012)

कार्डियोवैस्कुलर रोग हृदय को प्रभावित करते हैं और हृदय रोग का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कार्डियोवैस्कुलर रोग दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। कार्डियोवैस्कुलर रोगों की व्यापकता को कम करने में प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन रणनीतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। वर्तमान में, कार्डियोवैस्कुलर रोग विश्वव्यापी है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तियों का निधन दिल के दौरे या दिल से संबंधित बीमारियों के कारण हुआ। हृदय रोगों का प्राथमिक कारक तनाव है। खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर क्रोनिक कार्डियोवस्कुलर रोग के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कारक है। समग्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हृदय का होना अति आवश्यक है। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका प्राणायाम है।

मधुमेह (डायबिटीज)

वर्तमान डिजिटल युग में मधुमेह (डायबिटीज) स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यह लगभग शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसमें गुर्दे, दिल और यकृत जैसे महत्त्वपूर्ण अंग शामिल हैं। तनाव के उच्च स्तर को शरीर के भीतर ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारक पाया गया है, जिसके फलस्वरूप टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह दोनों का विकास होता है, साथ ही पाचनतंत्र भी प्रभावित होता है। अत्यधिक मात्रा में मधुमेह रोगी पाए जाने के कारण भारत को मधुमेह का वैश्विक केंद्र कहा जाता है। आसन और प्राणायाम के रूप में लोकप्रिय योग मुद्राओं और श्वसन क्रियाओं का नियमित अभ्यास टाइप 2 मधुमेह मेलिटस के प्रबंधन में सहायक पाया गया है। इस पूरक प्रणाली का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के साथ-साथ किया जा सकता है। मस्तिष्क के सुचारु रूप से कार्य करने में योगाभ्यास का सकारात्मक प्रभाव पाया गया है। नतीजतन, यह टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों में मस्तिष्क को दुरुस्त करने के उद्देश्य से पारंपरिक चिकित्सा के साथ एक महत्त्वपूर्ण सहायक चिकित्सा पद्धति हो सकता है।

हाइपरटेंशन, जिसे उच्च रक्तचाप के रूप में भी जाना जाता है, आज एक गहरी चिंता का विषय है। यद्यपि इसके लिए भी तनाव ही प्राथमिक कारण है। उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए 'ध्यान' को एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में पहचाना गया है। उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में योगाभ्यास एक लाभकारी चिकित्सा पद्धति साबित हो सकता है। चिंता और अवसाद एक ही सिक्के के दो पहलू है जो अक्सर तनाव से जुड़े होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है और स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। चिंता और अवसाद के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है, आदमी भीड़ से बचने लगता है और अन्य कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इन समस्याओं का समाधान काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति चिकित्सकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं और तनाव, चिंता और अवसाद के प्रभावों को कम करने के लिए योगाभ्यास कर सकते हैं। चोंग एट आल (2011) ने अपनी समीक्षा में निष्कर्ष दिया है कि स्वस्थ वयस्क आबादी में तनाव के शमन पर योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। समकालीन समाज में शरीर का बढ़ता वजन और मोटापे की समस्या एक गंभीर समस्या है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग आदि के ये प्रमुख कारक है। मोटापा कम करने में योगाभ्यास फायदेमंद है। अनिद्रा या नींद का बार-बार टूट जाना तनाव का एक सामान्य लक्षण है। अच्छी नींद का न होना भी तनाव का कारण बन सकता है। मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग भी हमारे सोने के पैटर्न पर प्रभाव डालता है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार अच्छी नींद न होने का एक प्रमुख कारण रात में मोबाइल जैसे आधुनिक गैजेट का अधिकतम उपयोग भी है। तनाव को व्यापक रूप से विभिन्न बीमारियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक माना जाता है और यह अनिद्रा का एक प्रमुख कारण है।

बढ़ते तनाव में डिजिटल उपकरणों की भूमिका

यद्यपि डिजिटल उपकरणों के प्रयोग ने हमारे दैनंदिन जीवन को आसान बनाया है, लेकिन स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट, ट्विटर, यूट्यूब जैसे डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसे विभिन्न मानसिक व शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिसमें संचार, सूचनाओं का सहज आदान-प्रदान और समाजीकरण शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी हमें निर्बाध सेवाएँ प्रदान करता है। हालाँकि, यह विभिन्न मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों पर आश्रित है। निस्संदेह, प्रौद्योगिकी ने हमारी दैनिक दिनचर्या को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसने हमारी शारीरिक गतिविधियों को सीमित कर दिया है। परिणामस्वरूप विभिन्न बीमारियों ने हमारे शरीर में डेरा डाल लिया है। योग और शारीरिक व्यायाम प्रभावी रूप से तनाव के

स्तर को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तनाव-मुक्त, पोषक आहार और स्वस्थ जीवनशैली के महत्त्व पर जोर देता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी ओर से कई पहल की गई हैं। लिंग से संबंधित तनाव की समस्या किसी लिंग विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। क्षणिक और निरंतर होने वाला तनाव किसी भी लिंग के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, प्रभावी तनाव प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई हैं। तनाव को कम करने के प्रमुख समाधानों में शामिल हैं—योग, शांतचित्त, ध्यान, लोगों से मेलजोल, क्रोध पर नियंत्रण, अच्छा खान-पान और शारीरिक व्यायाम आदि।

निष्कर्ष

तनाव की समस्या को एक चिंतनीय वैश्विक समस्या के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी के प्रचलन के बीच तनाव के प्रबंधन में योग बहुत फायदेमंद है। आधुनिक समाज में तनाव का कुशल प्रबंधन लोगों की प्रारंभिक कठिनाइयों में से एक है। योग आज के डिजिटल युग में तनाव को कम करने पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। वर्तमान समय में, कई लोग व्यावसायिक तनाव के साथ मनोवैज्ञानिक तनाव का भी सामना कर रहे हैं। निरंतर भाग दौड़ वाले आधुनिक समाज में जीवनशैली की माँगों के कारण तनाव आम है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं। 'ध्यान' मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए काफी लाभकारी है। 'ध्यान' के माध्यम से प्राप्त शारीरिक और मानसिक ताजगी गहरी नींद से प्राप्त ताजगी की तुलना में श्रेयस्कर है, जो हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। 'ध्यान' के दो उल्लेखनीय लाभ हैं। कोविड-19 महामारी ने काम से संबंधित तनाव, सामाजिक अलगाव तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाया है। तनाव से छुटकारा पाने या इसे कम करने के लिए अक्सर कई उपायों का सहारा लिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे जीवन के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं, जिसे योग और आध्यात्मिक संचार के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल, 'योग' भारतीय मनीषा का एक ऐसा आविष्कार है, जो संचार के सर्वोच्च स्तर का स्पर्श कर सकता है। इसे ही आध्यात्मिक संचार कहते हैं। शरीर, चेतना और आत्मा (बॉडी, माइंड एंड सोल) का एकीकरण ध्यानयोग से ही संभव है, जिसमें व्यक्ति को अनहद नाद सुनाई पड़ता है और ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के तनाव, कुंठा और चिंता के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता। समस्या यह है कि संचार के इस आध्यात्मिक स्वरूप को कभी अकादमिक गंभीरता से नहीं लिया गया, वरना यह समूची संचार प्रक्रिया के शिखर पर विराजमान होता। इसमें लौकिक ही नहीं, अलौकिक समस्याओं का भी समाधान छिपा है।

संदर्भ

आजम, जे. ए. एन., एट. आल. (2020). मार्शल मेकलुहान्स टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थियोरी इन द एरिना ऑफ सोशल मीडिया. थियोरीटिकल एंड प्रैक्टिकल रिसर्च इन द इक्नॉनोमिक फील्ड्स, 11(2), 133-137.

एटकिनसन एन.एल., पॉरमूथ-लेवीन आर. बेनिफिट्स. (2009). बेरियर्स, एंड क्यूज टू एक्शन ऑफ योगा प्रैक्टीस : ए फोकस ग्रुप एप्रोच; 33:3-14

ओविएडो-ट्रेस्पालासिओस, ओ., नंदावर, एस., न्यूटन, जे.डी.ए, डिमेंट, डी., & फिलिप्स, जे. जी. (2019). प्रॉब्लमेटिक यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन ऑस्ट्रेलिया… इज इट गेटिंग वर्स?. फ्रंटियर्स इन साइकियेट्री, 10, 440510.

कॉक्स, टी. (1978). स्ट्रेस, लंडन : मेकमिलन. गूगल स्कॉलर

कॉक्स, टी. 1985. द नेचर एंड मेनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. एर्गोनॉमिक्स, 28 : 1155 – 1163. गूगल स्कॉलर

कॉलिंस, सी. नूर्स (1998). योगा : इंटूयशन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, एंड ट्रीटमेंट; 27:563 8.

किनसर पीए, गोहलर, एल, टेलर, एजी. (2012).हाउ माइट योगा हेल्प डिप्रेशन? ए न्यूरोबायोलोजिकल पर्सपेक्टिव. एक्सप्लोर (एनवाई). 8(2): 118– 126. doi:10.1016/j.explore.2011.12.005.

क्रिस सी. एटआल. (2010). इफेक्ट्स ऑफ योगा वर्सेज वॉकिंग ऑन मूड, एनजाइटी, एंड ब्रेन गाबा लेवेल्स : ए रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड एमआरएस स्टडी. द जर्नल ऑफ अल्टर्नेटिव एंड कंप्लिमेंटरी मेडिसिन. नवंबर 2010.1145-1152.

कार, एन. (2020). द शेलोस : व्हाट द इंटरनेट इज डुइंग टू आवर ब्रेन्स. डबल्यू डबल्यू नॉर्टन एंड कंपनी.

खालसा, एस., हिकी-स्काल्ज, एल., कोहेन, डी., स्टेइनर, एन., एंड कोप, एस. (2012). इवेल्यूएशन ऑफ द मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा इन ए सेकेंडरी स्कूल : ए प्रिलिमिनरी रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल. जर्नल ऑफ बिहेविहरल हेल्थ सर्वीसेज एंड रिसर्च, 39(1)

गंगाधर बी.एन., एट आल. (2013). पॉज़िटिव एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट्स ऑफ जेनेरिक योगा इन डिप्रेसिव आउट-पेशेंट्स : ए कम्पेरेटिव स्टडी. इंडियन जे साइकियेट्री 2013.

ग्रिफिथ, एम. डी., & हंट, एन. (1998). डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर गेम्स बाइ एडोलेसेंट्स. साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, 82(2), 475-480.

चोंग, एट. आल. (2011). इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन हेल्दी एडल्ट्स : ए सिस्टेमेटिक रिव्यू. एल्टर्न थेर हेल्थ मेड., 17 (1), 32-38

चोंग, सी.एस., सुनाका, एम., & चैन, ई.पी. (2011). इफ्फेकट्स ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस मेनेजमेंट इन हेल्दी एडल्ट्स : ए सिस्टेमेटिक रिव्यू. अल्टर्नेटिव थेरापीज इन हेल्थ एंड मेडिसिन, 17(1), 32.

ड्यूलेट, एस., & ट्रामा, एस. (2012). योगा, मेडिटेशन एंड सूदिंग ह्यूमर : ए हेल्दी वे टू हेंडल वर्क प्लेस स्ट्रेस. इंडियन जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, 3(4), 435.

ड्रयू, आर. (2016). टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. ए कंपेनियन टू पॉपुलर कल्चर, 165-183.

तनेजा, डी.के. (2014). योगा एंड हेल्थ. इंडियन जर्नल ऑफ कम्यूनिटी मेडिसिन : ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशियल मेडिसिन, 39(2), 68.

देशपांडे, डी. आर. (2012). ए हेल्दी वे टू हैंडल वर्क प्लेस स्ट्रेस थ्रू योगा,

मेडिटेशन एंड सूथिंग ह्यूमर. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एन्वायरेनमेंटल साइंसेज, 2(4), 2143-2154.

नगेंद्र, एच. आर., & नागरत्न, आर. (2010). न्यू पर्स्पेक्टिव्स इन स्ट्रेस मेनेजमेंट. स्वामी विवेकानंद योगा प्रकाशन.

प्रिया, ए., गर्ग, एस., & टिग्गा, एन. पी. (2020). प्रेडिक्टिंग एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ यूज़िंग मशीन लर्निंग अल्गोरिदिम्स. प्रोसेडिया कंप्यूटर साइंस, 167, 1258-1267.

फ्लिशर, सी. (2010). इंटरनेट की लत से जुड़ना : इंटरनेट की लत का अवलोकन। जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, 46(10), 557-559.

बेकर, आई. (2000). यूजेस ऑफ योगा इन साइकियेट्री एंड मेडिसिन. कंप्लिमेंटरी एंड अल्टर्नेटिव मेडिसिन एंड साइकियेट्री, 19, 107-145.

बुद्देके, डब्ल्यू. (1996). मार्शल मेकलुहान : अंडरस्टेंडिंग मीडिया. मेडिएन विसेनचाफ्ट : रिजेंसीओनेन रिव्यूज, 13(1), 114-118.

मोवा, पी., पसुपुलेटी, एच., एंड शर्मा एच. (2022, जून). ए सेल्फ लर्निंग योगा मॉनिटरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन पोज एस्टिमेशन. इन ह्यूमन-कंप्यूटर इंटरेक्सन. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन : थिमेटिक एरिया, एचसीआई 2022, हेल्ड एज पार्ट ऑफ द 24 एचसीआई इंटरनेशनल कॉनफरेंस, एचसीआईआई 2022, वर्चुवल इवेंट, जून 26–जुलाई 1, 2022, प्रोसीडिंग्स, पार्ट II(पीपी. 81-91). केम : स्प्रिंजर इंटरनेशनल पब्लिशिंग.

यंग, के. (2009). इंटरनेट एडिक्सन : डायोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कन्सिडरेशंस. जर्नल ऑफ कंटेंपोररी साइकोथेरपी, 39, 241-246.

यूबेलेकेर, एट. आल. (2017). एड्जंक्टिव योगा वर्सेज. हेल्थ एडुकेशन फॉर पर्सिस्टेंट मेजर डिप्रेशन: ए रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल. साइकोल मेड. 2017 सेप्टेंबर; 47(12): 2130–2142. doi:10.1017/S0033291717000575.

राइस, वी.एच. (एड.). (2011). हैंडबुक ऑफ स्ट्रेस, कोपिंग, एंड हेल्थ : इंप्लिकेशंस फॉर नर्सिंग रिसर्च, थियरी, एंड प्रेक्टीस. सेज पब्लिकेशंस.

रॉबिन्स, एस. पी. (2006). ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर (11थ एड.). दिल्ली, इंडिया : पियर्सन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड.

ली, एडबल्यू, गोल्डस्मिथ, सीडबल्यू. (2012). द इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन एंजाइटी एंड स्ट्रेस. अल्टर्नेटिव मेडिसिन रिव्यू. मार्च 2012, वॉल. 17 इश्यू 1, 21-35

वेन, डेर, कोल्क. बी. (2012). योगा एज ए कंप्लिमेंटरी ट्रीटमेंट फॉर पीटीएसडी. http://www.traumacenter.org/research/Yoga_Study.php से पुन:प्राप्त.

शर्मा, एम. (2014). योगा एज एन आल्टर्नेटिव एंड कंप्लिमेंटरी एप्रोच फॉर स्ट्रेस मेनेजमेंट : ए सिस्टेमेटिक रिव्यू. जर्नल ऑफ एविडेंस-बेस्ड कंप्लिमेंटरी एंड आल्टर्नेटिव मेडिसिन, 19(1), 59- 67.

शापिरो एट. आल. (2007). योगा एज ए कंप्लिमेंटरी ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन : इफेक्ट्स ऑफ ट्रेट्स एंड मूड्स ऑन ट्रीटमेंट आउटकॉम. ईसीएएम 2007;4(4)493–502.

शॉ, एम., एंड ब्लेक, डी. डब्ल्यू. (2008). इंटरनेट एडिक्सन : डेफिनेशन, एसेसमेंट, एपिडेमिओलॉजी एंड क्लिनिकल मेनेजमेंट. सीएनएस ड्रग्स, 22, 353-365.

स्कॉट, डी. ए. वेली, बी. एंड सीमेका, बी. ए. मेंटल हेल्थ कंसर्स इन द डिजिटल एज. इंट जे मेंट हेल्थ एडिक्सन 15, 604–613 (2017). https://doi.org/10.1007/s11469-016-9684-0

स्ट्रीटर सीसी एट. आल. (2012). इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, गामा-एमीनोबाट्रिक-एसिड, एंड एलोस्टेसिस इन एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंड पोस्ट-ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर. मेडिकल हाइपोथेसिस. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22365651/ से पुन:प्राप्त.

स्मेहेल, डी., ब्राउन, बी. बी., & ब्लिंका, एल. (2012). एसोसियेशंस बिट्वीन ऑनलाइन फ्रेंडशिप एंड इंटरनेट एडिक्सन एमोंग एडोलेसेंट्स एंड एमर्जिंग एडल्ट्स. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, 48(2), 381.

सुलेनेस, के. एट. आल. (2015). अंडरयूज् ऑफ योगा एज ए रिफरल रिसोर्स बाइ हेल्थ प्रोफेशंस स्टूडेंट्स. जर्नल ऑफ अल्टर्नेटिव एंड कंप्लिमेंटरी मेडिसिन [सीरियल ऑनलाइन]. जनवरी 2015;21(1):53-59. एवेलेबल फ्रॉम : अकाडेमिक सर्च कंप्लीट, इप्सविच, एमए. एक्सेस्ड मई 6, 2016.

सेनगुप्ता, पी. (2012). हेल्थ इंपेक्ट्स ऑफ योगा एंड प्राणायाम : ए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट रिव्यू. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रीवेंटिव मेडिसिन, 3(7), 444

हेगिंस एम, मूर डब्ल्यू, रुंड्ले ए : डज प्रेक्टिसिंग हठ योगा सेटिस्फाइ रेकमेंडेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी व्हिच इंप्रूव्स एंड मेंटेंस हेल्थ एंड कार्डियोवास्क्युलर फिटनेस? बीएमसी कॉप्लिमेंट अलटर्न मेड 2007.

हेगिंस, एम, रुंड्ले, ए. कंसेंडाइन, एन, खालसा, एस. (2014). ए रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल कंपेरिंग द एफेक्ट्स ऑफ योगा विथ एन एक्टिव कंट्रोल ऑन एम्ब्यूलेटरी ब्लड प्रेशर इन इंडिविज़ुयल्स विद प्री हाइपरटेंशन एंड स्टेज 1 हाइपरटेंशन. द जर्नल ऑफ क्लिनिकल हाइपरटेंशन वॉल 16 : नं 1

हुआंग, एफ.जे. (2013). इफेक्ट्स ऑफ हठ योगा ऑन स्ट्रेस इन मिड्ल-एज्ड वुमेन वांग, चिएन, डींग-कूवो2; चुंग, यू -लीन3* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23407338/ से पुन:प्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 57-63, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

शहरी प्रवासी परिवारों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल : पारिवारिक संवाद संरचना में परिवर्तन व परिष्कार का अध्ययन

स्वाति अर्जुन[1]

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन किया गया है कि किस तरह स्मार्टफोन के उपयोग से दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में रहने वाली शहरी प्रवासी आबादी अपने संचार के तौर-तरीकों में बदलाव ला रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया गया है कि परिवार में पुरुष और महिला के बीच आपसी संबंधों में कैसे परिवर्तन आ रहा है और परिवार में व्याप्त रूढ़िवादी सोच और लैंगिक क्रम भी टूट रहा है। अध्ययन दो समूह के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें पहला समूह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और दूसरा प्रवासी शहरी बस्ती से। शोध में तर्क दिया गया है कि दैनिक जीवन में मोबाइल फोन के उपयोग और परिवार और दोस्तों के साथ संचार के साथ प्रवासी परिवार (विशेष रूप से महिलाएँ) अब तक के अप्रकट को व्यक्त कर रही हैं। फिर चाहे वह उनकी वित्तीय आवश्यकता हो, व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ हों, राजनीतिक जागरूकता हो, परिवार नियोजन के बारे में निर्णय हो, संबंध हों या मनोरंजन के मुद्दे भी हों। चूँकि, मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच 50% का अंतर है, इसलिए प्रस्तुत शोध का उद्देश्य इस अंतर को वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से उजागर करना है।

संकेत शब्द : स्मार्टफोन, शहरी प्रवासी परिवार, महिलाएँ, ग्रामीण परिवार, पारिवारिक संवाद, संवाद पैटर्न, लैंगिक भेदभाव।

प्रस्तावना

मोबाइल फोन का उपयोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर स्थित गाजियाबाद में रहने वाले प्रवासी मध्यमवर्गीय परिवारों में पुरुष एवं महिला के बीच के भेदभाव और असमानता को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक आदर्श भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार आम तौर पर न केवल किसी परिवर्तन की अगुवाई करता है, बल्कि यह ऐसा तबका भी है, जो बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी परंपराओं को आगे बढ़ाने में अपनी शान समझता है। इसलिए, जहाँ एक ओर मध्यमवर्ग के लोग अपनी जीवनशैली को आधुनिक और उन्नत करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर, यह वर्ग पारिवारिक ढाँचे के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में डेजा-वू (déjà-vu) की भावना रखता है, यानी महसूस करता है कि ऐसा तो पहले भी घटित हो चुका है। यही भावना इस वर्ग के लिए एक शक्ति स्तंभ के तौर पर कार्य करती है। लेकिन, प्रौद्योगिकी और मोबाइल (स्मार्ट) फोन जैसे संचार उपकरणों के सरल और सुविधाजनक उपयोग के साथ, ऐसे परिवारों में पुरुष और महिला के बीच संचार के पैटर्न या तौर-तरीकों और संबंधों के तौर-तरीकों में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। लिंग आधारित गतिशीलता अर्थात् परिवार में पुरुष और महिलाओं की भूमिका में स्पष्ट अंतर की वजह से एवं लैंगिक संवेदनशीलता की कमी अर्थात् पुरुष और महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलने के कारण अभी भी भारत में लाखों महिलाओं तक मोबाइल फोन की सुविधा नहीं पहुँच पाई है, जिसे अँग्रेजी भाषा में 'जेंडर डिवाइड' के तौर पर जाना जाता है।

भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। जिनके पास होते हैं, वहाँ भी औरतों के पास उनका अपना मोबाइल फोन नहीं होता है, यानी उनका निजी मोबाइल फोन, जिसकी वे अकेली मालकिन हों। लेकिन, बड़े शहरों में रहने वाले मध्यवर्गीय प्रवासी कामकाजी परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कम और थोड़ी-बहुत शिक्षित एवं परिवार के पुरुष सदस्य पर आश्रित महिलाएँ भी अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए मोबाइल (स्मार्ट) फोन जैसे संचार के नए साधनों का उपयोग कर रही हैं। मोबाइल फोन के साथ इन महिलाओं का यह संपर्क न सिर्फ उनके संचार के तौर-तरीकों में, बल्कि परिवार के भीतर उनके पारस्परिक संबंधों को भी बदलने का काम कर रहा है। इस प्रकार परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच संचार के स्वरूप और संबंधों के तरीके में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

वर्ष 2015-16 में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 46 प्रतिशत से भी कम भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन है और वे उसका इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल फोन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कई महिलाओं की स्वतंत्रता पर असर पड़ा है, साथ ही विभिन्न अवसरों तक उनकी पहुँच भी सीमित हुई है। इससे जुड़े आँकड़ों को नजदीक से देखने पर हमें मिलेगा कि यह समस्या जितनी बड़ी दिखाई दे रही है, उससे भी ज्यादा विकट है। देश में शहरी इलाकों में 62 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं, जो अपने खुद के मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ग्राणीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा कम हो जाता है, जहाँ 37 प्रतिशत से भी कम महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है। हालाँकि अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता है। अमेरिका में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की मोबाइल फोन तक पहुँच एक समान है और यह 95 प्रतिशत के करीब है।

भारत में किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि 36 प्रदेशों एवं केंद्र शासित राज्यों में से ज्यादातर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच मोबाइल फोन के उपयोग और उसके स्वामित्व में 25 प्रतिशत का अंतर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 के इन आँकड़ों को अँग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'क्वॉर्टज' द्वारा 26 अप्रैल, 2017 को 'रूरल इंडियन वुमन आर लैगिंग फार बिहाइंड देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स इन मोबाइल फोन

[1]डिजिटल एडिटर, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं शोधार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली. ईमेल : swatiarjun2008@gmail.com

युसेज' (भट्टाचार्य, 2017) शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। जेंडर पॉवर डाइनेमिक्स के फलस्वरूप मोबाइल फोन अभी भी लाखों भारतीय महिलाओं की पहुँच से बाहर हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के पास अभी भी अपने मन-मुताबिक खर्च करने के लिए न तो आय का कोई स्रोत है और न ही अपने लिए मोबाइल फोन खरीदने की स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त, चूँकि इन परिवारों के पुरुष, यानी कि पिता, भाई और पति ही अक्सर घर के सभी अहम फैसले लेते हैं, ऐसे में निर्णय लेने की प्रक्रिया से महिलाओं को बाहर रखा जाना भी अक्सर उनके मोबाइल फोन का उपयोग करने और मोबाइल से बातचीत करने में रुकावटें पैदा करता है।

'दैनिक ट्रिब्यून' में 29 दिसंबर, 2021 (ठाकुर, 2021) को प्रकाशित एक रिपोर्ट 'इलोपमेंट ऑफ माइनर गर्ल्स ऑन द राइज इन हरियाणा' के मुताबिक हरियाणा जैसे राज्य में भी, जो राजधानी दिल्ली से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, में लोगों की आमतौर पर यही राय है कि "अगर लड़कियों को मोबाइल फोन की सुविधा मिलेगी तो वे लड़कों से बात करना शुरू कर देंगी और आगे जाकर ये लड़कियाँ या तो लड़कों के साथ प्रेम विवाह करेंगीं या फिर किसी लड़के के साथ भाग जाएँगी।" लेकिन जैसे-जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों का बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुआ है, वैसे-वैसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाली और अपेक्षाकृत कम पढ़ी-लिखी महिलाओं ने न सिर्फ अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, बल्कि वे पहले की तुलना में अपने जीवन को आसान बनाने के लिए संचार के नए-नए साधनों के संपर्क में भी आ रही हैं। महिलाओं के जीवन में यह जो परिवर्तन आया है, उसका उनके द्वारा रोजमर्रा की गतिविधियों में मोबाइल फोन का निर्बाध उपयोग करना एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि यह परिवर्तन या तो सामाजिक स्थिति में होने वाले विस्तार के जरिये हो सकता है या फिर मोबाइल फोन में होने वाले नित नए तकनीकी परिवर्तनों के माध्यम से संभव हो सकता है।

शोध परिकल्पना

शोधकर्ता का अनुमान है कि "दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले मध्यम वर्ग आय समूह के प्रवासी परिवारों में रोजमर्रा के कामकाज को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए संचार की जो व्यवस्था है, मोबाइल फोन का उपयोग उस व्यवस्था में लैंगिक अनुक्रम यानी महिला-पुरुष के बीच के अंतर को या तो कम कर रहा है या पूरी तरह से समाप्त कर रहा है।" इतना ही नहीं, शोधकर्ता को यह उम्मीद है कि इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर इस धारणा को स्थापित करने में सहायता मिलेगी कि "ऐसे परिवारों के पुरुषों और महिलाओं के बीच संचार के तौर-तरीकों में ही नहीं, बल्कि उनके पारस्परिक संबंधों में भी व्यापक रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है।" मोबाइल फोन की सुविधा न केवल समाज के भीतर उनके संबंधों और संपर्कों में, बल्कि परिवार के भीतर उनके पारस्परिक संबंधों के तौर-तरीकों में भी परिवर्तन लाने का काम कर रही है।

शोध का महत्त्व

'ब्रिजिंग द जेंडर गैप : मोबाइल एक्सेस एंड वेज इन डेवेलपिंग कंट्रीज (2015)' नामक शोधपत्र में ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री मॉनिटर एसोसिएशन के हवाले से कहा गया कि "भारत में वर्ष 2015 में पुरुषों की तुलना में 114 मिलियन कम महिलाओं के पास मोबाइल फोन था। ऐसा तब था, जब देश में पुरुषों एवं महिलाओं की आबादी लगभग आधी-आधी है। देश में महिलाओं तक मोबाइल फोन की पहुँच 28 प्रतिशत थी, जो पुरुषों के 43 प्रतिशत के आँकड़े से बेहद कम थी। कुल 81 प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कभी भी अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया था।" वर्ष 2023 में ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री मॉनिटर एसोसिएशन द्वारा जारी 'मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट-2023' (जेफरीनादिया, 2023) में एक बार फिर से यह पाया गया कि कम और मध्यम आय वाले देशों में मोबाइल फोन वह एकमात्र साधन है, जिसकी मदद से लोग ऑनलाइन या इंटरनेट की सुविधा पाते हैं और उनकी संख्या 3.4 अरब के बराबर है। लेकिन इसमें भी महत्त्वपूर्ण लैंगिक अंतर पाया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हालाँकि, कम और मध्यम आय वाले परिवारों में महिलाएँ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं, इसके बावजूद उनका इसको अपने जीवन चर्या में शामिल करने का क्रम काफी धीमा है। इस कारण आज भी महिलाओं के द्वारा मोबाइल फोन उपयोग करने का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम-से-कम 19% कम है। इसलिए यह अध्ययन यह समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि क्या वंचित या फिर कम सुविधाओं वाली पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं द्वारा नए-नए हासिल किए गए सशक्तीकरण ने उनके घरों की चारदीवारी के भीतर होने वाले 'पुरुष-महिला' विचार-विमर्श में कोई परिवर्तन लाने का काम किया है? अध्ययन की प्रासंगिकता इस सच्चाई में है कि बदलती जनसांख्यिकी एवं संचार के बदलते तौर-तरीकों के साथ ही मोबाइल फोन एवं इंटरनेट जैसे संचार के अत्याधुनिक साधनों से जुड़ने के बाद, किस प्रकार से छोटी-छोटी सुविधाओं एवं अवसरों को हासिल करने वाले मध्यमवर्ग के पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन देखा जा रहा है, वह भी पारंपरिक व रूढ़िवादी पारिवारिक व्यवस्थाओं के बावजूद। इतना सब होने के बाद पुरुष-महिला संबंधों के साथ-साथ उनके संचार के स्वरूप और तरीकों में भी किस तरह का परिवर्तन आया है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक परिवार के पुरुषों और महिलाओं के बीच मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे औद्योगिक शहर गाजियाबाद में पिछले डेढ़ दशक के दौरान पहली बार गाँव से आकर बसने वाले परिवारों में पुरुष व महिला के आपसी संबंधों में आने वाले परिवर्तन को समझना है। इसके अलावा यह भी पता लगाना है कि क्या इन परिवारों की महिला सदस्यों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू करने के बाद, पुरुषों एवं महिलाओं के बीच संचार के तौर-तरीकों में कोई परिवर्तन आया है और क्या संचार एवं संपर्क का यह तरीका एकतरफा से दो-तरफा प्रक्रिया में बदला है? अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि संचार के बदले हुए तरीके ने किसी भी लिहाज से परिवार के भीतर लैंगिक असमानता को समाप्त करने में कोई योगदान दिया है या नहीं?

साहित्य समीक्षा

अध्ययन के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर बहुत-सी जानकारी

और दस्तावेज सामने आए हैं, जो उन परिवारों पर आधारित हैं, जो आम तौर पर अपनी रोजमर्रा की बातचीत और संपर्क के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अध्ययन ऐसे हैं, जो यह पता लगाने के लिए नियमित पारिवारिक व्यवस्था पर आधारित हैं कि मोबाइल फोन उन्हें एक परिवार के तौर पर समन्वय स्थापित करने में किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। लिंग (2002) ने इस प्रकार के समन्वय को 'माइक्रो कोर्डिनेशन' यानी 'सूक्ष्म-समन्वय' कहा है। यह अवधारणा 'सूक्ष्म सहायक समन्वय' के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के विचार की तरह है। पूर्व अध्ययन बुनियादी तौर पर परिवार के अहम पहलुओं एवं मोबाइल फोन के उपयोग से संबंधित हैं। हालाँकि, बाद में इसमें अभिव्यक्ति या अर्थपूर्ण भावना के दृष्टिकोण को भी शामिल करने की कोशिश की गई, यानी कि कॉल और टेक्स्ट मैसेज का भावनात्मक कंटेंट। इन अध्ययनों में जिन परिवारों को शामिल किया गया है, उनमें मोबाइल फोन खरीदने की सबसे सशक्त वजह इससे मिलने वाली सुरक्षा की भावना थी। रोपके (2003) और यहाँ तक कि मानटे, ए. लूस, और ईडीएस (2008) का भी कहना है कि सुरक्षा से जुड़े खतरे और रोजमर्रा की गतिविधियाँ मध्यमवर्गीय परिवारों के जीवन में खास स्थान रखते हैं और इन खतरों ने ही आम तौर पर लोगों को उनमें से एक को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह अचानक होने वाली और अनियंत्रित घटनाएँ, जैसे कि दुर्घटना, घर आने में देरी होना, आपात स्थिति या किसी भी प्रकार का बाहरी कारण हो सकता है। इसके साथ ही सूक्ष्म-समन्वय, दूर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के इर्द-गिर्द जो भी अध्ययन किए गए हैं, उनमें पता चला है कि मोबाइल फोन की मदद से परिवार के भीतर सदस्यों के बीच संपर्क और बातचीत में बहुत मदद मिलती है। इन परिस्थितियों में मोबाइल फोन एक मददकर्ता या एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। जाहिर है कि वर्तमान में मोबाइल फोन के सामाजिक निहितार्थ बहुत ही निचले स्तर तक पहुँच चुके हैं और इसके बिना पारस्परिक जुड़ाव या संबंधों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है।

'क्या मोबाइल फोन सामाजिक नेटवर्क को बदल रहे हैं? केरल में कोर नेटवर्क का एक अधोमुखी या देशांतरीय अध्ययन' (पलक्कल, 2011) में पाया गया कि 'मोबाइल फोन (चार से अधिक) से आपस में जुड़े संबंधों की औसत संख्या आमने-सामने की बातचीत (लगभग दो) से अधिक है और ई-मेल संपर्क (एक से कम) से जुड़े लोगों की तुलना में तो बहुत ज्यादा है।' तेनहुनेन ने अपने अध्ययन 'भारतीय गाँवों में मोबाइल टेक्नोलॉजी : ICTs संस्कृति और सामाजिक लॉजिस्टिक्स' में कहा है, "मोबाइल तकनीक अन्य ICTs की तरह अंतरराष्ट्रीय कैपिटल के विस्तार की सुविधा प्रदान करती है। मोबाइल फोन अक्सर उन क्षेत्रों में संबंधों की विविधिता को प्रोत्साहित करते हैं, जो क्षेत्र पहले तुलनात्मक रूप से अलग-थलग हुआ करते थे" (तेनहुनेन, 2008)।

यही कारण है कि टेलीविजन चैनलों, जो कि घर में रहने वाली महिलाओं, वयस्कों और किशोरों जैसे लक्षित दर्शकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, के साथ-साथ मोबाइल एवं स्मार्टफोन जैसी व्यक्तिगत मीडिया प्रौद्योगिकियों की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है (रोपके, 1999)। ये प्रौद्योगिकियाँ घरों के भीतर एक अस्थायी एवं भौतिक जीवन को स्थापित कर रही हैं, आमतौर पर इस तरह का जीवन घर के बाहर ही मिल पाता है। जैसा कि गेर्गेन और गेर्गेन (2003) द्वारा वर्णन किया गया है कि "यहाँ तक कि परिवार के भीतर भी भौगोलिक निकटता अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। व्यापक पैमाने पर परिवार का हर सदस्य मनोवैज्ञानिक रूप से एक अलग-थलग जीवन जीता है।"

सामान्य तौर पर यह भी माना जाता है कि यदि कोई शख्स परिवार के किसी सदस्य को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बार-बार फोन करता है, तो बातचीत के दौरान वह साथी की शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करके 'पारस्परिक जवाबदेही' और विश्वास का संबंध स्थापित कर रहा है। बर्जर और लुकमैन (1966) ने कहा है कि आमने-सामने की बातचीत और मेलजोल की स्थिति सामाजिक संपर्क एवं सामाजिक संबंधों का आधार बनती है; यह 'सामाजिक संपर्क का एकदम सीधा और सपाट सा मामला' है, जिससे संवाद और संपर्क के अन्य सभी तरीकों को हासिल किया जा सकता है। हालाँकि, व्यक्तिगत और सुविधाजनक संचार प्रौद्योगिकियों के प्रसार के साथ यह सवाल उठता है कि यह घटना या संयोग सामाजिक संपर्क के प्रोटोटाइप के रूप में आमने-सामने की स्थिति को किस हद तक चुनौती देता है। फॉर्च्यूनटी (2005) के मुताबिक, "आईसीटी का उपयोग बातचीत के प्रमुख माध्यम के रूप में पारस्परिक फिजिकल कम्युनिकेशन यानी शारीरिक संचार की भूमिका को कमजोर करने का काम करता है। यहाँ तक कि मध्यस्थता और गैर-मध्यस्थता वाले संचार के बीच की विभाजक रेखा भी धुँधली हो रही है।" फॉर्च्यूनटी आधुनिक समाज की गतिशीलता पर भी प्रकाश डालते हैं, जहाँ मनुष्य का सामाजिक नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, जो बदले में उनके लिए अलग-अलग मार्ग तैयार कर रहा है।

एक संचारक और रचनात्मक नजरिये से लाइकोपे (2004) ने रिश्तों को कुछ ऐसी चीज के रूप में वर्णित किया है, जो कि मध्यस्थ साधनों के जरिये होने वाली निरंतर बातचीत के माध्यम से पनपती है। लाइकोपे ने पहचाना है कि "(प्रत्येक) यह मध्यस्थता वाली बातचीत दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को न केवल फिर से सक्रिय करती है, बल्कि संबंधों को मजबूत करती है और नए सिरे से निर्धारित भी करती है।" लाइकोपे (2004) और कार्टर (2008) ने अपने अध्ययन में पारिवारिक संचार के तौर-तरीकों और पारस्परिक संचार संतोष की पड़ताल करने के प्रयास के तहत पिता-बेटी के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि पिता और बेटियों के बीच संचार एवं संपर्क ने उनके रिश्ते और पारस्परिक संबंधों के मद्देनजर उनके संतोष के स्तर को किस प्रकार से प्रभावित किया है। यह विशेष शोध चार प्रकार के परिवारों पर केंद्रित है : आपसी सहमति वाले परिवार, अनेकवादी परिवार, सुरक्षात्मक परिवार और एक-दूसरे के कार्यों में दखल नहीं देने वाले परिवार। इस अध्ययन से मिले नतीजों के अनुसार संचार और संप्रेषण के लिहाज से जिन दो प्रकार के परिवारों में सबसे अधिक संतुष्टि थी, वे मध्यमवर्ग के अनेकवादी परिवार और आपसी सहमति वाले परिवार थे। संप्रेषण के लिहाज से जिन परिवारों में संतोष की भावना कम थी, उन परिवारों में बेटियाँ बागी प्रकृति की थीं और सुविधा या सहायता के लिए अपने पिता के बजाय दूसरे लोगों पर ज्यादा आश्रित थीं। नतीजतन, उनके पिता यह सोचने लगते थे कि उनकी बेटियों के लिए अपने पिता के विचारों और चिंताओं का कोई महत्त्व नहीं है। इस सबकी वजह से परिवार में बेटियों और पिता के संबंधों में मतभेद और असहमति पैदा हो जाती है।

इस अध्ययन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी और सामग्री की

समीक्षा मुख्य रूप से अन्य यूरोपीय और एशियाई देशों पर आधारित है। इस बात का भी पूरा ध्यान दिया गया है कि इन अध्ययनों के रिसर्च का क्षेत्र मध्यम वर्ग के शिक्षित और शहरी परिवारों में पति-पत्नी के बजाय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले माता-पिता और बच्चों के पारस्परिक संबंधों पर अधिक केंद्रित हो। हालाँकि, इन अध्ययनों में जो बात आसानी से समझी जा सकती है, वह यह सच्चाई है कि परिवार में सभी सदस्यों के पास अपना-अपना अलग फोन रखने और उसका इस्तेमाल करने के मामलों में जाहिर तौर पर बढ़ोतरी हुई है, फिर चाहे वे पति-पत्नी हों या बच्चे, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं।

कुछ मामलों में, तो परिवार के बुजुर्ग सदस्य भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालाँकि परिवार से सभी सदस्यों की मोबाइल फोन का उपयोग करने की वजहें अलग-अलग रही हैं। युवा सदस्यों द्वारा ज्यादातर मोबाइल फोन का उपयोग मनोरंजन और दिखावे के लिए किया जाता है, लेकिन माता-पिता द्वारा इसका इस्तेमाल लोगों से संपर्क बनाए रखने और यहाँ तक परिवार में अपने बच्चों या बुजुर्गों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए किया जाता है। जाहिर है कि जिन परिवारों में पति-पत्नी दोनों ही कामकाजी हों, तो जानकारी हासिल करने के लिए और संपर्क स्थापित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग एक ऐसी जरूरत बन जाती है, जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। परिवार की महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो चाहे वे युवा लड़कियाँ हों या वयस्क महिलाएँ, उनके लिए स्वतंत्रता, आत्म-निर्भरता, गोपनीयता और सामाजिकता जैसे मुद्दे बेहद अहम होते हैं और इन्हीं सब वजहों से महिलाओं और लड़कियों द्वारा मोबाइल का व्यापक उपयोग किया जाता है। लेखक को ऐसा महसूस होता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यह आगे के अध्ययनों एवं शोध के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्तमान रिसर्च उसी दिशा में आगे बढ़ाया गया एक कदम है।

सैद्धांतिक फ्रेमवर्क

प्रस्तुत शोध हेतु 'कल्टीवेशन थ्योरी' और 'उपयोग एवं संतुष्टि के सिद्धांत' को उपयोगी पाया गया। इन सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का चुनाव इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अध्ययन के लिए जिन दो नमूना समूहों को लिया गया था, उनमें से एक समूह अपने जीवन में पहली बार मोबाइल फोन के उपयोग के संपर्क में आया था। इसलिए, इस समूह के लोग नई व्यवस्था में, यानी कि जिस शहरी इलाके में वे विस्थापित होकर रहने आए हैं, वहीं पर मोबाइल फोन का उपयोग करने के स्वभाव को विकसित कर रहे हैं। उनके लिए चूँकि यह अनुभव एकदम नया है, इसलिए उनके पास इससे होने वाले फायदे, सुविधाओं और संतुष्टि की अपनी वजहें हैं। उदाहरण के लिए वे मोबाइल फोन के जरिये अपने मूल स्थान के लोगों के संपर्क में रहते हैं, अपनी भाषा का संगीत सुनते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी स्थानीय भाषा में लोकल रेसिपी बनाने की विधियों की जानकारी हासिल करते हैं एवं लोकल समाचार सुनते हैं आदि। इसके साथ ही नई जगह पर उन्हें रोजमर्रा के जीवन में अपने अस्तित्व की एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए, शोधकर्ता को यह महसूस हुआ है कि उसका अध्ययन बहुत ही बारीकी के साथ कल्टीवेशन थ्योरी की विशेषताओं के साथ-साथ उपयोग एवं संतुष्टि के सिद्धांत की विशेषताओं को भी समाहित करता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध हेतु आँकड़ों को जुटाने के लिए जो कार्यपद्धति अपनाई गई है, उसमें 25 सवालों की एक प्रश्नावली तैयार की गई। साथ ही सर्वेक्षण की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की हापुड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गालंद नाम के गाँव के 25 परिवारों और जिले के शहरी इलाके इंदिरापुरम में रहने वाले 34 परिवारों को शामिल किया गया। शोध में शामिल किए ग्रामीण परिवारों में अमूमन कम-से-कम सात सदस्य थे, जो कुछ परिवारों में आठ या नौ से अधिक भी थे। इस प्रकार से ग्रामीण इलाके में सर्वेक्षण के तहत शामिल किए गए नागरिकों की औसत संख्या करीब 175 थी। इसी तरह से शहरी परिवार में कम-से-कम चार सदस्य थे, जो कुछ परिवारों में पाँच से ज्यादा थे। इस प्रकार से गाजियाबाद जिले के शहरी इलाके से इस सर्वेक्षण में शामिल किए गए निवासियों की औसत संख्या लगभग 136 थी। मोबाइल फोन की मदद से शहरी परिवारों के बातचीत के तरीके में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए शहरी निवासियों से 11 दूसरे सवाल भी पूछे गए। इन सवालों को गाँव में किए गए सर्वेक्षण के दौरान नहीं पूछा गया था, क्योंकि ग्रामीण परिवारों ने पहले ही यह बता दिया था कि उनकी महिलाएँ मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करती है या उनके पास मोबाइल नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी परिवेश में होने वाली दोनों, मौखिक व गैर-मौखिक, अर्थात् चेहरे के भावों, हाथों के इशारों, शरीर की मुद्राओं या हावभावों और भावनात्मक अभिव्यक्तियों एवं फैसलों की अहमियत एवं प्रमाण के बारे में जानकारी हासिल करना था। इसलिए, रिसर्च के दौरान मात्रात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। इसे अमल में लाने के लिए एक खास तरह की प्रश्नावली तैयार की गई थी, ताकि जरूरी आँकड़ों को एकत्र करने में मदद मिल सके। अध्ययन में मात्रात्मक नजरिये का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों, जो कि मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते हैं, की तुलना में शहरी इलाकों में रहने वाले ऐसे परिवारों में पुरुषों व महिलाओं के संबंधों की स्थिति में हुए परिवर्तन का पता लगाना था, जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सीमित सवालों के माध्यम से महिलाओं के अलग-अलग विचारों एवं अनुभवों की जानकारी एकत्र करना था।

अध्ययन का केंद्र उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया यानी नोएडा से सटे होने की वजह से यूपी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गाजियाबाद एक विशाल और नियोजित औद्योगिक शहर है और 2011 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक इसकी जनसंख्या 46,81,645 है। इसमें पुरुषों की आबादी 24,88,834 है और महिलाओं की संख्या 21,92,811 है। 2011 की इसी आधिकारिक जनगणना के अनुसार गाजियाबाद की 67.55 प्रतिशत आबादी जिले के शहरी इलाकों में निवास करती है, जो कुल 31,62,547 है। इनमें से 16,80,612 पुरुष और 14,81,935 महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद जिले की 32.45 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जिसकी संख्या 15,19,098 है। इस अध्ययन के लिए जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से नमूने एकत्र किए गए हैं, वे गाजियाबाद जिले के अंतर्गत ही आते हैं।

अध्ययन के तहत गालंद गाँव में ग्रामीण इलाके से संबंधित नमूनों को

एकत्र किया गया था। यह गाँव गाजियाबाद नगर निगम/जिले की हापुड़ तहसील की नगर-पालिका परिषद् के अंतर्गत आता है। गालंद गाँव की कुल आबादी 12,500 है, जिसमें 52 फीसदी (6500) पुरुष और 48 फीसदी (6000) महिलाएँ हैं। इंदिरापुरम की आबादी करीब 4,50,000 है, जिसमें से 53 प्रतिशत (2,38,500) पुरुष और 47 प्रतिशत (2,11,500) महिलाएँ हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों नमूने व्यापक पैमाने पर गाजियाबाद जिले की कुल जनसंख्या के 0.3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते थे। ग्रामीण नमूना गालंद गाँव की कुल आबादी का 0.0037 प्रतिशत था और शहरी नमूना इंदिरापुरम क्षेत्र की कुल आबादी का 0.0029 प्रतिशत था। सर्वेक्षण के लिए आँकड़ों को 21 दिनों में (10/10/2023 से 31/10/2023 के बीच) इकट्ठा किया गया। शोधकर्ता ने अनिवार्य रूप ट्राइएंगुलर तरीके का उपयोग करने का प्रयास किया, जिसका अर्थ है आँकड़ों को एकत्र करने के लिए एक से ज्यादा विधियों का उपयोग किया गया, ताकि अलग-अलग दृष्टिकोणों से पूरे विषय के बारे अच्छी और व्यापक समझ प्राप्त हो सके, साथ ही विभिन्न पहलुओं से शोधकर्ता के नजरिये को मजबूत किया जा सके। एक बार जब आँकडे एकत्र कर लिए गए, तो एकत्रित डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करके मात्रात्मक डेटा को गुणात्मक सामग्री में परिवर्तित किया गया। सैंपल यानी नमूना जनसंख्या से जानकारी निकालने के उद्देश्य से इन परीक्षणों को संचालित करने के लिए, शोधकर्ता द्वारा 'लिकर्ट स्केल' का उपयोग किया गया था और एकत्र किए गए आँकड़ों को बाद में क्रमवार आँकड़ों में बदला गया।

शोधकर्ता ने प्रश्नावली, लॉजिस्टिक्स, संपर्कों और ऐसे गाँव का चुनाव करने पर गंभीरता से काम किया, जहाँ पर वह ऐसे परिवारों पर फोकस करते हुए अपने सर्वेक्षण को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिनमें महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। व्यापक जानकारी एकत्र करने के बाद अध्ययन के लिए गालंद गाँव को सैंपल विलेज के तौर पर चुना गया था। यह इंदिरापुरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और नेशनल हाईवे-24 पर गाजियाबाद जिले की हापुड़ तहसील के अंतर्गत आता है। गालंद गाँव मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, यानी वहाँ पर अधिसंख्य आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर है। इन गाँव की सभी महिलाएँ गृहिणी हैं, बाहरी दुनिया के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है। गाँव की महिलाओं के पास अपना कोई मोबाइल फोन नहीं था। गाँव के अधिकतर परिवारों के पास एक बेसिक हैंडसेट था, या फिर एक स्मार्टफोन था, जिसे परिवार का पुरुष मुखिया अपने पास रखता था। गाँव की महिलाएँ अधिकतर मामलों में कॉल आने पर बातचीत के लिए या फिर किसी को फोन करने के लिए ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हैं। ज्यादातर मामलों में महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग उसके मालिक की मौजूदगी में किया जाता था, जो कि जाहिर तौर पर परिवार के पुरुष ही थे। इन पुरुषों का स्वभाव देखा जाए तो बहुत सख्त था और वे अपने परिवार की महिलाओं के अजनबियों से फोन पर बातचीत के खिलाफ थे। सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ता किसी तरह से 25 ऐसे परिवारों से बात करने में सफल रही, जिनमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक स्थानीय टीवी रिपोर्टर ने शोधकर्ता को उस गाँव के ग्राम-प्रधान से मिलवाया था। गाँव के प्रधान, जो कि पेशे से शिक्षक थे, इसलिए उन्हें इस सर्वेक्षण के लिए समझाना आसान हो गया, लेकिन उन्होंने शोधकर्ता का आई-कार्ड देखने के बाद ही सर्वेक्षण की अनुमति दी। शोधकर्ता द्वारा आँकड़ों को एकत्र करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत गाँव की महिलाओं से प्रश्नावली में शामिल किए गए सवालों को मौखिक रूप से पूछा गया और उनके उत्तरों को लिखा गया। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय बच्चों की भी मदद ली गई और एक बार में एक महिला से भी सवाल पूछे गए, साथ ही कई बार 2 से 3 महिला प्रतिभागियों से एक साथ भी सवाल पूछे गए।

सर्वेक्षण की प्रश्नावली के लिए दूसरे समूह का चयन इंदिरापुरम क्षेत्र (शहरी) से किया गया था, जो गाजियाबाद जिले के तहत आता है। शोधकर्ता ने सर्वेक्षण के दौरान 34 मध्यमवर्गीय एकल परिवारों की प्रतिक्रियाएँ लीं, इन परिवारों में गृहणियाँ और कामकाजी महिलाएँ, दोनों शामिल थीं। ये महिलाएँ न केवल बाहर की दुनिया से भलीभाँति परिचित थीं, बल्कि अपनी मनमर्जी से मोबाइल फोन का उपयोग भी करती थीं।

सैंपल के लिए चुने गए क्षेत्र की प्रासंगिकता

हाल के वर्षों में हुए व्यापक निर्माण कार्यों की वजह से सिटी मेयर्स फाउंडेशन के सर्वेक्षण में गाजियाबाद को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर घोषित किया गया है। इसलिए, इस शहर की इन सभी विशेषताओं ने विभिन्न राज्यों और शहरों से समाज के सभी क्षेत्रों, वर्गों और तबकों के प्रवासियों को आकर्षित किया है। इनमें से निम्न और मध्यम आय वर्ग के प्रवासी परिवार हैं, जो दैनिक मजदूरी, कारखानों में श्रमिकों, दुकानों एवं मॉल में काम करने, प्राइवेट नौकरियों, तकनीकी सेक्टर, मीडिया सेक्टर एवं सरकारी विभागों में नौकरियों आदि के रूप में रोजगार की तलाश में गाजियाबाद आते हैं। ज्यादातर मामलों में ये प्रवासी अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं और बहुत ही सामान्य-सी परिस्थितियों में गुजर-बसर करते हैं। कई मामलों में ऐसे परिवारों की महिलाएँ भी काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई सामाजिक बंधन या रोक-टोक नहीं होती है।

आँकड़ों का विश्लेषण

सर्वेक्षण के कार्य के दौरान पता चला कि सभी 25 ग्रामीण परिवारों और उनके 175 सदस्यों में से 85 प्रतिशत महिलाएँ अपने रोजमर्रा के जीवन में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करती थीं, जबकि इसकी तुलना में शहरी प्रवासी परिवारों की महिलाओं में से बमुश्किल 10 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी थीं। शहर की 90 प्रतिशत महिलाएँ अपने मोबाइल फोन का खूब इस्तेमाल करती थीं। लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के मामले में महिला-पुरुष संबंधों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता था। ग्रामीण महिलाएँ मुख्य रूप से गृहिणी थीं और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थीं, साथ ही उनका शैक्षणिक स्तर कम था और उनका परिवार बहुत बड़ा था। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ अपने आप से फैसला लेने में असमर्थ थीं, साथ ही उनका स्वभाव ही दूसरों पर निर्भर रहने का था। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं था और उनमें बेटा पैदा करने की चाहत थी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में पुरुषों से खाना बनाने या फिर दूसरे घरेलू कामों में हाथ बँटाने की कोई उम्मीद नहीं की जाती थी। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्र की महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक और मुखर थीं। शहरी महिलाएँ नई-नई मिली स्वतंत्रता

का भरपूर उपयोग कर रही थीं और उनमें से ज्यादातर ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। शहरी क्षेत्र के परिवारों में सदस्यों की संख्या पाँच से कम थी। शहरी महिलाओं में से 85 प्रतिशत महिलाएँ आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर थीं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ अपने घर से भी काम कर रही थीं, राजनीतिक रूप से जागरूक, स्वावलंबी और अपनी बात को बेबाक तरीके से कहने वाली थीं। एक गृहिणी होने के बावजूद शहरी महिलाओं को बाहर की दुनिया का अच्छा-खासा अनुभव था। इतना ही नहीं, शहरी व्यवस्था में प्रत्यक्ष तौर पर पुरुष-महिला संबंधों में उल्लेखनीय अंतर था। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्र के परिवारों में माहौल अधिक खुला हुआ और बराबरी का था। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार के भीतर और बाहर दिन-प्रतिदिन के कामकाज में मोबाइल फोन के उपयोग से शहरी इलाकों में पति-पत्नी के बीच बातचीत के तौर-तरीकों में काफी सुधार हुआ है और इसका उनके अंतर-वैयक्तिक रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ा है।

एकत्र आँकड़ों की विवेचना से कुछ अहम बातें निकल कर सामने आती हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी नमूनों के बीच शिक्षा ने भी एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, संयुक्त परिवार की व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं परिवार व गाँव के पुरुषों पर निर्भरता ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का स्वभाव बन गया है। शहरी महिलाओं की तुलना में अधिकारों की कमी ने भी ग्रामीण महिलाओं की इस स्थिति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जाहिर है कि पुरुषों की अनुपस्थिति में शहरी महिलाओं पर अकेले परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पुरुष काम के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से शहरी क्षेत्र की महिलाएँ अधिक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और मेहनती बन गईं, जिसके चलते पारिवारिक, वित्तीय, राजनीतिक और रोजाना के कार्यों से जुड़े विभिन्न मामलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ गई। हालाँकि, शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में संचार के स्वरूप और संबंध के तरीके में एक स्पष्ट एवं उल्लेखनीय अंतर था, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि यह केवल दो नमूना समूहों में से किसी एक में मोबाइल फोन के स्वतंत्र एवं सहज उपयोग की वजह से हुआ हो। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि मोबाइल फोन के उपयोग ने निश्चित तौर पर महिलाओं एवं पुरुषों के बीच बार-बार संपर्क और बातचीत में बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कामकाज से जुड़ी और व्यक्तिगत दोनों ही वजहों से शहरी महिलाओं द्वारा बातचीत के लिए मोबाइल पर व्यतीत किया जाने वाला समय ग्रामीण महिलाओं की तुलना में बहुत ज्यादा था। मोबाइल के इस उपयोग ने लंबे समय में लैंगिक वर्गीकरण या अनुक्रम की प्रक्रिया को तोड़ने यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आँकने के विचार को समाप्त करने और लैंगिक समानता लाने में मदद की है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों में मोबाइल फोन के उपयोग से संचार के पारंपरिक और रूढ़िवादी तरीकों में परिवर्तन आ रहा है। अध्ययन में उन प्रवासी परिवारों को शामिल किया गया था, जो पिछले 9 से 15 वर्षों में शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए थे और वहीं बस गए थे। हालाँकि, उनके संचार के तौर-तरीकों में परिवर्तन के पीछे सिर्फ मोबाइल फोन के उपयोग को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन, मोबाइल फोन के महत्त्व को कम करके भी नहीं आँका जा सकता, क्योंकि इस अध्ययन का हिस्सा रहे सभी प्रवासी परिवार, जो कि भले ही अब मोबाइल फोन का जमकर उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने कुछ (5-6) साल पहले ही मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किया था। हालाँकि, ये लोग एक दशक पहले ही शहरों में आकर बस चुके थे। देखा जाए तो शहर में आकर रहना ही अपने आप में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिसके फलस्वरूप इन एकल परिवारों को बेहतर शिक्षा मिल सकी, साथ ही रोजगार मिलने से आमदनी बढ़ी और इससे वित्तीय आजादी और आत्मनिर्भरता भी आई। जाहिर है, इन सभी वजहों से पारिवारिक स्तर पर बेहतर समन्वय और संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता हुई, जो कि मोबाइल फोन के उपयोग से संभव हो पाया।

हालाँकि, पहले भी इस प्रकार के अध्ययन हो चुके हैं, जिनमें सुरक्षा, दूर रहकर बच्चों का पालन-पोषण और कनेक्टिविटी जैसे कारकों को संबोधित किया गया था (रोपके, 2003)। कुछ अध्ययनों में परिवारों और मोबाइल फोन के उपयोग के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य ने भावात्मक पहलू को शामिल करके इस पूरे परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने का काम किया है, जो कि भावनात्मक कंटेंट है, या टेक्स्ट मैसेज है या फिर कॉल करना है। उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन के माध्यम से पूर्व में चर्चा किए जा चुके विभिन्न पहलुओं में कुछ नई बातों को जोड़ा जा सकता है। प्रस्तुत शोध से गाजियाबाद की प्रवासी आबादी में व्यावहारिक एवं संचार के तौर-तरीकों को लेकर मोबाइल फोन के सामर्थ्य, साथ-ही-साथ उसकी हद के बारे में एक साफ तस्वीर देखने को मिलती है। हालाँकि, यह भी बात ध्यान देने वाली है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष को किसी बड़े समूह पर लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि यह निष्कर्ष एक बड़ी आबादी से संबंधित इसी प्रकार के अध्ययनों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अध्ययन से साफ तौर पर पता चलता है कि मोबाइल फोन का उपयोग भले ही परिवर्तन को तेज करने वाले साधन के रूप में न हो रहा हो, लेकिन प्रवासी परिवारों के भीतर बातचीत के तौर-तरीकों को बदलने में यह एक सशक्त भूमिका जरूर निभा रहा है। मोबाइल फोन की यह भूमिका मददगार एवं सुविधाजनक है, हालाँकि इसको लेकर आगे भी चर्चा-परिचर्चा और जाँच-पड़ताल का विकल्प खुला हुआ है।

संदर्भ

कार्टर, एम.एन. (2008). फादर-डॉटर रिलेशनशिप : एगजैमिनिंग फैमिली कम्यूनिकेशंस पैटर्स एंड इंटर-पर्सनल कम्युनिकेशन सैटिसफैक्शन. कम्युनिकेशन रिसर्च रिपोर्ट्स (खंड. 25 (1), 23-33.

केर, स्टैटिन, & ट्रॉस्ट. (1999). टू नो यू इज टू ट्रस्ट यू : पेरेंट्स ट्रस्ट इज रूटेड इन चाइल्ड्स डिस्कलोजर ऑफ इनफॉर्मेशन. जर्नल ऑफ एडोलेसेंस, 22 (6), 737–752. https://doi.org/10.1006/1999.0266

केरावाला & चार्ल्स. (2002). चिल्ड्रेंस कंप्यूटर यूज एट होम एंड स्कूल; कंटेक्स्ट एंड कंटिनयूटी. ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च जर्नल, , 28 (अंक 6), 757--771.

कैंपबेल. (2006). टीन एज गर्ल्स एंड सेल्यूलर फोन : डिस्कोर्सेज ऑफ इंडिपेंडेंस, सेफ्टी एंड रिबेलियन. जर्नल ऑफ यूथ स्टडीज, 9 (अंक-2), 195-212.

गीजर. (2006). इज द सेलफोन अंडरमाइनिंग द सोशल ऑर्डर? अंडरस्टैंडिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी. 8–18.

गेर्गेन, एम. & गेर्गेन, के. के. (2003). सोशल कंस्ट्रक्शन : ए रीडर [अँग्रेजी]. लंदन : सेज पब्लिकेशंस.

जेफरीनादिया. (2023, जून). द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023. https://www.gsma.com/. GSMA इंटेलिजेंस, Q4 2022.

ठाकुर, बी. एस. (2021, दिसंबर 29). इलोपमेंट ऑफ माइनर गर्ल्स ऑन द राइज इन हरियाणा. https://www.tribuneindia.com/news/haryana/elopement-of-minor-girls-on-the-rise-in-haryana-309984 से पुनःप्राप्त.

डेविट & रॉकर. (2009). पेरेंटल मॉनिटरिंग : ए री-इंटरप्रिटेशन. चाइल्ड डेवेलपमेंट : सोसायटी फॉर रिसर्च इन चाइल्ड डेवेलपमेंट (खंड. 71 (4), पृष्ठ संख्या. 1072–1085.

तेनहुनेन, एस. (2008). मोबाइल टेक्नोलॉजी इन द विलेज : आईसीटी, कल्चर एंड सोशल लॉजिस्टिक्स इन इंडिया. जर्नल ऑफ द रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट.

पलक्कल, एम., जोर्गबो, डी., युवावेज, एम. & श्रम. (2011). आर मोबाइल फोन चेंजिंग सोशल नेटवर्क्स? ए लॉङ्गिट्यूडिनल स्टडी ऑफ कोर नेटवर्क्स इन केरल. न्यू मीडिया एंड सोसायटी, (13 (3), 1–20.

फॉर्च्यूनटी. एल. (2005). मोबाइल कम्युनिकेशंस-रीनेगोशिएशन ऑफ द सोशल स्फेयर. लंदन : स्प्रिंगर वेरलैग पब्लिशर्स.

बर्जर. एल.पी. & लुकमैन. टी. (1966). द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियैलिटी : ए ट्रीटीज इन द सोशियलॉजी ऑफ नॉलेज. द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियैलिटी : ए ट्रीटीज इन द सोशियलॉजी ऑफ नॉलेज, 31–49). एंकर बुक्स

ब्रिजिंग द जेंडर गैप : मोबाइल एक्सेस एंड वेज इन डेवेलपिंग कंट्रीज. (2015). ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशंस. जीएसएम.

भट्टाचार्य, ए. (2017, अप्रैल 26). रूरल इंडियन वुमन आर लैगिंग फार बिहाइंड देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स इन मोबाइल फोन युसेज. https://qz.com/india/969565/rural-indian-women-are-lagging-far-behind-their-urban-counterparts-in-mobile-phone-usage#:~:text=In%20urbanized%20centers%2C%2062%25%20of,close%20to%2095%25%20for%20both. से पुन:प्राप्त.

मानटे, ए. लूस. & ई, डी.एस. (2008). रिस्क टेकर्स एंड चॉइस मेकर्स : देयर नॉन यूज ऑफ न्यू मीडिया. एज एंड रिस्क परसेप्शन ड्यूरिंग अ चॉइस प्रोसेस. इनोवेशन फॉर यूजर्स. ब्रसेल्स : ऑफ़िस फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ द यूरोपियन कम्यूनिटीज, 53–64.

रोपके. (2003). कंजप्शन डायनैमिक्स एंड टेक्नोलॉजीकल चेंज – एक्सेंप्लिफाइड बाय द मोबाइल फोन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. इकोलॉजीकल इकोनॉमिक्स – साइंस डायरेक्ट. (खंड. 45 (2), 171–188.

लाइकोपे. (2004). कनेक्टेड प्रेजेंस : द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू रेपरटॉयर फॉर मैनेजिंग सोशल रिलेशनशिप्स इन ए चेंजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोस्केप. एनवायरनमेंट एंड प्लानींग डी : सोसायटी एंड शेप (खंड 22 (1), 135–156.

लिंग, यत्री. & लिंग. (2002). हाइपर-कोऑर्डिनेशन वाया मोबाइल फोंस इन नॉरवे. हाइपर-कोऑर्डिनेशन वाया मोबाइल फोंस इन नॉरवे. 139 –169.

श्रोड्ट, विट. & मेसेरस्मिथ. (2008). ए मेटा एनालिटिकल रिव्यू ऑफ फैमिली कम्युनिकेशन पैटर्स एंड देयर एसोसियेशंस विथ इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बिहेवोरल एंड साइकोसोशल आउटकम्स. कम्युनिकेशन मोनोग्राफ : नेशनल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, 75 (3), 248-269.

हैडन. (2006). कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, 19–27.

हॉलोवे & वैलेनटाइन. (2001). इट इज ओनली एज स्टूपिड एज यू आर : चिल्ड्रेंस एंड एडल्ट्स नेगोशियेशन ऑफ आईसीटी कॉम्पिटेंस एट होम एंड एट स्कूल. सोशल एंड कल्चरल ज्यॉग्रफी जर्नल, 2 (1), 25–42.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 64-69, जुलाई-सितम्बर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

समाचार पत्रों द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र की कवरेज का अध्ययन

गीतांजली राघव[1] और डॉ. पवन मलिक[2]

सारांश

आज संपूर्ण विश्व में 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन चलाने का दावा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन और उस पर निगहबानी की जिम्मेदारी मीडिया पर है। मीडिया का दायित्व समाज को जिम्मेदार नागरिक बनाने और लोकतंत्र का प्रशिक्षण देने का है, परंतु प्रश्न यह है कि ऐसा हुआ है या नहीं। क्या समाचार पत्र संसद में होने वाले विधायी कार्यों की कवरेज को लेकर गंभीर हैं? मीडिया का ध्यान संसद में होने वाले काम पर है या मात्र वक्तव्यों पर? इन सारी बातों को समझने के लिए 17वीं लोकसभा के चौदहवें शीतकालीन सत्र को अध्ययन हेतु चुना गया। यह सत्र 4 दिसंबर, 2023 से 22 दिसंबर, 2023 तक चला। 18 दिनों में 14 बैठकें हुईं और कुल 19 विधेयक पारित हुए। इस दौरान मीडिया ने क्या भूमिका निभाई; संसदीय कार्यवाही को किस तरह से और कितना कवरेज दिया; स्तंभकारों ने कितनी रुचि दिखाई; कितने संपादकीय लिखे गए—इन सबका विश्लेषण किया गया है। इस अवधि के दौरान समाचार पत्रों का विश्लेषण करने से मीडिया की संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति गहरी अरुचि का पता चलता है। प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय पाठक सर्वेक्षण के अनुसार देश के चार प्रमुख समाचार पत्रों, यथा—टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के नई दिल्ली संस्करणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। समाचार पत्रों में खबरों को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, यह भी अध्ययन का विषय रहा। अध्ययन में प्रमुख रूप से यह जानने का प्रयास किया गया कि लोगों को विधेयकों से परिचित कराने के लिए समाचार पत्रों ने किस तरह की कवरेज की।

संकेत शब्द : भारतीय संसद, विधेयक, शीतकालीन सत्र, समाचार पत्र, संसदीय कार्यवाही

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों के लाभ को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका मीडिया निभाता है। वह सरकार और नागरिकों के बीच एक शृंखला के रूप में कार्य करता है। लोगों को मीडिया पर विश्वास है, क्योंकि यह दर्शकों पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए मीडिया से यह उम्मीद की जाती है कि वह लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जनमानस तक पहुँचाए (आर्य, 2014)। संसदीय कार्यवाही से जुड़ी हर खबर लोगों तक सरल भाषा में पहुँचाने का काम मीडिया का है। गौरतलब है कि संसदीय खबरों को आम जनता तक पहुँचाना मीडिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। लोकसभा तथा विधानसभा राजनीतिक गतिविधियों एवं अन्य समाचारों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन होते हैं। विशेष रूप से जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो पूरा-का-पूरा पृष्ठ सदन की कार्यवाही की रिपोर्टों से भरा रहता है। पाठकों की भी इन समाचारों में विशेष रुचि रहती है। वे सदन की कार्यवाही के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएँ जानने को उत्सुक रहते हैं। संसद के दोनों सदनों में देश व राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिविधियों का पता चलता है कि आम आदमी के बेहतर जीवन के लिए सरकार किस तरह की नीतियों पर काम कर रही है। निस्संदेह संसद की कार्यवाही के प्रसारण से लोकतांत्रिक शिक्षा का काम आसान होगा। लोकतांत्रिक पारदर्शिता के पक्षधर लोगों का मानना है कि संसद की अच्छी-बुरी कार्यवाही की पूरी जानकारी जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए (मेहता, 2007)। बावजूद इसके संसदीय कार्यवाही संबंधी सूचनाओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते समय संवाददाता को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही का भी उसे कठिन दंड मिलता है। पत्रकारों को इस संदर्भ में सर्वप्रथम 'संसद की कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम 1956' को भलीभाँति पढ़कर समझना चाहिए। तत्पश्चात् संसद की रिपोर्टिंग करनी चाहिए (मल्होत्रा, 2012)। डिजिटल मीडिया के वर्तमान युग में उम्मीद की जाती है कि संसदीय कार्यवाही से जुड़ी खबरों के प्रचार-प्रसार में तेजी आई होगी। निश्चित तौर पर पिछले एक दशक में संसदीय सत्रों की उत्पादकता, सदन में पारित होने वाले विधेयकों की संख्या में तेजी आई है, लेकिन क्या मीडिया में विधेयकों से जुड़ी खबरों, आलेखों और विचारों को लेकर जन शिक्षण के काम से संबंधित नजर और नजरिये में परिवर्तन आया है?

शोध उद्देश्य एवं प्रविधि

संसद के किसी भी सत्र की कार्यवाही को लोगों तक पहुँचाने का काम पत्रकारों के लिए चुनौतिपूर्ण होता है। उन्हें संसदीय मार्गदर्शिका (गाइडलाइंस) का पालन करते हुए संसदीय कार्यवाही को लोगों तक पहुँचाना होता है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य शीतकालीन सत्र की समाचार पत्रों द्वारा की गई कवरेज का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। साथ ही यह पता लगाना है कि 17वीं लोकसभा के चौदहवें सत्र में पारित विधेयकों को समाचार पत्रों में कितनी प्रमुखता से छापा गया। यह अध्ययन 18 दिनों तक चले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किया गया, जो 4 दिसंबर, 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक चला। 18 दिनों की इस अवधि में अध्ययन के लिए भारतीय पाठक सर्वेक्षण यानी आईआरएस 2023 के अनुसार शीर्ष चार प्रमुख समाचार पत्रों, जिनमें दो हिंदी और दो अँग्रेजी के समाचार पत्रों का चयन किया गया। इन पत्रों में दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिंदुस्तान टाइम्स में संसद की कार्यवाही यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधेयकों से जुड़े समाचारों को संग्रहीत किया गया। प्रस्तुत शोध समाचार पत्रों की विषयवस्तु पर केंद्रित है। इसमें

[1]शोधार्थी, संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग, जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद. ईमेल : geetlstv24@gmail.com
[2]सह-प्राध्यापक, संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग, जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद. ईमेल : pawanmalik@jcboseust.ac.in

अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध के उद्देश्य के अनुसार गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों का प्रयोग किया गया है।

समाचार पत्रों में संसदीय कार्यवाही

प्रस्तुत शोध में समाचार पत्रों में संसद में पारित विधेयकों पर आधारित रिपोर्ट, लेख और संपादकीय का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। आईआरएस के अनुसार चयनित समाचार पत्रों में संसद की कार्यवाही व पारित हुए विधेयकों से जुड़े समाचारों को संग्रहीत कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। समाचार पत्रों में खबरों को किस तरह से प्रस्तुत किया गया, यह भी अध्ययन का विषय रहा। अध्ययन में प्रमुखता से यह जानने का प्रयास किया गया कि लोगों को विधेयकों से परिचित कराने में समाचार पत्रों ने किस तरह की कवरेज दी है। शोधार्थी ने कुल खबरों में संसदीय कार्यवाही की खबरों के प्रतिशत, विधेयकों पर आधारित खबरों के प्रतिशत और विविधता को रखा है। प्रस्तुतीकरण को मापने के लिए विभिन्न विचारों का समावेश, जनशिक्षण के लिए प्रयोग किए गए तरीकों का भी अध्ययन किया गया है।

तालिका 1 : समाचार पत्रों की जानकारी

क्र.स.	समाचार पत्र का नाम	अवधि	कुल पृष्ठ	संपादक
1.	दैनिक भास्कर	4 से 22 दिसंबर, 2023	246	जगदीश शर्मा
2.	दैनिक जागरण	4 से 22 दिसंबर, 2023	252	संजय गुप्त
3.	टाइम्स ऑफ इंडिया	4 से 22 दिसंबर, 2023	396	जयदीप बोस
4.	हिंदुस्तान टाइम्स	4 से 22 दिसंबर, 2023	324	सुकुमार रंगनाथन

तालिका 2 : समाचार पत्रों में विधेयकों से संबंधित खबरों की स्थिति का विश्लेषण (कुल खबरों के प्रतिशत में)

क्र.स.	समाचार पत्र का नाम	कुल खबरें	विधेयक से संबंधित कुल खबरें	कुल अंक	प्रतिशत
1.	दैनिक भास्कर	2547	02	18	0.07
2.	दैनिक जागरण	2717	16	18	0.58
3.	टाइम्स ऑफ इंडिया	2577	08	18	0.3
4.	हिंदुस्तान टाइम्स	2619	08	18	0.3

तालिका 3 : समाचार पत्रों में विधेयकों से संबंधित लेखों व संपादकीय की स्थिति का विश्लेषण (कुल खबरों के प्रतिशत में)

क्र.स.	समाचार पत्र का नाम	कुल खबरें	संसदीय कार्यवाही से संबंधित संपादकीय/लेख	कुल अंक	प्रतिशत
1.	दैनिक भास्कर	2547	03	18	0.11
2.	दैनिक जागरण	2717	08	18	0.29
3.	टाइम्स ऑफ इंडिया	2577	03	18	0.11
4.	हिंदुस्तान ऑफ टाइम्स	2619	05	18	0.19

तालिका 4 : समाचार पत्रों में संसद के अंदर दिये गए बयानों की स्थिति का विश्लेषण (कुल खबरों के प्रतिशत में)

क्र.स.	समाचार पत्र का नाम	कुल खबरें	संसद से जुड़े समाचार	कुल अंक	प्रतिशत
1.	दैनिक भास्कर	2547	24	18	0.94
2.	दैनिक जागरण	2717	141	18	5.1
3.	टाइम्स ऑफ इंडिया	2577	29	18	1.1
4.	हिंदुस्तान टाइम्स	2619	34	18	1.2

अध्ययन अवधि के दौरान 'दैनिक भास्कर' में प्रकाशित 18 अंकों में कुल 2547 खबरों का प्रकाशन हुआ, जिसमें संसदीय कार्यवाही से जुड़ी खबरों की संख्या 24 यानी संसदीय कार्यवाही की खबरों का प्रतिशत 0.94 रहा। विधेयक आधारित खबरों की संख्या सिर्फ 02 थी और कुल 0.07 फीसद। दैनिक जागरण ने 18 अंकों में इस अवधि के दौरान कुल 2717 खबरों को प्रकाशित किया, जिसमें संसदीय कार्यवाही से जुड़ी कुल 141 खबरों को जगह मिली, वहीं विधेयक से जुड़ी मात्र 16 खबरें थीं इन 16 खबरों में जम्मू कश्मीर, तीन आपराधिक विधेयकों, मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक पर मंत्रियों के वक्तव्य के हवाले से ज्यादा बार छापा गया। कुल खबरों में संसदीय कार्यवाही से जुड़ी खबरों का 5.1 प्रतिशत था और विधेयक से जुड़ी खबरों का मात्र 0.58 प्रतिशत रहा। इसके अलावा अगर बात करें अँग्रेजी के शीर्ष अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो 18 अंकों की इस अवधि के दौरान कुल 2577 खबरों का प्रकाशन हुआ, जिनमें से संसद से जुड़े समाचार सिर्फ 29 थे, यानी 1.1 प्रतिशत। वहीं विधेयक आधारित खबर मात्र 08 इतनी थीं, यानी 0.3 प्रतिशत। हिंदुस्तान टाइम्स में 18 अंकों की इस अवधि के दौरान कुल 2619 खबरों को जगह मिली, जिनमें संसद समाचारों की संख्या 34 यानी 1.2 प्रतिशत थी। वहीं विधेयक से जुड़ी खबरों की संख्या 08 यानी 0.3 प्रतिशत रही। संसदीय कार्यवाही से जुड़ी खबरों को लेकर दैनिक भास्कर का रुख सुस्त व उदासीन नजर आया, हालाँकि कुछ प्रमुख विधेयकों को थोड़ी जगह दी गई है। दैनिक

भास्कर में संसदीय कार्यवाही से संबंधित सभी खबरें एजेंसी व ब्यूरो के हवाले से छापी गईं (दैनिक भास्कर 2023)। प्रस्तुतीकरण और संपादन में नयापन व रचनात्मकता का अभाव दिखा। 18 अंकों की अवधि के दौरान पारित हुए विधेयकों पर भी यही बात देखने को मिली है। 8 दिसंबर के संपादकीय पृष्ठ पर पश्चिम बंगाल से तृणमूल कॉंग्रेस पार्टी के राज्य संभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन द्वारा लिखा लेख 'संसद की बहसों में थोड़ा हँसी-मजाक बुरा नहीं' प्रकाशित हुआ। इसके अलवा दो और संपादकीय है। विधेयकों से संबंधित खबर में 6 दिसंबर को पेज-12 पर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं आरक्षण विधेयक के संसद में पेश होने और 7 दिसंबर को पारित होने संबंधी खबर को छापा है। साथ ही 7 दिसंबर को पेज-12 पर विधेयक से जुड़ी जानकारी वाली खबर की हेडलाइन गृहमंत्री अमित शाह का बयान है। इसके अलावा भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा लिव-इन-रिलेशनशिप पर कानून बनाने की माँग को एक बॉक्स में प्रकाशित किया गया है। संसद समाचारों, विधेयकों की कवेरज से इतर प्रश्नकाल एवं शून्यकाल पर दैनिक भास्कर की नजर काफी कमजोर रही

'दैनिक जागरण' देश में हिंदी का दूसरा बड़ा अखबार है। अगर बात करें संसद से जुड़े समाचारों के इसके कवरेज की, तो 4 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच प्राकशित हुए 18 अंकों में कुल 141 खबरें ही थीं (दैनिक जागरण, 2023)। इनमें 10 प्रतिशत खबरें ही अखबार ने अपने संवाददाताओं के हवाले से छापी हैं, बाकी की 90 प्रतिशत खबरें एजेंसी/ब्यूरो के हवाले से प्रकाशित हुई हैं। संवाददाता मनीष तिवारी के हवाले से 14 दिसंबर को आतंकी हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में सेंध की खबर को छापा गया है। वहीं संपादकीय पृष्ठ पर वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक डॉ. सुशील कुमार द्वारा 'संसद की मर्यादा का सम्मान' लेख लिखा गया है। एक आलेख 22 दिसंबर के संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार ने लिखा है। इसके अलवा संवाददाता अनुगुल की धीरज साहू मामले पर लगातार फोलो-अप स्टोरी, संजय मिश्र की संसद में सुरक्षा चूक, आशुतोष झा की पीएम मोदी द्वारा संसद में घटी घटना पर खेद प्रकट करना, अरविंद शर्मा की सांसदों के निलंबन वाली खबरों को प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण के संसद समाचारों, संपादकीय नीति में विधेयकों से ज्यादा संसद में हुए शोरगुल को महत्त्व दिया गया है। हालाँकि संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुए महत्त्वपूर्ण सवाल-जवाब को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रश्नोत्तरी नामक एक कॉलम अलग से प्रकाशित किया है, जो कि अन्य अखबारों में नदारद था। यह जागरण का एक अच्छा प्रयास था। 19 विधेयकों में से सिर्फ 5 प्रमुख विधेयकों से जुड़ी हुई जानकारी ही पाठकों को पढ़ने को मिली है। संसद सत्र की उत्पादकता, कुल पारित हए विधेयकों को लेकर 23 तारीख के अखबार में एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है। इन सब के इतर, अगर बात करें प्रस्तुतीकरण की, तो उसमें भी रचानात्मकता, वैल्यू एडिशन का अभाव दिखा।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संवाददाता अखिलेश सिंह की पहले ही दिन 9 मिनट में हंगामे के चलते स्थगित हुई लोकसभा पर विस्तृत रिपोर्ट को छापा (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2023), जिसमें पीएम मोदी के बयान 'विपक्ष सदन में हार का गुस्सा न निकाले, बल्कि अपनी हार से सीखें' को खबर की हेडलाइन बनाया। 6 दिसंबर को संवाददाता राज शेखर झा के हवाले से खालिस्तानी आतंकी पन्नू की संसद पर हमले की धमकी को प्रकाशित किया। 7 दिसंबर को अखिलेश सिंह की अमित शाह के नेहरू पर दिए गए बयान 'धारा 370 नेहरू की गलती' को प्रमुखता से रिपोर्ट किया है। वहीं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित होने संबंधी जानकारी भी है। 9 दिसंबर को संवाददाता महुआ चटर्जी के हवाले से तृणमूल सासंद महुआ मौइत्रा की सदस्यता खारिज होने संबंधी खबर छपी। भारती जैन के हवाले से आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सदन में शाह के नेहरू पर आक्रामक बोल को मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। 13 दिसंबर के पेज-20 पृष्ठ पर 'वन मोर चेंज' नामक संपादकीय लिखा गया, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक पर रहा। एक संपादकीय संसद की सुरक्षा विषय पर भी दिखा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक वाले विषय पर खबर में चित्र का उपयोग करके मिनट टू मिनट जानकारी प्रकाशित की गई। इसके अलावा अगर बात करें विधेयकों पर प्रकाशित खबरों की तो जम्मू और कश्मीर विधेयक, डाकघर विधेयक, टेलीकॉम विधेयक, तीन आपराधिक विधेयक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक पर हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के मुकाबले अच्छी विस्तृत खबर प्रकाशित की। हालाँकि आम जन मानस को कैसे ये विधेयक प्रभावित करेंगे, इस दृष्टिकोण का अभाव नजर आया। साथ ही संसद से पारित अन्य 13 विधेयकों पर खबर और जानकारी दोनों का ही अभाव नजर आया। सदन की उत्पादकता और दोनों सदनों में पारित हुए कुल विधेयक, सत्र के दौरान निलंबित हुए सांसदों की पूरी जानकारी सत्र के आखिरी दिन के उपरांत प्रकाशित हुए अंक में समेटी गई।

हिंदुस्तान टाइम्स में अध्ययन में सम्मिलित अन्य समाचार पत्रों के मुकाबले अधिकतर खबरें रिपोर्टरों के माध्यम से ही छपीं। सौभद्र चटर्जी, स्मृति रामचंद्रन, अदिति अग्रवाल, संजीव झा, हिमानी भंडारी, गिरीश चंद्र भंडारी, उत्कृष आनंद ने संसदीय कार्यवाही से जुड़ी खबरें फाइल कीं (हिंदुस्तान टाइम्स,2023)। सौभद्र चटर्जी के नाम से 'लोकसभा द्वारा सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द' वाली खबर तथा श्रेया गांगुली के नाम से 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल और मंत्री के जवाब को पेज नंबर 8 पर छापा। यह सवाल कोविड-19 के दौरान एयरलाइंस की वित्तीय चुनौतियों से संबंधित था, जिसके जवाब के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बीच एयरलाइंस में सस्टैनेबल मॉडल को अपनाया गया। 9 दिसंबर को पेज न. 10 पर महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द के मामले पर एथिक्स कमेटी को लेकर वृंदा तुलस्यान की 6 कॉलम वाली विस्तृत रिपोर्ट छपी है)। हिंदुस्तान टाइम्स में लोकसभा से संबंधित कुल 9 खबरें छपी थीं। उत्कृष आनंद की 8 कॉलम की रिपोर्ट 3 क्रिमिनल लॉ बिल को लेकर छपी। राहुल सिंह के मार्फत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023 पर चार कॉलम की खबर छपी।

संसदीय खबरों के स्रोत, संकलन और संपादन के मामले में हिंदी के दैनिक जागरण और अँग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स बराबरी करते नजर आए। हालाँकि हिंदुस्तान टाइम्स की ज्यादातर खबरें रिपोर्टरों के नाम से प्रकाशित थीं, वहीं दैनिक जागरण में ब्यूरो और एजेंसियों के माध्यम से थीं। दैनिक भास्कर का रवैया संसदीय खबरों को लेकर बेहद सपाट और उदासीन दिखा। इन सबके इतर अगर विधेयकों पर हुई कवरेज, लेख और संपादकीय की बात करें तो स्थिति बेहद निराशाजनक है। लगभग सभी समाचार पत्रों ने 18 पारित हुए विधेयकों में सिर्फ 6 ही विधेयकों को

प्राथमिकता दी। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2018 से जुड़ी खबरें सपाट तरीके से छपी थीं।

शीतकालीन सत्र में हुए विधायी कार्य

संसद में पारित हुए विधेयकों को प्रमुखता से प्रकाशित करने, उसके महत्त्व व प्रभाव को आमजन तक पहुँचाने की अपेक्षा समाचार पत्रों से की जाती है। जब संसद चलती है तो लोकतंत्र गति पकड़ता है, हालाँकि आम जनमानस की समस्याओं के समाधान और देशवासियों के लिए सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए संसद साल के 365 दिन ही कार्य करती है, लेकिन अगर बात विधायी कार्यों की करें तो यह संसद में आहूत सत्र के दौरान ही संपन्न किए जाते हैं। संसद में विधेयक को सदन पटल पर लाना और संसदीय कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए विधेयक पारित कराकर कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने में काफी समय लगता है। हर मंत्रालय अपने विभाग से संबंधित समस्या के निदान के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार करता है। फिर वह प्रारूप प्रधानमंत्री की अगुआई में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाता है और फिर जरूरी पहलुओं पर गहन चिंतन, निरीक्षण-परीक्षण के बाद उसे संसद पटल पर रखने की तैयारी की जाती है। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनके हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून का रूप लेता है।

चौदहवें सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 74 प्रतिशत रही। लोकसभा के चौदहवें सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चलीं। सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 19 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक माँगों को तथा वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की माँगों को मतदान के उपरांत पारित किया गया। निर्देश 73 क के अधीन 33 वक्तव्य दिए गए और संसदीय कार्य के संबंध में संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिए गए तीन वक्तव्यों सहित कुल 34 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1930 दस्तावेज सभा के पटल पर रखे गए। (संसद टीवी लोकसभा 2023)

राज्यसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कार्यवाही के लिए 84 घंटे तय किए गए थे। उच्च सदन में कुल 65 घंटे कार्य हुआ। राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी लगभग 78 प्रतिशत रही। सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते 20 घंटे 20 मिनट का समय व्यर्थ हुआ। वहीं कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ सदन कुल 4 घंटे 9 मिनट अतिरिक्त या देर तक चला। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों की संख्या 198 रही। इनमें से 52 तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए, साथ ही 2107 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। सरकारी विधेयकों की अगर बात की जाए तो 1 विधेयक वापस लिया गया और 17 विधेयक पारित कर लौटाए गए। शुक्रवार के दिन होने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन 62 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए और 1 विधेयक को चर्चा में शामिल किया गया। मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले वक्तव्यों की संख्या 212 रही। लोकहित से जुड़े मुद्दे भी उच्च सदन में सांसदों ने उठाए। इस दौरान उच्च सदन में 1 अल्पावधि चर्चा, 58 विशेष उल्लेख और 161 सभापित की अनुमति से उठाए गए मामले शामिल रहे। इसके साथ ही सदन के पटल पर रखे गए प्रपत्रों की संख्या कुल 3822 रही। (संसद टीवी राज्यसभा, 2023)

शीतकालीन सत्र का महत्त्व

शीतकालीन सत्र 2023 कई मायनों में महत्त्वपूर्ण रहा। पहली बार नए संसद भवन में पहला पूर्णकालिक सत्र हुआ। नए भवन में भव्य लोकसभा और राज्यसभा के चैंबर थे, जो पूर्णतया डिजिटल और आधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण हैं, जिससे सभी सांसद संतुष्ट नजर आए। हालाँकि इससे पहले विशेष सत्र हुआ था। शीतकालीन सत्र में 22 घंटे बर्बाद होने के बाद राज्यसभा में 65 घंटे तो लोकसभा में 61 घंटे 50 मिनट काम हुआ। 14 बैठकों के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्षी बेंचों के 2,300 से अधिक प्रश्नों को संबोधित किया गया। कुल 17 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में 74 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई। 14 बैठकें हुईं। सत्र में 18 विधेयक पारित किए गए।

ये सत्र मोदी 2.0 का अंतिम पूर्णकालिक सत्र था। सुरक्षा में चूक और तकरार के कारण विपक्षी सांसदों के निलंबन और तृणमूल काँग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाले वीडियो ने विवाद को और बढ़ा दिया। अब तक के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र 2023 में हुआ। बावजूद इसके ऐतिहासिक विधायी कार्य हुए। ऐसे कई महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिनसे कानून बनने पर आम आदमी को न्याय दिलाने का रास्ता पहले से सुलभ होगा।

संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित हुए सांसदों से संबंधित जानकारी

तारीख	लोक सभा	राज्यसभा
14 दिसंबर	13	01
18 दिसंबर	45	33
19 दिसंबर	49	कोई नहीं
20 दिसंबर	02	कोई नहीं
21 दिसंबर	03	कोई नहीं
कुल	112	34

शीतकालीन सत्र 2023 के बाद अंतरिम बजट सत्र होगा, उसके बाद आम चुनाव और उसके बाद बजट सत्र। एक बड़ी घटना 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ की हुई, जो भविष्य में सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चुनौती के तौर पर देखी जाएगी। वहीं इस सत्र में सरकार ने ऐसे काम किए, जो जनता के हित के लिए बड़े कारगर साबित होंगे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी गई। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। इन विधेयकों का कानून बन जाना लोगों को न्याय दिलाने के लिए बड़े सुधारात्मक कार्य के तौर पर देखा जा रहा है। इन कानूनों

के लागू हो जाने से आम लोगों को न्याय मिलेगा। इन कानूनों के माध्यम से 1861 के पुराने कानूनों को बदलना आम आदमी के हित में होगा। इन कानूनों में सजा से ज्यादा न्याय दिलाने पर जोर रहेगा। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद चार विधेयकों के माध्यम से राज्य के राजनीतिक-प्रशासनिक ढाँचे में व्यापक बदलाव लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता नजर आई। राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि कश्मीरी पंडितों और पीओके का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। एक-तिहाई संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक को कानूनी जामा पहनाया गया। कई वंचित जातियों को ओबीसी और एसटी वर्ग में शामिल किया गया। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र के ढाँचे में बदलाव लाने वाले दूरसंचार विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक भी चर्चित रहे। डाकघर विधेयक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन विधेयक भी पारित किए गए।

17 वीं लोकसभा के 14 वें सत्र और राज्यसभा के 262 वें शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान दोनों सदनों द्वारा कुल 19 विधेयक पारित किए गए।

क्र.म.	संसद के दोनों सदन (लोकसभा एवं राज्यसभा) से पारित हुए विधेयकों की सूची
1.	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2018
2.	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2018
3.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2018
4.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2023
5.	निरसन और संशोधन विधेयक 2023
6.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक 2018
7.	संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2023
8.	डाकघर विधेयक 2023
9.	(विनियोग संख्यांक 3) विधेयक 2023
10.	(विनियोग संख्यांक 4) विधेयक 2023
11.	केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023
12.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2023
13.	अंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023
14.	भारतीय न्याय (दूसरा) संहिता 2023
15.	भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा) संहिता 2023
16	भारतीय साक्ष्य (दूसरा) विधेयक 2023
17.	दूर संचार विधेयक 2023
18.	प्रेस और नियतकालिका पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक (2023)
19.	मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023

निष्कर्ष

लोकतंत्र का आदर्श है—लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र के इस आदर्श को हासिल करने के लिए एक समय मीडिया ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। दुनिया में करीब 100 देश, जो लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, यह मीडिया ही था, जो इन देशों को औपनिवेशिक अँधेरे से लोकतंत्र की रोशनी तक लेकर आया। इसी समय को पत्रकारिता का 'मिशन टाइम' कहा जाता है। इसलिए समय-दर-समय मीडिया और संसद के संबंध को तार्किक दृष्टि से अध्ययन की कसौटी पर कसना आवश्यक है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को समझना, साथ ही यह भी जानना कि कितनी परिपक्वता के साथ वह संसदीय लोकतंत्र को लेकर जन शिक्षण का काम कर रहा है, बहुत महत्त्वपूर्ण है।

प्रस्तुत शोधपत्र में इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय पाठक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार शीर्ष के 4 प्रमुख समाचार पत्रों, जिनमें दो हिंदी और 2 अँग्रेजी के समाचार पत्रों, का चयन किया गया। इन समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिंदुस्तान टाइम्स में संसद की कार्यवाही यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधेयकों से जुड़े समाचारों को संग्रहीत कर अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में कई तरह की बातें निकलकर समाने आई हैं। आज भी स्थिति यह है कि समाचार पत्रों में संसदीय समाचार के नाम पर पाठकों के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधेयकों से जुड़ी जानकारी से ज्यादा संसद के हंगामे, शोरगुल, एक पार्टी के सांसद की दूसरे पार्टी के सांसद पर की गई टीका-टिप्पणी की ही खबरें ज्यादा थीं। यहाँ तक कि संसद सत्र के आरंभ होने संबंधी जानकारी को भी बहुत महत्त्व नहीं दिया गया। 2 अँग्रेजी और 2 हिंदी के समाचार पत्रों के विश्लेषण से संसद का सत्र शुरू होने का पता ही नहीं चलता है, बल्कि 5 दिसंबर को अचानक से पता चलता है कि 1 दिन पहले संसद का सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को यह कैसे पता चले कि देश की शीर्ष संस्था संसद उनके लिए काम पर है?

18 दिन चले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 19 विधेयक पारित हुए। सभी के सभी प्रभावी विधेयक थे, जिनका आम जन के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव निश्चित तौर होगा, लेकिन इन 19 विधेयकों में से सिर्फ 6 विधेयकों को ही हिंदी व अँग्रेजी समाचार पत्रों में जगह मिली। इनमें जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2018, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2018, डाकघर विधेयक 2023, तीन नए आपराधिक विधेयक तथा टेलीकॉम विधेयक को दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से छापा; वहीं दैनिक भास्कर के प्रयास इस दिशा में बेहद निराशाजनक व कमजोर नजर आए। प्रश्नकाल को लेकर दैनिक जागरण में एक नया प्रयास प्रश्नोत्तरी कॉलम के रूप में नजर आया। स्रोत, संकलन, संपादन के स्तर पर देखें तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संवाददाताओं पर भरोसा जताया, वहीं दैनिक भास्कर ने सभी खबरें ब्यूरो व एजेंसी के हवाले से छापीं। प्रस्तुतीकरण के मामले में भी हिंदी के दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेहतर कार्य किया। इन 18 दिनों की अवधि में संपादकों को कभी याद आ भी गई तो उन्होंने भी विधेयकों को लेकर बहुत ही सतही तौर पर रुचि दिखाई। हालाँकि दैनिक जागरण ने विधेयकों पर सबसे अधिक 16 खबरें प्रकाशित कीं।

संपादकीय पृष्ठ पर देश के शीर्ष अखबार दैनिक भास्कर ने इस अवधि के दौरान मात्र तीन, दैनिक जागरण आठ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तीन और हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच संपादकीय लिखे। हिंदुस्तान टाइम्स में 19 दिसंबर को आपराधिक विधेयक पर छपे संपादकीय को छोड़कर, अन्य सभी समाचार पत्रों के संपादकीय संसद की सुरक्षा में सेंध, संसद के हंगामे के दौरान निलंबित हुए सांसदों से संबंधित थे। निश्चित तौर पर समाचार

पत्रों का यह दायित्व बनता है कि वे हर विधेयक के प्रभाव की समीक्षा कर जन शिक्षण के काम को आगे बढ़ाएँ। संसद से लोगों की दूरी का एक बड़ा कारण संसदीय कार्यवाही के प्रति उनकी अरुचि व संसद समाचारों से जुड़ा कंटेंट है। सर्वप्रथम तो समाचार पत्रों ने सत्र में पारित हुए सभी विधेयकों को जगह नहीं दी, और जिन विधेयकों को कवरेज मिली, उन्हें पढ़कर आम आदमी के लिए यह समझना मुश्किल है कि यह विधेयक उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है। शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाचार पत्र आजादी के 75 वर्षों बाद भी संसद में पारित होने वाले विधेयकों और काम-काज से संबंधित जानकारी को सही तरीके से सही अंदाज में लोगों तक लोगों की भाषा में पहुँचा पाने में चूक कर रहे हैं। निश्चित ही संसद समाचारों को कवर करने को लेकर नए प्रयोगों की अत्यंत आवश्यकता है।

सुझाव

मीडिया अगर संसद में आने वाले संभावित विधेयकों की विषयवस्तु पर और विधेयक पेश होने के समय देश के करोड़ों लोगों की राय लेने के लिए अपने सर्वे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें तो इस दिशा में एक बड़ा परिवर्तन दिख सकता है। गौरतलब है कि चारों समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक भी अखबार ऐसा नहीं था, जिसने 4 दिसंबर को शुरू होने वाले संसदीय सत्र की खबर लोगों को 4 दिसंबर की सुबह तक पहुँचाने में रुचि दिखाई हो। संपूर्ण विश्लेषण के बाद यह कहा जा सकता है कि संवाददाता पेश हुए विधेयकों की समीक्षा सरल लेखन शैली में करके अपने ग्राफिक्स विभाग की सहायता से यह बता सकते हैं कि विधेयक क्या हैं, किसके लिए हैं, क्यों हैं और उन्हें क्या होना चाहिए था आदि। आज डिजिटल मीडिया के इस दौर में जब संसदीय कार्यवाही का प्रसारण ओपन टू ऑल है, तो ऐसे में मीडिया के लिए अब चुनौती और भी बड़ी है कि कैसे संसदीय कार्यवाही के महत्त्वपूर्ण अंशों और विधेयकों की सही समझ को सटीक तरीके से जन साधारण तक पहुँचा जाए।

संदर्भ

आर्य, ए. (2014). भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका. जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कोलर्ली रिसर्च इन अलाइड एजुकेशन, 8(15). https://ignited.in/I/a/293304 से पुन:प्राप्त.

टाइम्स ऑफ इंडिया, अँग्रेजी दैनिक, दिल्ली संस्करण, (4 से 22 दिसंबर, 2023)

दैनिक जागरण, हिंदी दैनिक, दिल्ली संस्करण, (4 से 22 दिसंबर, 2023)

दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, दिल्ली संस्करण, (4 से 22 दिसंबर, 2023)

मेहता, ए. (2007). तब और अब (प्रथम संस्करण, Vol. 1). नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.

मल्होत्रा, एम. (2012). मीडिया : सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार (प्रथम संस्करण, Vol. 1). रावत प्रकाशन.

संसद टीवी राज्यसभा लाइव, 4 से 22 दिसंबर, 2023 https://sansadtv.nic.in/live-tv

संसद टीवी लोकसभा लाइव, 4 से 22 दिसंबर, 2023 https://sansadtv.nic.in/live-tv

हिंदुस्तान टाइम्स, अँग्रेजी दैनिक, दिल्ली संस्करण, (4 से 22 दिसंबर, 2023)

https://www.mpa.gov.in/sites/default/files/Press%20Release%20Hindi.pdf

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 70-74, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया का प्रभाव : एक समीक्षा

डॉ. पूनम बिष्ट[1]

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसके लिए पिछले दो दशकों (2003-2023) के दौरान प्रकाशित शोध पत्रों/लेखों की एक व्यवस्थित समीक्षा की गई। इनसे प्राप्त नतीजों के अनुसार, सोशल मीडिया युवाओं को शब्दावली, व्याकरण और लिखित संचार कौशल विकसित करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करने का एक उपयोगी साधन है। लेकिन, इसके साथ ही सोशल मीडिया में अशुद्ध व्याकरण, गलत वर्तनी, संक्षिप्ताक्षर और खिचड़ी भाषा के अत्यधिक उपयोग से शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयोग होने वाले औपचारिक भाषा कौशल पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वर्तमान अध्ययन अनुशंसा करता है कि युवाओं द्वारा सोशल मीडिया संचार के नकारात्मक पहलुओं के कारण औपचारिक भाषा शैली की गिरावट को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक और सार्थक ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

संकेत शब्द : भाषा कौशल, युवा, सोशल मीडिया, संचार कौशल

प्रस्तावना

सोशल मीडिया दुनिया भर में सभी समूह के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। वर्तमान समय में ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिनमें आपसी संपर्क, आत्म-अभिव्यक्ति और रचनात्मक सामग्री साझा करना शामिल हैं। समुदाय-आधारित इनपुट, पारस्परिक बातचीत, सामग्री-साझाकरण और सहयोग के लिए समर्पित ऑनलाइन संचार नेटवर्क के संग्रह को सोशल मीडिया कहते हैं (यूनुस और सालेही, 2012)। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता वास्तविक समय यानी रियल टाइम समाचार अपडेट से लेकर लाइफ स्टाइल, उत्पाद और सूचना खोज और कई अन्य उद्देश्यों के लिए अपने पसंदीदा सोशल नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं— एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, रेडिट, लिंक्डइन, टेलीग्राम, रील्स, टिकटॉक आदि। भारत की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और देश का भविष्य उनके कंधों पर है। राष्ट्र की संरचना में युवाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें अपार संभावनाएँ हैं, जिनका बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है यदि वे उचित रूप से शिक्षित, तकनीकी और डिजिटल रूप से सुसज्जित होने के साथ-साथ कुशल भाषा कौशल भी रखते हों। कैंब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, भाषा का अर्थ है ध्वनि, शब्द और व्याकरण से युक्त संचार की एक ऐसी प्रणाली, जिसका उपयोग किसी विशेष देश में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है।

भाषा मानव जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें अपने विचारों, राय और भावनाओं को एक-दूसरे से साझा करने में सक्षम बनाती है। भाषा लोगों के बीच संचार के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। भाषा का उचित उपयोग किसी के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न तरीकों से उसकी व्यावसायिक सफलता में योगदान देने की कुंजी भी है।

शुरुआती उम्र से ही सीखी गई लेखन की कला शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। कार्यस्थल पर नौकरी के साक्षात्कार और पदोन्नति के दौरान संचार कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। युवा रोजाना विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लंबा समय बिताते हैं। युवाओं पर सोशल मीडिया के कई अन्य प्रभावों के अलावा, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने व्यक्तियों के एक-दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित किया है। संक्षिप्ताक्षरों, परिवर्णी शब्दों और इमोजी का प्रयोग बहुत आम हो गया है, जिससे पारंपरिक लेखन और संचार शैलियाँ थोड़ी पुरानी लगने लगती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विश्लेषण करता है और एक महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन भी प्रस्तुत करता है।

अध्ययन की पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया के प्रभाव का पता लगाता है। इस उद्देश्य के लिए पिछले दो दशकों (2003-2023) के दौरान प्रिंट पत्रिकाओं और ओपन एक्सेस ऑनलाइन पत्रिकाओं में प्रकाशित 33 शोध पत्रों/लेखों की खोज करते हुए साहित्य की एक व्यवस्थित समीक्षा की गई। लेखों की समीक्षा में चयनित अध्ययनों की अनुसंधान समस्याओं या उद्देश्यों, पद्धतियों और डिजाइनों, प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों की जाँच की गई और युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई।

युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव

पिछले दो दशकों में कई विद्वानों ने दुनिया भर में युवाओं की भाषा सीखने की क्षमता पर सोशल मीडिया के प्रभावों की जाँच की है। विश्वविद्यालयी छात्रों के भाषा कौशल सुधारने में सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, पिकहार्ट और बोटजार्ट (2021) ने कहा कि सोशल मीडिया के उपयोग ने पढ़ने, सीखने, याद रखने या पुनरुत्पादन की दृश्य और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ-साथ हमारी सामाजिक आदतों को भी नया आकार दिया है। युवा वयस्क अब अपनी मौखिक,

[1]सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड.

लिखित और पढ़ने की क्षमता में सुधार के लिए सीधे शिक्षकों पर निर्भर नहीं हैं। डिजिटल संसाधनों और दस्तावेजों की खोज में बढ़ती स्वायत्तता के कारण सोशल मीडिया अँग्रेजी भाषा सीखने में कई अवसर ला सकता है। यह अध्ययन कई आंतरिक कारकों, जैसे उम्र, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अनुभूति, डिजिटल कौशल या परिवार की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा प्रक्रिया और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भी युवाओं के विदेशी भाषा सीखने के कौशल को प्रभावित करती हैं।

प्रमुख भाषाविद् डेविड क्रिस्टल (2008) का कहना है कि जितना अधिक छात्र लिखते हैं, उतना ही अधिक उनका लेखन कौशल विकसित होता है। इसलिए सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग उपयोगकर्ताओं, विशेषकर युवाओं की साक्षरता को नुकसान पहुँचाने के बजाय तीव्र करता है।

मौले इस्माइल विश्वविद्यालय, मोरक्को पर अपने अध्ययन में मॉनिम लाखल (2022) भाषा सीखने के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में सोशल मीडिया अनुप्रयोगों की भूमिका और विश्वविद्यालय के छात्रों के अँग्रेजी लेखन कौशल के विकास में सोशल मीडिया के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि सोशल मीडिया एप्लिकेशन शिक्षार्थियों को भाषा का उपयोग करने के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं, विशेष रूप से प्रामाणिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देकर, जिससे छात्रों के लिए अपने व्याकरण ज्ञान और लेखन कौशल में सुधार करना संभव हो जाता है। सोशल मीडिया, एक सीखने के मंच के रूप में, उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ जानकारी उत्पन्न करने और साझा करने और लिखित और बोले गए शब्दों के माध्यम से उनके साथ समकालिक या अतुल्यकालिक रूप से बातचीत करने के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। अध्ययन से यह भी पता चला कि सोशल मीडिया को छात्र एक शैक्षिक उपकरण के रूप में सकारात्मक रूप से देखते हैं, जो उन्हें अपनी शब्दावली का विस्तार करने में मदद करता है। डिजिटल मीडिया ने उनके लेखन कौशल को विकसित करने और उन्हें अँग्रेजी में संचार के अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सईद (2021) ने सोशल मीडिया में इस्तेमाल की जाने वाली अँग्रेजी भाषा की ताकत और कमजोरियों और पाकिस्तान के सरगोधा में स्नातक स्तर पर अँग्रेजी भाषा सीखने वालों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन किया। परिणामों ने संकेत दिया कि सोशल मीडिया अँग्रेजी भाषा सीखने वालों की भाषा सीखने की क्षमता को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शब्दावली को बढ़ाने और शिक्षार्थियों के समग्र पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने के कौशल में सुधार करने में सहायक साबित हुआ है।

जू (2021) ने बताया कि भाषा सीखने की प्रक्रियाओं में सोशल मीडिया के कई लाभ और कार्य हैं, जैसे पर्याप्त प्रामाणिक इनपुट संसाधन, कम तनावपूर्ण अभ्यास स्थान, प्रचुर अंतरसांस्कृतिक संचार अवसर और बेहतर शिक्षार्थी सहयोग आदि। कई शोधकर्ताओं (अल-अली, 2014; गाओ व अन्य, 2012; फ्रीडमैन और फ्रीडमैन, 2013) का मानना है कि शैक्षिक व्यवस्थाओं में एक निर्देशात्मक उपकरण के रूप में सोशल मीडिया के उपयोग से भाषा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह छात्रों को अपने सीखने की क्षमता बढ़ाने, संचार करने और पुरानी शिक्षण पद्धति की तुलना में कक्षाओं का अधिक आनंद लेने के अवसर प्रदान करेगा। सफित्री व अन्य (2022) ने डेपोक, इंडोनेशिया में हाईस्कूल के छात्रों की अँग्रेजी सीखने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की धारणा का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि छात्रों ने अपने अँग्रेजी भाषा कौशल में सुधार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। उन्होंने यूट्यूब को अँग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उनके अँग्रेजी कौशल का अभ्यास करने के लिए अँग्रेजी सामग्री स्रोत प्रदान करता है और उनकी शब्दावली और उच्चारण ज्ञान को बढ़ाता है।

कई भाषा विशेषज्ञ (थुरैराज व अन्य, 2022; लतिप-यूसुफ, 2016; चेन, 2008; विल व अन्य, 2019) का मानना है कि फेसबुक शिक्षार्थियों की शब्दावली, व्याकरण, लेखन कौशल को बेहतर बनाने और नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। इसने शिक्षार्थियों के लिए एक ऑनलाइन सूचना केंद्र की तरह एक मंच भी प्रदान किया। मैकलीन व अन्य (2013) के अनुसार ट्विटर ने न केवल छात्रों की सहभागिता में सुधार किया, बल्कि गहन पारस्परिक स्तरों पर साथियों और प्रशिक्षकों के साथ छात्रों की बातचीत को भी बढ़ाया। असम के स्नातक छात्रों के बीच अँग्रेजी भाषा सीखने में सोशल मीडिया की भूमिका पर अपने अध्ययन में करीम और अन्य (2022) ने सभी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ध्यान में रखा। परिणामों से पता चला कि अधिकांश स्नातक छात्रों ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से अँग्रेजी सीखने की बात स्वीकार की। शैक्षणिक उपकरण के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रति छात्रों का रवैया उत्साहजनक और सकारात्मक था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सोशल मीडिया अँग्रेजी का अभ्यास करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अध्ययन में सिफारिश की गई कि शिक्षार्थियों को अँग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने और अपनी अँग्रेजी दक्षता में सुधार करने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

विकनेस्वरन और कृष (2016) ने मलेशिया में चीनी छात्रों पर एक केस स्टडी विकसित की, ताकि यह जाँचा जा सके कि औपचारिक लेखन में फेसबुक मददगार हो सकता है या नहीं। निष्कर्षों से पता चला कि फेसबुक लेखन संवर्धन में कई लाभ लाता है। लेखन की गुणवत्ता के संदर्भ में फेसबुक की भूमिका पर अपने अनुदैर्ध्य अध्ययन में शीह (2011) ने खुलासा किया कि फेसबुक लेखक-पाठक की बातचीत की सुविधा देता है और छात्रों को दूसरों के लेखन का मूल्यांकन और टिप्पणी करने, मूल कार्यों को संशोधित करने और व्याकरण, संरचना, सामग्री, संगठन और शब्द चयन में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है।

इल्यास और पुत्री (2020) ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में बताया कि यूट्यूब एक ग्रहणशील उपकरण है, जो शिक्षार्थियों की बोलने की दक्षता को बढ़ाता है। इसकी भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से बोलना सीखने में छात्र जो कुछ भी सुनते हैं उसे दोहराकर अभ्यास कर सकते हैं। छात्र गलतियों की चिंता किए बिना बोलने का अभ्यास करने पर अधिक आश्वस्त होते हैं। मिनल्ला (2018), नोनी और बसरी (2019) का मानना है कि व्हाट्सएप एप्लिकेशन का उपयोग भौतिक कक्षा से दूर अँग्रेजी भाषा में संचार बढ़ाने में सक्षम है। इसी तरह रख्मानिना और युनेवा (2018), रेहमाह (2020) ने बताया कि

लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम उन छात्रों की भाषा-शैली और बोलने की क्षमता में सुधार करने के लिए उपयोगी रहा है, जो अँग्रेजी में कुशल नहीं हैं।

युवाओं के भाषा कौशल पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव

कई भाषाविदों (विनार्टो, 2019; सिंह और सचन, 2017) का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा युवाओं के भाषा कौशल को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। युवाओं के भाषा सीखने के कौशल पर सोशल मीडिया के उपयोग के नकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करते हुए क्रेग (2003) ने कहा कि तेज लेखन से बार-बार वर्तनी की त्रुटियाँ होती हैं। चूँकि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ऑनलाइन चर्चा में गति एक महत्त्वपूर्ण कारक है, इसलिए गहन चिंतन और विचार-विमर्श के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया नेटवर्क का उपयोग करते समय छात्र संक्षिप्तीकरण और असामान्य शब्दजाल के उपयोग के कारण अवांछनीय पढ़ने और लिखने की आदतें बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के औपचारिक साक्षरता कौशल को नुकसान पहुँचता है। थुरैराज व अन्य (2015), राउत और पाटिल (2016), सिद्दीकी और सिंह (2016), हक (2017) और सईद (2021) ने बताया कि संक्षिप्त रूपों, कठबोली भाषा और गलत वाक्यों का अत्यधिक उपयोग सोशल मीडिया शिक्षार्थियों के शैक्षणिक लेखन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अनौपचारिक अँग्रेजी भाषा का उपयोग मानक अँग्रेजी के लिए भविष्य में खतरा साबित हो सकता है। राव (2019) के अनुसार, यदि छात्र अनौपचारिक लेखन से औपचारिक लेखन की ओर बढ़ने में असमर्थ हैं, तो इससे उनका अकादमिक लेखन खराब हो जाएगा।

स्लिम एंड हाफेद (2019) ने सऊदी अरब के ताबुक विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अँग्रेजी सीखने पर फेसबुक-सहायता प्राप्त शिक्षण के प्रभावों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया। नमूना छात्रों को फेसबुक-शिक्षित समूह और पारंपरिक कक्षा-शिक्षित समूह में विभाजित किया गया था और उन्हें समान शब्दावली सामग्री दी गई थी। दोनों समूहों को उनकी शब्दावली सीखने को मापने के लिए पूर्व और बाद के परीक्षण दिए गए थे और उपयोग में लाई गई शिक्षण विधियों के प्रति उनके दृष्टिकोण को मापने के लिए एक साक्षात्कार के अधीन किया गया था। हालाँकि, उपलब्धि के संदर्भ में दोनों समूहों के बीच कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। ओशाराइव (2015) के अनुसार सोशल मीडिया छात्रों के भाषा सीखने के कौशल को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, हालाँकि यह सब उनके संज्ञान पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी कक्षाओं में सही व्याकरण और वर्तनी के साथ भाषा कैसे सीखी और वे गलत व्याकरण, गलत वर्तनी, संक्षिप्ताक्षर और स्लैंग का उपयोग करके इसे सोशल मीडिया पर कैसे उपयोग कर रहे हैं। इससे छात्रों को सोशल मीडिया में उपयोग की जाने वाली अनौपचारिक और बोलचाल की भाषा के नकारात्मक पहलुओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी, जो उनकी शिक्षण संस्थानों में उपयोग की जाने वाली औपचारिक भाषा को खराब कर सकती है।

इंडोनेशिया में हाई स्कूल के छात्रों पर अपने अध्ययन में सफ़िट्री व अन्य (2022) ने सीखने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जैसे खराब इंटरनेट कनेक्शन, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और अनुचित सामग्री। अपने गुणात्मक अध्ययन में केस स्टडी डिजाइन का उपयोग करते हुए, बोटन व अन्य ((2020) का उद्देश्य उत्तरी इराक में अँग्रेजी भाषा सीखने में सोशल मीडिया के प्रभाव का पता लगाना था। परिणामों से पता चला कि सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर अँग्रेजी भाषा सीखने में कई अवसर होने के बावजूद इस बात की भी बहुत संभावना है कि ये सोशल मीडिया नेटवर्क भाषा के छात्रों को धोखे, अविद्या, अव्याकरणिक सामग्री और अश्लीलता की ओर मोड़ सकते हैं। ओमोएरा व अन्य (2018) ने नाइजीरियाई युवाओं की अँग्रेजी में लेखन क्षमताओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव की जाँच की। नाइजीरिया के एकपोमा में स्नातक छात्रों को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए अध्ययन से पता चला कि अधिकतर युवा अँग्रेजी के एक निश्चित विकल्प/ब्रांड को अपनाते हैं, जो मानक अँग्रेजी के भीतर स्थित नहीं हो सकता है। नतीजतन, 'आप' के लिए 'u', 'महान्' के लिए 'gr8t', 'आपका/तुम्हारा' के लिए 'ur/urs' जैसे भाव, अन्य विचलन पैटर्न के बीच, कक्षाओं और परीक्षाओं में उनकी लेखन चेतना में आ गए हैं। इस विकास का नाइजीरियाई युवाओं के बीच प्रभावी और कुशल लेखन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर औपचारिक स्थितियों में।

विश्लेषण

युवाओं के बीच भाषा सीखने की क्षमताओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव की खोज करने वाले अध्ययनों की समीक्षा के नतीजे बताते हैं कि सोशल मीडिया शिक्षार्थियों को शब्दावली, व्याकरण, पढ़ने की समझ और लिखित संचार कौशल विकसित करने के अच्छे अवसर प्रदान करने का एक उपयोगी साधन है। कुछ युवा शिक्षार्थी अपनी सीमित भाषाई दक्षता के कारण आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित कर सकते हैं, विशेषकर सार्वजनिक प्रस्तुतियों के दौरान। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया एप्लिकेशन को सीखने के निर्देशों में एकीकृत करके ऐसी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। सोशल मीडिया एक अद्भुत उपकरण है, जो शैक्षिक भूमिका निभाता है और भाषा सीखने को प्रेरित करता है। पिछले कुछ वर्षों में टैग, ट्रोल, वायरल, पिंग, फ्रेंड, अनफ्रेंड आदि जैसे कई शब्द हैं, जिन्हें ऑनलाइन संदर्भ में नए अर्थ दिए गए हैं। हाल के वर्षों में ऑनलाइन दुनिया के विशाल दायरे में कई शब्दों (जैसे सेल्फी, ट्वर्क, ट्वीट, फोटोबॉम्ब, नूब आदि) ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए पर्याप्त प्रभाव दिखाया है। युवाओं के दैनिक संचार में ओएमजी, एलओएल, टीजीआईएफ, ओओटीडी, एफओएमओ जैसे संक्षिप्ताक्षर आम हो गए हैं। हालाँकि, शोधकर्ताओं और भाषा विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया में गलत व्याकरण, गलत वर्तनी, संक्षिप्ताक्षर और स्लैंग के अत्यधिक उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की है, जो शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली औपचारिक भाषा से संबंधित सीखने के कौशल पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

वर्तमान अध्ययन अनुशंसा करता है कि युवाओं द्वारा सोशल मीडिया संचार के नकारात्मक पहलुओं के कारण औपचारिक भाषा की गिरावट को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि कुछ शिक्षा व्यवसायी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को औपचारिक शिक्षा के

लिए अनौपचारिक सेटिंग्स के रूप में देखते हैं, फिर भी शिक्षार्थियों के पढ़ने, लिखने और बोलने के कौशल को निखारने के लिए औपचारिक शिक्षा सेटिंग्स में इन उपकरणों को शामिल करने में कोई नुकसान नहीं है। अँग्रेजी भाषा सीखने वालों को उपलब्ध आईसीटी प्रौद्योगिकियों की मदद से ऑनलाइन समुदाय के सदस्यों के साथ उत्पादक संबंध बनाने के लिए दैनिक लेखन अभ्यास और अच्छी आदतें विकसित करके जिम्मेदारी से और सार्थक तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को भाषा के शिक्षकों को नवीनतम तकनीक अपनाने और भाषा कौशल को निखारने के साधन के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वीडियो-आधारित ऑनलाइन ब्लॉग, जिन्हें व्लॉग कहा जाता है, खुली बातचीत के लिए प्रेरित कर सकते हैं और आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ब्लॉगिंग शिक्षार्थियों की शब्दावली, व्याकरण और लेखन कौशल को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। इस तकनीक संचालित युग में शिक्षकों को अधिक तकनीक-प्रेमी बनना चाहिए और 'सुविधाकर्ता' के रूप में अपनी नई परिभाषित भूमिका को स्वीकार करना और समझना चाहिए, साथ ही कक्षा को और अधिक इंटरैक्टिव बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच सोशल मीडिया के उपयोग ने भाषा के प्रमुख घटकों जैसे शब्दावली और व्याकरण, पढ़ने, लिखने और सुनने के कौशल को प्रभावित किया है। हालाँकि, यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है। सकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से शब्दावली सुधार, उच्चारण दक्षता और बेहतर ऑनलाइन टेक्स्ट स्कैनिंग कौशल तक ही सीमित हैं, जबकि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव बड़े पैमाने पर लेखन कौशल से संबंधित है, जिसमें संक्षिप्तीकरण, शब्दजाल, इमोजी, इमोटिकॉन्स आदि का उपयोग बढ़ रहा है। भाषा कौशल पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए युवा उपयोगकर्ताओं को आईसीटी प्लेटफार्मों के उचित उपयोग के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए और शैक्षणिक और पेशेवर जीवन से संबंधित औपचारिक सेटिंग्स में संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें ऑटोकरेक्ट, इंस्टेंट थिसॉरस और ऑटो इंडेंटेशन जैसी सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, साथ ही भाषा में मिलावट को कम करने की दिशा में भी काम करना चाहिए।

संदर्भ

अल-अली, एस. (2014). एंब्रेसिंग द सेल्फी क्रेज : एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल यू ऑफ इंस्टाग्राम ऐज अ लैंग्वेज एमलर्निंग टूल. इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 2(2).

इल्यास, एम., और पुत्री, एम.ई. (2020). यूट्यूब चैनल : एन अल्टरनेटिव टू सोशल मीडिया टू एन्हांस ईएफएल स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल. जर्नल ऑफ इंग्लिश फॉर एकेडमिक, 7(1), 77-87.

ओमोएरा, ओ.एस., ऐवयो, ओ.एम. एडमोड, जे. और अन्यान्वु, बी. (2018). इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग एबिलिटीज ऑफ अंडरग्रेजुएट्स इन एक्पोमा, नाइजीरिया. जिस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग रिसर्च जर्नल, 17, 59-80.

करीम, एम.आर., मोंडल, एस.ए., हुसैन, ए., आलम, एम., और नाजरीह, एम. (2022). सोशल मीडिया एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज : अ स्टडी ऑन द अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ असम, इंडिया. एजुकेशन रिसर्च इंटरनेशनल, (2):1-10.

क्रिस्टल, डी. (2008). टेक्सटिंग : द ग्रे8 डिबे8. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंग्लैंड.

क्रैग, डी. (2003). इंस्टेंट मैसेजिंग : द लैंग्वेज ऑफ यूथ लिटरेसी. द बूथ प्राइज एसेज, 118-119.

गाओ, एफ., लुओ, टी., और ज़ांग, के. (2012). ट्वीटिंग फॉर लर्निंग : अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रिसर्च माइक्रो ब्लॉगिंग इन एजुकेशन पब्लिश्ड इन 2008–2011. ब्रिटिश जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 43(5), 783-801.

चेन, सी.टी. (2008). द इफेक्टिवनेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द इंटरनेट टू इंप्रूव लिटरेरी स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स. यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविले.

जू, वाइ. (2021). इंपैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन लैंग्वेज लर्निंग : अ रिव्यु ऑफ लिटरेचर. एडवांसेज इन सोशल साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च, 615, 743-749.

थुरैराज, एस., रॉय, एस.एस. और सुब्रमण्यम, के. (2012). फेसबुक एंड ट्विटर अ प्लेटफार्म टू इंगेज इन अ पॉजिटिव लर्निंग. इंटरनेशनल कानफ्रेंस ऑन ऍप्लिकेशंस ऑफ इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टेटिस्टिक्स इन इकोनॉमी एंड एजुकेशन (ICAICTSEE), 157-166.

थुरैराज, एस., हून, ई.पी., रॉय, एस.एस., और फॉग, पी.डब्ल्यू. (2015). रेफ्लेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स लैंग्वेज यूसेज इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स : मेकिंग और मारिंग अकादमिक इंग्लिश. इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ ई-लर्निंग, 13(4), 302-316.

नोनी, एन., बसरी, एम. (2019). व्हाट्स एप ऑडियो एंड वीडियो चैट-बेस्ड इन स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स सेल्फ कॉनफिडेंस एंड मोटिवेशन टू स्पीक इंग्लिश. एशियन ईएफएल जे. 23, 181–203.

पिकहार्ट, एम. और बोटजार्ट, ओ. (2021). द इंपैक्ट ऑफ द यूज ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. साइंसडायरेक्ट, 192, 1621–1628.

फ्रीडमैन, एल.डब्ल्यू. और फ्रीडमैन, एच.एच. (2013). यूजिंग सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज टू एन्हेंस ऑनलाइन लर्निंग. जर्नल्स ऑफ एडुकेटर्स ऑनलाइन, 10(1).

बोटन, ओ.ए., रुमा, आर., नोहाइज, एम. (2020). द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग. जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्युज, 7(10).

मिनल्ला, ए.ए. (2018). द इफ़ेक्ट ऑफ व्हाट्स एप चैट ग्रुप इन एन्हांसिंग ईएफएल लर्नर्स वर्बल इंटरेक्शन आउटसाइड क्लासरूम कॉण्टेक्ट्स. एंग्ल. लेंग. टीच., 11, 1–7.

मैक्लीन, ऍफ., जोंस, डी., केरिन-लेवी, जी., और हंटर, एच. (2013). अंडरस्टैंडिंग ट्विटर. ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 76, 295.

मॉनिम, एल. (2022). द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग स्किल्स : मौले इस्माइल यूनिवर्सिटी एज अ केस स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज. 7(3), 267-276.

यूनुस, एम.एम. और सलेही, एच. (2012). द इफेक्टिवनेस ऑफ फेसबुक ग्रुप्स ऑन टीचिंग एंड इंप्रूविंग राइटिंग : स्टूडेंट्स परसेप्शन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजीज, 6(1).

रख्मानिना, एल. और यूनेवा, वाई. (2018). द एप्लीकेशन ऑफ इंस्टाग्राम एक्टिविटी टू इंप्रूव स्टूडेंट्स मोटिवेशन इन इंग्लिश स्पीकिंग. एडु-लिंग जे. इंग्ल. एडुक. लिंग्विस्ट, 2, 49–59.

राउत, वी. और पाटिल, पी. (2016). यूज ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन : इंटरनेशनल जर्नल ऑन रीसेंट एंड इनोवेशन ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, 4(1), 281-285.

रेहमाह, आर.ई. (2020). शेयरिंग फोटोग्राफ्स ऑन इंस्ट्राग्राम बूस्ट्स स्टूडेंट्स सेल्फ-कॉनफिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश. पेडागॉग. जे. एंग्ल. लेंग. टीच, 6, 148–158.

लतिप-यूसुफ, एस. (2016). लैंग्वेज ट्रेंड्स इन सोशल Media : मीडिया : मेनिफेस्टेशंस ऑफ मेरानॉस यूज ऑफ इंग्लिश ऑन फेसबुक. मीडिया : मेनिफेस्टेशंस ऑफ मेरानॉस यूज ऑफ इंग्लिश ऑन फेसबुक। यूएस-चाइना फॉरेन लेंग., 14(7), 480-490.

विकनेस्वरन, टी. और कृष, पी. (2016). युटीलाइज़िंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू इंप्रूव राइटिंग : अ केस स्टडी विद चाइनीस स्टूडेंट्स इन मलेशिया. टेक्नोलॉजी, पेडगॉजी एंड एजुकेशन, 25(3), 287-300.

विल, सी.एस.सी., यूनुस, एम.एम. और सुलेमान, ए. (2019). द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू असिस्ट राइटिंग स्किल्स अमंग सेकेंडरी प्यूपिल्स. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, 8(3), 224-236.

विनार्टो, ई. (2019). मॉडलिंग अब्रिविएशन इन इंटरनेट स्लैंग : अ कंपैरिसन स्टडी ऑफ इंडोनेशियन इंटरनेट स्लैंग एंड इंग्लिश इंटरनेट स्लैंग. एटर्नल (इंग्लिश टीचिंग जर्नल), 10.

शीह, आर.सी. (2011). कैन वेब 2.0 टेक्नोलॉजी असिस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग इंग्लिश राइटिंग? इंटेग्रेटिंग फेसबुक एंड पिअर असेसमेंट विद ब्लेंडेड लर्निंग. ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 27(5), 829-845.

सईद, आर.एम.बी. (2021). द इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल मीडिया ऑन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स एट द अंडरग्रेजुएट लेवल इन सरगोधा. मिडिल ईस्टर्न जर्नल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज, 2(2), 136-161.

सफित्री, एम., युलियानी, ए., हामिद, ऍफ., और सुरेमान, ए. (2022). द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर लर्निंग इंग्लिश : स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. इंडोनेशियन ई.एफ.एल. जर्नल, 8(2), 269-276.

सिद्दीकी, एस. और सिंह, टी. (2016). सोशल मीडिया इट्स इंपैक्ट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर ऍप्लिकेशंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, 5(2), 71- 75.

सिंह, एस. और सचन, एम. (2017). इंपोर्टेंस एंड चैलेंजेज ऑफ सोशल मीडिया टेक्स्ट. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर रिसर्च, 8, 831-834.

स्लिम, एच. और हाफेद, एम. (2019). सोशल मीडिया इंपैक्ट ऑन लैंग्वेज लर्निंग फॉर स्पेसिफिक पुर्पोसेस : अ स्टडी इन इंग्लिश फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. टीचिंग इंग्लिश इन टेक्नोलॉजी, 19(1), 56-71.

हक, एम.आई. (2017). इंग्लिश यूज़्ड इन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द एचएससी लेवल लर्नर्स. ऑनलाइन उपलब्ध : https://www.academia.edu/38299272/English_Used_in_Social_ Media_and_ Its_ Effect_on_the_HSC_Level_Learners.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 75-80, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

सोशल मीडिया में आत्ममुग्धता से वायरल होती है फेक न्यूज

अरविंद कुमार[1]

सारांश

भारतवासी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्रुत गति से विकास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अंतर्गत अद्यतन एवं समसामयिक सूचनाओं को हाईटेक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों के जरिये भेजा एवं प्राप्त किया जाता है। भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आलोक में लोग अपने विचारों को पूरी दुनिया के समक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा करते हैं। हालाँकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आलोक में कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, किंतु वर्तमान स्थितियों में इन प्रतिबंधों का अनुपालन सोशल मीडिया में बहुत कम किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि लोग पूर्वग्रह की मानसिकता, मान्यताओं एवं रूढ़िवादिता से ग्रसित होकर संवैधानिक एवं असंवैधानिक सामग्रियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर धड़ल्ले से साझा करते हैं, जिससे 'हेट स्पीच' एवं 'फेक न्यूज' को बढ़ावा मिलता है। सोशल मीडिया में उपयोगकर्ताओं एवं विभिन्न राजनैतिक दलों की गतिविधियों को पश्चिमी मीडिया के सिद्धांतों के अनुरूप देखा-समझा जाना उचित होगा। इन गतिविधियों में सोशल मीडिया का उपयोग, सदुपयोग एवं दुरुपयोग तीनों महसूस किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में उपलब्ध प्रतिक्रिया सुविधा के जरिये एक उपयोगकर्ता दूसरे उपयोगकर्ताओं की अपेक्षा एवं पसंद के अनुसार सामग्री निर्मित करता है। राजनैतिक दल, सोशल मीडिया को जनमत निर्माता एवं मनोवैज्ञानिक टूल की तरह उपयोग करते हैं। मीडिया एवं समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए शोध के अनुसार अधिकतर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता आत्ममुग्ध होकर अपनी दैनिक क्रियाओं का प्रदर्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर करते हैं। सोशल मीडिया के संदर्भ में भारतीय संचार परंपरा एवं सिद्धांतों का अनुसरण करने के उपरांत ज्ञात होता है कि ज्ञान एवं संदर्भों के आलोक में क्रमश: संवाद एवं सत्यता के अभाव से फेक न्यूज अथवा गलतफहमी का जन्म होता है। इन दृष्टिकोणों से चिंतन करने के परिणामस्वरूप ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया में आत्ममुग्ध लोगों (आत्ममुग्ध उपयोगकर्ताओं) द्वारा संचार के विविध रूपों में साझा की गई सामग्रियों से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सतर्कता को बड़ी आसानी से 'रिप्लेस' किया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया में आत्ममुग्ध उपयोगकर्ताओं के द्वारा साझा की गई फेक न्यूज से लोकतंत्र में नागरिकों की संवेदनशीलता को भी प्रभावित किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन सभी तथ्यों का विश्लेषण विषय से संबंधित पुस्तकों एवं वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रामाणिक शोधपत्रों के आधार पर किया गया है।।

संकेत शब्द : सोशल मीडिया, फेक न्यूज, आत्ममुग्धता, सोशल मीडिया का पारिस्थितिकी तंत्र

प्रस्तावना

मीडिया ने भारत में विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध भारतीयों के लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी पर लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सामाजिक सरोकारों के उद्देश्य से जनता की आवाज को समेकित रूप से उठाया। पाँचवीं शताब्दी में महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के संदर्भ में द्वार पहरी से संवाद 'अविश्रमोयम् लोकतन्त्रस्य सर्वाधिकारः' उल्लिखित है, अर्थात् द्वार पहरी शकुंतला से कहता है कि यह आप का नियमित लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपने राजा से किसी भी समय मिल सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में लोकतंत्र की उम्र हजारों वर्ष पुरानी है। भारत में पत्रकारिता के शुरुआती दौर के समाचार पत्रों जैसे कि हिकीज बंगाल गजट, इंडिया गजट, कैलकटा गजट, बंगाल जर्नल, ओरियंटल मैगजीन और कैलकटा एम्यूजमेंट के अनुसार भारत में मास-मीडिया का जन्म प्रतिरोध की संस्कृति से हुआ है (मिश्र, 2019)। आजादी से पहले लोगों के समेकित प्रयासों से एवं व्यापारियों द्वारा लगाई गई पूँजी के परिणामस्वरूप समाचार-पत्र या कोई भी समाचार की संस्था शुरू की जाती थी। वर्तमान दौर में भी सोशल मीडिया के जरिये पत्रकारिता करने में पूँजी महत्त्वपूर्ण है। अर्थात् सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के मालिकों को समाचार संस्था के मालिक के रूप में समझा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आजादी से पहले शुरू हुए भारतीय प्रेस एवं समाचार पत्रों ने सत्य की कसौटी पर लोगों के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा विशेष रूप से की है, किंतु वर्तमान दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध सूचनाओं में सत्य की अनुपस्थिति से लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया में साझा की गई सूचनाओं में उपलब्ध असत्य तथ्यों के आधार पर निर्मित फेक न्यूज से लोकतंत्र में नागरिकों की सतर्कता एवं संवेदनशीलता को प्रभावित किया जाता है (प्रतीक सिन्हा, 2019)।

बंगाल यात्रा पर गए गांधीजी को भारत के लोगों को एक संदेश देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है'। कनाडा के संचारशास्त्री मार्शल मैकलुहान वर्ष 1964 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'अंडरस्टेंडिंग मीडिया : द एक्स्टेंसंस ऑफ मैन' के प्रथम अध्याय 'द मीडियम इस द मैसेज' में मीडिया को मानवीय व्यवहार की शाखा के रूप में समझाते हुए लिखते हैं कि संचार माध्यम ही संदेश की महत्ता को रेखांकित करते हैं। इन तथ्यों की विवेचना वर्तमान परिदृश्य में करने के उपरांत कहना उचित होगा कि सोशल मीडिया के अंतर्गत उपलब्ध तमाम नवाचार से परिपूर्ण माध्यमों से प्रसारित सूचनाओं में जानबूझकर हेराफेरी कर फेक न्यूज को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि जनता तक राजनैतिक एजेंडों की आपूर्ति हो सके। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे सतत अनुसंधानों के फलस्वरूप नवाचार से परिपूर्ण संचार माध्यमों का विकास हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हर देश के पारिस्थिकी तंत्र में निरंतर बदलाव होने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी संचार माध्यमों की भूमिका बढ़ती जा रही है। वर्तमान दौर में भारत में मुख्यधारा का मीडिया डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया एवं सोशल मीडिया की तरफ

[1]पीएच.डी. शोधार्थी, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, ईमेल : arvindkumar.mgahv@gmail.com

मुखर होता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते दौर के साथ-साथ मीडिया संस्थाओं में पश्चिमी देशों के व्यापारियों के द्वारा भारत में किए गए निवेश व्यष्टि एवं समष्टि अर्थव्यवस्था के आधार पर किए जाते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मीडिया पारिस्थितिकी में मीडिया संस्थानों के व्यापारियों का नियंत्रण महसूस होता है (कौल, 2010)।

अँग्रेजी दैनिक अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' के संपादकीय पृष्ठों में छपे आलेखों के अनुसार समसामयिक सूचनाओं के संदर्भ में संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों एवं मीडिया कन्वर्जेंस से परिपूर्ण सोशल नेटवर्किंग साइटों की सर्वसुलभता ने मीडिया को वैश्विक स्तर पर उपयोग एवं उपभोग किए जाने वाला लोकतांत्रिक साधन बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप देश की जनता एवं सरकारें क्रमशः अपने निजी विचारों एवं नीतियों से संबंधित विमर्शों को सोशल मीडिया पर पारिस्थितिकी तंत्र के जरिये पूरी दुनिया में साझा करते हैं (ब्यूरो, 2024)। सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं की उपस्थितियों का गंभीरता से अवलोकन करने के उपरांत महसूस किया जाता है कि किस तरह लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता संसद से सड़क तक डिजिटल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों के जरिये नागरिक पत्रकारिता करते हैं। यूरोपीय देशों सहित भारत में भी कई नामी प्रिंट मीडिया पत्रकर्मों के बंद होने की प्रत्याशा में अनुमान लगाया जाने लगा था कि केवल डिजिटल तकनीक अथवा इंटरनेट से युक्त सोशल मीडिया (जिसे एक वर्ग न्यू मीडिया कहता है) देश की पत्रकारिता का भविष्य है (मोहन, 2013), जिसमें व्यापारियों का नियंत्रण नहीं बल्कि सूचनाओं एवं विमर्शों का महत्त्व है। इससे देश का लोकतंत्र द्रुत गति से मजबूत हो रहा है। किंतु, यह अनुमान सोशल नेटवर्किंग साइटों में पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के बोलबाले से गलत साबित हो गया।

सोशल मीडिया की काली परतों की आड़ में छिपे व्यापारियों की कमाई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली हर सकारात्मक एवं नकारात्मक गतिविधियों से होती है। इन काली परतों के पीछे फल-फूल रहे व्यापार आम जनता को आसानी से नहीं दिखते हैं (राजपूत, 2023)। सोशल मीडिया के पारिस्थितिकी तंत्र में यूजर जनरेटेड कंटेंट (वेब 2.0) तकनीक का उपयोग किए जाने से लेखक एवं पाठक के बीच की रेखा धुँधली हो गई है। प्रायः इन नए माध्यमों के जरिये अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित सूचनाओं में सच और झूठ का घालमेल हो जाता है (चौहान, 2018)।

यदि भारतीय संचार सिद्धांत को चारों वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) एवं भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र एवं अभिनव गुप्त द्वारा लिखी टीका 'अभिनव भारती' के अनुसार समझा जाए तो ज्ञात होता है कि भारतीय काव्यशास्त्र ने रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य को छह संप्रदायों के रूप में स्वीकृति दी है। इन छह संप्रदायों को ही संचार के छह सिद्धांत मानना चाहिए। स्पष्ट है कि भारत के संचार सिद्धांतों का उपयोग ज्ञान के प्रसार के उद्देश्य से किया जाता था एवं आवश्यकता पड़ने पर चारों वेदों में उल्लिखित ज्ञान को मनोरंजन के रूप में लोगों के समक्ष मंच पर प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें सत्य एवं संवाद की महत्ता थी (चौबे, 2024)। भारत की आदि संचार प्रक्रिया में आभ्यंतर संचार, वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार एवं समूह संचार करने हेतु विविध संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता था। इन तथ्यों के दृष्टिकोण से जब सोशल मीडिया को समझा जाए, तो कहना उचित होगा कि पश्चिमी संचार शास्त्रियों के संचार सिद्धांतों से उपजे सोशल मीडिया में शामिल सुविधाओं एवं अनुप्रयोगों का उपयोग सूचनाओं के संग्रह, प्रचार-प्रसार एवं मनोरंजन करने में किया जाता है, जिसमें उचित संदर्भों का उल्लेख किया जाना एवं सत्य को रेखांकित किया जाना अनिवार्य नहीं है। भारत के संचार मनीषी भगवान् बुद्ध एवं नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के संदर्भों में यदि विचार किया जाए तो भारतीय परंपरा में अंतर्वैयक्तिक संचार का अधिक महत्त्व है, जबकि पश्चिम में वैयक्तिक संचार को अधिक महत्त्व दिया जाता है (राव, 2009)।

सोशल मीडिया में उपयोगकर्ताओं की उपस्थिति के अवलोकन के अनुसार आत्ममुग्ध व्यक्ति हर सूचना का अवलोकन स्वयं की प्रशंसा के संदर्भ में करता है। अतः वह सही एवं गलत की पहचान करने में अक्षम होता है, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया पर फेक न्यूज साझा की जाती हैं। आत्ममुग्ध लोगों को लगता है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुपालन में किसी भी सूचना को साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया की पारिस्थितिकी में 'आत्ममुग्धता' आसानी से महसूस की जा सकती है, जबकि भारतीय मनीषियों की संचार प्रक्रिया में 'सहृदय' एवं 'साधारणीकरण' पर ध्यान आकर्षित करने संबंधी यत्न दिखते हैं, जिसे भारतीय संचारक महापुरुषों के व्यक्तित्व में 'आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्यूनिकेटर थ्रू प्रोसेस ऑफ सिम्प्लिफिकेशन' के आधार पर समझा जा सकता है। जाहिर है कि भारतीय संचार सिद्धांतों के अनुसार संचार प्रक्रिया में साधारणीकरण मुख्य पद है। इस संचार प्रक्रिया में सहृदयी व्यक्तियों के मध्य संदेशों का आदान-प्रदान होता है। सहृदयी व्यक्तियों के मध्य होने वाले संचार में प्रेषक एवं प्रापक में संदक्षता होने से संदेशों में भ्रम, विरोध एवं पक्षपात संबंधी भाव का प्रभाव नहीं होता है (तिवारी, 1992)। अर्थात् संदेश प्रापक के व्यक्तित्व का महत्त्व संदेश की ग्रहणशीलता से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मनीषियों की संचार प्रक्रिया में संदेश प्रापक की भूमिका, प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेशों को नैतिकता एवं भारतीय मूल्यों के आधार पर विशुद्ध ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य पर केंद्रित होती है। अतः वर्तमान सोशल मीडिया के पारिस्थितिकी तंत्र एवं संचार प्रक्रिया में उपर्युक्त दृष्टि से विचार करने के उपरांत यदि संचार किया जाए तो आत्ममुग्धता एवं फेक न्यूज की संभावना कम होगी।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. सोशल मीडिया पारिस्थितिकी (Social media ecology) में आत्ममुग्धता (Narcissism) को समझना।
2. सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की आत्ममुग्धता एवं फेक न्यूज के अंतर्संबंधों की विवेचना करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु गुणात्मक तथ्यों का संकलन किया गया है। इनमें विषय केंद्रित पुस्तकों, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध शोध पत्रों एवं द्वितीयक आँकड़ों का पुनरावलोकन कर तथ्यों का विश्लेषण शोध उद्देश्यों को केंद्रित करके किया गया है।

तथ्यों का संकलन

आत्ममुग्धता को 1898 में ब्रिटिश निबंधकार और चिकित्सक हैवलॉक एलिस द्वारा एक मानसिक विकार के रूप में परिभाषित किया गया था (रोडेवाल्ट, 2024)। आत्ममुग्ध यानी स्वयं पर मुग्ध या मोहित रहने वाले लोग। अँग्रेजी में इन्हें "Narcissist" कहा जाता है। आत्ममुग्धता को जटिल व्यक्तित्व के संदर्भ में महसूस किया जाता है, अतः आत्ममुग्धता को व्यक्ति के दोष के रूप में समझना उचित है। आत्ममुग्ध व्यक्ति स्वयं की भाव भंगिमा को विशेष महत्त्व देता है। ग्रीक पौराणिक कथा में आत्ममुग्धता को एक पात्र नार्सिसस से समझाया गया है। ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार नार्सिसस नाम के एक व्यक्ति को पानी के तालाब में अपने ही प्रतिबिंब से प्यार हो गया था, जिसके फलस्वरूप वह केवल स्वयं की गतिविधियों को महत्त्व देते हुए दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाने की अपेक्षा करता था। नार्सिसस नाम के व्यक्ति का उल्लेख मार्शल मैकलुहान ने वर्ष 1962 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द गुटेनबर्ग गैलेक्सी : द मेकिंग ऑफ टाइपोग्राफिक मैन' में भी किया है।

नर्सिस्सिस्टिक पर्सोनलिटी डिसऑर्डर

डायगनोस्टिक एंड स्टेस्टिकल मैन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (डीएसएम-5) के अनुसार, आत्ममुग्धता को आत्मकामी व्यक्तित्व विकार के रूप में समझा जाता है। आत्मकामी व्यक्तित्व विकार प्रायः व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन (किशोर अवस्था) में पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के आकर्षण का केंद्र बनना पसंद होता है। इस विकार के अंतर्गत व्यक्ति में दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। आत्मकामी व्यक्तित्व विकार से ग्रसित व्यक्तियों में प्रायः स्वयं के अधिकार की विशेष भावना होती है, जिसके अंतर्गत वे मानते हैं कि वे विशेष एवं अद्वितीय हैं। परिणामस्वरूप वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, जिससे उन्हें लगता है कि उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँच रही है, अतः वे अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं और छोटी-मोटी बातों पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं (एसोसिएशन, 2013)।

इसके अतिरिक्त, आत्ममुग्धता व्यक्ति के अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों; जैसे—अवसाद, चिंता विकार और मादक द्रव्यों के सेवन विकारों के साथ जुड़ी होती है। आत्ममुग्धता के उपचार में अक्सर मनोचिकित्सा शामिल होती है। इन चिकित्साओं में आत्म-जागरूकता, सहानुभूति एवं पारस्परिक कौशल में सुधार किए जाने से संबंधी उपचार किए जाते हैं (ई. रोनिंगस्टैम, 2022)।

भारतीय ज्ञान परंपरा की संचार प्रक्रिया के तथ्यों की विवेचना

भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली की मासिक समाचार बुलेटिन पत्रिका में कवि एवं संपादक डॉ. इंदुशेखर तत्पुरुष संत रैदास का संचारशास्त्र समझाते हुए लिखते हैं कि मुख्यतः संचार ज्ञान एवं सूचनाओं पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य 'ट्रांसफॉर्मेशन' होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 80 प्रतिशत संचार अशाब्दिक होता है। आध्यात्मिक संचार, संचार का ऐसा ही रूप है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन से भी आगे जाकर 'जनरेशन' पर जोर दिया जाता है। भारत में संचार सिद्धांत काव्यशास्त्र के संप्रदायों से जुड़ा है। साधारणीकरण और स्थायी भाव इसी संचार सिद्धांत से जुड़े हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की संचार प्रक्रिया पर विचार करने के फलस्वरूप कहा जा सकता है कि प्रापक संदेश का उपयोग स्वयं को जागरूक करने, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने एवं अंत में सत्य (ज्ञान) जानने एवं समझने के उद्देश्य से ग्रहण करता था। भारत में सहृदयी भाव पर आधारित साधारणीकरण की संचार प्रक्रिया में ज्ञान के स्तर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय मनीषियों की संचार प्रक्रिया में प्रेषक के ज्ञान का स्तर प्रापक के ज्ञान के स्तर से सदैव अधिक होता था, जिसे हम गुरु-शिष्य के मध्य होने वाले संचार के रूप में देख सकते हैं। भगवान् बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को संदक्षता के भाव से बुद्ध के अनुयायी पूर्व की मान्यताओं से मुक्त होकर ग्रहण करते थे (यादव, 1984)। इन अनुयायियों को सोशल मीडिया की शब्दावली में फॉलोवर्स कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का अंतर्वैयक्तिक संचार सिद्धांत काव्यशास्त्र से जुड़ा है, जिसमें वे भक्तिपूर्वक आत्म संचार करते हैं। बुद्ध के अनुसार चार सामाजिक भाव—मेत्ता (अहिंसा, सद्भावना एवं मित्रता), करुणा, मुदिता (सहानुभूतिपूर्वक आनंद), उप्पेक्खा (equanimity) से युक्त वैयक्तिक संचार होना चाहिए। बुद्ध का संचार सिद्धांत किसी व्यक्ति अथवा किसी सामाजिक व्यवस्था पर आश्रित रहने के उपरांत उत्पन्न होने की अवधारणा से व्याख्यायित किया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण-परिणाम के जाल में विद्यमान होती है, जिसे प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है (दिसनायके, 1983)। अर्थात् प्राणियों के लिए प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है—कर्म और विपाक (कर्म के परिणाम) के अनुसार अनंत संसार का चक्र। प्रतीत्यसमुत्पाद के अनुसार सब कुछ अनित्य और अनात्म (बिना आत्मा के) होता है, कुछ भी सत्य में विद्यमान नहीं है। हर घटना मूलतः शून्य होती है, परंतु जिस मनुष्य में ज्ञान की शक्ति है वे दुःख के कारक तृष्णा को त्यागकर एवं तृष्णा में नष्ट की हुई शक्ति को ज्ञान और ध्यान में बदल कर निर्वाण पा सकते है। संचार की प्रक्रिया में शामिल अस्थिरता और प्रवाह में इस सिद्धांत का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। विद्वानों ने मनुष्य का आकलन मनोविज्ञान दृष्टिकोण पर करते हुए कुल नौ स्थायी भाव बताए हैं, जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। इन स्थायी भावों के अनुरूप मनुष्य संचार के भाव से स्थितियों का अनुभव करता है। ये स्थायी भाव इस प्रकार हैं—रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा (वीभत्स), विस्मय और शम (निर्वेद)। इन स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव हैं (तिवारी, 1992)। संचारी भाव द्वितीयक होते हैं और ये स्थायी भावों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त नौ स्थायी भावों को प्रभावित करने में विभाव और अनुभाव भी होता है, जिससे प्रेम के जरिये स्त्री एवं पुरुष एक-दूसरे से जुड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि संचार की प्रक्रिया में यदि मनुष्य इन स्थायी भावों को आत्मनियंत्रित कर ज्ञानपूर्वक संचार करे तो फेक न्यूज की उत्पत्ति की संभावना कम होगी। भारतीय ज्ञान परंपरा की संचार प्रक्रिया में प्रापक की योग्यता पर विशेष भूमिका होती है, जबकि पश्चिम की संचार प्रक्रिया में संदेश की अभिव्यंजना पर विशेष महत्त्व दिया जाता है। पश्चिम से आए सोशल मीडिया में किए जा रहे इंटरनेट से युक्त संचार व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में केवल वैयक्तिक संचार, समूह संचार एवं जनसंचार की व्यवस्था है (कुमार, 2009)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अंतर्वैयक्तिक संचार से कोई संबंध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति स्वयं को जाने

बगैर दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना से सूचना साझा करता है, जिससे फेक न्यूज उत्पन्न होने की संभावना होती है।

सोशल मीडिया पारिस्थितिकी में संचार अवरोध संबंधी तथ्यों की विवेचना

प्रायः संचार प्रक्रिया में कुल आठ प्रकार के अवरोध (Barrier) होते हैं। ये आठ प्रकार इस प्रकार हैं—भौतिक अवरोध (Physical barrier), मनोवैज्ञानिक अवरोध (Psychology barrier), आत्म कल्पना (Self-image), परिवर्तन का विरोध (Change to resistant), बचाव एवं भय (Defensiveness and fear), भाषाई एवं सांस्कृतिक अवरोध (Linguistic and cultural barrier), भाषा और अर्थ (Language and meaning) एवं यांत्रिक अवरोध (Mechanical resistant) (कुमार क. ज., 2009, पृ. 30-36)। संचार के दृष्टिकोण से सोशल मीडिया के अवलोकनोपरांत पाया गया कि प्रायः उपयोगकर्ताओं में मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं आत्म कल्पना किए जाने संबंधी अवरोध सबसे अधिक है। मनोवैज्ञानिक अवरोध के अंतर्गत सोशल मीडिया में लगभग हर उपयोगकर्ता की गतिविधि में उनके निजी संदर्भों का फ्रेम (Frame of Reference) होता है, जिससे वह अपने जीवन के अनुभवों, सांस्कृतिक जीवनशैलियों एवं पूर्वग्रहों से युक्त विशिष्ट दृष्टि से पूरी दुनिया देखना चाहता है (अहमद, 2019)। वह हर सूचना को अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से देखने-समझने की कोशिशें करता है। पूरी दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पारिस्थिकी तंत्र के जरिये एक-दूसरे से जुड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में संग्रहीत नाना प्रकार की सूचनाओं एवं सामग्रियों के अनंत प्रवाह को हर प्लेटफॉर्म अपने-अपने प्रोग्राम-एल्गोरिदम (मेटावर्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के जरिये उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट पसंद के क्रम में नियंत्रित करता है (राजन, 2023)। वर्तमान दौर की वेब 2.0, वेब 3.0 एवं मेटावर्स पर आधारित सोशल मीडिया की संचार प्रक्रिया में वास्तविक एवं आभासी दुनिया से जुड़े हर उपयोगकर्ताओं को सच और झूठ, दोनों प्रकार की सामाग्री व सूचनाएँ लिखने, देखने तथा पढ़ने की विशेष व्यवस्था है, जिसमें लेखकों, पाठकों एवं दर्शकों के बीच अत्यंत सूक्ष्म रेखा है। इस सूक्ष्म रेखा को न पहचानने तथा दुनिया में हो रही हर क्रिया के मूल्यांकन में स्वयं की उपस्थिति की लालसा से सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं में आत्ममुग्धता देखने को मिलती है। आत्ममुग्ध उपयोगकर्ता अपने स्वार्थी भाव से युक्त विशिष्ट दृष्टि से प्रायः फेक न्यूज को इधर-उधर भेजने लगते हैं, जिससे फेक न्यूज वायरल हो जाती है।

संचार की आत्म कल्पना (Self image) अवरोध के अंतर्गत सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हरेक सूचना एवं सामग्री को अपनी पसंद के अनुसार देखना चाहता है। जिन सूचनाओं अथवा संदेशों से उपयोगकर्ताओं की आत्मछवि बढ़ती है, उस संदेश को उपयोगकर्ता अधिक साझा करते हैं, भले ही इन सूचनाओं में नैतिक मूल्य हों या न हों (अहमद, 2019)।

सोशल मीडिया में उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई पोस्टों के अंतर्गत उपयोगकर्ता अपने अधिकतर दैनिक नित्य गतिविधियों का प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र से करते हैं। ये गतिविधियाँ उपयोगकर्ताओं के पूर्वग्रह से प्रभावित होती हैं, जिसमें शिक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजन का आवरण तो होता है, लेकिन प्रायः इनमें मूल स्रोत के पूर्ण संदर्भों का अभाव दिखता है। इनमें पूर्ण सत्यता न होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ सच को झूठ के साथ मिलाकर परोस दिया जाता है। आत्ममुग्ध सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इन सूचनाओं को संवैधानिक दृष्टिकोण से विचार किए बगैर साझा करते हैं, जिससे भ्रामक वातावरण बनता है।

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में आत्ममुग्धता से संबंधित तथ्यों की विवेचना

हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर कहना उचित है कि मित्रता एवं प्रेम के बीच की रेखा बहुत पतली होती है; प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है; धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वास से भरे होने एवं आत्ममुग्ध हो जाने के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। आत्मविश्वास की रेखा कहाँ खत्म होती है और आत्ममुग्धता की रेखा कहाँ से शुरू हो जाती है, यह प्रायः पता नहीं चलता। इस रेखा को पहचानना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से भरे होना एक गुण है जबकि आत्ममुग्ध हो जाना एक दोष है और वर्तमान दौर में इस दोष के कारण समाज में कई समस्याएँ व्याप्त हैं। पिछले तीन-चार दशकों में पूरी दुनिया में विशेष रूप से पश्चिम के देशों में आत्ममुग्धता की प्रवृत्ति बढ़ी है (एंड्रियासेन सीएस, 2016)। भारतीय समाज में यह समस्या नहीं थी, किंतु भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल एवं हमारे सामाजिक व पारिवारिक बदलाव का अवलोकन करने के उपरांत ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया के उदय के फलस्वरूप यह समस्या भारत में अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आत्ममुग्ध व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उससे सुंदर इस समाज में कोई नहीं है। अधिकांश समय वह अपनी दैनिक गतिविधियों को अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों से तुलना कर केवल अपनी प्रशंसा करना एवं सुनना चाहता है। जब आत्ममुग्धता आवश्यकता से अधिक अर्थात् आत्म-खुशी (Self-esteem) से ऊपर उठने लगती है तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक उस व्यक्ति को आत्मकामी व्यक्तित्व विकार (Narcissistic personality disorder) रोग से ग्रसित मानते हैं, जिसे एन.पी.डी. भी कहते हैं (एंड्रियासेन सीएस, 2016)। एन.पी.डी. से ग्रसित लक्षणों में स्वयं को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देना, दूसरों के प्रति कोई संवेदना न रखना, अधिक उदास रहना, अपनी आलोचना न सुनना एवं हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिशें करना आदि लक्षण होते हैं (अख्तर, 1982)। सोशल मीडिया में उपयोगकर्ताओं द्वारा की जा रही ऑनलाइन गतिविधियों में एन.पी.डी. विकार से ग्रसित उपयोगकर्ताओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता लोगों का दिल जीतने के बजाय उनके दिलों में आपसी बैर के भाव से गतिविधियाँ करते हैं, जिससे इस प्रकार के मंचों पर तार्किक विमर्शों या संवादों का होना असंभव प्रतीत होता है। 'द गार्डियन' समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक लोगों के आत्मकामी व्यक्तित्व विकार के अनुसरण में अपने प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम को सेट करता है (सोधा, 2021), जिससे इको-चैंबर (Echo chamber) का निर्माण होता है और जिसके परिणामस्वरूप फेक न्यूज क्षण भर में वायरल हो जाती हैं। अँग्रेजी शब्दकोश मेरिएम वेबस्टर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सोशल मीडिया शब्दावली में प्रयुक्त होने वाले अँग्रेजी शब्द 'Narcissis' के निकट अँग्रेजी शब्द 'Echo' है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में वायरल फेक न्यूज के संदर्भ में 'Echo' शब्द

की मुख्य भूमिका है। आत्ममुग्धता से ग्रसित व्यक्ति किसी नियम कानून को न मानते हुए स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है। कुछ मनोवैज्ञानिक विद्वान् आत्ममुग्धता को 'God Complex' (स्वयं को भगवान् के रूप में देखना) भी कहते हैं, जिससे आत्ममुग्ध व्यक्तियों में स्वयं के प्रति आदरभाव खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अँग्रेजी शब्द 'Echoism' का अक्सर प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिध्वनिवाद। प्रतिध्वनिवाद अक्सर उन व्यक्तियों में देखा जाता है, जो 'Narcissist' (आत्ममुग्ध) व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं (लेग, 2019)। अतः अब स्पष्ट है कि सोशल मीडिया की संचार व्यवस्था में 'इको-चैंबर' की निर्मिति इसी अवधारणा के आधार पर की गई है।

भारतीय दर्शन के आलोक में प्राचीन ज्ञान परंपरा को संचार एवं संप्रेषण के दृष्टिकोण से अनुसरण करते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में व्यक्ति विशेष को महत्त्व न देकर समकालीन समाज को महत्त्व दिया गया है, जबकि पश्चिमी देशों के दर्शन के आलोक में कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों के दर्शन व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य 'रामचरित मानस' के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी 'रामचरित मानस' के बालकांड के वंदना प्रकरण में लिखते हैं—

"कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू।।
आखर अरथ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक बिधाना।।
भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुन बिबिध प्रकारा।।
कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे।।"

अर्थात् वे कहते हैं कि मैं न तो कवि हूँ और न बोलने में प्रवीण हूँ। मैं तो सब कलाओं, सब विद्याओं से रहित हूँ। अक्षर, अर्थ, अनेक प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएँ, भावों और रसों के अनगिनत भेद और अनेक प्रकार के दोष और गुण काव्य के होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य कहता हूँ। रहीम ग्रंथावली की पृष्ठ संख्या 91 में रहीम कहते हैं—"बड़े बड़ाई ना करैं, बड़ो न बोलैं बोल। रहिमन हीरा कब कहै, लाख टका मेरो मोल।।" बीजक ग्रंथावली की साखी के अनुसार भारत के महान् साहित्यकार कबीरदास जी कहते हैं—"तुम जिनि जानों गीत यह, यह निज ब्रह्म विचार।" अर्थात् जिसको तुम कविता कहते हो उसमें मैंने भगवान् के बारे में केवल अपनी बात कही है। मैं न तो पढ़ा लिखा हूँ और न ही कुछ जानता हूँ। अतः स्पष्ट है कि भारत के सभी ऋषि-मुनि विद्वानों ने पूरे विश्व को आईना दिखाने वाले ग्रंथों की रचना की, किंतु आत्मप्रशंसा कभी नहीं की है। वे केवल सत्य और संवाद को बार-बार संचार में शामिल करते थे। वहीं सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता केवल अपनी प्रशंसा सुनना-देखना चाहते हैं, जहाँ सत्य और संवाद का महत्त्व नहीं होता है, जिससे फेक न्यूज फैलाई जाती है।

निष्कर्ष

तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय मनीषियों की ज्ञान परंपरा में अंतर्निहित संचार एवं संप्रेषण प्रक्रिया में सत्य और संवाद के साथ-साथ प्रेषक और प्रापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संचार सिद्धांतों के अनुसरण में पारिस्थितिकी तंत्र से प्रेषक एवं प्रापक, संदेशों को क्रमश: विशुद्ध ज्ञान प्रेषित करने एवं ग्रहण करने के उद्देश्य से करता था, जिससे संदेशों में भ्रम अथवा अराजकता संबंधी भाव उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। जबकि, सोशल मीडिया की संचार प्रक्रिया एवं पारिस्थितिकी में आत्ममुग्ध प्रेषक एवं प्रापक की उपस्थिति स्वयं के संदर्भों के फ्रेम में निर्धारित होती है जहाँ सही-गलत का महत्त्व नहीं होता। भारतीय ज्ञान परंपरा की संचार प्रक्रिया में आत्मप्रशंसा को आत्महत्या के रूप में देखा गया है एवं भारत के मनीषियों का अंतर्वैयक्तिक संचार हमेशा ही आत्ममुग्धता के विरुद्ध है। भारत के संचार मनीषी श्रुति माध्यम से लोगों के बीच उद्देश्यपूर्ण संचार करते थे। पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध उपयोगकर्ताओं की पोस्ट का आत्ममुग्धता के दृष्टिकोण से अवलोकन करने के उपरांत एवं विश्लेषण के निष्कर्ष के रूप में ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया में आत्ममुग्ध लोगों के द्वारा बनाई गई इको-चैंबर की व्यवस्था से फेक न्यूज की उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण कारक है। अतः भारतीय ऋषि-मुनियों (विद्वानों) की ज्ञान परंपरा में अंतर्निहित संचार प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यदि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता आत्ममुग्धता से रहित होकर सूचनाओं का संप्रेषण केवल सत्य एवं संवाद को रेखांकित करते हुए करें, तो फेक न्यूज जैसे आपराधिक संदेशों के सृजन की संभावनाएँ कम होंगी एवं भारत की मूल संचार प्रक्रिया का अनुसरण पूरी दुनिया करेगी।

संदर्भ

अख्तर, एस. (1982). ओवरव्यू : नारस्सिस्टिक पर्सनलिटी डिसोर्डर. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मैडिसिन, पृ.सं. 18.

अहमद, ए. एच. (2019). द फर्स्ट इंटरनेशनल ग्लोबल कानफ्रेंस ऑन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट लैंगकॉवी, मलेशिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंसिएल रिसर्च (पृ.सं.. 40-41). लैंगकॉवी, मलेशिया : टरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंसिएल रिसर्च.

ई. आर. (2022). नर्सिस्सिस्टिक पर्सोनलिटी डिसऑर्डर. वाशिंगटन : अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोशिएशन.

एंड्रियासेन सी.एस, पी. ए. (2016). द रिलेशनशिप बिटविन एडेक्टिव यूज सोशल मीडिया, नरिसीस्म एंड सेल्फ इस्टीम : फाइंडिंग्स फ्रम ए लार्ज नेशनल सर्वे. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन , पृ.सं. 257-258.

एसोसिएशन, ए. एस. (2013). डायगनोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (फिफ्थ एडिशन). वाशिंगटन : अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन पब्लिशिंग.

कॉगलन, एस. (2019, नवंबर 4). बीबीसी साइंस. https://www.bbc.com/hindi/science-50257442 से पुनःप्राप्त.

कुमार, के. जे. (2009). इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्यूनिकेशन एंड इंटरनेट (मास कम्युनिकेशन इन इंडिया) पृ.सं. 557-560. नई दिल्ली : जायको पब्लिकेशन.

कौल, जे. एल. (2010). प्रौद्योगिकी, व्यापार और वैश्वीकरण . जे एल कौल, हिंदी पत्रकारिता का बाजार भाव, पृ.सं. 40-42. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.

चौधरी, ए. (2021, जून 17). ओपिनियन. इंडियन एक्स्प्रेस डॉट कॉम : https://indianexpress.com/article/opinion/columns/why-democracy-needs-social-media-7363544/ से पुनःप्राप्त.

चौबे, के.एस. (2024). प्राचीन भारतीय संचार सिद्धांत : परंपरा और प्रयोग. संचार माध्यम, पृ.सं.5-6.

चौहान, वी. एस. (2018, सितंबर 2). वर्चुअल स्पेस पर हिंदी उर्फ़ हिंदी 2.0. हंस पत्रिका का न्यू मीडिया_सोशल_मीडिया विशेषांक , पृ.सं.11-12.

तत्पुरुष, आई. एस. (2023). नई दिल्ली: आई.आई.एम.सी. न्यूज.

तिवारी, ए. (1992). इंडियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. कम्यूनिकेटर, पृ.सं. 35-38.

दिसनायके, वी. (1983). एशियन थियरिस ऑफ कम्युनिकेशन इन मीडिया डेवलपमेंट. एशियन जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, पृ.सं. 9.

प्रतीक, एस. (2019). इंडिया मिसइनफॉर्म्ड. नोएडा : हार्परकोल्लिन्स.

ब्यूरो, आई. इ. (2024, जनवरी 10). अर्टिकल. इंडियन एक्स्प्रेस डॉट कॉम : https://indianexpress.com/article/india/ahead-of-ls-polls-it-minister-flags-social-media-influence-on-democratic-processes-9102481/ से पुनःप्राप्त.

मिश्र, के. बी. (2019). भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय. (हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली की निर्माण-भूमि) दिल्ली : भारतीय ज्ञान पीठ. पृ.सं. 42.

मोहन, एम. (2013, दिसंबर 8). https://www.thehindu.com/opinion/open-page/whats-happening-to-my-newspapers/article5434100.ece से पुनःप्राप्त.

यादव, जे.एस. (1984). ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन रिसर्च. कम्युनिकेशन रिसर्च. दिल्ली : भारतीय जनसंचार संस्थान.

राजन, एन. (2023, जनवरी 1). https://indianexpress.com/article/explained/explained-sci-tech/a-new-social-media-metaverse-and-more-ai-8353131/ से पुनःप्राप्त.

राव, एस. (2009). ग्लोक्लाइजेशन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म. ग्लोक्लाइजेशन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म.

राजपूत, एन. (2023, सितंबर 13). रियलिटि ऑफ सोशल मीडिया. यूट्यूब डॉट कॉम: https://www.youtube.com/watch?v=cLoXQb5M6oI से पुनःप्राप्त.

रोडेवाल्ट, पी. (2024, मार्च 27). साइंस. ब्रिटैनिका डॉट कॉम : https://www.britannica.com: https://www.britannica.com/science/narcissism से पुनःप्राप्त.

लेग, टी. जे. (2019, अगस्त 28). https://www.healthline.com/health/mental-health/echoism से पुनःप्राप्त.

सोधा, एस. (2021, नवंबर 7). द गार्डियन. द गार्डियन डॉट कॉम : https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/07/social-media-fuels-narcissists-worst-desires-making-reasoned-debate-near-impossible से पुनःप्राप्त.

संचार माध्यम | खंड 36(2) : 81-86, जुलाई-सितंबर 2024
यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका, आईएसएसएन: 2321-2608

समकालीन विकासशील समाज में समाधानपरक पत्रकारिता की आवश्यकता का अध्ययन

डॉ. दीपा रानी[1]

सारांश

समाधानपरक पत्रकारिता सामाजिक समस्याओं की प्रतिक्रियाओं पर एक रिपोर्टिंग है, जिसमें समुदायों की मदद के लिए साक्ष्य और अंतर्दृष्टि भी शामिल है। रिपोर्टिंग के इस नए चलन ने गत कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। आज विकासशील देश विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं से पीड़ित हैं, जो बड़े पैमाने पर उनकी आबादी को प्रभावित करती हैं। ऐसे देशों में मीडिया की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह न केवल सामाजिक समस्याओं को बड़े पैमाने पर लोगों के समक्ष रखता है, बल्कि समाज को आवश्यक निवारक उपाय भी बताने का प्रयास करता है। नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ, मीडिया ने दुनियाभर में बड़ी पहुँच हासिल की है। शहरी आबादी अपनी सूचनात्मक आवश्यकताओं के लिए मीडिया पर अत्यधिक निर्भर है। प्रस्तुत शोध पत्र भारत जैसे समकालीन विकासशील समाज में समाधान उन्मुख जानकारी की आवश्यकता का अवलोकन करता है। सामाजिक समस्याओं पर समाचारों से जुड़ने के लिए मीडिया पर लोगों की निर्भरता और समाचार कार्यक्रमों/रिपोर्टों में समाधान खोजने की उनकी जिज्ञासा का पता लगाने के लिए भारत के दिल्ली/एनसीआर के क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण (n=500) किया गया, जिसमें पाया गया कि अधिकतर उत्तरदाता सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया पर अत्यधिक निर्भर थे। यह भी पाया गया कि वे व्यापक रूप से साझा की जाने वाली सामाजिक समस्याओं के समाधान की आवश्यकता के लिए गहन जानकारी को प्राथमिकता देते हैं। वे मीडिया संस्थानों से अपेक्षा रखते हैं कि वे सामाजिक समस्याओं को समाधान एवं पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करें।

संकेत शब्द : समाधान पत्रकारिता, मीडिया, समाचार, विकासशील समाज

प्रस्तावना

वर्तमान परिदृश्य में दुनिया ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन आज भी विकासशील देशों में हिंसा, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी कई जटिल समस्याएँ बनी हुई हैं। प्रगतिशील राष्ट्र व्यापक रूप से आज भी चिंताजनक स्थिति में हैं और अस्थिर वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषित जलवायु, स्वच्छ जल स्रोतों में गिरावट, प्रदूषण और भूमि की सतह के तापमान में वृद्धि का समस्त मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी, गैर सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन इन गंभीर चुनौतियों से पार पाने के लिए कुशल एवं स्थायी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरताओं और अनिश्चितताओं के कारण दुनिया को गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक संकट पैदा हुआ। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पहली बार गिरा और सतत विकास के एजेंडे (2030 एजेंडा) को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चरणों के दौरान, नकारात्मक समाचार चक्र मीडिया परिदृश्य पर बुरी तरह हावी रहा। विकासशील देशों में इन प्रतिकूल परिस्थितियों ने लोगों के सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। यहाँ मीडिया की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि इसे सूचना को व्यापक रूप से पहुँचाने वाला स्रोत माना जाता है।

अभिसरण के आधुनिक युग में मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से उपलब्ध है। नीति-निर्माताओं का मार्गदर्शन करने के लिए विकास संबंधी चिंताओं को उजागर करके मीडिया विकासशील देशों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघर्ष और संकट की वर्तमान स्थिति में, मीडिया संस्थान अपने वित्तीय लाभ हेतु पारंपरिक व्यवसाय मॉडल के आधार पर संचालन कर रहे हैं। पूर्व अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी मीडिया अक्सर नकारात्मक सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है (सोरोका, 2014)। इस चलन ने विकासशील देशों में भी एक नियमित प्रवृत्ति पैदा की। एक सर्वे में पाया गया कि कोविड महामारी के दौरान आम जनमानस ने समाचारों से दूरी बना ली थी और मीडिया पर भरोसा करने से वे घबराने लगे थे। डर, असुरक्षा और इसके नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए लोग आम तौर पर समाचार देखने से बचने लगे थे (गबादेयन & बेरक्कतार, 2023)। लोग मीडिया आउटलेट से समस्याओं का समाधान खोजने की संभावना के साथ गहन जानकारी वाली सकारात्मक उपयोगी जानकारी की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी रिपोर्टिंग के पुराने पारंपरिक पैटर्न में खबरें मुहैया कराने से कहीं ज्यादा थी। 'पत्रकारिता और पत्रकारिता अभ्यास की रचनात्मक भूमिका' शीर्षक वाले एक शोधपत्र में जनता के बीच सामाजिक प्रगति के अवसरों और रुचि पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने समाधानपरक पत्रकारिता की आवश्यकता को परिभाषित किया। व्यापक रूप से साझा की जाने वाली सामाजिक समस्याओं की प्रतिक्रिया को कवर करने वाले समाचारों को रचनात्मक पत्रकारिता के अभ्यास के भीतर एक तकनीक के रूप में जाना जाता है। लॉफ & मैक्लनायर (2017) ने 'समाधान पत्रकारिता के बारे में पत्रकारों की धारणा और क्षेत्र में इसके स्थान' शीर्षक वाले लेख में उल्लेख किया है कि समाधान-उन्मुख रिपोर्टिंग पत्रकारों को प्रेस की सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है तथा सवाल करती है कि क्या वे समाज के सर्वोत्तम हित पर विचार करते हैं? उनकी दैनिक विचार प्रक्रियाओं और आदतों में, समाधानपरक पत्रकारिता ऐसी रचनात्मक रिपोर्टिंग का ही एक रूप है, जो सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। थायर (2016b) ने उल्लेख किया है कि समाधान उन्मुख कहानियों के निर्माण

[1]आईसीएसएसआर पोस्ट-डॉक्टोरल स्कॉलर, ईमेल: diyarajvansh@gmail.com

में ऐसी जानकारी शामिल होती है, जो 'हाउ-डन-इट' (howdunnit) के पारंपरिक दृष्टिकोण के बजाय 'हु-डन-इट' (whodunit) की जाँच करती है। यह पूरी तरह से 'कौन' के विपरीत 'कैसे' पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि जानकारी को गहराई से समझा जा सके और 5 क (कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों) का साथ समाधान भी प्रदान किया जा सके (पोर्टर, 2017)।

वर्तमान समकालीन विकासशील देशों में समाधान पत्रकारिता की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर महसूस की जा रही है। सॉल्यूशन जर्नलिज्म नेटवर्क (एसजेएन), यस, रीपोर्ट्स, डायस्पोरा, वर्ल्ड चेंजिंग, टाई और सॉल्यूशंस जैसे कई संगठन सामाजिक उत्थान के लिए एवं समाधानमूलक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य लोगों को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनों के लिए प्रेरित करने हेतु समुदायों में किए गए पत्रकारों के कार्यों को उजागर करना है। ऐसा दृष्टिकोण सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए सकारात्मक विचार प्रदान करने में मदद करता है। एसजेएन के अनुसार नकारात्मक समाचारों के मानदंडों से लड़ने के लिए समाधानमूलक पत्रकारिता को एक स्वागत योग्य बदलाव माना जा सकता है। पत्रकारों, एजेंसियों, मीडिया संगठनों और शोधकर्ताओं के ऐसे प्रयासों से, समाचारों में समाधान लेख, फीचर, वृत्तचित्र, बहस/चर्चा/साक्षात्कार आदि के रूप में आसानी से उपलब्ध हो सका है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों पर समाचारों से जुड़ने के लिए मीडिया पर लोगों की निर्भरता को समझने के साथ-साथ, समाचार कार्यक्रमों/रिपोर्टों में समाधान खोजने की उनकी जिज्ञासा को उजागर करने का प्रयास है। इन उद्देश्यों के आधार पर शोधपत्र निम्नलिखित प्रश्नों पर केंद्रित हैं :

- सामाजिक समस्याओं पर समाचार देखने/पढ़ने/सुनने के लिए लोग किस तरह की मीडिया और कार्यक्रम खंड को प्राथमिकता देते हैं?
- क्या वे अपने पसंदीदा मीडिया कार्यक्रमों में व्यापक रूप से साझा की जाने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं?

साहित्य समीक्षा

1970 के दशक में विकास पत्रकारिता पर अनेक अध्ययन किए गए और इस विषय को परिभाषित करते हुए यह तर्क दिया गया कि इस प्रकार की पत्रकारिता के लिए अनुवर्ती सूचनाओं के साथ समाधान आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता अनिवार्य है। अतः समाधानपरक पत्रकारिता को विकास पत्रकारिता का विस्तार माना जा सकता है। वर्ष 1998 में, सॉल्यूशन जर्नलिज्म का उपयोग पहली बार कोलंबियन जर्नल रिव्यू में किया गया था, जिसमें प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर प्रकाश डाला गया था। इसमें व्यापक रूप से साझा किए गए सामाजिक समस्याओं के समाधान शामिल थे (बेनेस्क (1998)। सौंन, मोरेनो & वेंजल (2016) ने पश्चिम के तीन पत्रकारों, डेविड बोर्नस्टीन, टीना रोसेनबर्ग और मार्टिन द्वारा शुरू किए गए सॉल्यूशन पत्रकारिता आंदोलन को परिभाषित किया, जिन्होंने आगे चलकर सॉल्यूशन जर्नलिज्म नेटवर्क (एसजेएन) की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सामाजिक समस्याओं पर प्रतिक्रियाओं को कवर करने वाली रिपोर्टिंग के बारे में दुनियाभर के पत्रकारों को अवगत कराना (बंसल & मार्टिन, 2015)। लॉफ & मैक्लनायर (2017) ने परिभाषित किया कि समाधानपरक पत्रकारिता, समस्याओं पर पूरी तरह से रिपोर्ट करने के बजाय किसी समस्या को हल किए जाने वाले प्रयासों पर ध्यान देने की क्षमता रखता है।

करी (2014) ने एक संगठित अध्ययन में उन उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया, जिन्हें समाधान-उन्मुख कहानियाँ पढ़ने के लिए कहा गया था। उनके पास विषयवस्तु के बारे में अधिक अनुमानित ज्ञान पाया गया और साथ ही समस्याओं का समाधान करने की रुचि भी अधिक पाई गई। समाधान-आधारित रिपोर्ट ने उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक प्रेरित किया, जिन्हें कहानियों के संघर्ष-उन्मुख संस्करण पढ़ने को दिए गए थे। बेनेस्क (1998) ने एक लेख 'समाधान पत्रकारिता का उदय' में उल्लेख किया है कि उपचारात्मक कथा बड़े प्रभाव वाली त्रासदियों के लंबे समय बाद भी पुनःप्राप्ति और पुन:स्थापना प्रक्रिया के कवरेज को प्रेरित करती है। एक अध्ययन में मैक्लनायर, & लॉफ (2019) ने समाचार कहानियों के उस हिस्से की जाँच की, जिसमें उपचार, रोकथाम, आपराधिक न्याय जैसे समाधान शामिल थे। इस शोध में यह भी पाया गया कि समाचारों में समाधानों को बहुत कम स्थान प्राप्त होता है। मिडबेरी & डहमेन (2019) ने 'विजुअल सलूशन जर्नलिज्म : ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क' में समाधानपरक पत्रकारिता को कठिन और तथ्य-संचालित कहानियों के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सामाजिक समस्याओं की प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं। एक अन्य अध्ययन में यह उल्लेख किया गया कि समाधानपरक पत्रकारिता में समुदायों को प्रभावी ढंग से शामिल करने की क्षमता है (कॉसटेरा, 2010)।

बेनेस्क (1998) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि दुनियाभर में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के प्रयासों से समाधानपरक पत्रकारिता का महत्त्व सामने आया है। विषयवस्तु के जानकार और मीडिया पेशेवर समाधान पत्रकारिता को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में वर्णित करते हैं, जो 'सही तर्क देता है और उम्मीद करता है कि लोग इसका अनुकरण करें'। होत्ज (2021) ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी, द न्यूयॉर्क टाइम्स और फास्ट कंपनी सहित कई न्यूज रूम में समाधान पत्रकारिता का अभ्यास किया गया था, जिसे आज भी उनकी समाचार साइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, 2010 से द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 'फिक्सेस' शीर्षक नामक एक ओपिनियन कॉलम प्रकाशित किया गया, जिसका वर्णन न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर इस प्रकार किया गया है : 'फिक्सेस सामाजिक समस्याओं के समाधान पर गौर करता है और बताता है कि वह कैसे काम करता है'। ‹द वाशिंगटन पोस्ट' द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र में 'द ऑप्टिमिस्ट' शीर्षक में एक कॉलम आज भी है, जो दुनियाभर से सकारात्मक समाचार साझा करता है। फास्ट कंपनी के 'इंपैक्ट' नामक अनुभाग ने अपनी वेबसाइट पर 'बड़े विचार जो दुनिया को बदल रहे हैं' के रूप में वर्णित किया है। लेख में बेनेस्क (1998) ने सामाजिक समस्याओं पर पत्रकारों की लेखन शैली पर आगे चर्चा की, जो सरकार तथा अन्य संस्थाओं को सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है।

शोध प्रविधि

शोध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें प्राथमिक आधार सामग्री एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। साहित्य समीक्षा की मदद से अध्ययन के लिए प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए शोध उपकरणों का सावधानीपूर्वक निर्माण किया गया, जिसमें ओपन एंडेड एवं क्लोज एंडेड प्रश्न शामिल किए गए। सर्वेक्षण के तीन खंडों में उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, सामाजिक समस्याओं पर समाचारों के लिए उत्तरदाताओं के पसंदीदा मीडिया और उसके कार्यक्रम तथा व्यापक रूप से साझा किए गए सामाजिक मुद्दों पर मीडिया द्वारा प्रदान किए गए कवरेज में समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उत्तरदाताओं का प्रयास शामिल था। भारत के दिल्ली/एनसीआर के क्षेत्रों से कुल 500 उत्तरदाताओं का डाटा सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच एकत्र किया गया। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के स्थान शामिल थे। उत्तरदाताओं को उम्र, लिंग और उनकी शिक्षा योग्यता के आधार पर विभाजित किया गया।

शोध परिणाम

वैश्वीकरण के आधुनिक युग में मीडिया सिर्फ समाचार पत्रों, समाचार चैनलों और रेडियो तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया की व्यापक पहुँच है और भारत जैसे विकासशील समाज में आज डिजिटल प्रौद्योगिकियों का आमतौर पर उपयोग किया जा रहा है। कई अध्ययनों से पाया गया कि दुनियाभर के विभिन्न विकासशील देशों में मीडिया साक्षरता दर अधिक है। इंडिया.इन के मुताबिक शहरी इलाकों में डिजिटल साक्षरता बढ़कर 61% और ग्रामीण भारत में 25% हो गई है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में उन सभी मीडिया प्लेटफार्मों को शामिल किया गया है, जो विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध हैं। स्टेटिस्टा.इन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में इंटरनेट की खपत सबसे ज्यादा है, लेकिन अध्ययन से पता चला है कि इससे शहरी भारत में कई मीडिया उपभोक्ताओं की टेलीविजन देखने की आदत में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए, सर्वेक्षण भारत के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में किया गया, जिसमें पाँच अलग-अलग स्थानों से 500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। वे सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के थे। तालिका-1 उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का विवरण दर्शाती है, जिसमें 72 (14%) उत्तरदाता 18 से 25 वर्ष के बीच के थे, 150 (30%) उत्तरदाता 26 से 35 वर्ष के बीच के थे, 245 (49%) उत्तरदाता 36 से 50 वर्ष के बीच के थे और 50 वर्ष से अधिक आयु-वर्ग के 33 (7%) उत्तरदाता थे। 295 (59%) उत्तरदाता पुरुष थे और 205 (41%) उत्तरदाता महिलाएँ थीं। 130 (26%) उत्तरदाता विभिन्न विषयों में स्नातक थे, 213 (43%) उत्तरदाताओं ने स्नातकोत्तर पूरा किया हुआ था और 157 (31%) उत्तरदाता विभिन्न विषयों में पीएचडी थे।

तालिका 1 : उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

उत्तरदाताओं का आयु वितरण	
18 से 25 वर्ष	14%
26 से 35 वर्ष	30%
36 से 50 वर्ष	49%
50 वर्ष से ऊपर	7%
उत्तरदाताओं का लिंग वितरण	
पुरुष	59%
महिला	41%
अन्य	0%
उत्तरदाताओं की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता	
माध्यमिक	0%
उच्च माध्यमिक	0%
स्नातक	26%
स्नातकोत्तर	43%
पीएचडी और उससे ऊपर	31%

स्रोत : सर्वे

उत्तरदाताओं द्वारा सामाजिक समस्याओं पर समाचार देखने/पढ़ने/सुनने के लिए किन मीडिया और कार्यक्रम खंड (programme segment) को प्राथमिकता दी गई?

भारतीय मीडिया परिदृश्य में कई समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, टेलीविजन समाचार चैनल और रेडियो स्टेशन शामिल हैं। स्टेटिस्टा.इन की रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण भारतीयों के बीच डिजिटल साक्षरता में व्यापक वृद्धि का विवरण दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफार्मों तक आसानी से पहुँच सकती है। हालाँकि, मीडिया की कवरेज और उत्तरदाताओं की रुचि उनके पसंदीदा मीडिया को पढ़ने/देखने/सुनने की उनकी प्राथमिकताओं को बदल देती है। अधिकतम 30% उत्तरदाता समाचार चैनल कार्यक्रमों के नियमित दर्शक थे। वे सभी प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकताओं के लिए समाचार चैनल देखना पसंद करते थे। 26% उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दी और 19% ने अपनी समाचार आवश्यकताओं के लिए अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दी, क्योंकि यह मोबाइल उपकरणों पर आसानी से उपलब्ध था और इसे कभी भी एक्सेस किया जा सकता था। 15% उत्तरदाताओं ने अपनी समाचार आवश्यकताओं के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पढ़ना पसंद किया, 8% ने पॉडकास्ट में रुचि दिखाई लेकिन पॉडकॉस्ट माध्यम को धार्मिक मुद्दों पर कहानी सुनने के लिए इसे अधिक पसंद किया गया। बहुत कम 2% उत्तरदाता किसी भी प्रकार के समाचार आवश्यकताओं के लिए रेडियो चैनलों में रुचि रखते थे। वे गाने और मनोरंजन के लिए रेडियो को अधिक पसंद करते थे। इस प्रकार उत्तरदाताओं की मीडिया प्राथमिकताएँ समाचारों में उनकी रुचि तक ही सीमित थीं। कुछ उत्तरदाताओं ने मीडिया का उपयोग केवल अपने मनोरंजन आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना पसंद किया, इसलिए उपर्युक्त प्रश्न पर उनकी मिश्रित राय थी। हालाँकि, अधिकतर उत्तरदाता विकासशील देशों की सामाजिक समस्याओं के प्रति गंभीर थे। वे नियमित मीडिया उपयोगकर्ता थे और उम्मीद करते थे कि मीडिया व्यापक रूप से साझा की जाने वाली सामाजिक समस्याओं पर गहन जानकारी प्रदान करे।

ग्राफ 1 : उत्तरदाताओं द्वारा सामाजिक समस्याओं पर समाचार देखने/पढ़ने/सुनने के लिए पसंदीदा मीडिया और कार्यक्रम खंड का विवरण

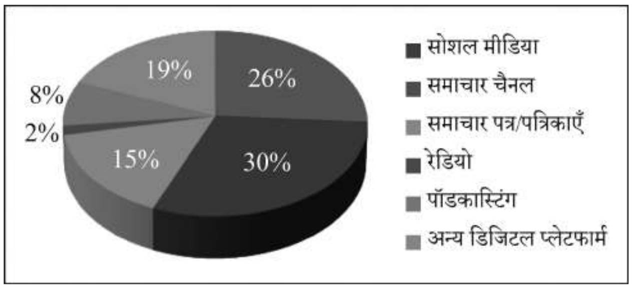

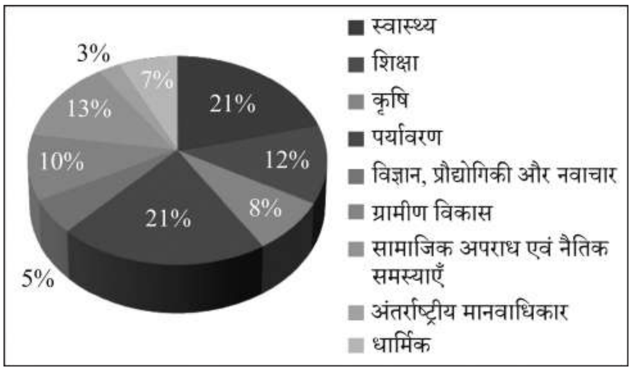

स्रोत : सर्वे

सामाजिक समस्याओं पर मीडिया के कवरेज पर उत्तरदाताओं का मिश्रित दृष्टिकोण पाया गया। अधिकतर उत्तरदाताओं ने ऐसी खबरों को पढ़ना और देखना पसंद किया, जो उन्हें निवारक उपायों और समाधानों के साथ स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। 21% उत्तरदाता समाचार चैनल कार्यक्रमों, समाचार पत्र रिपोर्टों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान खोजने में रुचि रखते पाए गए। वैश्विक महामारी विकासशील देशों में जनता के बीच स्वास्थ्य जागरूकता का एक बड़ा कारण बनी। ये उत्तरदाता बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों की स्थिति, राज्यों में औसत विकास, सरकार और स्वास्थ्य विभागों के परिवर्तनात्मक उपायों, स्वास्थ्य और खुशी सूचकांक (Happiness Index) में राष्ट्र की स्थिति जैसे समाचारों के प्रति अधिक गंभीर थे। 21% उत्तरदाताओं की रुचि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मौसम की स्थिति, तूफान, पानी की स्थिति में सुधार के लिए सरकार की पहल, जलवायु परिवर्तन और अन्य प्रतिकूल मौसम स्थितियों जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान वाले समाचारों में थी। 13% उत्तरदाता सामाजिक अपराधों की घटनाओं और नैतिक मुद्दों; जैसे—अपराधियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई, राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि, राज्य में गरीबी और जनसंख्या को कम करने के लिए सरकारी नीतियां, बेरोजगारी के मुद्दे और नई शिक्षा के कार्यान्वयन का समाधान ढूँढ़ना में अधिक रुचि रखते पाए गए। इसके साथ ही इनकी रुचि स्कूल, कॉलेजों, किसानों के विरोध प्रदर्शन, नागरिक संशोधन अधिनियमों पर नवीनतम विकास आदि में पाई गई। चूँकि अधिकतम उत्तरदाता शहरी और अर्ध शहरी समाज के निवासी थे, इसलिए उन्हें ग्रामीण और कृषि (8%) विकास की खबरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ऐसी जानकारी केवल सीमित मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही प्राप्त होती है।

दूरदर्शन के 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम में 4% उत्तरदाताओं ने रुचि दिखाई, जो कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। कुछ उत्तरदाताओं ने पत्रिकाओं में ऐसी जानकारी पढ़ना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्फ करना भी पसंद किया। 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं या अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं का समाधान ढूँढ़ना पसंद किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश, सरकारी नौकरियों, नई शिक्षा नीति (एनईपी) और सरकार द्वारा नवीनतम विकास पर नई जानकारी एकत्र करने के लिए समाचार चैनल को देखना या समाचार पत्र पढ़ना पसंद किया। कुछ ऐसे उत्तरदाता भी थे, जो विज्ञान/प्रौद्योगिकी और नवाचारों (5%) या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के मुद्दों (3%) की खबरों में समाधान खोजने में रुचि रखते थे। भारतीय पॉडकास्ट कार्यक्रमों के श्रोताओं के बीच धर्म से जुड़ी जानकारी लोकप्रिय पाई गई। धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले अधिकतम उत्तरदाता (7%) भारत के दिल्ली/एनसीआर क्षेत्रों के नियमित पॉडकास्ट श्रोता थे। उन्होंने कुंडली, हिमालय के छिपे रहस्य, देशों के आध्यात्मिक रहस्य, हस्तरेखा विज्ञान और रेकी विज्ञान जैसी जानकारी में समाधान खोजने में रुचि दिखाई।

तालिका 2 : प्रतिक्रियाओं का सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व सामाजिक समस्याओं पर मीडिया की कवरेज पर विस्तृत विचार प्रदान करता है।

कार्यक्रमों की श्रेणी	सोशल मीडिया	समाचार चैनल	समाचार पत्र	रेडियो	पॉडकास्ट	अन्य डिजिटल मीडिया	कुल
स्वास्थ्य	31	37	13	2	4	20	107
शिक्षा	29	4	5	1	6	14	59
कृषि	9	17	9	0	2	3	40
पर्यावरण	14	42	31	0	0	17	104
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार	4	2	5	0	0	15	26
ग्रामीण विकास	14	20	2	1	0	14	51
सामाजिक अपराध एवं नैतिक समस्याएँ	24	25	12	1	0	4	66
अंतर-राष्ट्रीय मानवाधि-कार	4	2	1	2	0	3	12
धार्मिक	1	2	0	1	27	4	35
कुल	130	151	78	8	39	94	500

उत्तरदाता अपने पसंदीदा मीडिया और प्रसारित कार्यक्रमों में सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं?

उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत थे कि विकासशील देशों में सामाजिक समस्याओं को मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कवर किया जाता है। स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक अपराधों की चुनौतियों को मीडिया व्यापक तरीके से कवर करता है। कुल 135 उत्तरदाताओं (27%) को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में गहन सूचना और जानकारी मिली। वास्तव में अधिकतर उत्तरदाता अपनी समस्याओं के समाधान की आवश्यकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। हालाँकि वे सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचारों की विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त नहीं थे। उनमें से अधिकतर को ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिथ्या या भ्रमित करने वाली ज्ञात होती है। कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार और गलत सूचना के बारे में भी जागरूक थे। कुछ उत्तरदाताओं ने पॉडकास्ट को धार्मिक और सामाजिक विषयों पर गहन जानकारी प्रदान करने का एक उत्कृष्ट माध्यम भी माना। नियमित टेलीविजन दर्शक इस तथ्य से असहमत पाए गए कि मीडिया अपने कवरेज में समाधानोन्मुख कहानियाँ प्रदान करता है। हालाँकि समाचार चैनलों के कवरेज में सामाजिक मुद्दों पर अधिकतम समाचार शामिल होते हैं, लेकिन उनकी बहस और चर्चाएँ अक्सर राजनीतिक तर्क-वितर्क के साथ समाप्त होती हैं। इस सवाल पर अखबार और पत्रिका के पाठकों की मिली-जुली राय थी।

समाचार पत्रिकाओं के नियमित पाठकों को विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेकों खबरें संज्ञान में थीं। कुछ उत्तरदाताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बीमारियाँ, सामाजिक अपराध, शिक्षा, ड्रग्स और सरकारी नीतियों के मुद्दों का उल्लेख किया गया। लेकिन, 345 उत्तरदाता (69%) इस तथ्य से असहमत थे कि मीडिया अपने किसी भी माध्यम से समाधान उन्मुख समाचार प्रदान करता है। इन उत्तरदाताओं के अनुसार मीडिया केवल सामाजिक मुद्दों को विस्तार से कवर करता है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जानकारी याद नहीं थी, जो सामाजिक समस्याओं के समाधान को भी कवर करता हो। वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान भी वे नकारात्मक खबरों के डर से बचने के लिए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से बच रहे थे। अधिकतर उत्तरदाताओं ने केवल अपनी नियमित सूचना और मनोरंजन आवश्यकताओं के लिए मीडिया का उपयोग करना पसंद किया, लेकिन किसी समाधान के लिए नहीं। उन्होंने विशेष रूप से समस्याओं के सकारात्मक समाधान के बजाय सामाजिक समस्याओं पर नकारात्मक समाचार प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की आलोचना की। उन्हें कई मीडिया प्लेटफार्मों पर विकास पत्रकारिता गायब दिखी। हालाँकि 4% उत्तरदाता ऐसे भी थे, जो इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। वे मीडिया की खबरों से भ्रमित थे। यद्यपि मीडिया अपराध, जालसाजी, राजनीति, हड़ताल, प्रदर्शन और दुर्घटनाओं पर समाचारों को व्यापक कवरेज प्रदान करता है, लेकिन ऐसा कोई भी समाचार उनके संज्ञान में नहीं था, जो व्यापक रूप से साझा किए जाने वाले सामाजिक मुद्दों का किसी भी रूप में समाधान भी प्रदान करता हो। इसलिए अधिकतर उत्तरदाताओं ने मीडिया को एक ऐसा माध्यम माना, जो सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही कई मुद्दों पर विस्तृत कवरेज भी देता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं के समाधान की रिपोर्टिंग का अभाव आज भी मीडिया में दिखता है। उनके अनुसार लगभग सभी राष्ट्रीय समाचार चैनल और समाचार पत्र इसी तरह की खबरों को पेश करते हैं, जो ज्यादातर समाज की प्रमुख घटनाओं पर आधारित होते हैं। खबरों के पैटर्न ज्यादातर पारंपरिक थे और उनमें कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं थी, जो विशेष रूप से समाधान के साथ खबर प्रदान करने के नवीन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती हो। उत्तरदाताओं के मिश्रित विचारों ने सामाजिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों की जानकारी से असंतुष्टि दिखाई, क्योंकि वे इन खबरों को अविश्वसनीय मानते थे, जब तक कि वह प्रामाणिक स्रोतों द्वारा प्रकाशित न हो।

ग्राफ 2 : उत्तरदाता अपने पसंदीदा मीडिया कार्यक्रम खंडों में सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं?

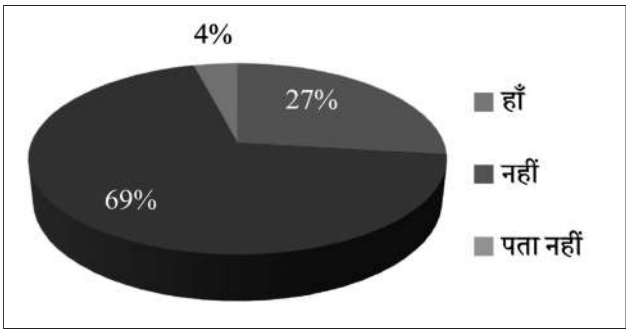

स्रोत : सर्वे

निष्कर्ष

शोध से पता चलता है कि यद्यपि मीडिया अपराध, राजनीति, शिक्षा, दुर्घटनाओं, खेल, मनोरंजन, व्यवसाय, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति की कई आवश्यक सूचनाओं को दिखाता है, लेकिन व्यापक रूप से साझा की जाने वाली सामाजिक समस्याओं के समाधान का कवरेज अभी भी इसका हिस्सा नहीं है। अधिकतम उत्तरदाताओं ने अपनी सूचनात्मक और मनोरंजन की आवश्यकता के लिए मुख्यधारा मीडिया को प्राथमिकता दी। वे सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मीडिया आउटलेट को पूरी तरह से प्राथमिकता नहीं दे सके। इसलिए विकासशील राष्ट्र में मीडिया की भूमिका एक बड़ी बहस का विषय है, क्योंकि यह केवल सूचना के स्रोत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी है। पिछले अध्ययनों में यह पाया गया कि समाधान पत्रकारिता में किसी भी समस्या के मूल कारण को सीधे संबोधित करने की शक्ति है, क्योंकि यह समाज को एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया की इस भूमिका का अभाव है। विकासात्मक मुद्दों का कवरेज सामाजिक घटनाओं और गतिविधियों तक ही सीमित है, जो शायद ही कभी सामाजिक समस्याओं की प्रतिक्रिया को कवर करता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाधान पत्रकारिता ने सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग की प्रवृत्ति को संशोधित किया है, जो पत्रकारिता की दुनिया में एक आशाजनक विकास है। यह प्रवृत्ति न केवल समाधान प्रदान करती है, बल्कि मुद्दों पर अपनी अनुवर्ती कहानियों के माध्यम से दर्शकों को संलग्न करती है, जो स्वयं परिवर्तन और विकास का कारण बन जाती है। यह हमारे समाज में प्रमुख मुद्दों को नए मार्ग प्रदान

करने वाला एक सकारात्मक प्रयास है। इस प्रकार, समाधान पत्रकारिता विकासशील राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसमें समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए दर्शकों/पाठकों/श्रोताओं को प्रेरित करने और शामिल करने की क्षमता है। रिपोर्टिंग के इस आवश्यक कौशल को मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा अपने पत्रकारों को आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करके बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज के परिदृश्य में इस प्रयास में विफल होने पर मीडिया को विकासशील देशों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा न देने का दोषी माना जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन दिल्ली/एनसीआर में रहने वाले शहरी और अर्ध-शहरी उत्तरदाताओं तक सीमित था। उत्तरदाताओं को समाधानपरक पत्रकारिता शब्द के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं थी और उनकी प्रतिक्रियाएँ पिछले शोध कार्यों में साहित्य की समीक्षा के माध्यम से शामिल सामाजिक समस्याओं पर पूछे गए प्रश्नों तक ही सीमित थीं। स्थानीय समाचार चैनल, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ इस शोध का हिस्सा नहीं थे। अतः यह अध्ययन भारत की विशाल जनसंख्या के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित था।

संदर्भ

करी, ए. (2014). एंगेजिंग न्यूज प्रोजेक्ट ऑन सॉल्यूशंस जर्नलिज्म बाय द एनेटे स्ट्रॉस इंस्टिट्यूट फॉर सिविक लाइफ. द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऐट ऑस्टिन. http://engagingnewsproject.org/research/solutions-journalism/ से जनवरी 18, 2024 को पुनःप्राप्त

कॉसटेरा, आई. (2010). 'डेमोक्रेटाइजिंग जर्नलिज्म? रियलाइजिंग द सिटीजनस एजेंडा फॉर लोकल न्यूज मीडिया'. जर्नलिज्म स्टडीज 3. 327-342.

गबादेयन, बी.टी., बेरक्कतार, यू.ए. (2023). इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन द बिहेव्यरल फार्मेशन ऑफ डिजिटल नेटिव्स : ए मॉडरेशन ऐप्रोच, जर्नल ऑफ लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11(10). Influence of Social Media on the Behavioral Formation of Digital Natives: a Moderation Approach | Journal of Law and Sustainable Development (journalsdg.org) से पुनःप्राप्त

गर्सान, डी, मोरेनो, ई. एंड वेंजल, ए. (2016). एंगेजिंग कम्यूनिटीज थ्रू सॉल्यूशन जर्नलिजम, कोलंबिया जर्नल, अप्रैल 2016. Engaging Communities Through Solutions Journalism - Columbia Journalism Review (cjr.org) से पुनःप्राप्त

ग्रोएक्शन. (2012) द फ्यूचर ऑफ न्यूज मीडिया इज सॉल्यूशन जर्नलिजम. डेविड बोर्न्सटीन ऑफ डाउजर. ओआरजी, p. 5.

गिलडेंस्टेड, सी. (2011). इनोवेटिंग न्यूज जर्नलिजम थ्रू पॉजिटिव सायकॉलजी. Innovating News Journalism Through Positive Psychology (researchgate.net) से पुन:प्राप्त.

टेनोर, एम. जे. (2014). हाउ मीडिया प्रैक्टिशनर्स कैन पेंट ए मोर एक्युरेट पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड. इमेज एंड वॉयस ऑफ होप. Brahma Kumaris - Images and Voices of Hope से पुन:प्राप्त.

डाउजर. (2014). हु इज चेंजिंग व्हाट एंड हाउ : स्प्रेडिंग सॉल्यूशंस जर्नलिज्म. http://dowser.org/spreading-solutions-journalism/ से जनवरी 18, 2024 को पुनःप्राप्त.

थायर, के. (2016a). ऑपोर्च्यूनाइटीज एंड चैलेंजेज फॉर इनीशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सलूशन जर्नलिज्म कोर्स वर्क. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एडुकेटर, 71(3), 329-343.

थायर, के. (2016b). रीमिक्स : हाउ एंड व्हाई टू टीच सॉल्यूशंस जर्नलिज्म. मीडिया शिफ्ट. (2016) Remix: How and Why to Teach Solutions Journalism (mediashift.org) से पुनःप्राप्त

पोर्टर, ए. (2017). इमर्जिंग फोर्सेज बिहाइंड सॉल्यूशंस जर्नलिज्म. यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थ टेक्सास: डेटोन, टीएक्स.

बंसल, एस., & मार्टिन, सी. (2015, जनवरी). द सॉल्यूशंस जर्नलिज्म टूलकिट. सॉल्यूशंस जर्नलिज्म नेटवर्क. new-sjn-toolkit-20162.pdf (wordpress.com) से जनवरी 18, 2024 को पुनःप्राप्त

बेनेस्क, एस. (1998). द राइज ऑफ सॉल्यूशंस जर्नलिज्म. कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यु, 36(6), 36. The rise of solutions journalism - Document - Gale Academic OneFile से पुनःप्राप्त

बोर्नस्टेन, डी. (2011). 'व्हाई 'सॉल्यूशंस जर्नलिज्म' मैटर्स, टू. 'द न्यूयार्क टाइम्स, इंटरनेशनल एडिशन, 20 दिसंबर, 2011.

मिडबेरी, जे. & डहमेन, एन. एस. (2019). विजुअल सलूशन जर्नलिज्म: ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. जर्नलिज्म प्रैक्टिस14(10):1-20 (PDF) Visual Solutions Journalism: A Theoretical Framework (researchgate.net) से पुनःप्राप्त

मैक्लनायर, के. & लॉफ, के (2019). टुवर्ड्स ए क्लियरर कांसप्च्यूलिजेशन एंड ऑपरेशनलिजेशन ऑफ सॉल्यूशंस जर्नलिज्म. जर्नलिज्म 22(4). Toward a clearer conceptualization and operationalization of solutions journalism | Request PDF (researchgate.net) से पुनःप्राप्त

मैक्लनायर, के. (2017) कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म : द इफेक्ट ऑफ इनक्लूडिंग सलूशन इनफॉर्मेशन इन न्यूज अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, जर्नलिज्म प्रैक्टिस 13(1):1:-19. Solutions Journalism: The effects of including solution information in news stories about social problems (researchgate.net) से पुनःप्राप्त

मैकनेयर, बी. (2009). जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी. द हैंड बुक ऑफ जर्नलिज्म स्टडीज, 237-249 MC NAIR Jornalism and Democracy.pdf (usp.br) से पुनःप्राप्त

लॉफ, के. & मैक्लनायर, के. (2019). विज्युलाइजिंग द सॉल्यूशन : ऐन एनालिसिस ऑफ द इमेज दैट ए कंपनी सॉल्यूशंस-ओरिएंटेड न्यूज स्टोरीज. जर्नलिज्म, 20 (4), 583-599.

लॉफ, के. & मैक्लनायर, के. (2018). जर्नलिस्ट्स परसेप्शंस ऑफ सॉल्यूशंस जर्नलिज्म एंड इट्स प्लेस इन द फील्ड #ISOJ, 8(1), 33-52 Journalists' perceptions of solutions journalism and its place in the field – International Symposium on Online Journalism (isoj.org) से पुनःप्राप्त.

वान, वी. आई. सैच्स, टी., & क्लीमांस, एम. (2022). द इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टेलिविजन न्यूज रिपोर्टिंग ऑन प्रोसोशल इंटेन्शंस एंड बिहेवियर इन चिल्ड्रेन : द रोल ऑफ नेगेटिव इमोशंस एंड सेल्फ एफिकेसी. कम्युनिकेशंस. https://www.usethenews.nl/wp-content/uploads/2024/02/10.1515_commun-2019-0151.pdf से पुन:प्राप्त.

सॉल्यूशंस जर्नलिज्म नेटवर्क, व्हाट इज ईट एंड वाई शुड आई केअर? Solutions Journalism: What is it and why should I care? | The Whole Story से पुनःप्राप्त.

सोरोका, एस. (2014). नेगेटिवटी इन डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स : कॉज एंड कॉनसिक्वेंसेज. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

आईआईएमसी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ

भारतीय जन संचार संस्थान सम विश्वविद्यालय के सत्रारंभ समारोह 2024-25 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नेटवर्क 18 के समूह संपादक डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, मंच पर (बायें से) उपस्थित हैं, प्रो. प्रमोद कुमार, डॉ. निमिष रुस्तगी, डॉ. अनुपमा भटनागर, मेजर जनरल ध्रुव कटोच एवं प्रो. सुरभि दहिया

भारतीय जन संचार संस्थान सम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ करते हुए आईआईएमसी की कुलपति डॉ. अनुपमा भटनागर ने कहा कि मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में आईआईएमसी देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। आईआईएमसी के श्रेष्ठ प्राध्यापकों के अथक प्रयास से ही हम लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने की सलाह दी। इस अवसर पर नेटवर्क 18 समूह के समूह संपादक डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, इंडिया फाउंडेशन के निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ध्रुव कटोच एवं 'न्यूज' के संस्थापक एवं सीईओ श्री शलभ उपाध्याय भी उपस्थित थे।

डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को मीडिया इंडस्ट्री के बदलते रुझानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ मीडिया की जरूरतें बदल रही हैं। आज कोई भी मीडिया कंपनी नौकरी के लिए उन लोगों को प्राथमिकता देती है, जिनके पास भाषाई कौशल, तकनीकी जागरूकता और मौलिक ज्ञान हो। इसलिए विद्यार्थियों को अपने अंदर सीखने की इच्छा हमेशा बनाए रखनी चाहिए।

इंडिया फाउंडेशन के निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ध्रुव कटोच ने कहा कि ज्ञान और कौशल आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसका अनुसरण करें। उन्होंने विद्यार्थियों को यह सलाह भी दी कि वे अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश न करें, बल्कि लोगों को इसे खरीदने के लिए प्रेरित करें। यही आपकी सच्ची प्रतिभा है।

'न्यूज' के संस्थापक एवं सीईओ श्री शलभ उपाध्याय ने अपने संबोधन में कंटेंट और टेक्नोलॉजी के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकों के साथ अपडेट रहने और मास कम्युनिकेटर के रूप में खुद की अलग पहचान बनाने के लिए कुछ अलग तरह का कंटेंट बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। शुभारंभ समारोह के द्वितीय सत्र में दिल्ली परिसर एवं समस्त क्षेत्रीय परिसरों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अपना परिचय दिया।

सत्रारंभ समारोह के दूसरे दिन सीएनएन-न्यूज18 के स्पेशल प्रोजेक्ट

मेजर जनरल ध्रुव कटोच

डॉ. अनुपमा भटनागर

श्री शलभ उपाध्याय

डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह

श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी

श्री आनंद नरसिम्हन

श्री प्रसाद सन्याल

श्री शाली इत्तेमान

के प्रबंध संपादक और वरिष्ठ एंकर श्री आनंद नरसिम्हन ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमेशा भारत के लिए, भारत के बारे में और बेहतर भारत के लिए रिपोर्ट करें। उन्होंने छात्रों को पत्रकारिता के चार स्तंभों पर जोर देने के लिए प्रेरित किया—सामग्री, स्पष्टता, विश्वास और संचार।

दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक श्री विष्णु त्रिपाठी ने कहा कि किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी शब्दावली को बढ़ाकर आप अपने विचारों को सटीकता और स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। एक पत्रकार को अपने काम में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष और सटीक बनी रहे।

टाइम्स इंटरनेट के बिजनेस हेड श्री प्रसाद सान्याल ने कहा कि तेज और पहले होने से अधिक महत्त्वपूर्ण है कि आप सटीक हों। प्रसार भारती के सलाहकार श्री शाली इत्तेमान ने कहा कि जब आप इस पेशे में आ गए हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना होगा और उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है। अगर आप केवल शोहरत और पैसा चाहते हैं, तो कृपया इस क्षेत्र में मत आइए। दो दिवसीय समारोह में आईआईएमसी के सभी क्षेत्रीय परिसरों के विद्यार्थी एवं संकाय सदस्य ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

आईआईएमसी को मिला सम विश्वविद्यालय का दर्जा

दिनांक 31 जनवरी, 2024 को भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) को विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी यानी सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आईआईएमसी के दिल्ली परिसर सहित संस्थान के पाँचों क्षेत्रीय केंद्रों जम्मू (जम्मू-कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम), कोट्टायम (केरल) और ढेंकनाल (ओडिशा) को भी यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। इस घोषणा के बाद अब आईआईएमसी डॉक्टरेट डिग्री सहित मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है। भारतीय जन संचार संस्थान पत्रकारिता व जनसंचार के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान है। इसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर 17 अगस्त, 1965 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ शिक्षा को उपलब्ध कराना था। इसके पूरे देश में पाँच क्षेत्रीय केंद्र हैं। यह संस्थान देश में अपनी तरह के संस्थानों में विशिष्ट स्थान रखता है। इसे पत्रकारिता में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मीडिया और जनसंचार में सार्थक अनुसंधान के लिए भी इसका अपना स्थान है। यह भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी काम करता है।

आईआईएमसी में दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से दो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए गए हैं। गत 31 जनवरी, 2024 को यूजीसी से सम विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के पश्चात् आईआईएमसी ने 'स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन' और 'मीडिया बिजनेस स्टडीज' पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ स्नातक करने वाले विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र हैं। सत्र 2024-25 के दौरान विद्यार्थियों को प्रवेश सीयूईटी-पीजी परीक्षा के आधार पर दिया गया। प्रवेश के लिए सीयूईटी-पीजी परीक्षा के स्कोर को 85% और साक्षात्कार को 15% 'वेटेज' दिया गया। इस वर्ष इन दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सिर्फ वही विद्यार्थी पात्र थे, जिन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में सीयूईटी-पीजी की परीक्षा दी थी। दोनों पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या 40 है। इसके अलावा 20% सुपरन्यूमेरी (अतिरिक्त) सीटें हैं, जो कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों के अभिभावकों, कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासी), शांतिकाल के दौरान की गई कार्रवाई में शहीद या विकलांग हुए सैन्यकर्मियों की विधवाओं और अभिभावकों, दस वर्ष का अनुभव रखने वाले रक्षा सेवाकर्मियों एवं मीडिया इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दोनों ही पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री और एग्जिट के पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। सेमेस्टर- II को पूरा करने के पश्चात् अगर किसी भी कारण से विद्यार्थी पाठ्यक्रम को छोड़ता है, तो उसे संबंधित कोर्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा) प्रदान किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी अगर पाठ्यक्रम से दोबारा जुड़कर अपनी मास्टर डिग्री पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें पाँच वर्ष के अंदर फिर से प्रवेश लेना होगा। दोनों पाठ्यक्रमों की फीस प्रति सेमेस्टर 60,000/- रुपये एवं अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रति सेमेस्टर 4000 डॉलर निर्धारित की गई है।

आइज़ोल परिसर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ऑनलाइन माध्यम से आईआईएमसी के आइजोल परिसर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए

गत 25 जुलाई, 2024 को भारतीय जन संचार (आईआईएमसी) के आइजोल परिसर में स्थित भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन 'अपना रेडियो 90.0 एफएम' का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू, अपर सचिव श्रीमती नीरजा शेखर एवं भारतीय जन संचार संस्थान की कुलपति डॉ. अनुपमा भटनागर भी उपस्थित थीं।

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का 500वाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन

श्री लालदुहोमा, मुख्यमंत्री, मिजोरम

'अपना रेडियो 90.0 एफएम' आइजोल के लोगों के जीवन में बदलाव लाने और छात्रों, स्थानीय समुदाय और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्ट ईस्ट' की नीति अपनाई है और इस दिशा में 'अपना रेडियो 90.0 एफएम' मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री के अनुसार रेलवे की पहुँच और वैचारिक नीतियों को लागू कर उत्तर-पूर्व क्षेत्र को अधिक समृद्ध बनाना हमारा लक्ष्य है और हम सभी को मिलकर इसके लिए सबसे बेहतर इको सिस्टम बनाना होगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। वर्ष 2014 में जहाँ पूरे देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या 140 थी, वहीं पिछले दस वर्षों में यह संख्या बढ़कर अब 500 तक पहुँच गई है।

इस अवसर पर उपस्थित मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने कहा कि हम आइजोल में शुरू हो रहे 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लेकर उत्साहित हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण संख्या है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय संस्कृति और स्थानीय लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को सरकारी योजनाओं तथा कृषि से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने में सहायक होगा। इससे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने और हमारे समुदाय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आईआईएमसी को बधाई देते हुए कहा कि यह एक सुखद अवसर है कि हम आइजोल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सामुदायिक रेडियो पिछड़े क्षेत्रों के लोगों से संवाद करने में और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक उद्देश्य के लिए है। यह स्थानीय लोगों और छात्रों को शिक्षित भी करता है। हम 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन तक पहुँच गए हैं। इस नाते हम सभी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है।

समारोह को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने कहा कि सामाजिक मुद्दों को उठाने में सामुदायिक रेडियो एक अहम भूमिका निभा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक विकास और सशक्तीकरण के लिए सामुदायिक रेडियो की बेहतर पहुँच सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अपडेट करते रहते हैं, ताकि उनके कामकाज को बेहतर किया जा सके। समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए आईआईएमसी की कुलपति डॉ. अनुपमा भटनागर ने कहा कि 'अपना रेडियो 90.0 एफएम' का उद्घाटन मिजोरम के इतिहास में एक नया अध्याय है, जो संवाद के माध्यम से समुदायों को एक साथ लाता है, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है।

भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
प्रकाशन विभाग

नवीन सदस्यता | नवीनीकरण प्रपत्र

संचार माध्यम | अब **त्रैमासिक** उपलब्ध है

सेवा में
प्रमुख, प्रकाशन विभाग, भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
नया जेएनयू परिसर, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110 067

महोदय/महोदया
मैं/हम 'संचार माध्यम' शोध पत्रिका की सदस्यता लेना चाहते हैं :

संचार माध्यम रु. 200.00 प्रति अंक (रु. 800.00 वार्षिक शुल्क)

कैलेंडर वर्ष (जनवरी–दिसंबर) के लिए..

डिमांड ड्राफ्ट/चेक संख्या/ऑनलाइन लेनदेन संख्या ....

दिनांक.................................... के नाम आहरित .... के लिए

₹.................................... सदस्यता राशि के रूप में संलग्न है।

पत्रिका निम्नलिखित पते पर भेजी जाए :

नाम ....

पता ....

दूरभाष ....

(हस्ताक्षर दिनांक सहित)

टिप्पणी :

- डिमांड ड्राफ्ट भारतीय जन संचार संस्थान के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए।
- व्यक्तियों से प्राप्त चेक स्वीकार नहीं किए जाएँगे; तथापि, संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित फर्मो से प्राप्त चेक स्वीकार किए जा सकते हैं।

ऑनलाइन फंड ट्रांसफर विवरण :

खाताधारक का नाम	:	**IIMC REVENUE**
पता	:	Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110 067
बैंक का नाम एवं शाखा	:	**State Bank of India**, R K Puram, New Delhi - 110022
आईएफएससी कोड	:	**SBIN0001076**
खाता संख्या	:	**40321700410**
बैंक का प्रकार	:	SB

SCAN & PAY
UPI ID: 9773601002@SBI
BHIM UPI

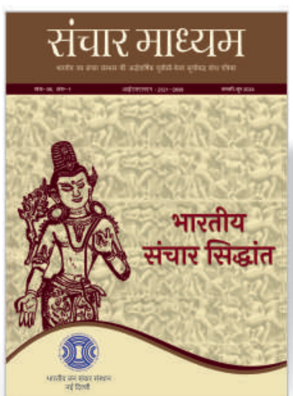

संचार माध्यम

'संचार माध्यम' (ISSN : 2321-2608) भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की संचार, मीडिया, पत्रकारिता और उससे संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हिंदी में प्रकाशित होने वाली अग्रणी 'पीयर रिव्यूड' और यूजीसी-केयर सूचीबद्ध शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1980 में आरंभ हुआ और आज यह हिंदी भाषा में संचार, मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रकार के विचारों, टिप्पणियों, पुस्तक समीक्षा और मौलिक शोध-पत्रों के प्रकाशन का प्रतिष्ठित मंच है। इसमें मीडिया से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर मौलिक अकादमिक शोध और विश्लेषण प्रकाशित किए जाते हैं। अकादमिक शोध के उच्चतर मूल्यों का पालन करते हुए 'संचार माध्यम' में प्रकाशन से पूर्व सभी शोध पत्रों /आलेखों की बहुस्तरीय निष्पक्ष समीक्षा (ब्लाइंड पीयर रिव्यू) कराई जाती है। भारतीय जन संचार संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अब पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक हो रहा है।

'संचार माध्यम' में निम्नलिखित श्रेणी के शोध-पत्र प्रकाशित किए जाते हैं :

1. **मौलिक शोध पर आधारित शोध-पत्र:** इस प्रकार के शोध-पत्र की शब्द सीमा 4000 से 5000 शब्द होनी चाहिए, जो डबल स्पेस में टाइप किया गया हो। साथ ही अधिकतम 250 शब्दों में शोध सारांश भी शामिल होना चाहिए। शोध-पत्र सिर्फ यूनिकोड फॉण्ट में ही टाइप होना चाहिए और उसमें संबंधित शोध की पूर्ण तस्वीर दृष्टिगोचर होनी चाहिए। शोध-पत्र से जुड़े छायाचित्र/ग्राफ/टेबल, यदि कोई हों, तो वे भी अपनी मूल प्रति के साथ (एक्सेल फाइल इत्यादि) संलग्न किए जाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि छायाचित्रों का रिज़ॉल्यूशन उच्च स्तर का हो ताकि प्रिंटिंग के समय गुणवत्ता प्रभवित न हो। पीडीएफ फाइल में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
2. **लघु शोध आधारित शोध-पत्र:** लघु शोध आधारित आलेख 2000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी लगभग 4-5 पृष्ठ, डबल स्पेस में टाइप किया गया हो। यह भी यूनिकोड फॉण्ट में ही टंकित होना चाहिए। ऐसे शोध-पत्र भी पूर्ण हो चुके शोध/अध्ययनों पर ही आधारित होने चाहिए। इसमें ऐसे तथ्यपूर्ण शोध-पत्र भी शामिल हो सकते हैं, जिनका संबंध किसी नवीन तकनीक के विकास से है। ऐसे शोध-पत्रों का शोध सारांश 80 से 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. **शोध समीक्षा:** इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समीक्षात्मक आलेखों में प्रस्तावना, साहित्य समीक्षा, शोध परिणाम आदि के अलावा संबंधित शोध में मौजूद कमियों और उन कमियों के सुधार हेतु सुझावों का भी समावेश होना चाहिए, ताकि भविष्य में अन्य शोधकर्ता उन कमियों को दूर करने की दिशा में प्रयास कर सकें।
4. **पुस्तक समीक्षा:** 'संचार माध्यम' में पत्रकारिता और जनसंचार पर प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा (शब्द सीमा: 1500) भी प्रकाशित की जाती है। अन्य विषयों जैसे सामाजिक ज्ञान, सामाजिक कार्य, एंथ्रोपोलोजी, कला आदि पर प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा भी भेजी जा सकती है बशर्ते उनका शीर्षक मीडिया अध्ययन से जुड़ा हो या उनकी सामग्री में कम-से-कम 40 प्रतिशत अध्याय मीडिया, जनसंचार या पत्रकारिता से जुड़े हों। पुस्तक समीक्षाएँ उनके पूर्ण विवरण जैसे प्रकाशक, वर्ष, संस्करण, पृष्ठ संख्या, मूल्य व पुस्तक के छायाचित्र के साथ भेजी जानी चाहिए।

प्रकाशन नैतिकता और साहित्यिक चोरी

- संचार माध्यम के लिए जो शोध आलेख भेजे जाएँ उन्हें अन्य पत्रिकाओं को नहीं भेजना चाहिए और न ही शोध आलेखों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसी सामग्री के साथ किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेखकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 'संचार माध्यम' में प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले आलेख किसी भी रूप में या मिलती-जुलती सामग्री के रूप में पहले प्रकाशित न हुए हों।
- किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आलेख के साथ मूल कार्य का घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसके बिना आलेखों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेखकों को आलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई भी अनैतिक व्यवहार (साहित्यिक चोरी, गलत डेटा आदि) किसी भी स्तर पर (पीयर रिव्यू या संपादन स्तर पर भी) आलेख की अस्वीकृति का कारण बन सकता है। किसी भी समय साहित्यिक चोरी और तथ्यों, निष्कर्षों के स्वनिर्मित आदि पाए जाने पर प्रकाशित आलेख वापस लिए जा सकते हैं।

बहुस्तरीय समीक्षा (पीयर रिव्यू) प्रक्रिया

'संचार माध्यम' में प्रकाशनार्थ प्राप्त सभी आलेख दोहरी या बहुस्तरीय निष्पक्ष समीक्षा (डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू) प्रक्रिया के अधीन हैं। शोध आलेखों को विशेषज्ञों के पास बिना उनके लेखक/लेखकों का नाम बताए समीक्षा के लिए भेजा जाता है। उनकी टिप्पणी, सुझावों और अनुशंसा के आधार पर ही शोध-पत्रों के प्रकाशन का निर्णय लिया जाता है। संपादन-परिषद् के संतुष्ट होने पर ही शोध-पत्र प्रकाशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 4-6 सप्ताह लगते हैं। समीक्षा प्रक्रिया पाँच चरणों पर आधारित है:-

क) जस के तस स्वीकार करने लायक
ख) मामूली सुधार की आवश्यकता
ग) मध्यम सुधार की आवश्यकता
घ) अधिक सुधार की आवश्यकता
ङ) अस्वीकृत
'संचार माध्यम' तीव्र समीक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं करता है

लेखों का संपादन

यदि प्रकाशन के लिए लेख स्वीकार किया जाता है, तो उसे कम-से-कम दो संपादन चरणों से गुजरना पड़ता है। लेखकों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी स्वीकृत लेख संपादन के किसी भी स्तर पर संपादकों द्वारा आवश्यक संशोधनों व परिवर्तनों के अधीन हैं।

जुलाई-सितंबर 2024, खंड-36, अंक-2
आईएसएसएन : 2321-2608

टाइटल कोड : DELHIN28999
सदस्यता शुल्क : ₹ 200 प्रति अंक
(वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 800)

भारतीय जन संचार संस्थान

सम विश्वविद्यालय

भारत का नंबर एक मीडिया संस्थान

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम

- एम.ए. स्ट्रैटिजिक कम्युनिकेशन
- एम.ए. मीडिया बिजनेस स्टडीज

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

• अँग्रेजी पत्रकारिता • हिंदी पत्रकारिता • रेडियो और टीवी पत्रकारिता
• विज्ञापन एवं जनसंपर्क • उड़िया पत्रकारिता • मलयालम पत्रकारिता
• उर्दू पत्रकारिता • मराठी पत्रकारिता • डिजिटल मीडिया

नवीनतम और सुसज्जित सुविधाएँ

• साउंड और टीवी स्टूडियो तथा ऑडियो विजुअल सेटअप
• डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कैमरों के साथ टीवी और वीडियो प्रोडक्शन
• मल्टी कैमरा स्टूडियो सेटअप • नॉन-लीनियर वीडियो एडिटिंग
• एडिटिंग कंसोल • डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग • डीएसएलआर कैमरा
• 4K वीडियो कैमरा • प्रोजेक्टर और वातानुकूलित कक्षाएँ
• कंप्यूटर लैब • मल्टीमीडिया सिस्टम
• वॉयस रिकार्डर, ग्राफिक और लेआउट डिजाइनिंग
• अपना रेडियो 96.9 एफएम

छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा

• सीखने के मजबूत और व्यावहारिक तरीके
• नवीनतम तकनीक और सॉफ्टवेयर के साथ ज्ञान को बढ़ाना
• विशेष बीट रिपोर्टिंग सत्र
• मीडिया उद्योग के विशेषज्ञों के व्याख्यान

भारतीय जन संचार संस्थान (सम विश्वविद्यालय)
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

जेएनयू न्यू कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067
फोनः 011-26742920/296 | वेबसाइटः www.iimc.gov.in
ईमेलः iimc1965@gmail.com

मुद्रक और प्रकाशक प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार भारती, प्रमुख-प्रकाशन विभाग, द्वारा भारतीय जन संचार संस्थान के लिए जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., B-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित तथा भारतीय जन संचार संस्थान, नया जेएनयू कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067 से प्रकाशित । संपादक : प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार